Tuesday, 01 March, 1983

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 8, मंगलवार, 1 मार्च, 1983/10 फाल्गुन, 1904 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 124 से 129 ... 1-24

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 123 और 130 से 142 ... 25-35

अतारांकित प्रश्न संख्या 1386 से 1454 और 1456 से 1620 ... 35-199

सभापटल पर रखे गए पत्र ... 199-210

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1982-83 ... 210

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1980-81 ... 210

नियम 377 के अधीन मामले ... 210-214

(एक) रिचर्ड निक्सन द्वारा लिखित पुस्तक "लीडर्स" में कतिपय आपत्तिजनक और अप्रिय टिप्पणियां

श्री कमलनाथ ... 210-212

(दो) राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों का निर्धारित से अधिक अवधि तक ठहरे रहना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... 212

(तीन) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के निर्धन व्यक्तियों को उचित ढंग से ऋणों का वितरण

श्री केशवराव पारधी ... 212

(चार) निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं की सहायता हेतु प्रत्येक गांव सभा में मतदान केन्द्र बनाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह ... 213

(पांच) बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लिमिटेड में हड़ताल को रोकने के लिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता

श्री जगदीश टाइटलर ... 213-214

(छः) देश में मछुआरों की दशा को सुधारने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता ... 214

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्रीमती जयन्ती पटनायक	...	215-217
श्री पी० वी० जी० राजू	...	217-220
डा० महिपतराय एम० मेहता	...	221-227
डा० वी० कुलनदईवेलु	...	227-234
डा० शंकरदयाल शर्मा	...	234-241
श्री जे० सी० बरवे	...	241-243
श्री रशीद मसूद	...	243-253
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	253-255
श्री धर्मबीर सिन्हा	...	255-257
श्री जी० एम० बनातवाला	...	257-259
श्री सी० चिन्नास्वामी	...	259-261
श्री विजय कुमार यादव	...	261-262
श्रीमती इन्दिरा गांधी	...	262-270

रेल बजट, 1983-84 सामान्य चर्चा

प्रो० मधु दंडवते	...	270-289
श्री उत्तम राठौर	...	284-287
श्री बसुदेव आचार्य	...	287-296
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	296-298

लोक सभा

मंगलवार, 1 मार्च, 1983/10 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 122, श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप दो मिनट देर से आए हैं। कोरम पूरा है।

अध्यक्ष महोदय : हम आपके लिए घण्टी बजा रहे थे।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष पीठ के लिए कोई कोरम नहीं है, वह तो एक होती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का हर समय ध्यान रखता हूं कि कहीं भी देर न हो श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव। प्रश्न संख्या 122.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्कोहल पर बहुविध कर ढांचे को हटाने के बारे में सुझाव

***122. श्री आर० पी० यादव :**

श्री जगदीश टाइटलर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्कोहल पर बहुविध कर ढांचे को समाप्त करने के बारे में केन्द्रीय सीरा बोर्ड की हाल की बैठक में दिए गए सुझावों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

19.1.1983 को हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक में कुछ कमी वाले राज्यों तथा आल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक अल्कोहल पर लगाए गए करों की मात्रा को कम करने से सम्बन्धित था। सरकार राज्य सरकारों पर निरन्तर इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे औद्योगिक अल्कोहल पर शुल्क कम करें। डा० बिमल जालान की अध्यक्षता में समिति द्वारा अल्कोहल पर शुल्कों को सुव्यवस्थित करने के बारे में की गई सिफारिशों को केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने दिसम्बर, 1976 की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि उक्त बैठक में उपस्थित थे। उस समय से मेरा मंत्रालय उन सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सीरा बोर्ड की पश्चात्वर्ती बैठकों में भी उक्त अनुरोध को दोहराया गया है।

अल्कोहल वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकारों ने अल्कोहल पर करों और शुल्कों में कुछ कटौती की है। परन्तु अल्कोहल की कमी वाले राज्यों तथा अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के संगठनों में की गई कटौतियों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया है कि जालान समिति की सिफारिशों के अनुसार कल्कोहल पर शुल्कों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार राज्य सरकारों तथा उपभोक्ता उद्योगों के बीच निरन्तर अन्तर कार्यवाही के माध्यम से आपसी सहयोग बढ़ाने तथा अल्कोहल एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के मुख्य पहलुओं की जांच करने की दृष्टि से मेरे मंत्रालय ने तीन कार्यदल गठित किए हैं। उनमें से एक कार्यदल इस समय राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले बहुमुखी शुल्कों के प्रश्न की जांच करेगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : डा० बिमल जालन की अध्यक्षता वाली समिति की 1976 की अल्कोहल शुल्क को युक्तिसंगत बनाने सम्बन्धी सिफारिशों को केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने अपनी दिसम्बर, 1976 की बठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया था और बोर्ड की बाद की बैठकों में सिफारिशों पर साल-दर-साल बल दिया गया और फिर भी राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। अत: मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा इन्हें कार्यान्वित न करने के बारे में मात्र दर्शक की भूमिका निभाती रहेगी ?

श्री रामचन्द्र रथ : कुछ राज्य सरकारों ने डा० जालन समिति की रिपोर्ट के आधार पर कटौती की है, लेकिन हम की गयी कमी से पूर्णत: सहमत नहीं हैं और हम उनके साथ पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के हित में शुल्क में कमी करने की जरूरत पर हम बल देते आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि 19-1-1983 को हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक में माननीय मंत्री श्री रामचन्द्र रथ ने भी भाग लिया था और उन्होंने खेद प्रकट किया था कि जालन समिति रिपोर्ट की सिफारिशें, जिन्हें राज्यों ने स्वीकार कर

लिया है, अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयी हैं ? क्या अब इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जालन समिति की सिफारिशों तथा कन्द्रीय मोलेसेस बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित किया जायेगा ताकि अल्कोहल पर लगने वाले कई प्रकार के करों को समाप्त किया जा सके।

श्री रामचन्द्र रथ : केन्द्रीय मोलेसेस बोर्ड की पिछली बैठक में मैंने कार्यकारी ग्रुप को इस पहलू की जांच करने के लिए कहा था।

प्रश्न विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक अल्कोहल पर लगाये गये शुल्कों का तथा यह छानबीन करने का था कि एक शुल्कों को जारी रखने का कोई औचित्य है और यदि हां तो प्रणालियों के बारे में सुझाव दिए जायें तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सीरे पर लगाये गये उत्पाद शुल्क को जारी रखने के औचित्य की जांच की जाए और तत्सम्बन्धी अन्य सिफारिशें की जाएं। अत: हमने समिति द्वारा सिफारिशें देने सम्बन्धी समय सीमा निश्चित की है। इस पहलू पर विचार करने के लिए समिति बैठक करेगी ? इस कार्यकारी दल में हमने बहुलता तथा कमी वाले राज्यों के लोग तथा अल्कोहल आधारित उद्योगों की एसोसिएशनों तथा अल्कोहल निर्माण एसोसिएशन के लोग सदस्य के रूप में शामिल किये हैं और वे अपनी रिपोर्ट देंगे। केन्द्रीय सीरा बोर्ड का काम सिफारिश करने जैसा तथा सलाहकार समिति जैसा है और राज्य विषय होने के नाते हम सिवाये इसके कुछ नहीं कर सकते कि हम राज्य सरकारों के इस पहलू पर विचार करने के लिए कहें और कई प्रकार के शुल्क इस प्रकार लगाये जायें जिसका प्रभाव अल्कोहल पर आधारित उद्योगों पर न पड़े।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : ग्रुप द्वारा अपनी सिफारिशें दिये जाने के लिए क्या समय सीमा निश्चित की गयी है ?

श्री रामचन्द्र रथ : यह अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र देगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, ये लिखित तिथि नहीं बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत आसान है। समय सीमा के बारे में इन्होंने 'यथाशीघ्र' कहा है।

श्री रामचन्द्र रथ : हमने तीन महीने की समय सीमा निश्चित की है, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यद्यपि हमने तीन महीने की समय सीमा निश्चित की है, जो उचित समय है, लेकिन जब ये लोग बैठक करेंगे और वर्षों से लम्बित पड़े इस विषय पर विचार करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ अधिक समय लगे। इसीलिए मैंने ऐसा कहा है, लेकिन मैंने तीन महीने की समय सीमा निश्चित की है।

श्री जगदीश टाईटलर : मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि कुछ राज्यों ने अल्कोहल पर लगे कई प्रकार के करों में कमी नहीं की है। मैं मंत्री महोदय द्वारा इस हेतु कार्यकारी दल गठित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक सीधा सादा प्रश्न पूछना चाहूंगा। 1982-83 के दौरान 51.38 लाख टन सीरा उपलब्ध होने का अनुमान है जिसमें से 17.65 लाख टन

फालतू होने का अनुमान है और फिर भी अल्कोहल की कमी है। क्या यह बात ठीक है कि कुछ लोगों का ग्रुप सीरे को अल्कोहल में परिवर्तित करने में दिलचस्पी नहीं रखता ताकि कृत्रिम कमी बनी रहे और वे इससे अधिक पैसा बना सकें। अल्कोहल की कम सप्लाई के क्या कारण हैं और क्या इस फालतू सीरे को अल्कोहल में बदलने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं?

श्री रामचन्द्र रथ : यह स्थिति कई कारणों से पैदा हुई है, लेकिन मुख्य बात यह है कि अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कई एककों की मशीनरी बहुत पुरानी है। दूसरी बात जिसका सम्बन्ध सरायन और उर्वरक मंत्रालय से है, यह है कि इस पर कई प्रकार के शुल्क लगाये गए हैं। इसके फलस्वरूप माल बहुत जमा हो गया है और अल्कोहल उद्योग सीरे को नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हमने कार्यकारी दल का गठन किया है जो इन दोनों पहलुओं पर विचार करेगा अर्थात बहुत प्रकार के शुल्कों के बारे में तथा क्षमता उपयोग के बारे में विचार करेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या आपका तात्पर्य यह है कि स्टोर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यकारी दल है? आपने उस बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री रामचन्द्र रथ : भण्डारण सुविधाओं के लिए भी हमने कार्यकारी दल बनाया है क्योंकि समय सीमा तीन महीने की है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं यह प्रश्न तीन महीने के बाद पूछूंगा।

डा० कृपासिंधु भोई : अल्कोहल एक ऐसी वस्तु है जो दवाई के काम तथा अन्य कामों में लाई जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अल्कोहल को एक महत्वपूर्ण रसायन मानने और इस बात पर विचार करेंगे कि इस काम को केन्द्रीय सरकार करे, राज्य सरकार नहीं।

इसके अतिरिक्त, मंत्री महोदय ने एक टालमटोल वाले उत्तर में कहा है कि कुछ राज्य सरकारों ने अल्कोहल के शुल्क में कुछ कमी की हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी कमी की है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों के शुल्कों में कितनी कमी की है और क्या कोई और कमी किये जाने का विचार है?

इस बार में समाचार पत्रों में बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है कि एक से दूसरे राज्यों के बीच अल्कोहल की सौदेबाजी में बहुत भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच करके अपराधियों को सजा देगी?

श्री रामचन्द्र रथ : जालन समिति की रिपोर्ट के बाद और हमारे राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार के बाद, कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु ने शुल्कों में कुछ कमी की है। यदि माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हों तो मैं उन्हें कमी का ब्यौरा बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में दे सकते हैं।

श्री रामचन्द्र रथ : यह राज्य का विषय है और कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। मामला

उच्चतम न्यायालय के सामने निर्णयाधीन हैं और स्पष्ट तस्वीर सामने आने के बाद ही हम इस मामले में उचित दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

प्रबन्ध और कार्यक्रम ढांचे के बारे में वर्गीज समिति की सिफारिशें

*124. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध और कार्यक्रम ढांचे सम्बन्धी वर्गीज समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय से सम्बन्धित 24 सिफारिशों में से 17 सिफारिशें, जैसा कि वर्गीज समिति ने सिफारिश की थी, आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए स्वायत्त ढांचे के बनाए जाने के बारे में संभाव्य उपायों से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार के स्वायत्त ढांचे को स्थापित न करने की सरकार की नीति को देखते हुए इन पर कार्रवाई नहीं की जानी है। शेष सिफारिशों, विशेषकर कार्यक्रमों से सम्बन्धित मामलों में केन्द्रों को अधिक अधिकार देने, संगठनात्मक पहलुओं, इत्यादि से सम्बन्धित सिफारिश के बारे में उपयुक्त कारवाई की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा विचार है कि यह उत्तर माननीय मन्त्री के अपने पद का प्रभार सम्भालने से पहले ही तैयार किया गया होगा।

जिस प्रश्न में मैंने प्रबन्ध और कार्यक्रम के स्वरूप सम्बन्धी वर्गीज समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है, वह व्यापक स्वायत्तता के बारे में बिल्कुल नहीं है किन्तु उन्होंने यह स्वयं ही समझ लिया है कि मेरा प्रश्न वर्गीज समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित स्वायत्तता सम्बन्धी अवधारणा से सम्बद्ध है। यह प्रतिवेदन काफी बड़ा है, यह तीन खण्डों में है और उसका केवल एक ही खण्ड मेरे पास उपलब्ध है और मैंने जानबूझकर समूचे प्रतिवेदन को अपने प्रश्न में नहीं समेटा है। माननीय मन्त्री से सही उत्तर जानने के लिए मैं उन्हें यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने व्यापक स्वायत्तता के प्रश्न का उल्लेख नहीं किया है बल्कि वर्तमान ढांचे के सम्बन्ध में प्रबंध और कार्यक्रम के स्वरूप के प्रश्न का उल्लेख किया है। मैं वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण एवं सरकार से स्वायत्तता के बीच अन्तर को समझता हूं। इस सन्दर्भ में, मैं वर्गीज समिति के प्रतिवेदन से उद्धरण देना चाहता हूं और स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण के बारे में नहीं बल्कि समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं; प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है :

> "अत: 15 वर्ष की अवधि के दौरान एक संगठनात्मक ढांचे को ध्यान में रखकर कार्यकारी दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के प्रबन्ध एवं समन्वय के लिए चार कार्य-स्तरों अर्थात् राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक,…तथा स्टेशनों की आवश्यकता

है। यह संरचनात्मक ढांचा विकेन्द्रीकृत राष्ट्रीय प्रसारण को सुनिश्चित करते के साथ-साथ कार्यक्रमों, हार्डवेयर, वित्त, कार्मिक एवं सार्वजनिक सम्बन्धों के बारे में कुछ सीमा तक समन्वित नीति बनाये रखने के लिए आवश्यक होगा।"

यह उद्धरण पैरा 7.9 से लिया गया था। प्रतिवेदन में पैरा 7.13 में कहा गया है :

"इस प्रस्तावित ढांचे के अन्तर्गत प्रादेशिक स्तर पर तथा प्रादेशिक स्तर से क्षेत्रों एवं स्टेशनों को, सी० इ० बी०, प्रदेशों एवं अन्ततः क्षेत्रों द्वारा बनाये गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रतिबन्धों के अध्यधीन, वित्तीय, कार्मिक एवं तकनीकी मामलों में प्राधिकारों के विस्तृत प्रत्यायोजन की संकल्पना की गई है।"

मैं वर्गीज समिति की विशिष्ट सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ?

श्री रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, वह जानबूझकर रिपोर्ट से एक लम्बा उद्धरण क्यों पढ़ रहे हैं ? महोदय, वह जानबूझकर उसे पढ़ रहे हैं, ताकि अन्य सदस्यों को उनके प्रश्न पूछने के अवसर से वंचित किया जा सके। महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 132 है। जब वह प्रतिवेदन से इतने लम्बे चौड़े उद्धरण पढ़ते हैं तो वह जानबूझकर इस सम्बन्ध में बाधा उपस्थित कर रहे है कि मेरे प्रश्न की बारी ही न आये।

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न जानबूझकर पूछे जाते हैं; प्रश्न संयोगवश नहीं पूछे जाते।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य, प्रो० मधु दंडवते ने जो कुछ कहा है मैं उसे समझ गया हूं। मैं समझ सकता हूं कि वह बर्गीज समिति के प्रतिवेदन के स्वायत्तता सम्बन्धी भाग का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई तभी सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था और वह इसे भली-भांति जानते हैं।

महोदय, उनेक सिफारिशें की गई हैं। सिफारिश संख्या 37 प्रबन्ध और कार्यक्रम सम्बन्धी स्वरूप के विकेन्द्रीकरण के बारे में है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता, मैं केवल चार-स्तरीय ढांचे का उल्लेख कर रहा हूं। कृपया आप उसी के बारे में बताइए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अभी उसका उत्तर देता हूं। सिफारिश संख्या 37 विकेन्द्रीकरण के बारे में है। विभिन्न मामलों पर और भी सिफारिशें हैं। उनमें से एक सिफारिश आल इंडिया रेडिया संहिता के सम्बन्ध में है। सिफारिश संख्या 38, 39 एवं 40 भी है। ये सिफारिशें जोनल स्तर पर आल इंडिया रेडियो के संगठनात्मक ढांचे के बारे में हैं। इस सम्बन्ध में मन्त्रालय के 1982 के वार्षिक प्रतिवेदन से एक उद्धरण पढ़ रहा हूं जो कि यहां संगत है और स्वतः स्पष्ट है :

"समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में एक त्रिस्तरीय प्रसारण पद्धति लागू करने के लिये कार्यवाही आरम्भ की गई थी। पहले चरण में एक 1000 कि० वा० का ट्रांसमीटर नागपुर में

राष्ट्रीय चैनल के लिये व्यवस्था की गयी थी। इसके प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इस चैनल के चालू हो जाने के बाद वर्तमान क्षेत्रीय ट्रांसमीटर मध्यम स्तर का कार्य करेंगे।"

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : क्या आप सिफारिश की संख्या बतायेंगे?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे उन दिनों की याद हो आई है जब किसी अध्यापक ने प्रश्न-पत्र में कुछ प्रश्न पूछे, पूछे गये प्रश्नों के उत्तर अलग थे। महोदय, यह वैसी ही बात हुई। महोदय, मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूं। भगतजी, मेरा विशिष्ठ प्रश्न वर्गीज समिति द्वारा चार-स्तरीय ढांचे के बारे में दी गई सिफारिश के बारे में है। आप हां या न में बताइए कि क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया है अथवा अस्वीकार कर दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, जो अध्यापक प्रश्न पूछ रहा था, वह छात्र के स्तर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। इसलिये यह गड़बड़ी हुई है।

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : क्या प्रो० मधु दंडवते के नीचे क्या आप ऐसे ही छात्र थे?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मुझे उत्तर देने दीजिए। मुझे थोड़ा, सा और अध्ययन करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा पहला प्रश्न तो बेकार गया। इससे तो कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री आर० आर० भोले : वह कहते हैं कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रो० मधु दंडवते : धन्यवाद। ी भोले उनकी सहायता करने आये हैं। न्यायाधीश डेनियल ने अपना निर्णय दे दिया है।

अब कृपया एक और महत्त्वपूर्ण सिफारिश को सुनिए। वर्गीज समित ने कहा है कि :

"हम सिफारिश करते हैं कि महा प्रबन्धक के दर्जे के एक आन्तरिक लेखा-परीक्षक के अधीन एक स्वायत्तशासी विभाग की स्थापना की जाए जो सीधे सी० जी० बी० को रिपोर्ट करे। उसकी प्रतिवेदन की प्रतियां, साथ-साथ न्यासियों के पास भी जाएंगी। इससे आन्तरिक लेखा-परीक्षक के कार्य चालन को कुछ स्वतन्त्रता मिलेगी और न्यासी राष्ट्रीय प्रसारण संगठन के वित्तीय मामलों पर निगाह रख सकेंगे।"

मैं अब वर्गीज सीमित के प्रतिवेदन के पृ० 58 पर दी गई इस सुस्पष्ट सिफारिश पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह उनके लिए एक अत्यन्त कठिन प्रश्न है। इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट करता हूं। मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार ने बुनियादी तौर पर ट्रस्टीशिप अथवा स्वायत्तता की धारणा को स्वीकार नहीं

किया है। यद्यपि श्री दंडवते कहते हैं कि वह बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार करते हैं तो इनके साथ बहुत सी बातें भी जुड़ी हैं। अतः सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार नहीं किया है और न ही उन सिफारिशों पर विचार करना उचित ही समझा है।

हमने अध्याय 7 में निहित सिफारिशों पर विचार किया है। जहां तक प्रबन्ध और इस प्रश्न का सम्बन्ध है अध्याय 7 में केवल 7 सिफारशें इससे सम्बन्धित हैं। उन सातों सिफारशों पर विचार किया गया है और यथार्थ कार्यवाही की गई है। मैं उन सातों सिफारिशों से संबंधित प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दे सकता हूं। जहां तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, सरकार ने उन पर विचार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि बुनियादी धारणा को ही स्वीकार नहीं किया गया और इन्होंने जिस सिफारिश का उल्लेख किया है, वह उनमें से एक है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उन्हें उनके कक्ष में मिलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मेरे पास एक मिसाल है जिसे मैं बाद में बताऊंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कार्यक्रमों के बारे में सम्बन्धित केन्द्रों को स्वायत्तता दी गई है। यह सच नहीं है। आप जानते हैं कि अच्छे बंगाली कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाले कलकत्ता जैसे क्षेत्रीय केन्द्रों के अच्छे कार्यक्रमों की अवधि को कम करके टेलीविजन पर हिन्दी में घटिया राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाए जाते हैं।

आप जानते हैं कि कलकत्ता बंगला देश के निकट है। ढाका में बहुत ही अच्छा टेलीविजन केन्द्र है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इसे दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय एकता के हित में तथा क्षेत्रीय संस्कृति, विशेष रूप से बंगला संस्कृति का विकास करने के लिए वे घटिया राष्ट्रीय कार्यक्रम की अवधि कम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में नहीं आता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जी हां, यह पैदा होता है। यह कार्यक्रमों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यक्रमों के बारे में प्रश्न कीजिए। इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह इस प्रश्न में नहीं आता। नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं महोदय, यह इससे सम्बन्धित है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि स्वायत्तता दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह दे दी गयी होगी। परन्तु आपका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। आप अलग से एक प्रश्न पूछिए। मैं इसकी अनुमति दूंगा। इस समय यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : एक प्रथक प्रश्न क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह इस प्रश्न में नहीं आता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे सकते हैं। परन्तु में आज सन्तुष्ट नहीं हूं । नहीं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : खड़ी हो गईं ।

एक माननीय सदस्य : वे इसे एक पारिवारिक मामला बना रहे हैं—पति और पत्नी ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : हम टेलीविजन और रेडियो द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। वर्गीज कमेटी की कार्यक्रमों में रिपोर्ट के बारे में मंत्री जी ने यह कहा है···।

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर जी, आप प्रथक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : उन्होंने बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है । मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो कार्यक्रम श्री वसंत साठे, जब वे मिनिस्टर थे, बहुत पापूलर हो रहे थे खासकर "**इशूज बिफोर दि पार्लियामेंट**" और जिनके बारे में जनता की रिकमंडेशन थी कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, वे क्यों डिस्कन्टीन्यू कर दिये गये हैं ?

(व्यवधान)

मेरा कहना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों को फिर से कन्टीन्यू करने के लिए क्या दिक्कत है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह इसमें नहीं आता। महोदया आप भी गलती पर हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । श्री चिरंजी लाल शर्मा जी, नहीं । श्री हाल्दर जी आप प्रथक प्रश्न पूछिए। मैं उसकी अनुमति दे दूंगा । मैंने उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। मैं आपसे केवल प्रथक प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं और मैं इसकी अनुमति भी दे दूंगा ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैंने 193 दिया है । कृपया इसे स्वीकार कीजिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, आपने सम्बन्धित केन्द्रों को स्वायत्तता दिए जाने के बारे में मेरे अनुपूरक प्रश्न को भी अनुमति नहीं दी है ।

हरियाणा में बिजली संकट

*125. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत और फरीदाबाद के ताप संयंत्रों के ठीक ढंग से काम न करने के कारण हरियाणा बिजली के गम्भीर संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा की सहायता हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि वह बिजली की कमी को दूर कर सकेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) एक **विवरण** सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) हरियाणा में कोई विद्युत संकट नहीं है। 1982-83 की प्रथम छमाही के दौरान हरियाणा में विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी संतोषजनक थी। नवम्बर, 1982 से आगे पानीपत और फरीदाबाद के ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक न होने के कारण वहां पर कुछ स्थिति खराब हो गई थी। जनवरी, 1983 में देहर जल विद्युत केन्द्र की पांचवीं और छठी यूनिट को चालू करने के लिए कुछ बहुत जरूरी सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए बन्द किए जाने के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। जनवरी, 1983 के तीसरे सप्ताह से देहर विद्युत केन्द्र के चालू हो जाने से स्थिति में सुधार हो गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से भी यथा-संभव सहायता दी जा रही है। हरियाणा में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इले० लि० तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा के इन्जीनियरों को शामिल करके एक कृतिक बल का सृजन किया गया है, जिसने विभिन्न कार्यों को करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा, दिल्ली में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और खपत कितनी है और क्या उन्हें जानकारी है कि उद्योगों में बार-बार विद्युत कटौती की जाती है। और भूमि मालिकों और जमींदारों को विद्युत के अभाव में नुकसान उठाना पड़ता है। वह कहते हैं कि कोई विद्युत संकट नहीं है। यदि कोई संकट नहीं है तो बार-बार विद्युत कटौती क्यों की जाती है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैंने 'संकट' शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया है कि अभाव इतना अधिक नहीं है कि इसे संकट कहा जा सके। वास्तव में, प्रतिदिन निबाधित मांग 11.30 मिलियन यूनिट की है और प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता 10.07 मिलिटन यूनिट है। इस प्रकार अभाव है और जनवरी में यह अभाव 8.7 प्रतिशत था। फरवरी के महीने में यह कम हो गया है। जहां तक विद्युत कटौती का सम्बन्ध है स्थिति में सुधार हुआ है और इस अधिकतम मांग के समय लोड प्रतिबन्धों के सिवाय उद्योगों में कोई विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। कृषि क्षेत्र में शुष्क क्षेत्रों में प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत सप्लाई की जा रही है जबकि अन्य क्षेत्रों में 6 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस समय स्थिति ठीक है और मुझे आशा है यह ठीक ही रहेगी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पानीपत और फरीदाबाद ताप विद्युत संयंत्र सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या मैं इन ताप विद्युत संयन्त्रों के अक्सर खराब रहने का कारण पूछ सकता हूं ? हरियाणा के इन ताप विद्युत संयन्त्रों के अक्सर असन्तोषजनक कार्य चालन के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। यदि उन्हें इसकी जानकारी है तो, स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : सरकार को पूरी जानकारी है कि पानीपत और फरीदाबाद विद्युत केन्द्र निर्धारित स्तर के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। पानीपत में यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि टूबाइन में कुछ गड़बडी के कारण यूनिट सं० 1 जुलाई से नवम्बर तक बन्द रही और

सम्भवतया 22 जनवरी को इसे फिर चालू किया गया और पानीपत की यूनिट सं० 2 के बायलर में विस्फोट हुआ था। जहां तक फरीदाबाद का सम्बन्ध है, टूबाइन ब्लेडों में कुछ खराबी के कारण, यूनिट सं० 3 अगस्त से जनवरी तक बन्द हो गई और अब फिर से चालू हो गई है। अब 'भेल' और आई० एल०, कोटा के सहयोग से सी० ई० ए० ने एक कार्यबल संगठित किया है जिससे कि इन बिजली घरों के कार्य को संचालित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे अच्छा अनुरक्षण किया जा सके और निवारक निष्पादकता बनाई रखी जा सके। हम उन्हें हर सम्भव तरीके से सहायता और सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस स्थिति में सुधार होगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अभी तक निष्पादकता अच्छी नहीं रही है और राज्य सरकार को सी० ई० ए० और अन्य अभिकरणों की सलाह पर कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए कदम उठाने होंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मन्त्री महोदय के उत्तर के अन्तिम पैरा में यह व्यक्त किया गया है : "हरियाणा के ताप बिजलीघरों की निष्पादकता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रीकलस लिमिटेड और इन्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा के सदस्यों को मिलाकर एक कार्यबल बनाया गया है।" ताप बिजलीघरों के अकुशल संचालन की समस्या केवल हरियाणा राज्य की ही नहीं है, अपितु यह एक राष्ट्रीय समस्या है और अधिकांश ताप संयन्त्र, संयन्त्रों और उपस्करों के अकुशल संचालन, कोयले में राख की अधिक मात्रा और बायलरों का गलत डिजाइन बनाने आदि जैसे विभिन्न कारणों के फलस्वरूप निम्न कुशलता पर चल रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या देश के विभिन्न, अनेक ताप बिजली संयन्त्रों की निम्न निष्पादकता के कारणों का अध्ययन करने के लिए और उनकी कुशलता में सुधार लाने के लिए अभियन्ताओं और विशेषज्ञों को मिलाकर कोई कार्यबल या अध्ययन दल बनाने पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय सदस्य ने खामियों का ठीक ही विश्लेषण किया है और जबकि बिजलीघरों की निष्पादकता समान रूप से अच्छी या बुरी नहीं है—इसमें व्यापक अन्तर है—उनके सुझाव को ध्यानपूर्वक सुना गया है और मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक बिजलीघर के स्थल पर जाने, निवारक अनुरक्षण, पूंजीगत रखरखाव, संशोधन करने, डिजाइन की खामियों को दूर करने, अच्छा उपस्कर सप्लाई करने तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिए पूर्ण सूची तैयार करने के लिए हम कार्य-बल का पहले ही गठन कर चुके हैं।

हम कोयला विभाग से भी सही सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि पर्याप्त मात्रा में और अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

चूंकि ये कदम उठाए गये हैं और कार्यबल का गठन किया गया है, उनके परिणाम निकल रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले दिनों, महीनों और वर्षों में परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मैं मन्त्री महोदय के वक्तव्य में शुद्धि कर सकता हूं। आन्ध्र प्रदेश में ताप संयन्त्र बिल्कुल सही चल रहा है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं माननीय सदस्य के हस्तक्षेप के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री के० पी० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में थर्मल पावर स्टेशन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति अधिक खराब है। लेकिन विजयवाड़ा में जो थर्मल पावर प्लांट है, उसका यूटिलाइजेशन 85 परसेंट है। विजयवाड़ा का पावर प्लांट किन अच्छाइयों के कारण ठीक काम कर रहा है? क्या उन अच्छाइयों को अन्य प्लांटों में भी लागू किया जाएगा, जिससे शेष देश के पावर प्लांट भी विजयवाडा पावर प्लांट की तरह ठीक से काम कर सकें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय सदस्य ने सही कहा है कि विजयवाड़ा प्लांट का लोड फैक्टर 80 परसेंट से अधिक है, लेकिन कई जगहों में व्यवस्था अच्छी नहीं है। किस-किस जगह क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिए यह वहां की जरूरतों के मुताबिक विचार किया जा रहा है और सतत प्रयास है कि तमाम पावर स्टेशन का परफारमेंस अच्छा हो। इसके लिए कार्यवाही की गई है और इसका नतीजा अच्छा निकला है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में पावर स्टेशनों का फंक्शनिंग की नेशनल एवरेज और प्लांट लोड फैक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है।

उड़ीसा में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

*126. **श्री रामबिहारी बहेरा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में केन्द्र सरकार से मंजूरी प्राप्त कितनी जल विद्युत परियोजनाएं, निर्माणाधीन हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये योजनाएं निर्माणाधीन हैं; इनके चालू होने की सम्भावित तिथियां क्या हैं और अब तक इन पर कितनी धनराशि खर्च हो गई है तथा कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं है तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) **विवरण-I सभा** पटल पर रखा जाता है।

विवरण-I

(क) से (ग) उड़ीसा में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा, निर्माण के स्थानों के नाम, चालू करने की प्रत्याशित तारीखों, मार्च, 1982 तक खर्च की गई राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति तथा नाजुक क्षेत्रों को संलग्न **विवरण-II** में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड का है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत विभाग द्वारा समीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय दौरों के जरिये परियोजनाओं में हुई प्रगति की मानीटरिंग की जाती है और समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर दिलाया जाता है जहां पर उपचारी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सीमेंट और स्टील का आबंटन करके केन्द्रीय विद्युत प्राधि- करण सहायता भी देता है।

विवरण-II

उड़ीसा में निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्थान का नाम (जिला)	चालू होने की संभावित तारीख	3/82 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	नाजुक क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर कोलाब	3×80	कोरापुट	यूनिट-1 12/84 यूनिट-2 3/85 यूनिट-3 685-8	66.44	बांध की खुदाई की जा चुकी है तथा चिनाई और कंक्रीट का कार्य चल रहा है। एच० आर० टी० की खुदाई की कार्य चल रहा है। पेन-स्टाक सुरंग की खुदाई की जा चुकी है तथा पलस्तर का कार्य एवं आर० टी० के पलस्तर के साथ किया जाएगा।	बांध कंक्रीट हैड-रेस सुरंग की खुदाई तथा उत्पादन यूनिटों के उत्थापन का कार्य आरम्भ करने के लिए विद्युत घर के सिविल कार्यों के कार्यक्रम मे कुछ देरी हो गई है। इस देरी को निर्माण कार्यक्रम को पुनः तैयार करके पूरा किया जाना है। परियोजना की उड़ीसा प्राधिकारियों

1	2	3	4	5	6	7	8
						विद्युत घर की खुदाई का कार्य पूरा होने वाला है तथा कंक्रीट का कार्य चल रहा है। सभी यूनिटों के भूमि में गाढ़े जाने वाले पुर्जे और यूनिट-1 के लिए टर्बाइन जेनरेटर स्थल पर प्राप्त हो गए हैं।	द्वारा लगातार मानीटरिंग की जा रही हैं।
2.	रेंगाली	2×50	धेनकनाल	यूनिट-1	10/84	59.65	बांध कार्य चल रहे हैं। पेनस्टाकों का उत्थापन कर दिया गया है और वेल्डिंग का कार्य चल रहा है। विद्युत घर की खुदाई का कार्य पूरा होने वाला है। यूनिट खण्डों के खम्बे उठाए जा रहे हैं। यूनिट-1 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब	बांध के उमड़-मार्गों के गेटों के उत्थापन के कार्यों तथा विद्युत घर के सिविल कार्यों में कुछ देरी हुई है। कमियों को पूरा करने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा परियोजना की लगातार मानीटरिंग की जा रही है।
				यूनिट-2	3/85			

1	2	3	4	5	6	7	8
						का उत्थापन किया जा चुका है।	
3.	अपर इन्द्रावती	4×110	कोरापुर और कालाहांडी	यूनिट-1 और 2 88-89 यूनिट 3 और 4 89-90	24 7	परियोजना स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं पूरी होने के करीब हैं। इन्द्रावती बांध पर चिनाई के चार ब्लाकों पर कार्य एक छोटे ठेका के रूप में आरम्भ किया गया है और यह चल रहा है। अन्य बांधों और डाइकों की खुदाई का कार्य चल रहा है। तथापि, निधियां सीमित होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।	निधियों की कमी।
4.	हीराकुड चरण-तीन	1×37.5	सम्बलपुर	9/85	0.50	उत्पादन यूनिट के लिए आर्डर मैसर्ज	विद्युत चैनलों तथा उमड़मार्ग व्यवस्था की

1	2	3	4	5	6	7	8
						किताची, जापान को अप्रैल, 1982 में दिया गया है।	क्षमता में वृद्धि करने के लिए विद्युत घर को 2-3 महीनों के लिए बन्द करना आवश्यक है। ये कठिन सिविल कार्य समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा पूरे किए जाने हैं। उड़ीसा में विद्युत की कमी के कारण बन्दी शीघ्र नहीं की जा सकी। विद्युत घर की बन्दी अब नवम्बर-दिसम्बर, 1983 में करने के लिए आयोजना की जा रही है।

श्री रासबिहारी बहेरा : अध्यक्ष महोदय, संसद के गत सत्र में वित्त मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपर इन्द्रावती जल-विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए विश्व-बैंक से ऋण मांगा गया है और यदि हां तो कितना ऋण मांगा गया था और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जहां तक अपर इन्द्रावती परियोजना का सम्बन्ध है, विश्व बैंक को इसका वित्त-पोषण करने का सुझाव दिया था और उनके परीक्षण हेतु परियोजना प्रतिवेदनों को विश्व बैंक के पास भेजा गया है। विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन पूरा हो चुका है और बहुत शीघ्र बातचीत होने वाली है। केवल बातचीत पूरी होने पर ही वित्त पोषण प्रबन्धों का ब्यौरा और अन्य बातें सदस्यों को स्पष्ट की जा सकती हैं।

श्री रासबिहारी बहेरा : राज्य को विशेष रूप से मिलने वाले और देश को समान्यतया मिलने वाले लाभ पर विचार करते हुए क्या सरकार का इस परियोजना को प्राथमिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदस्य के माध्यम से उड़ीसा की जनता को यह आश्वासन देता हूं कि हम इस परियोजना को सही प्राथमिकता दे रहे हैं।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तथा विभागीय उपक्रमों द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में स्थायी आदर्श आदेशों का लागू न किया जाना

*127. †**श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तथा विभागीय उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में आदर्श स्थायी आदेशों को लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में स्थायी आदर्श आदेशों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इन आदेशों को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) अनेक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तथा विभागीय उपक्रमों में माडल स्थायी आदेशों को इस कारण लागू नहीं किया गया कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन सांविधिक स्थायी आदेश बनाए जा चुके हैं, प्रमाणित किए जा चुके हैं तथा लागू किए जा चुके हैं और माडल स्थायी आदेशों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ख) चूंकि माडल स्थायी आदेश सांविधिक नहीं हैं, इससे पहले उनकी प्रति सदन की मेज पर नहीं रखी गई। तथापि, अब विवरण के रूप में उसकी प्रति मेज पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 59/58/83]

(ग) श्रम मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 1971 में जारी किए गए इन माडल स्थायी आदेशों का उद्देश्य नैमित्तिक श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अधीन बनाए गए तथा प्रमाणित किए गए स्थायी आदेश, माडल स्थायी आदेशों के उपबन्धों का बदल नहीं हो सकते क्योंकि अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेश नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस बात के लिए जोर दिया जा रहा है कि उन्हें अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में माडल स्थायी आदेश लागू करने चाहिएं।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, देश में कैजुअल लेबरर्स की स्थिति लगभग बन्धुआ मजदूरों की तरह है और केन्द्रीय सरकार ने माडल स्टैंन्डिग आडर्स यह समझते हुए जारी किया कि इससे कैजुअल लेबरर्स के इन्टरेस्ट सेफ-गार्ड होंगे। जवाब में कहा गया है कि सैन्ट्ल गवर्मेन्ट अन्डर-टेकिंग्स इसको लागू नहीं कर रही हैं या एडॉप्ट नहीं कर रही हैं। सेन्ट्रल गवर्मेन्ट का ही जारी किया हुआ यह आर्डर है और सेन्ट्रल गवर्मेन्ट अन्डरटेकिंग्स ही लागू नहीं कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गर्मेवन्ट अन्डरटेकिंग्स में कैजुअल लेबरर्स हैं या नहीं और अगर हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : इन मानक आदेशों को कोई सांविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। इन्हें 1971 में जारी किया गया था। उनका स्वरूप आदेशात्मक की अपेक्षा अनुशंसात्मक अधिक है। इसीलिए श्रम मन्त्रालय विभिन्न नौकरी देने वाले मन्त्रालयों, विभागीय उपक्रमों और सार्वजिनक उपक्रमों को इन मानक स्थायी आदेशों को अपनाने के लिए कहता रहता है। लेकिन अभी तक, नियोजन मन्त्रालयों, विभागीय उपक्रमों और सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों को इन आदेशों को अपनाने के लिए, मनाने में सफल नहीं हो सके हैं। हम अभी भी उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं।

माननीय सदस्य ने नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछा है। जहां तक केन्द्रीय नियोजक मंत्रालयों का प्रश्न है, नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 2,08,662 है और विभागीय उपक्रमों में इनकी संख्या 13, 871 है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रश्न है। हमारे पास पूरी सूचना नहीं है। हम प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पूछ रहे हैं कि उनके यहां नैमित्तिक श्रमिकों की कितनी संख्या है। अभी तक हमें 100 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इन 100 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 26,388 है।

श्री विजय कुमार यादव : मंत्री महोदय के अनुसार तीन या सवा तीन लाख लोग कैजुअल हैं जो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सालों से काम कर रहे हैं। इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है और उनकी सर्विस कन्डीशन भी ठीक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई भी स्टेचुटरी फार्म नहीं है जिसको सब अन्डरटेकिंग्स मानने को बाध्य है। चूंकि मजदूरों के इन्टरेस्ट में यह कानून जारी किया गया है तो क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि इसका स्टेचुटरी प्रॉविजन हो या इस तरह का कोई कदम उठाना चाहती है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इन नमूना स्थायी आदेशों को सांविधिक आवरण देने के लिए, हमें और सूचना इकट्ठी करनी होगी। हम सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों से

सूचना इकट्ठी करने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हम अब तक पूरी सूचना एकत्र नहीं कर पाये हैं। पूरी सूचना एकत्र करने के बाद ही हमें इस समस्या की गम्भीरता के बारे में पता लगेगा और उस समय हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हीरालाल आर० परमार : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं हमारा देश आजाद हुए 35 साल हो गये, हमने अंग्रेजी को निकाल दिया, रजवाड़ों को खत्म कर दिया, राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त कर दिये, लेकिन 207 अन्डरटेकिंग्स में ठेकेदारी प्रथा के अधीन करोड़ों मजदूरों को 6 रु० रोज मिलता है, इसको खत्म करने के लिये मंत्री जी कोई ठोस कदम उठायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य, ठेकेदारों के तहत कार्य कर रहे मजदूरों की दुर्दशा के बारे में जानना चाहते हैं। अगर वह अलग से प्रश्न रखें तो मैं सूचना देने की स्थिति में रहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : जब स्टैंडिग आर्डर्स लागू हो गये तो उन्हें स्टेट्यूटरी फुटिंग पर आप क्यों नहीं रख रहे हैं ? क्या कारण है और रुकावट क्या है, और कितने साल से आप इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी कहा पहले तो 1971 में यह स्टैंडिग आर्डर्स इशू हुए। उस वक्त जब माडल स्टैंडिग आर्डर्स इशू हुए तो सब मिनिस्ट्रीज से कंसल्ट किया गया, उनके विचार लिये गये और तब स्टैंडिग आर्डर्स इशू हुए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स का कहना है कि हमारे पास स्टैंडिग आर्डर्स हैं, इंडस्ट्रियल एमप्लायमेंट (स्टैंडिग आर्डर्स) एक्ट के अधीन अपने स्टैंडिग आर्डर्स बना लिये हैं इसलिये माडल स्टैंन्डिग आर्डर्स अडाप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमें सूचना मिली है तो हम इनफोरमेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी मिनिस्ट्रीज में कितनी कैजुअल लेबर हैं, पब्लिक अन्डरटेकिंग्स और स्टेट गवर्नमेंट्स में कितनी हैं। यह सारी सूचना आने के बाद इसको स्टेट्यूरी स्टेट्स दे सकते हैं कि नहीं इस पर हम विचार करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन्, माननीय मंत्री ने कहा है कि उनका मन्त्रालय आंकड़े एकत्र करने की कोशिश कर रहा है ताकि कम से कम सरकारी उपक्रम मानक स्थायी आदेशों को लागू कर सकें या उन्हें अपना सकें। कई एक ऐसे उपक्रम हैं जहां औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत कोई स्थायी आदेश नहीं बनाए गये हैं। इन मामलों में कोई कठिनाई नहीं है। सरकारी उपक्रमों को इन माडल स्थायी आदेश को अपना लेना चाहिए था, जबकि वास्तव में कोई सांविधिक स्थायी आदेश नहीं हैं। यह मामला अधिक महत्व का हो गया है, क्योंकि सरकारी उपक्रमों में भी, नैमित्रिक श्रमिकों को हटा दिया जाता है या उन्हें निकाल दिया जाता है या तीन माह बाद उनकी अवधि को बढ़ाया नहीं जाता है। मैं भारतीय तेल आयोग जैसे उपक्रमों को जानता हूं जहां पर कि इस प्रकार के श्रमिक 8 से 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवाएं जारी नहीं रहने दी जाती हैं और तथाकथित ठेकेदारों की सरकारी संस्थाओं, आदि से लोगों को लाया जाता है। इससे काफी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। जब इन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने का समय आता है, तो वे कहते हैं कि इनकी आयु अधिक हो गई है। वे स्थायी नौकरी या नियमित बनने के हकदार नहीं हैं और इस तरह वे यह अवसर खो देते हैं। इसलिए जहां विधान के अधीन स्थायी आदेश नहीं हैं, वहां सरकार को इन सरकारी उपक्रमों को यह कहने अथवा निदेश देने में

मानक स्थायी आदेशों को तत्काल लागू किया जाये ताकि नैमित्तिक श्रमिकों के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा की जा सके, क्या परेशानी है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन्, यह कहना सही नहीं है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कोई भी स्थायी आदेश नहीं हैं । क्योंकि यह एक सांविधिक आवश्यकता और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम लागू होता है, के लिए यह आवश्यक है कि स्थाथी आदेश बनाये और सक्षम प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से प्रमाणित करायें । इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने, जिनमें स्थायी आदेशों का बनाया जाना आवश्यक है, इन्हें बना लिया होगा । अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी जानकारी है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने इस प्रकार के स्थायी आदेश नहीं बनाए हैं, तो वह जानकारी, कृपया मुझे दे दें । मैं कोशिश करूंगा कि वहां बहुत शीघ्र ही स्थायी आदेश बने और उन्हें प्रमाणित करवा लिया जाए । लेकिन जहां तक मानक स्थायी आदेशों का प्रश्न है, इसमें केवल नैमित्तिक श्रमिक ही आते हैं । ये मानक स्थायी आदेश केवल नैमित्तिक श्रमिकों से हितों के लिए ही हैं । जो दूसरे स्थायी आदेश अधिनियम के अधीन बनाये जाते हैं, उनके अन्तर्गत अन्य स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी और नैमित्तिक कर्मचारी भी आ जाते हैं । लेकिन इन मानक स्थायी आदेशों को हमने केवल इन्हीं नैमित्तिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह सच है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुश्किल यही है कि वे इन मानक स्थायी आदेशों को लागू नहीं कर रहे हैं । वे यह तर्क देते हैं कि चूंकि उन्होंने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अधीन पहले ही स्थायी आदेश बना लिये हैं, इसलिए उन्हें मानक स्थायी आदेशों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री महोदय द्वारा दिए गये आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न सरकारी कारखानों और डिपार्टमेंटों में कितने कैजुअल या नैमित्तिक मजदूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मंत्री जी जानते हैं कि वल रेलवे में ही 2 लाख से अधिक कैजुअल लेबरर काम कर रहे हैं और कुछ साल अथवा महीनों से नहीं बल्कि 15-20 साल से कैजुअल लेबरर का काम करते-करते वह रिटायर भी हो जाते हैं । इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई समय की सीमा निर्धारित करना चाहती है, जिसके तहत नैमित्तिक मजदूर या कैजुअल लेबर अगर उससे ज्यादा दिन तक काम करते हैं तो वे नियमित माने जायें ? उन्हें नियमित बनाने के लिए क्या सरकार कोई कानून बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : अपन भी उसी कैटेगरी में आते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : सरकारी अधिकारी कहते हैं

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री भी नैमित्तिक श्रमिक हैं । इसलिए इनके हितों में समानता

है•••(व्यवधान) प्रधान मंत्री के अलावा, आप नैमित्तिक मंत्री हैं, वे नैमित्तिक श्रमिक हैं। इसलिए हितों में समानता है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : आप इसे यों ही ले रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : रेलवे मिनिस्ट्री में 2 लाख 8 हजार कैजुअल लेबर हैं जिनकी इन्फर्मेशन मेरे पास आई है। उनके पास कजुअल लेबर को रैगुलराइज करने के लिए एक अलग स्कीम है जिसके मुताबिक जो कैजुअल लेबरर 180 दिन या 6 महीने तक काम कर लेता है, उसको वह टैम्पोरेरी स्टेटस देते हैं, उसको कैजुअल कहकर नहीं रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैजुअल लेबरर को 190 से 220 तक का स्केल देते हैं, सैमी स्किल्ड को 210 से 290 और स्किल्ड को 260 से 400 तक का स्केल देते हैं। इसके अलावा और बैनिफिट्स भी वह दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के मुकाबले रेलवे मिनिस्ट्री में कैजुअल लेबरर्स के लिए कुछ स्कीम हैं जिनके अन्तर्गत वह काम कर रहे हैं। उसके लिये कम से कम वह हमारे माडल स्टैंडिंग आर्डर अडाप्ट नहीं करते हैं। रेलवे में जो हो रहा है, अगर दूसरी मिनिस्ट्रीज वाले और पब्लिक सैक्टर वाले उतना भी करें तो काफी काम हो सकता है।

मुंगेर में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलना

*128. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मुंगेर के लखीसराय सब-डिवीजन में वर्ष 1956 में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था और क्या उस एक्सचेंज की अधिकांश मशीनें पुरानी हो गई हैं और इनका निर्माण नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या 200 लाइनों वाला यह एक्सचेंज मानव चालित है जिसमें 150 टेलीफोन हैं और उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत इस मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने का है?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। लखीसराय में टेलीफोन एक्सचेंज 1956 में स्थापित किया गया था। 1973 में इस एक्सचेंज में एक और बोर्ड लगाया याग था। लखीसराय में स्थापित एक्सचेंज उपस्कर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है और ऐसे उपस्कर का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) यह एक मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 134 चालू कनेक्शन हैं। यह कहना सही नहीं है कि अधिकांश कनेक्शन खराब हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती।

(ग) देश में लगभग 1400 ऐसे मैनुअल एक्सचेंज हैं जिनको स्वचल एक्सचेंजो में बदला जाना है। देशी स्वचल उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को उत्तरोत्तर ही करना पड़ेगा। लखीसराय स्थित मैनुअल एक्सचेंज को छठी योजना अवधि के दौरान ही स्वचल एक्सचेंज में बदलना संभव नहीं होगा।

श्रीमती कृष्णा साही : मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि एक्सचेंज बिल्कुल संतोषजनक

काम कर रहा है। दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके बाद लखीसराय की स्थिति आप भलीभांति समझ सकते हैं। 5-6 साल पहले लक्खीसराय सब-डिविजनल हैडक्वार्टर हो गया।

1956 में जब टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हुई थी उस समय यह सब डिवीजनल हैडक्वार्टर नहीं था लेकिन वर्तमान में उसकी आबादी एक, सवा लाख हो गई है और प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से उसका बहुत महत्त्व है। वहां पर अस्पताल बन गए हैं और सरकारी कार्यालय भी बन गए हैं फिर भी टेलीफोन एक्सचेंज का अपना भवन अभी तक न रहने के कारण एक्सचेंज का कोई विकास नहीं हो रहा है। मैनुवल से आटोमेटिक में परिवर्तन भी अभी सम्भव हीं है, सरकार ने स्वयं कहा है कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में आटोमेटिक एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या सरकार तत्काल एक्सचेंज के लिए अपना भवन बनवा सकती है जोकि अभी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ?

श्री विजय एन० पाटिल : एक्सचेंज के लिए भवन बनाने का आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। मगर तब भी आगे दस-बीस साल में कितने फोन लगेंगे, उसका प्रोजेक्ट लेकर पांच सौ लाइन या हजार लाइन के एक्सचेंज के लिए भवन बनाने का प्रावधान रखना पड़ेगा। आपका सजेशन हमने नोट कर लिया है।

श्रीमती कृष्णा साही : वैसे तो राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत सरकार को सभी हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित में परिवर्तित करना है। क्या सरकार कम से कम सब डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के टेलीफोन एक्सचेंज को प्राथमिकता के आधार पर लोड आफ वर्क को देखते हुए, एक्सचेंज की कैपेसिटी बढ़ाने का विचार रखती है ? अभी मंत्री जी कह रहे थे लेकिन यह कब तक होने वाला है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने ठीक ही कहा है कि एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंजों में परिवर्तित करने के लिए कुछ प्राथमिकता निर्धारित की गई है और प्राथमिकता तथा कुछ प्रतिमानों के अनुसार, प्राथमिकता पहले जिले के मुख्यालय को दी गई है, और बिहार में, इस योजना में 18 जिलों के मुख्यालयों में स्वचालित एक्सचेंज होंगे। सभी जिलों के मुख्यालयों में स्वचालित एक्सचेंज लग जाने के बाद ही हम सब-डिवीजन और अन्य स्थानों के बारे में विचार करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1400 मानव चालित एक्सचेंज को स्वचालित में परिवर्तित करने की बात है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार के पास कोई निश्चित समयबद्ध योजना है और क्या प्राथमिकता के आधार पर कोई सूची तैयार की गई है ? यदि सूची तैयार की गई हो तो उसमें बेगूसराय और उसके आस-पास के एक्सचेंज का क्या स्थान है ?

श्री विजय एन० पाटिल : बेगूसराय का जहां तक सम्बन्ध है, आटोमेटिक एक्सचेंज की जो प्रायर्टी है उसमें डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर न हो परन्तु कोई बड़ा एक्सचेंज वहां पर हो, 1500 लाइन का, तो उसको भी आटोमेटिक करने की योजना है सन् 1985 के अन्त

तक। आपने जो बेगूसराय को मेंशन किया है, इसका भी इसमें इन्क्लूजन है टेंटेटिव प्लान में आटोमेटिक कन्वर्जन करने के लिए।

दिसम्बर, 1982 में विद्युत क्षेत्र का लक्ष्य से आगे बढ़ना

*129. **श्री रेणुपद दास :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र दिसम्बर, 1982 में अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ गया;

(ख) क्या विद्युत की उपलब्धता में जितनी वृद्धि हुई थी इसकी कमी अनुपाततः उतनी पूरी हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1982 महीने के दौरान विद्युत उत्पादन 11619 मिलियन यूनिट हुआ था। इसकी तुलना में कार्यक्रम 11496 मिलियन यूनिट का था। पिछले वर्षों की तुलना में देश में विद्युत की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है। प्रत्याशित आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्तर 1979-80 में 16.1 प्रतिशत से कम होकर 1980-81 में 12.6 प्रतिशत रह गया, वर्ष 1981-82 में 10·8 प्रतिशत से कम होकर 1982-83 (अप्रैल, 82-जनवरी, 1983) के दौरान 8.6 प्रतिशत रह गया।

श्री रेणुपद दास : मंत्री महोदय द्वारा पढ़े गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में सरकार ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में छठी योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है अथवा लक्ष्य को कम कर दिया गया है ताकि कम से कम उत्पादकता वर्ष में यह संतोषजनक प्रतीत हो।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं दिसम्बर, 1982 में निर्धारित आंकड़ों का उल्लेख कर रहा था। लेकिन जहां तक छठी योजना के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, उसका लक्ष्य 19666 मेगावाट यूनिट है और प्रत्याशित उपलब्धि 14000 मेगावाट यूनिट है। इसका अर्थ है छठी योजना के दौरान हम लक्ष्य से कम उत्पादन कर पायेंगे।

श्री रेणुपद दास : इसे ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल और कई अन्य राज्यों में विद्युत संकट के कारण बतायें। यदि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ है, तो वहां विद्युत संकट क्यों है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर यह स्थिति है। लेकिन प्रदेश-वार असंतुलन है और राज्य-वार कमी है। कुछ राज्यों विशेषकर राजस्थान और तमिलनाडु आदि में बिजली की कमी है।

जहां तक उत्तरी और पश्चिमी प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां स्थिति कुछ बेहतर है। लेकिन

अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है। हमने इन राज्यों में विशेषकर संकटग्रस्त राज्यों में इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हमने ऐसे राज्यों की सहायता करने का हरसम्भव प्रयत्न किया है।

श्री माधव राव सिंधिया : 2 जनवरी, 1983 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री, श्री विक्रम महाजन ने प्रेस मे बातचीत करते हुए यह उल्लेख किया था कि सरकार राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली में 12 से अधिक केन्द्रीय विद्युत केन्द्र लगाने का विचार कर रही है ताकि राज्यों में बिजली की अस्थायी कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार कुछ प्रतिशत विद्युत कमी वाले राज्यों में वितरित करने के लिए सुरक्षित रखेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है और केन्द्रीय राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली कब तक चालू की जायेगी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू हो गया है और वह प्रगति पर है। लेकिन अब तक इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हुई है और केवल अन्तर-प्रादेशिक पारेषण प्रणाली को ही सुदृढ़ किया गया है। जहां तक राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली का सम्बन्ध है, हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक 1000 मेगावाट से अधिक भार लेने की स्थिति में नहीं हैं। हम इस प्रणाली को बनाने में लगे हुए हैं ताकि अन्तर-प्रादेशिक असंतुलन समाप्त किया जा सके।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि उत्तर-पश्चिम में बिजली की सप्लाई संतोषजनक है। छठी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। शायद मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि किसानों को छः घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं उत्तर-पश्चिम दोनों जगहों से आता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या किसानों को 24 घन्टे नहीं तो 12 घण्टे बिजली दिलाने पर विचार कर रहे हैं या नहीं ? यदि कर रहे हैं तो कब तक आप उत्तर-पश्चिम में किसानों को 12 घण्टे बिजली देंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि जहां तक पांच क्षेत्रों का सवाल है, उनके बीच तुलनात्मक दृष्टि से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों की अवस्था बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो किसानों और खेती के काम के लिए लगातार बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में सुझाव दिए हैं, दरअसल में यह जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की है। हम फिर भी लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि विशेष संकट की स्थिति में या किसी विशेष समय पर जैसे खेती के समय पर, जहां तक सम्भव हो नेशनल लेवल पर दूसरे स्रोतों से बिजली की आपूर्ति बढ़ाकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने की चेष्टा की जाय।

श्री जगपाल सिंह : 12 घण्टे तक बिजली दिलाने के लिए सरकार कब सक्षम होगी ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औषधियों/दवाइयों को सस्ते मूल्य पर सप्लाई

*123. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 और 1982 में सरकार ने औषधियों और दवाइयों को सस्ते मूल्य पर सप्लाई करने के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : विवरण लोक सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित औषधियों पर सरकार द्वारा कोई वितरण अंकुश नहीं लगाया जाता, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परचून, थोक विक्रेताओं और स्वास्थ्य संस्थाओं के देशव्यापी कार्यकलापों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दवाओं की आपूर्ति की जाती है।

तथापि औषधियों के अधिकतम मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित किए जाते हैं। उक्त आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III में आने वाले फार्मुलेशनों के अधिकतम मूल्य नियंत्रित होते हैं जबकि उक्त तीनों श्रेणियों में ना आने वाले फार्मूलेशनों के मूल्यों पर कोई अंकुश नहीं है। नियंत्रित मूल्य वाले फार्मूलेशनों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य होते हैं। और उत्पादक आयातक या वितरक इन दवाओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक पर नहीं बेच सकते।

उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 1981 और 1982 के दौरान उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :

1. वर्ष 1981 और 1982 के दौरान औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने अनेक औषधों का लागत अध्ययन किया। इन अध्ययनों के फलस्वरूप, बहुत सी प्रपुंज औषधों के मूल्य घटा दिए गए हैं। ऐसी प्रपुंज औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य भी घटा दिए गए हैं।

2. डैप्सोन, इन्सुलिन, थायासीटाजोन, इथामबुटोल, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि जैसी 30 अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों पर आधारित दवाओं को उत्पाद-कर से छूट जारी रही।

3. क्लोफाजिमाइन, रिफेम्एसिन, विक्रीस्टाइन-सल्फेट आदि जैसी 32 अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों को जब देश में आयात किया गया तो उनको भी सीमा शुल्क से छूट जारी रही ?

4. ओबलडीपामाइन, डी-2 एमिनोबुटामोल, ग्वानिडाइन नाइट्रेट, 6-एपीए आदि जैसी 23 प्रपुंज औषध मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क की रियायती दरें उपलब्ध हैं। इन मध्यवर्तियों की देश में आवश्यक औषधों के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। अतः मध्यवर्तियों पर रियायती सीमा शुल्क के कारण निम्न मूल्यों का लाभ भी 1981 और 1982 के दौरान उपलब्ध था।

5. 22 सितम्बर, 1981 से सीमा शुल्क से मुक्त "जीवन रक्षक औषधों और दवाइयों" की सूची 75 से बढ़ाकर 129 कर दी गई है ।

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में उत्पादन किए आने वाले अनिवार्य और आम प्रयोग में आने वाले फार्मूलेशन जनता को कम मूल्य पर उपलब्ध हों इन दो श्रेणियों के फार्मूलेशनों पर तुलनात्मक रूप से कम अर्थात् कारखाना मूल्य पर 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के मार्कअप की अनुमति दी गई ।

किराए पर लिए गए रिग से हानि

*130. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गोदावरी में खुदाई करने के लिए अमरीकी कम्पनी से किराए पर लिए गये "सेडको-445", रिग पर प्रतिदिन 22,000 डालर का घाटा उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह रिग कब अर्जित किया गया था और हानि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इन मामले में कोई रिपोर्ट की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) जी नहीं। ग्लोबल टेंडर के लिए प्राप्त प्रस्तावों के सन्दर्भ मे रिग नवम्बर, 1981 में किराये पर लिया गया था तथा यह तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त तथा सबसे सस्ता प्रस्ताव था। इस रिग को किराये पर लेने के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अनुशंसा की थी तथा सरकार ने इसका अनुमोदन किया था। कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*1 1. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुओं से तेल की बड़ी मात्रा में चोरी में उलझे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितनी जांच की गई तथा उनके क्या परिणाम निकले; और

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में बड़े पैमाने पर किए जा रहे घोटाले के सभी पहलुओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कब तक कराई जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : अभी हाल ही में गुजरात में ओ० एन० जी० सी० के तेल कूपों में ओ० एन० जी० सी० के उन कर्मचारियों, जिनका तेल की चोरी उठाईगीरी में हाथ है, के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा दो जांच पड़ताल की गईं।

एक मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है और दूसरे मामले में सी० बी० आई० का न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव है ।

(ख) गुजरात में ओ० एन० जी० सी० क्षेत्र से कच्चे तेल, औजार तथा सामग्री की चोरी के सभी मामलों की सी० बी० आई० जांच कर रही है। सम्बन्धित कुछ मामलों को छोड़कर, जिन्हें सी० बी० आई० यह समझती है कि उनकी जांच पड़ताल राज्य पुलिस द्वारा हो सकती है, अन्य मामलों की जांच पड़ताल सी० बी० आई० द्वारा हो रही है/हो जायेगी।

जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में कमी

*132. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में गिरावट आई है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने हेतु दवाई निर्माता कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जीवन रक्षक औषधों की ऐसी कोई मान्य सूची नहीं है। औषधों की एक ऐसी सूची है जो "अनिवार्य औषधों" के नाम से जानी जाती है, जिसका पता हाथी समिति द्वारा लगाया गया था और जिसमें अधिकांश जीवन रक्षक औषधें शामिल हैं। बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का कुल उत्पादन वर्ष 1980-81 में 240 करोड़ और 1200 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1981-82 में क्रमशः 289 करोड़ और 1300 करोड़ रुपए हो गया है। तथापि छठी योजना के लक्ष्यों के अनुपात से उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में औषधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :

1. अनेक औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और उनके कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की जाती है तथा कार्यान्वयन में यदि कोई समस्या हो तो उसे सुधारने के लिये उपाय किए जाते हैं।

2. क्षमता उपयोग में सुधार करके सरकारी क्षेत्र में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

3. स्वतः वृद्धि की योजना, स्थापित क्षमता को मान्यता देने और उत्तम उत्पादन-कार्य निष्पादन के आधार पर अधिक क्षमता को पुनः पृष्ठांकित करने की योजना कुछ शर्तों के साथ औषध उद्योग पर भी लागू की गई है।

यदि आवश्यक हुआ तो देश में औषधों के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जायेंगे।

कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

*133. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों को 70 से 80 प्रतिशत तक समयोपरि भत्ता दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि नियमों के अधीन केवल 5 से 7 प्रतिशत तक समयोपरि भत्ता देय होता है;

(ख) क्या कर्मचारियों को इस तरह प्रतिदिन समयोपरि भत्ता देने से उत्पादन दुगुना हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो यह पद्धति जारी रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार, समयोपरि भत्ता देने की पद्धति समाप्त करने तथा इसके बजाए समयोपरि भत्ते की राशि का उपयोग 5 लाख बेरोजगार निर्धन लोगों को रोजगार देने के लिए करने का है, ताकि उन्हें आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कोयला खनन कम्पनियों के कामगारों को समयोपरि काम के लिए औसत भुगतान मजदूरी का लगभग 6.25% है।

(ख) और (ग) समयोपरि कार्य मुख्यत: आवश्यक रख-रखाव काम के लिए और उत्पादन की उस कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है जो अप्रत्याशित बाधाओं के कारण हो जाती है, जैसे—बिजली की कमी, कामगारों की अनुपस्थिति, वैगनों की प्राप्ति में देरी, अत्यधिक वर्षा, आवश्यक वस्तुओं की कमी ।

(घ) समयोपरि कार्य को बिल्कुल ही बंद कर देना संभव नहीं है। परन्तु, ऐसे अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि उत्पादन लक्ष्य सप्ताह के सामान्य दिनों में काम करके ही पूरा कर लिया जाए और समयोपरि काम का सहारा बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाए।

रिग को आग से बचाना

*134. **श्री डी० पी० यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में "सागर सम्राट" नामक एक रिग में लगी आग की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) आग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

जिस रिग में धमाका हुआ था वह सागर विकास था। जांच समिति में निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से नीचे दिये गये हैं :

"सागर विकास जैक-अप रिग 5 मई, 1982 को प्लेटफार्म एस० जे० में स्थित था। 1314 मीटर की गहराई तक खुदाई किये जाने के बाद कूप के 1662 मीटर की गहराई पहुंचने पर 27 जुलाई को कई संरध्र गैस मुक्त परतें मिलीं। जब ड्रिल पाइप कुछ थोड़े से परिवर्तन के लिए खींची जा रही थी, इस गहराई तक पहुंचने के पश्चात् 28 जुलाई को 0140 घण्टे पर ड्रिल पाइप के माध्यम से कूप सक्रिय हो गया। अन्तक्षेपण निश्चित किये जाने के बाद ब्लो आउट प्रीवेंटर की बन्द लाईन के माध्यम से 28,29 और 30 जुलाई को कीचड़ की 1.19 विशिष्ट गुरुत्व को कम करने के लिये कार्यवाही की गयी थी।

दिनांक 30 जुलाई को कूप खोलने के और गिरी हुई ड्रिल स्ट्रिंग को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया था। दो स्टैंड और एक ड्रिल पाइन बिठाई गई। दूसरे स्टैंड के नीचे पहुंचते ही कूप सक्रिय हो गया। "केली काक" को कसने के और ब्लो आऊट प्रीवेंटर की पाइप रैम, जिससे प्रवाह पकड़ा जा सके, को बन्द करने का प्रयास भी असफल रहा। 30 जुलाई को 2103 घण्टे पर कूप सक्रिय हो गया और 2 अगस्त, 1982 को 0617 घण्टे पर आग लग गई। आग अपने आप ही 5 अगस्त को तीव्रता में कमी और प्रवाह में बाधा आने के कारण बुझ गई। कूप को 12 सितम्बर, 1982 को ढक दिया गया और बन्द कर दिया गया था।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की सम्भावित पुनरावृत्ति को अधिकतम सम्भव सीमा तक रोकने के लिए समिति ने 21 मुख्य अनुशंसाएं की हैं: इस अनुशंसाओं में कई विषय सम्मिलित हैं जैसे कि उपकरणों की विशेष मदों की व्यवस्था प्रणालियों में सुधार, प्रशिक्षण में विस्तार तथा धमाकों के नियन्त्रण के लिये एक विशेषज्ञ ग्रुप का सृजन। इन सभी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है। भूल के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रायोजना प्रबन्धक को, जो कि सारे "सागर विकास" रिग का प्रभारी था, पहले ही पदच्युत कर दिया गया है। आग बुझाने के लिए तथा धमाके के नियन्त्रण के लिए एक बहु-अनुशासनिक टीम का गठन किया गया है। टीम के कुछ सदस्यों को रेड अडेयर के पास प्रशिक्षण देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

*135. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट ने श्रमजीवी पत्रकारों को भविष्य निधि और उपदान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त पेन्शन योजना लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का बिचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशनल यूनियन आफ जर्नालिस्ट्स का पेंशन योजना सम्बन्धी प्रस्ताव यथा-समय उचित कार्यवाही के लिए नोट कर लिया गया है।

अखबारी कागज की नीति की पुनरीक्षा

*136. **श्री रशीद मसूद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज की सप्लाई, वितरण और उसके उपयोग में नियंत्रण रखने तथा अखबारी कागज उद्योग की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ने के बारे में हाल ही में घोषित अखबारी कागज नीति 1982-83 के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस नीति का विशेष रूप से अखबारी कागज के देश में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अखबारी कागज का केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने के पीछे मूल आधार क्या है और इससे उद्योग की मांग पूरी करने में कहां तक सहायता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) स्वदेशी अखबारी कागज की उपलब्धता, आयात किए जाने वाले अखबारी कागज की मात्रा तथा अखबारी कागज के वितरण के बारे में नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है तथा अखबारी कागज आबंटन नीति में निर्धारित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त शोधक कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर, स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अखबारी कागज की 30,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का निर्णय किया गया था।

(ग) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज के आयातों के कैनेलाइजेशन का उद्देश्य इस प्रकार है :

(1) इससे राज्य व्यापार निगम जब भी आवश्यक हो विदेशों से अपेक्षित मात्रा में आयातों को सुनिश्चित कर सकता है।

(2) अखबारी कागज के डिकैनेलाइजेशन से लघु और मझोले समाचारपत्रों, जो अपनी थोड़ी हकदारी के कारण अखबारी कागज को सीधे आयात करने की स्थति में नहीं होते, के हित बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

(3) दीर्घकालिक आधार पर थोक खरीद लाभदायक है, क्योंकि राज्य व्यापार निगम को थोक आयात पर क्रेडिट सुविधाओं और कम भाड़ा दरों के अलावा पर्याप्त डिसकाऊंट मिलता है।

(4) राज्य व्यापार निगम आवश्यक बफर स्टाक बना पता है जिससे समाचार पत्र अल्प सूचना पर अखबारी कागज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का बफर स्टाक बनाने तथा उसके लिए विभिन्न स्थानों पर भण्डारण और गोदाम सुविधाओं की व्यवस्था करना डिकैनेलाइज पद्धति के अन्तर्गत कठिन होगा।

(5) अखबारी कागज की सप्लाई करने के लिए इस समय राज्य व्यापार निगम के देश के विभिन्न भागों में 14 डिपो हैं।

राष्ट्रीय कोयला मंजूरी करार का क्रियान्वयम

*137. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला मंजूरी करार-दो को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II के उपबन्ध दो भागों में बाटे जा सकते हैं अर्थात् (1) मजदूरी, भत्ते काम का भार, आदि और (2) कल्याण कार्य जैसे आवास, पानी की सप्लाई, चिकित्सा सुविधाएं आदि। जहां तक मजदूरी, भत्तों और काम के भार का सम्बन्ध है, कोयला कंपिनियों ने उन निर्णयों को लागू कर दिया है जिन पर सहमति हुई थी। जहां तक कल्याण सुविधाओं का सम्बन्ध है, उनका कार्यान्वियन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आवास व्यवस्था और पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ विलम्ब हुआ है। इस विलम्ब के मुख्य कारण हैं भूमि, इस्पात, सीमेन्ट आदि मिलने में होने वाली कठिनाइयां।

रावत भाटा विद्युत केन्द्र और विद्युत उत्पादन

*138. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :

श्री सत्तेन्द्र नारायण सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रावत भाटा विद्युत केन्द्र राजस्थान को विद्युत सप्लाई करता है परन्तु इस संयन्त्र में विद्युत उत्पादन उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता बढ़ाकर विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में किस सीमा तक सफलता मिली है; और

(ग) विद्युत उत्पादन की कठिनाइयों को दूर करने के बाद क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) रावत भाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र उत्तरी ग्रिड में विद्युत की सप्लाई करने वाले केन्द्रों में से एक है। इस केन्द्र में उत्पादन होने वाली विद्युत में विभिन्न राज्यों के हिस्सों को अभी तक अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। राजस्थान की विद्युत की आवश्यकताएं केवल इसी स्रोत से नहीं की जातीं बल्कि भाखड़ा-ब्यास और सतपुड़ा-चम्बल प्रणालियों में राज्य के हिस्से से पूरी की जाती हैं। राजस्थान में विद्युत की समग्र उपलब्धता इस समय राज्य की आवश्यकताओं से कम है क्योंकि राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र से पूरा उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है।

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की क्षमता बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की दूसरी यूनिट 21 फरवरी, 1983 से पुन: प्रचालित कर दी गई है। पहली

यूनिट में मरम्मत कार्य चल रहा है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड कोटा में एक नए ताप-विद्युत केन्द्र का निर्माण कर रहा है। पहली यूनिट जो चालू की गई है, उससे राज्य में अतिरिक्त विद्युत की उपलब्धता में शीघ्र ही योगदान मिलने की आशा है। इस बीच केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों और पड़ोसी प्रणालियों से राज्य को अधिकतम संभावित सहायता दी जा रही है तथा पिछले कुछ दिनों में कुल मिलाकर विद्युत की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी कम्पनी के साथ सहयोग

*139. **श्री अमल दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे 250 हजार टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जाता है जो 1940 के माडल के हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र टेलीफोन के अद्यतन माडल का विकास करने में असफल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए एक फ्रांसीसी कम्पनी के साथ समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते के अन्तर्गत आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के मूल्य सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और प्रतिवर्ष कितने टेलीफोनों का निर्माण किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 1982-83 के दौरान 5.88 लाख टेलीफोन बनाने की योजना बनाई थी जिनमें किस्म 332 के, जो पुराना माडल है, करीब 86,000 टेलीफोन उपकरण बनने थे। इनका प्रयोग ज्यादातर मैगनेटों उपकरणों, एम्पलीफोन आदि के लिए किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की सूची

*140. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि निर्बाध विकास हेतु राष्ट्रीय महत्व में इन उद्योगों को एम० आर० टी० पी० उपबन्धों से मुक्त करना होगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) "उच्चतर राष्ट्रीय प्राथमिकता" के उद्योगों या सेवाओं, जिनको धारा 22-क (1) (क) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाना है, उनकी सूची अभी तक अन्य, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार की जा रही है।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की नई धारा 22 क, केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना के माध्यम से "उच्चतर राष्ट्रीय प्राथमिकता" के किसी उद्योग या सेवा को, उस प्रकार की शर्तों एवं स्थिति में, जो सभी के द्वारा या अधिनियम की धारा 21 या 22 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्पष्ट की जाए, जिनके अन्तर्गत क्रमशः भारी विस्तार या नये उपक्रमों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाना है, केन्द्रीय सरकार को मुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। तथापि, इस प्रकार की मुक्तियों की 5 वर्षों से अधिक की अवधियों के लिए सहमति दिये जाने से पहले बहुत सावधानी से छानबीन की जानी चाहिए तथा सभी हालातों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के मूलदर्शन को नष्ट नहीं किया जाए।

कोककर कोयले का उत्पादन

*141. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में कोककर कोयले का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कितना हुआ और वर्ष 1980 तथा 1981 में हुए उत्पादन की तुलना में वह कितना न्यूनाधिक था;

(ख) कोककर कोयले के प्रत्याशित उत्पादन में, यदि कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) 1982 में मांग की तुलना में औद्योगिक और विद्युत क्षेत्रों की कितनी मांग की पूर्ति की गई; और

(घ) कोककर कोयले का वर्तमान उत्पादन जिस दर से हो रहा है, उससे 1983 के दौरान कितनी मांग की पूर्ति हो सकेगी और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का बिचार किया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उत्पादन के लक्ष्य कैलेंडर वर्ष के आधार पर नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं इसलिए अप्रैल-दिसम्बर, 1983 की अवधि में कोककर कोयले के उत्पादन की पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से तुलना नीचे की तारणी में दी गई है :

(मिलियन टनों में)

	लक्ष्य (अप्रैल-दिसम्बर, 82)	वास्तविक (अप्रैल-दिसम्बर, 82)	वास्तविक (अप्रैल-दिसम्बर, 81)
को० इं० लि०	18·25	18·29	15·57
टिस्को	2.00	1·87	1·70
इस्को	0·57	0·51	0·50
	20·82	20·67	17·77

पूरे वर्ष 1981-82 का कोककर कोयले का उत्पादन और उसकी तुलना में 1980-81 का उत्पादन निम्नलिखित रहा था :

(मिलियन टनों में)

	1980-81	1981-82
सम्पूर्ण भारत	24·30	26·87

इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन में कोई कमी नहीं है। कोल इण्डिया तो लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर रही है और टिस्को तथा इस्को अपने उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा ही पीछे हैं।

(ग) और (घ) इस्पात संयंत्रों की कोककर कोयले की जरूरतें इस समय ज्यादातर देशी स्रोतों से ही पूरी जा रही हैं। फिर भी, इस्पात संयंत्र लगभग एक मिलियन टन कोककर कोयला प्रति वर्ष आयात कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है इन संयंत्रों की कोककर कोयले की कुल मांग की तुलना में देशी स्रोतों से होने वाली बहुत थोड़ी कमी को पूरा करना और साथ ही धातुकर्मी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोककर कोयले की क्वालिटी में सुधार लाना। यह स्थिति 1983-84 में भी चलते रहने की आशा है।

बिजलीघर अकोककर कोयला ही इस्तेमाल करते हैं। बिजलीघरों की कोयले की कुल मांग व्यवहारतः सारी की सारी पूरी की जा रही है और ताप बिजलीघरों की सारी मांग पूरी करने के लिए पावर ग्रेड (अकोककर) कोयले के पर्याप्त स्टॉक हैं। कभी-कभी, कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित कुछ बिजलीघरों में कोयले के स्टॉक खत्म हो गए थे जिसका मुख्य कारण परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। परन्तु जब भी कोयले की ऐसी कमी की जानकारी मिली है तो यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई है कि कोयले के अभाव के कारण बिजली के उत्पादन में कमी न आने पाए। इसी प्रकार, उद्योगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। इस समय खान मुहानों पर भी कोयले के भारी स्टाक हैं। परन्तु ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के रानीगंज कोयला क्षेत्र से संयोजित उपभोक्ताओं की बढ़िया ग्रेड के अकोककर कोयले की जरूरतें पूरी करने में कुछ कमी हो रही है। फिर भी, इन उपभोक्ताओं की कोयले की जरूरतें अन्य कोयला क्षेत्रों से पूरी कर दी जाती हैं।

तालचर उर्वरक संयंत्र के लिए रक्षित विद्युत एकक

*142. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचर उर्वरक कारखाना बिजली की कमी के कारण 60 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है जिससे राष्ट्र को हानि हो रही है; और

(ख) क्या सरकार ने इस हानि से बचने के लिए एक रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के तालचर उर्वरक कारखाने को जनवरी, 1983 तक लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई है। प्लांट को इस वर्ष 7 माह तक बिजली नहीं मिली।

(ख) सरकार तालचर में एक कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रही है।

गांवों में बायो-गैस संयन्त्रों को लोकप्रिय बनाना

1386. **श्री नवीन रावणी :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 20-सूत्री योजना के अन्तर्गत गांवों में बायो-गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 तक क्या उपलब्धि रही ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) बायो-गैस कार्यक्रम को राज्य के विभागीय अभिकरणों और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के केन्द्रीय अभिकरण, जिसके पास ग्रामस्तर के कार्यकर्त्ता हैं, जो बायो-गैस संयंत्र लगाने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करते हैं, के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। निर्माण तथा अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम और अधिकारियों के अभिवियास के अलावा महिला शिक्षा पाठ्यक्रम भी हाल ही में चलाया गया है। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में इससे सम्बन्धित साहित्य भी मुद्रित किया गया है।

(ख) और (ग) 1982-83 के लिए राज्यवार लक्ष्य और 31 दिसम्बर, 1982 तक की उपलब्धि विवरण में दी गई है।

विवरण

1982-83 के दौरान बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना का राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम संख्या	राज्य/संघराज्य	लक्ष्य (संयंत्रों की संख्या)	31-12-82 तक लगाए गए संयंत्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5000	687
2.	असम	200	7
3.	बिहार	6000	2149
4.	गुजरात	6700	1631
5.	हरियाणा	2500	260

1	2	3	4
6.	जम्मू और काश्मीर	200	—
7.	कर्नाटक	5000	1315
8.	केरल	2500	294
9.	महाराष्ट्र	7000	2850
10.	मध्य प्रदेश	7000	670
11.	उड़ीसा	3000	493
12.	पंजाब	2500	1003
13.	राजस्थान	5000	1009
14.	तमिलनाडु	5000	2179
15.	उत्तर प्रदेश	14000	2867
16.	पश्चिमी बंगाल	3000	172
17.	त्रिपुरा	100	1
18.	पांडिचेरी	100	17
19.	गोवा, दमन और दीव	100	97
20.	हिमालय प्रदेश	15	250
21.	मणिपुर	5	—
22.	मेघालय	5	—
23.	नागालैंड	15	3
24.	अण्डमान और निकोबार	5	—
25.	चण्डीगढ़	10	15
26.	दिल्ली	15	1
27.	दादरा और नगर हवेली	25	—
28.	मिजोरम	5	2
	कुल योग	75000	17972

आकाशवाणी, देहरादून से नेपाली भाषा में समाचारों का प्रसारण

1387. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देहरादून के नेपाली भाषी लोगों तथा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आकाशवाणी, देहरादून के समाचार कार्यक्रमों में नेपाली भाषा में भी समाचारों का प्रसारण शुरू करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा उपरोक्त आकाशवाणी केन्द्र से नेपाली भाषा में समाचारों का प्रसारण शुरू करने का निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। देहरादून में आकाशवाणी का कोई केन्द्र नहीं है।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी से मुद्रित और प्रकाशित समाचार-पत्र

1388. **श्री जैनुल बशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कौन-कौन से दैनिक समाचार पत्रों का मुद्रण और प्रकाशन हो रहा है;

(ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 तक, गत तीन वर्षों में इन समाचार-पत्रों की दैनिक बिक्री क्या रही;

(ग) इस अवधि के दौरान, वर्ष-वार इन समाचार-पत्रों को कितने सरकारी विज्ञापन जारी किए गए; और

(घ) उन्हें कितना अखबारी कागज आवंटित किया गया तथा उसके लिए कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नामों, 1979, 1980 तथा 1981 में उनकी प्रसार संख्या-1982 की प्रसार संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान उनको आवंटित की गई अखबारी कागज की मात्रा से सम्बन्धित ब्यौरा विवरण में दिया गया है। समाचारपत्रों की अखबारी कागज की हकदारी तथा उनको वास्तव में आवंटित की गई मात्रा वही है। जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, वैयक्तिक समाचारपत्रों को रिलीज किए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा गोपनीय समझी जाती है।

विवरण

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्र

क्रम संख्या	दैनिक समाचार-पत्र का नाम	प्रसार संख्या			आवंटित की गई अखबारी कागज की मात्रा (टनों में)		
1. हिन्दी		1979	1980	1981	1980-81	1981-82	1982-83
(1)	आज	77,900	63,688	60,124	1817.86	1373.32	1336.00
(2)	गांडीव	7,055	8,381	8,094	95.07	107.65	58.00
(3)	जनवार्ता	11,393	13,973	14,758	184.19	204.15	185.00
(4)	सन्मार्ग	8,476	10,245		सप्लाई नहीं की गई	86.86	9.698
(5)	चौराहा	प्रसार संख्या सप्लाई नहीं की गई।			कोई अखबारी कागज आवंटित नहीं किया गया।		
(6)	जय देश						
(7)	वैचारिक विकल्प						
2. उर्दू							
(8)	कौमी मोर्चा	5,766	9,682	10,924	49.49	77.62	90.00

सुरक्षा का प्रबन्ध किए बिना चल रही खानें

1389. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसी अनेक खाने हैं जिनमें सुरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध किए बिना ही काम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) इन खानों में सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं;

(घ) इन परिस्थितियों में उनके काम करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कितने समय से इन खानों में सुरक्षा का प्रबन्ध किये बिना ही काम हो रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (**श्री धर्मवीर**) (क) से (ङ) यह प्रश्न शायद खानों में सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित है। यह सच नहीं है कि बहुत सी खानों में सुरक्षा प्रबन्ध नहीं है। खानों में काम-काज तथा सुरक्षा दशाएं खान अधिनियम, 1952, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित होती हैं। खनन उद्योग में प्रबन्धतंत्र उन कदमों और उपायों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं जिनकी कोयलों तथा गैर-कोयला खानें में श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से व्यवस्था की गई है। खान सुरक्षा महानिदेशक, जिसके देश में जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों का जाल बिछा है, निरीक्षणों और कानूनी अधिकारों के प्रयोग द्वारा उन स्थितियों की जांच करता है जिनकी श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् बेहतर सुरक्षा दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के बीच अत्यधिक चेतना जाग्रत करने और प्रबन्धकों तथा श्रमिकों की सहभागिता के लिए उत्तरदायी है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और गैर-सरकारी कंपनियों की पेशकश

1390. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री के० मालन्ना : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपिनियों ने देश में गैस पर आधारित छः उर्वरक कारखानों का निर्माण करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की इन कंपनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) उपरोक्त उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम नीचे दर्शाए गए हैं :

1. मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स (बिड़ला ग्रुप)
2. मैसर्स टाटा कैमिकल्स (टाटा ग्रुप)
3. मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोजिब्स लि० (आई० सी० आई० ग्रुप)
4. मैसर्स श्री राम कैमिकल्स (डी० सी० एम० ग्रुप)

(ग) भारत सरकार के उपक्रम, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० को मध्य प्रदेश प्लांट के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। गैस पर आधारित शेष संयन्त्रों (एक राजस्थान में तथा चार उत्तर प्रदेश में) के स्वामित्व के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार के केबिनेट, राज्य और उप-मन्त्रियों के टेलीफोन-बिल

1391. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के केबिनेट, राज्य और उप-मंत्रियों के मंत्री-वार वर्ष 1982 की अवधि का टेलीफोन बिल कितनी धनराशि के हैं; और

(ख) उनसे इस धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सभी मंत्रालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही संभव होगा यह जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मंत्रियों के टेलीफोन बिलों का भुगतान सम्बधिन्त मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। जिन बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है, उनके लिए सम्बन्धित मंत्रालय के साथ, जहां आवश्यक होता है, विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जाती है।

बम्बई तेलशोधक कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव

1392. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **ऊर्जा मन्त्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तेलशोधक कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उक्त काम शुरू हो गया है यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की शोधनशाला का विस्तार/आधुनिकीकरण किया जा रहा है जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की शोधनशाला का सन्तुलन रखने वाले एकक के रूप में संचालन करने के प्रायोजन के लिए विस्तार किया जा रहा है। प्रथम का अक्तूबर, 1984 तक और बाद वाली के अप्रैल, 1985 तक पूरे होने का कार्यक्रम है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन शोधनशाला की आधुनिकीकरण/विस्तार परियोजना के लिए अनुमानित व्यय 133.34 करोड़ रुपये है जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन शोधनशाला पर 45.07 करोड़ रुपये है।

कर्नाटक में हाई-टेन्शन बिजली के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली में कटौती

1393. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हाई-टेन्शन बिजली (एस० टी०) के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली में और अधिक कटौती की गई है;

(ख) क्या हाई टेन्शन बिजली के उपभोक्ताओं को पहले से ही 10 से 33% तक कम बिजली दी जा रही थी;

(ग) क्या बिजली के उत्पादन और इसकी मांग के बीच के बढ़ते हुए अन्तर को देखते हुए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को इस बिजली कटौती का सहारा लेना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य से अधिक बिजली देने का अनुरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या बिजली देने के लिए आन्ध्र प्रदेश द्वारा मना कर दिए जाने के कारण महाराष्ट्र भी इसके लिए सहमत नहीं हुआ है; और

(च) यदि हां, तो क्या राज्य में विजली की कमी के कारण कर्नाटक की राज्य सरकार को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) कर्नाटक में अक्तूबर, 1982 में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर 10 से 33.3% मांग कटौती और 10 से 33.3% विद्युत कटौती लागू की गई थी। जनवरी, 1983 में विद्युत कटौती 10 से 50% तक बढ़ा दी गई थी। एल्युमिनियम निर्माता उद्योगों पर बिजली की कटौती एक फरवरी, 1983 को और बढ़ा कर 75% कर दी गई थी।

आवश्यकता और उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिए कटौती/प्रतिबन्ध लागू किए जाते हैं।

(घ) से (च) वर्ष 1982 के दौरान कर्नाटक में दोनों दक्षिणी-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मानसून के फेल हो जाने के कारण कर्नाटक को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक की सहायता करता रहा है। अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 (15.2.83 तक) के दौरान महाराष्ट्र से कर्नाटक को विद्युत सप्लाई के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

माह		ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
अप्रैल,	1982	25.54
मई,	1982	20.24
जून,	1982	10.93
जुलाई,	1982	4.83
अगस्त,	1982	0.16
सितम्बर,	1982	—

1	2
अक्तूबर, 1982	—
नवम्बर, 1982	61.62
दिसम्बर, 1982	55.63
जनवरी, 1983	65.68
15 फरवरी, 1983 तक	31.35

आन्ध्र प्रदेश प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप है। अतः आन्ध्र प्रदेश के लिए पड़ोसी राज्यों को बड़ी मात्रा में सहायता दे पाना सम्भव नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास

1394. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों के पूर्ण पुनर्वास के बारे में कोई प्रस्ताव या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने समस्या की गम्भीरता का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन अभागे लोगों के पूर्ण पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) पश्चिमी बंगाल में पुराने प्रवासियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या के स्वरूप और आकार का राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता रहा है। ऐसा अन्तिम मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी दल द्वारा 1975-76 में किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था, विभिन्न योजनाएं मंजूर की गई थीं जिन्हें राज्य सरकार ने अभी तक पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित शरणार्थी पुनर्वास समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित धारा (क) पर ध्यान दिया जा रहा है।

लघु पन-बिजली एककों की स्थापना के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

1395. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने लघु पन-बिजली एककों की स्थापना करके बिजली का उत्पादन करने की योजनाएं भेजी हैं;

(ख) राज्यवार ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना पर कुल कितनी लागत आएगी और उनकी उत्पादन-क्षमता क्या-क्या होगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा यह सहायता किस एजेंसी के माध्यम से दी जाएगी; और

(ङ) अन्य सम्बद्ध ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे **उपाबंध-एक** में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 5959/83]

(ग) स्वीकृत की गई स्कीमों की सूची **उपाबंध-दो** में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 5959/83]

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता दी जाती है। राज्य की यह सहायता पूरी योजना के लिए दी जाती है किसी एक क्षेत्र या परियोजना के लिए नहीं।

(ङ) प्रधानमंत्री के 20सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में देश में लघु जल विद्युत स्रोतों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

कोटा ताप बिजलीघर

1396. **श्री चतुर्भुज :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा (राजस्थान) में स्थित ताप बिजलीघर अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन कब तक शुरू कर देगा;

(ख) इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) कार्यक्रमानुसार बिजली का उत्पादन न करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान में कोटा ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-1 (110 मेगावाट) को 17.1.83 को समकालित किया गया था। इस समय 1.2.1983 से इस यूनिट के बियरिंग का निरीक्षण किया जा रहा है। इस यूनिट को मार्च, 1983 में 40-50 मेगावाट भार पर पुनः चालू करने की सम्भावना है क्योंकि कोयला हैण्डलिंग संयंत्र का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोयला हैण्डलिंग संयंत्र जून, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है। कोयला हैण्डलिंग संयंत्र के पूरा हो जाने के बाद ही यह यूनिट पूरे भार पर चल सकती है।

कोटा ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट-2 (110 मेगावाट) को जुलाई, 1983 तक रोल करने का कार्यक्रम है।

(ग) कोटा ताप विद्युत् केन्द्र के यूनिट-1 और 2 को चालू करने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं :

(1) चिमनी, कोयला, हैण्डलिंग संयंत्र, सी० डब्ल्यू० प्रणाली, मुख्य नियन्त्रण कक्ष और राख हैन्डलिंग संयंत्र के पूरा होने में विलम्ब।

(2) अवसंरचनात्मक इस्पात उत्थापन सम्बन्धी कार्यों को चालू करने में देरी के परिणाम स्वरूप टर्बो जेनरेटर उत्थापन सम्बन्धी कार्यों को चालू करने में देरी।

(3) समुचित प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों की अनुपलब्धता।

(4) बायलर की सप्लाई एवं उत्थापन सम्बन्धी कार्यों में देरी।

(5) निधियों की कमी।

(6) परीक्षण के दौरान एक्सपेंशन बैलोस के फेल होने के कारण देरी।

(7) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के द्वारा मूल रूप से सप्लाई किए गए पम्पों के फेल हो जाने के कारण कंडन्सेट पम्प के आशोधन में लगा समय।

विद्युतीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के आदिवासी जिलों में ब्लाक

1397. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के आदिवासी जिलों में ऐसे कौन-कौन से ब्लाक हैं, जहां उनके मंत्रालय को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं पर काम हो रहा है;

(ख) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1982-83 के लिए उस राज्य को कितनी धनराशि दी है;

(ग) योजनाओं की स्वीकृति से अब तक, योजनावार कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है;

(घ) वर्ष 1982-83 के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा भेजा गया तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमोदित नया प्रस्ताव क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यों को जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों में किन मानकों और छूटों की व्यवस्था की गई है; और

(च) समय पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उक्त राज्य ने क्या उपाय किए हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य में 8,876 गांवों के विद्युतीकरण के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में 13,410 पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के लिए 31 दिसम्बर, 1982 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 92 स्कीमें (1982-83 की 2 स्कीमों सहित) स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत 31-3-1982 तक 3,223 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। स्कीमों के ब्यौरे, स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किए गए ब्लाक और स्कीमों की स्वीकृति के बाद विद्युतीकृत किए गए गांव उपाबन्ध में दर्शाए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5960/83]**। राज्य में 1982-83 के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली स्कीमों हेतु 1266 लाख रुपये के कुल आबंटन में से

15% आदिवासी क्षेत्रों की स्कीमों के लिए प्रारक्षित रखे गये हैं। इसके आधार पर उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के लिए 190 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(ङ) अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई छूट निम्नानुसार है :

	विशेष रूप से अपूर्ण बिकसित क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र की स्कीमें	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र की स्कीमें	अन्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की नई स्कीमें
1. ऋण की अवधि (वर्ष)	25	30	15 से 20
2. ऋण विलम्बन-काल	7	5	5
3. ब्याज की दर (% वार्षिक)	$6\frac{1}{4}$ से $7\frac{1}{4}$	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{4}$ से $8\frac{3}{4}$
4. अदायगी की आर्थिक दर	10	10	15 से 20

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

1398. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रत्येक संवर्ग में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं ;

(ख) क्या सभी संवर्गों में पदों का तीन प्रतिशत आरक्षण पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो संवर्गवार रिक्त पदों की संख्या क्या है और इन पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित अवर श्रेणी लिपिक और चपरासी के पदों को भरने के लिए गृह मन्त्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली लिपिक ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरती करने के लिए सूचना दे दी गई है। सफल घोषित किए गए विकलांग व्यक्तियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जैसे ही नामित किया जाएगा, इन पदों को भर लिया जाएगा। चपरासी के रिक्त पद को पात्र विकलांग व्यक्तियों से भरने के लिए क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, नई दिल्ली को सूचना दे दी गई है।

विवरण

	ग्रेड	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की कुल सख्या
1. ऊर्जा मन्त्रालय	1. अ० श्रे० लि०	9 (नौ)
(विद्युत विभाग)	2. चपरासी	1 (एक)
2. ऊर्जा मन्त्रालय	1. अ० श्रे० लि०	1 (एक)
(कोयला विभाग)	2. चपरासी	शून्य
3. ऊर्जा मन्त्रालय	1. अ० श्रे० लि०	शून्य
(पेट्रोलियम विभाग)	2. चपरासी	शून्य
4. ऊर्जा मन्त्रालय	1. अ० श्रे० लि०	शून्य
(ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत विभाग)	2. चपरासी	शून्य

महानदी डेल्टा में तेल होने की सम्भावना के बारे में डीप सिसमिक साउंडिंग अध्ययन

1399. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने उड़ीसा के महानदी डेल्टा में तेल होने की संभावना के बारे में कोई "डीप सिस्मिक साउंडिग" अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब किया था;

(ग) इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) अध्ययन रिपोर्ट तथा इसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) आयल इण्डिया लिमिटेड ने उड़ीसा में महानदी बेसिन के तटवर्ती क्षेत्रों पर डीप सैस्मिक साउंडिग (डी० एस० एस०) अध्ययन के लिए राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को ठेका दिया है। जनवरी, 1983 के अन्तिम सप्ताह से यह अध्ययन आरम्भ किया गया है।

(ग) इस अध्ययन का अनुमानित खर्च 59 लाख रुपये है।

(घ) जनवरी के अन्तिम सप्ताह में अध्ययन के आरम्भ होने के कारण इसके परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

"त्रिचूर के रेल डाक सेवा कार्यालय में लम्बित पड़े दस लाख पत्रों" शीर्षक से समाचार

1400. **श्री ए० नीलालोहिथानसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 12 नवम्बर, 1982 के "मयूरभूमि' नामक मलयाली दैनिक समाचार पत्र में त्रिचूर के रेल डाक सेवा कार्यालय में दस लाख पत्रों के लम्बित पड़े होने के बारे में समाचार की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। परन्तु केवल एक लाख पत्र और तीन लाख द्वितीय श्रेणी की डाक ही निपटान के लिए जमा थी।

(ख) डाक के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(एक) पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई।

(दो) शीघ्र निपटान के लिए डाक का एक भाग कोचीन एयर सार्टिंग को दे दिया गया।

(तीन) डाक निपटान पर निगरानी रखने के लिए एक सहायक अधीक्षक, रेल डाक सेवा को विशेष रूप से तैनात किया गया।

(चार) केवल द्वितीय श्रेणी की ही डाक संभालने के लिए एक और यूनिट खोली गई; और

(पांच) कुन्नमकुलम-चौघाट-गुरुवयूर क्षेत्र की डाक संभालने के लिए कुन्नमकुलम सार्टिंग कार्यालय खोला गया।

खान के मुहाने पर कोयले के भंडार का जमा होना

1401. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कोयला विभाग ने योजना आयोग को यह बताया है कि कोयला क्षेत्र में खान के मुहाने पर कोयले का भारी भंडार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां कोयले के भंडार जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले की वहां से ढुलाई करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोयले के खान-मुहाना स्टाकों के स्तर पर कोयला विभाग ने योजना आयोग के साथ अनेक बार चर्चा की है।

(ख) खान-मुहाना स्टाकों की 1982-83 में कम हो जाने की आशा थी परन्तु स्टाक कम नहीं हुआ है। इसके अनेक कारण हैं जिनमें यह बातें भी शामिल हैं—उपभोक्ता क्षेत्रों से परियोजित सीमा तक मांग न होना और जहां विकास कार्य चालू है उस एरिया में स्टाकों का अपरिहार्य रूप से जमा हो जाना और उपभोक्ताओं की जरूरतें बाद में होना। कुछ क्षेत्रों में स्टॉक जमा होने का कारण वहां कोयले की ढुलाई के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी है।

(ग) रेल द्वारा कोयले का अधिक प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है। कोयला कम्पनियां इस बात के लिए भी प्रयास कर रही हैं कि लदान

स्थलों तक अधिक कोयला पहुंचाया जाए और नए लदान स्थल और कोयला रख-रखाव संयंत्र स्थापित किए जाएं।

भारत और पाकिस्तान द्वारा फिल्मों का सह-निर्माण

1402. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा फिल्मों के सह-निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में टेलीफोन सेवाओं का खराब होना

1403. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार मंत्री** दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में टेलीफोन सेवाओं के खराब होने के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3547 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में अन्य टेलीफोनों के साथ सांसद के नाम का टेलीफोन अथवा डाकघर का सार्वजनिक टेलीफोन भी बहुधा खराब रहता है तथा लोगों को फोन ठीक कराने के लिये एक्सचेंज स्वयं जाना पड़ता है;

(ख) क्या दरभंगा, मधुबनी, जयनगर तथा अन्य सार्वजनिक टेलीफोनों से स्थानीय और ट्रंक कालों सम्बन्धी कार्य की जाँच करने के लिए कोई जांच की जायेगी, और उसे जनता को सूचित किया जायेगा;

(ग) बेनीपट्टी एक्सचेंज खोलने तथा आसपास के सार्वजनिक टेलीफोनों को उससे जोड़ने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। जब कभी भी टेलीफोनों में खराबी के मामले ध्यान में लाए जाते हैं तो उन पर ध्यान दिया जाता है।

(ख) जी नहीं। दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में कार्य कर रहे कर्मचारी स्थानीय और ट्रंक सेवाओं पर तुरन्त ध्यान दे रहे हैं।

(ग) बेनीपट्टी में टेलीफोन एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य चल रहा है और यह संभावना है कि यह एक्सचेंज 31 मार्च, 83 तक चालू हो जाएगा। एक्सचेंज के चालू हो जाने पर कुछ नजदीकी सार्वजनिक टेलीफोन घर इस एक्सचेंज से जोड़ दिए जाएगे और तदुपरान्त कुछ अन्य सार्वजनिक टेलीफोन घरों को भी उससे जोड़ दिया जाएगा।

नागालैंड और मणिपुर में बेरोजगारी की समस्या

1404. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागालैंड और मणिपुर में, विशेष रूप से वहां के शहरी युवकों में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या की जानकारी है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार हेतु इन दोनों राज्यों को क्या विशेष सहायता देने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) देश के अन्य भागों में बेरोजगारी की स्थिति की तुलना मे, नागालैंड और मणिपुर में बेरोजगारी की समस्या, विशेष रूप से शहरी युवाओं में, इतनी गम्भीर नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 32वें दौर द्वारा प्रकट बेरोजगारी की दरें दोनों राज्यों और पूरे देश के सम्बन्ध में नीचे दर्शायी गई हैं :

दैनिक स्तर बेरोजगारी की दरें

(जनसंख्या, 5 वर्ष और इससे ऊपर, की तुलना में प्रतिशतता)

	नागालैंड	मणिपुर	अखिल भारत
शहरी पुरुष	0.35	0.85	5.55
शहरी महिला	1.52	0.51	2.12

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी विशेष परियोजना/योजना के साथ नहीं जोड़ी जाती। मणिपुर और नागालैण्ड के मामले में, केन्द्रीय सहायता न केवल अनुमोदित योजना परिव्ययों के लिए पूरी तरह धन-राशि जुटाने के लिए बल्कि उनके संसाधनों में गैर-योजना सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए भी दी जाती है। योजना आबंटनों का निर्णय लेते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, बेरोजगारी की समस्या को भी ध्यान में रखा जाता है।

बी० सी० सी० एल० में बालू ढोने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले रज्जु मार्ग की क्षमता

1405. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० सी० सी० एल० में बालू ढोने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले रज्जु मार्ग की प्रतिवर्ष कितनी क्षमता जब उसे कोल बोर्ड से लिया गया था;

(ख) वर्ष 1982 में रज्जु मार्ग से कुल कितना बालू ढोया गया;

(ग) 1982 में रज्जु मार्ग से ढोये गए बालू की प्रतिदिन लागत कितनी थी;

(घ) पिछले पांच वर्षों में रज्जु मार्ग की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि कम से कम बी० सी० सी० एल० के तासरा क्षेत्र में रज्जु मार्ग के अधिकांश उपकरण मरम्मत के बिना बेकार पड़े हैं और प्रबन्धक ठेकेदारों को लगाकर ट्रकों से बालू का ढुलान करवा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गांधी फिल्म के टिकटों की बिक्री

1406. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में गांधी फिल्म के टिकटों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि अर्जित हुई है;

(ख) क्या टिकटों की बिक्री से हुई आमदनी का एक हिस्सा कोढ़ की रोकथाम और नियंत्रण की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य के लिये टिकटों की बिक्री से कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) "गांधी" नामक फिल्म के 30.11.82 को नई दिल्ली में हुए विश्व प्रथम प्रदर्शन से 4.08 लाख रुपए की आय हुई थी। प्रथम प्रदर्शन स्मारिका एलबम के लिए दान और विज्ञापनों से आय हुई थी। इन दोनों श्रेणियों से हुई कुल आय 9.53 लाख रुपए थी।

(ख) से (घ) उक्त आय में से, हिन्द कुष्ठ निवारण संघ तथा गांधी स्मारक कुष्ठ प्रतिष्ठान के लिए 30-30 प्रतिशत आय आबंटित की गई है तथा शेष 40% यू० एन० आई० सी० ई० एफ० के लिए। अभी तक धनराशि वितरित नहीं की गई है, क्योंकि यू० एन० आई० सी० ई० एफ० सभी राजस्वों के संग्रहण की प्रतीक्षा कर रहा है।

जहां तक नई दिल्ली में फिल्म की वाणिज्यिक रिलीज से टिकटों की बिक्री का सम्बन्ध है, इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विद्युत कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

1407. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार छठी योजना अवधि के दौरान देश में विद्युत की मांग 11.9 प्रतिशत तक बढ़ने और तत्पश्चात् और भी तेजी से बढ़ने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर मदद करने हेतु आगे आकर शामिल होने तथा विद्युत उत्पादन के केन्द्र सरकार के प्रयास बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ 2000 करोड़ रुपये के निवेश से 2000 एम० डब्ल्यू० की विद्युत उत्पादन क्षमता के निर्माण के लिए इच्छुक है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1979-80 से 1983 84 तक की अवधि के लिए भारत के 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अन्तर्गत परिकल्पित वृद्धि की प्रवृत्ति अखिल भारतीय आधार पर 10.6% लगाई है। उक्त सर्वेक्षण के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के जिए वृद्धि की दर 10.2% आंकी गई है जोकि वर्ष 1991-92 के लिए क्रमशः कम होकर 9.5% रह जायेगी।

(ख) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे यूटिलिटी के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के द्वारा नियन्त्रित होती है। निजी स्वामित्व की वर्तमान यूनिटों के विस्तार या नई यूनिटों की प्रतिष्ठापना में राज्यों द्वारा निजी उद्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभाव्यता के बारे में संकल्प कोई बाधा नहीं डालता जबकि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक हो।

(ग) 2000 करोड़ रुपयों के निवेश के साथ 2000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के निर्माण को आरम्भ करने के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र द्वारा योगदान करने की संभाव्यता के बारे में संघ ने अभी हाल ही में एक अध्ययन किया है। इस सम्बन्ध में विशिष्ठ प्रस्ताव देने के लिए उन्हें सलाह दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा वित्त सम्बन्धी भागीदारी का स्तर भी सूचित किया जाए ताकि सरकार गुण-दोषों के आधार पर प्रस्ताव की जांच कर सके।

विदेशों में रोजगारों के लिए भारतीय श्रमिकों हेतु भर्ती करने वाले एजेण्टों के कार्यों को नियमित करने के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु उत्प्रवास विधेयक (एमीग्रेशन बिल) का पुरःस्थापन

1408. **श्री के० मालन्ना** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रोजगारों के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने वाले एजेंटों के कार्यों को नियमित करने के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था करने की दृष्टि से संसद में उत्प्रवास विधेयक पुरःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या श्रमिकों के साथ असन्तोषजनक ढंग से बर्ताव करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जहाँ तक कि इन एजेंटों के कार्यों के प्रश्न का सम्बन्ध है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

औषध उद्योग का पुनरीक्षण

1409. **श्री एल० ई० होरो :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकाधिक औषध उत्पादन पर बल देकर और अकारणीय नियन्त्रणों को हटाकर और उचित मूल्य प्रक्रिया सुनिश्चित करके इस उद्योग के कुछ क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई नीति अपनाकर औषध उद्योग का पुनरीक्षण करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) औषध नीति-1978 के उपलब्धों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक उनमें किए जाने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की आवश्यकता

1410. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी महीनों में अखबारी कागज की कमी होने की बड़ी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 19-8283 में अखबारी कागज के लिए समाचार-पत्रों की आवश्यकता सन्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वदेशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आयात की व्यवस्था की गई है।

कैनिंग टाउन को कलकत्ता के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ना

1411. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कैनिंग टाउन को कलकत्ता के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस एस० टी० डी० को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने में और कितना समय लगेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) केनिंग टाउन से एस० टी० डी० प्रदान करने की सुविधा पर केवल तभी विचार किया जा सकेगा जब केनिंग टाउन में स्थित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को एक उपयुक्त किस्म के स्वचल एक्सचेंज में बदल दिया जाए।

(ख) केनिंग टाउन स्थित मौजूदा एक्सचेंज को अगली पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त किस्म के स्वचल एक्सचेंज में बदलने की सम्भावना है और आशा है कि इसके पश्चात् ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

ईराक में निर्माण परियोजनाओं के लिए भर्ती किये गये मजदूर

1412. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** :
श्री सनत कुमार मण्डल : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार-पत्रों की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि ईराक में निर्माण परियोजनाओं के लिए भर्ती किए गए लगभग 1000 मजदूर निर्धन होकर घर वापस पहुंचे हैं तथा भारत के लिए उनके प्रस्थान से पूर्व उन्हें घंटों कार्य करने के लिए मजबूर किया गया तथा जेल में डाला गया था और उन्हें गर्मी में बिना पंखे तथा सर्दी में बिना हीटर के गन्दे स्थानों पर रहना पड़ा था।

(ख) क्या सरकार का मजदूरों से किए गए दुर्व्यवहार की जांच कराने का विचार है;

(ग) क्या बगदाद में हमारे दूतावास द्वारा कोई सहायता उपलब्ध कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उन 876 श्रमिकों को, जिन्हें ईराक में बगदाद विश्वविद्यालय परियोजना के लिए भारतीय निर्माण कम्पनी द्वारा नियोजित किया गया था, 4 और 7 फरवरी, 1983 के बीच भारत वापस भेजा गया था। ये श्रमिक अपनी कुछ मांगों को, जिनमें काम के अतिरिक्त घण्टों के लिए समयोपरि भत्ते की अदायगी और रहन-सहन की दशाएं शामिल हैं, पूरा करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। चूंकि नियोजक और भारतीय मिशन के आपसी समझौता करने के दीर्घकालिक प्रयासों के बावजूद श्रमिकों ने हड़ताल जारी रखी, इसलिए ईराकी प्राधिकरणों ने मामले में हस्तक्षेप किया और श्रमिकों को भारत वापस भेज दिया। स्थानीय कानून के अन्तर्गत ये हड़तालें गैर-कानूनी हैं।

(ख) श्रमिकों ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपने बकाया दावों के निपटान की मांग की थी। श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके सरकार ने अभ्यावेदन की जांच की है और एक संतोषजनक हल निकल आया है।

(ग) और (घ) बगदाद में स्थित हमारे दूतावास ने हर संभव सहायता देने के लिए पूरा-पूरा योगदान दिया ताकि प्रबन्धकों और श्रमिकों में समझौता हो सके और जोर्डन के मुख्य ठेकेदार और बगदाद में स्थित जोर्डन के दूतावास से यथासंभव सीमा तक सहायता प्राप्त की जा सके। हमारे दूतावास ने ईराकी प्राधिकारियों के साथ भी लगातार सम्पर्क बनाए रखा।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को अन्य कम्पनियों के शेयर प्राप्त करने की अनुमति

1413. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से अन्य कम्पनियों के शेयर प्राप्त करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें कुछ एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा विभाग का कार्योत्तर अनुमति मांगी गई हो और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मामले विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को कम्पनियों के नामों, जिनको एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 1980, 1981 और 1982 की अवधि में वित्तीय संस्थानों से अन्य कम्पनियों को शेयर प्राप्त करने को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी, वे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	कम्पनी का नाम
1980	कुछ नहीं
1981	1. सरस्वती इण्डस्ट्रीयल सिण्डीकेट लि०
	2. क्राम्पटन ग्रीब्ज लिमिटेड
1982	कुछ नहीं

(ख) तथा (ग) नहीं श्रीमान् जी।

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण

1414. **श्री एस० ए० दोराई सेवास्तियन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण का गठन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) विश्व में औषध निर्यात में भारत के भाग को बढ़ाने के लिए जो 1950 के दशक में 2 प्रतिशत से घट कर 1980 में दशक में 0.4 प्रतिशत से भी कम हो गया है विशेषकर औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के संबंध से क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति (हाथी समिति के नाम से विख्यात) ने भारतीय राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की सिफारिश की थी।

सरकार ने हाथी समिति द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा के आधार पर पूर्णत: स्वतन्त्र प्राधिकरण स्थापित करना व्यवहार्य नहीं समझा। तथापि, औषध विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में घनिष्ट समन्वय कायम करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए सरकार ने इसके स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था की घोषणा की :

(1) रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी विकास समिति की स्थापना।

(2) विकास आयुक्त (औषध) के नए संगठन की स्थापना, सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अध्यक्षता में मंत्रालय को समय-समय पर परामर्श देने लिए औषध उद्योग के लिए नीति एवं योजना समिति नामक अन्त:मन्त्रालय समिति का गठन करेगा। मार्च, 1978 में नई औषध नीति की घोषणा के बाद, औषध आयुक्त (औषध) तथा औषध उद्योग सम्बन्धी नीति एवं योजना समिति के गठन किए गए। तथापि औषध एवं भेषज उद्योग के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी।

अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औषध और भेषज सम्बन्ध राष्ट्रीय विकास परिषद गठित करने का निर्णय किया गया है। परिषद की सदस्यता उसी प्रकार की होगी जैसी कि हाथी समिनि ने भारतीय राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के सम्बन्ध में सिफारिश की थी। विकास आयुक्त (औषध) का संगठन इसका सेक्रेटेरियट प्रदान करेगा। परिषद के कार्य उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं।

(ख) भारत से निर्यात को बढ़ाने तथा औषध के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

(i) 23 औषध और मध्यवर्तियों के सम्बन्ध में नकद प्रोत्साहन तथा उत्पादन कर की कमी के अतिरिक्त आयात निर्यात नीति, निर्यातक को उत्पाद कर छूट स्कीम के अधीन एडवांस लाइसेंस, इम्प्रैस लाइसेंस तथा आर० ई० पी० लाइसेंसों की तरह की अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है।

(ii) आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट-17 में निर्दिष्ट कुछ मदों में, आर० ई० पी० प्रतिशत उच्च स्तर पर निर्धारित की गयी है ताकि इन मदों की निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए।

(iii) निर्यात की वृद्धि को स्थिरता प्रदान करने के लिए, 1982-83 की आयात निर्यात नीति में ठेकों के पंजीकरण की योजना आरम्भ की गयी है।

(iv) आयात-निर्यात नीति में विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यातों पर जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत कच्चे माल के उत्पाद-कर मुक्त आयात की व्यवस्था की गई है। यह योजना विनिर्दिष्ट उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी पंजीकृत निर्यातकों पर लागू होती है और इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंस स्वतन्त्र रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।

(v) आयात निर्यात नीति में 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों के लिए पृथक उपबन्ध बनाया गया है।

(vi) निर्यात बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास करने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम ने ऐसे औषध उत्पादकों का एक कन्सोर्टियम निर्मित किया है जिनकी अच्छी निर्माण पद्धतियां हैं। इस कन्सोर्टियम ने विभिन्न विकासशील देशों को कई प्रकार औषधियों और भेषजों का निर्यात किया है।

(vii) यह दर्शाने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं कि इस देश में कई अच्छे किस्म की औषधियां प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरों का चयन करने हेतु बोर्ड

1415. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के लिए डीलरों का चयन करने हेतु दो बोर्ड अर्थात् उत्तरी और दक्षिणी बोर्ड स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके चयन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) बोर्डों की संरचना क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) जी, हां। गठित किये गये बोर्डों में एक अवकाश-प्राप्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक अवकाश-प्राप्त सिविल कर्मचारी है। सदस्यों के चयन के लिए मानदण्ड हैं, व्यक्तियों को ईमानदारी निष्पक्षता और प्रशासनिक योग्यता के लिए सामान्य ख्याति।

नेशनल हैरल्ड और नवजीवन का बन्द होना

1416. **श्री आर० एन० राकेश** :
श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल हैरल्ड और नवजीवन को बन्द करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों को वेतन और समयोपरि भत्ते के बकाया का भुगतान न करना उन कारणों में से एक कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों और विभिन्न अंशदाताओं को उक्त दैनिक समाचार पत्रों के प्रबन्धकों की ओर से कब से राशि देय है और कुल देय राशि अलग-अलग कितनी है; और

(घ) उपरोक्त दैनिक समाचार-पत्रों को पुनः शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में समाचार-पत्रों से अखबारी कागज के आवंटन में वृद्धि के लिए आवेदन

1417. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के किसी समाचार पत्र से वर्ष 1982-83 की अखबारी कागज आवंटन नीति के वितरण में वृद्धि के आधार पर अखबारी कागज के आवंटन में संशोधन हेतु कोई आवेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो आवेदन पत्र सम्बन्धित पार्टी का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों, जिनके नाम विवरण में दिए गए हैं, से अखबारी कागज के आवंटन में संशोधन किए जाने के लिए 19 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी मासिक "विजडम" के बारे में कार्रवाई को अन्तिम रूप दे दिया गया है। शेष 18 आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए तमिलनाडु राज्य से प्राप्त संशोधन आवेदन-पत्र

1. दि हिन्दु, अंग्रेजी दैनिक, मद्रास
2. दि हिन्दु, अंग्रेजी दैनिक, कोयम्बतुर
3. दि हिन्दु, अंग्रेजी दैनिक, मदुरै
4. दि हिन्दु, अंग्रेजी साप्ताहिक, मद्रास
5. दि हिन्दु, अंग्रेजी साप्ताहिक, कोयम्बतुर
6. दि हिन्दु, अंग्रेजी साप्ताहिक, मदुरै
7. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, मद्रास
8. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, मदुरै
9. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, तिरुचिरापल्ली
10. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, कोयम्बतूर
11. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, तिरुनेलवेली
12. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, बैल्लौर
13. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, कुड्डालोर
14. दि डेली थांथी, तमिल दैनिक, सलेम
15. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, मद्रास,
16. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, मदुरै
17. दिनमणि, तमिल दैनिक, मदुरै
18. सिनेमा एक्सप्रेस, तमिल पाक्षिक, मद्रास
19. विजडम, अंग्रेजी मासिक, मद्रास

"एक्सप्लाएटिंग दी यंग" शीर्षक समाचार

1418. **श्री जे० एस० पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** इण्डिया टुडे दिनांक 15 जनवरी, 1983 में "एक्सप्लाएटिंग दी यंग" शीर्षक के अन्तर्गत छपे विशेष रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार से लेख में आरोप के अनुसार बच्चों के के शोषण के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस शोषण को रोकने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग भी प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के शोषण के लिए दोषी हैं, जैसा कि विशेष रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) पत्रिका में उल्लिखित बालकों के शोषण सम्बन्धी रिपोर्ट मांगी गई थी और उसकी तमिलनाडु सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर पश्चिमी कच्छ क्षेत्र में लखपाल गांव के निकट कोयले की परत का पता चलना

1419. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में उत्तर-पश्चिमी कच्छ क्षेत्र में लखपाल गांव के निकट पानी के एक नए खोदे गए कुएं में कोयले की एक परत का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुजरात में उत्तर-पश्चिम कच्छ में लखपाल गांव के नजदीक नए खोदे गए पानी के कुंए में कोयला सीम मिली है। परन्तु गुजरात में लखपाल के पास खोदे गए एक कुएं में लिग्नाइट मिला है। गुजरात राज्य का भूविज्ञान और खनन विभाग इस क्षेत्र में ड्रिलिंग कर रहा है।

त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्थापित विशेष समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

1420. **श्री अननत रामुलु मल्लु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्थापित विशेष समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के बारे में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुझाव तथा सिफारिशों की गई हैं;

(ग) क्या औद्योगिक सम्बन्धों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित सनत मेहता समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि औद्योगिक विवादों के संराधन और न्यायनिर्णयन तथा सामूहिक सौदेकारी एजेंट के रूप में यूनियनों के प्रमाणन के कार्यों के साथ स्वतन्त्र औद्योगिक संबंध आयोग गठित किए जाएं। सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके इन पर विचार किया जा रहा है।

अपर इन्द्रावती पन-बिजली परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

1421. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा द्वारा अपर इन्द्रावती पर पन-बिजली जनरेटिंग स्टेशन के निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा गया है; और

(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वित होने पर कुल कितनी मेगावाट पन-बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) उड़ीसा में अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना चालू वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक ग्रुप की सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

(ख) परियोजना में एक बिजली घर के निर्माण की व्यवस्था है जिसमें 150-150 मेगावाट की चार विद्युत उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित की जाएंगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त स्थानों में कमी आना

1422. **श्री भीखाभाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय (दो) आकाशवाणी (तीन) दूरदर्शन और मन्त्रालय के अधीनस्थ अन्य कार्यालयों में आज तक विभिन्न श्रेणियों की कुल बिद्यमान नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त स्थानों में कितनी कमी आयी है;

(ख) आज तक विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या इन वर्षों की विशेष भर्ती के लिए किसी विशेष "सैल" का गठन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन श्रेणियों में भर्ती के लिए कोई विशेष सैल नहीं बनाया गया है। तथापि, रोस्टरों की पद्धति तथा सम्पर्क अधिकारियों की व्यवस्था से, इन श्रेणियों में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में निर्धारित आरक्षण को लागू किया जाता है।

सौर कुकरों की लोकप्रियता

1423. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर कुकर लोकप्रिय हैं; और

(ख) क्या इन्हें खरीदने के लिए राज सहायता दी जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी हां, इसकी प्रतिक्रिया उत्साह जनक रही है। सौर कुकर खरीदने के लिए दी जाने वाली राजसहायता एक कुकर एवं इसके साथ लगे कुकिंग पान की कीमत का 33/1/3/प्रतिशत और अधिकतम 150 रुपए प्रति सैट है।

भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग स्थापित करना

1424. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुछ टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 1983-84 में कितने टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के पास भुवनेशर में एक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष में शुरू करने का विचार है; और

(ङ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन, दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन की क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से, नीचे लिखे अनुसार, विस्तार के प्रमुख प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं :

(एक) नैनी और बंगलौर स्थित कारखानों में, विदेशी सहयोग से प्रतिवर्ष 10 लाख टेलीफोन उपकरण और इनके लिए 15 लाख प्रमुख घटक बनाने की क्षमता स्थापित करना।

(दो) विदेशी सहयोग से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नैनी और बंगलौर स्थित कारखानों के पारेषण प्रभागों में चेनलिंग/मल्टीप्लेक्सिंग उपकरणों के नये रूपों की उत्पादन क्षमता स्थापित करना।

(तीन) छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की 10,000 लाइनों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले पालघाट कारखाने की उत्पादन क्षमता को, विदेशी सहयोग से और बढ़ाकर

ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज और निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों के उत्पादन को शामिल कर, 1.5 लाख लाइनें तैयार करना।

इसके अलावा प्रतिवर्ष डिजिटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर की 5 लाख समतुल्य लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए स्थान के चुनाव का निर्णय अभी लेना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

विभिन्न किस्म के "फाइबर" का आयात

1425. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेष विसकोज स्टेपल फाइबर, पोलिएस्टर फाइबर, पी० वी० सी० रेअन आदि का भारी मात्रा में आयात कराने के कारण एक तरफ इन मदों पर विदेशी मुद्रा अनावश्यक खर्च की जाती है और दूसरी ओर इन मदों का स्वदेशी उत्पादन करने वाले उद्योगों की क्षमता बेकार चली जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच मद-वार क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) बिजली की कटौती एवं श्रमिक और प्लांट समस्याओं के कारण इन वस्तुओं के निर्माण में स्वदेशी क्षमता का बेहतर उपयोग संभव नहीं हो सका है। कुछ मामलों में मांग के मुकाबले स्थानीय उत्पादन कम होने के कारण आयात आवश्यक हो गया था। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण इन वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है।

कोयले से मेथानोल का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी करना

1426. **श्री नीरेन घोष** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 1981 में कोयले को मेथानोल में बदलने की परियोजना के लिए केन्द्र को औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे नामंजूर कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर;

(घ) क्या 1981 में मंजूर करने के लिए और अभ्यावेदन दिए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो उनमें क्या कारण बताए गए थे;

(च) क्या अब औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टि में ही निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया था :

1. प्रस्ताव कोयला गैसीकरण पर आधारित है और उसमें अत्यधिक निवेश निहित है;

2. मैथानोल की क्षमता के अन्तर को पहले ही पूरा कर लिया गया है और अब उसकी मांग तथा पूर्ति की स्थिति उतनी विकट नहीं है; और

3. प्रायोजना के लिए कोयले को निरन्तर सप्लाई का कोई आश्वासन नहीं है।

(घ) से (छ) जी, हां। सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी अन्तिम रूप से विचार करना है।

सिंगरोली, बदरपुर, सतपुड़ा, सुन्दर नगर और भाखड़ा नंगल से राजस्थान को बिजली की सप्लाई

1427. **श्री रामसिंह यादव** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राजस्थान की बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरोली, बदरपुर, सतपुड़ा, सुन्दर नगर और भाखड़ा नंगल जैसी अन्य बड़ी परियोजना से बिजली देने का है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, देहर (सुन्दर नगर) जल विद्युत केन्द्र तथा भाखड़ा नंगल जल विद्युत केन्द्र संयुक्त स्वामित्व वाले केन्द्र हैं। इनमें से प्रत्येक में राजस्थान का निर्धारित हिस्सा है। इन केन्द्रों से राजस्थान को अधिकतम विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र के स्वामित्व वाले बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र तथा सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से राजस्थान को अधिकतम संभव सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से भी सहायता की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश को हार्ड और साफ्ट कोक की कम सप्लाई

1428. **श्री राम लाल राही** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान घोषित हार्ड और साफ्ट कोक की आवंटित मात्रा की तुलना में बहुत कम मात्रा सप्लाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आवंटित कोयले की मात्रा और वास्तव में सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा क्या है; और

(ग) उद्योगों के लिए आवंटित कोयले में कमी करने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कम महत्वपूर्ण दवाओं की तुलना में जीवनरक्षक दवाओं का अधिक उत्पादन

1429. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि आजकल फार्मास्युटिकल मैन्युफेक्चरर दिल की बीमारी और क्षय रोग प्रतिरोधक आदि के काम आने वाली इन्ड्राल, आइसोप्टिन, सोर विट्रेट आदि जैसी आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण और निरर्थक दवाओं का निर्माण करते हैं;

(ख) क्या जीवनरक्षक दवाओं का निर्माण करने की अपेक्षा गैर आवश्यक दवाओं का निर्माण करने पर उत्पादकों को अधिक मुनाफा होता है जिसके कारण जीवनरक्षक दवाओं की कमी हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि कम महत्वपूर्ण दवाओं की तुलना में जीवनरक्षक दवाओं का उत्पादन अधिक हो ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) बाजार सर्वेक्षण रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1982 में इंड्राल, आइसोप्टिन सोरबिट्रेट आदि जैसी औषध फार्मूलेशनों की उपलब्धता बढ़ी है। औषध (मूल्य नियंत्रक) आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रित मूल्य वाले फार्मूलेशनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। वे फार्मूलेशन, जिनके मूल्य नियन्त्रित नहीं हैं चौथी श्रेणी में आते हैं। आवश्यक समझे जाने वाले फार्मूलेशन श्रेणी-I और II में आते हैं। नियंत्रित मूल्य वाले फार्मूलेशनों के अधिक तम मूल्य उनसे कारखाना लागत जमा "मार्क अप", जिसमें वाणिज्यिक अन्तर, लाभ और विकास व्यय बाह्य भाड़ा और बितरण लागत शामिल है, पर आधारित होता है। मार्क अप के स्तर निम्न प्रकार हैं :

श्रेणी-I	40 प्रतिशत
श्रेणी-II	55 ,,
श्रेणी-III	100 ,, तक

उन औषधों, जहां मूल्य अनियंत्रित है, पर मार्क अप या लाभ की कोई सीमा नहीं है।

प्रपुंज औषधों के मामले में मूल्यों का निर्धारण कारखाने से बाहर प्रमाणित लागत पर किया जाता है और श्रेणी-III के फार्मूलेशनों में प्रयोग की जाने वाली औषधों के मामले में शुद्ध पूंजी पर 12 प्रतिशत और श्रेणी-II के फार्मूलेशनों में प्रयोग किए जाने वाले औषधों के मामले में 14 प्रतिशत का लाभ निर्धारित किया जाता है।

औषध नीति के अन्तर्गत धीरे-धीरे यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी औषध कम्पनी के कुल कारोबार का कम से कम 20 प्रतिशत कारोबार श्रेणी-I और-II के फार्मूलेशनों में हो।

दवाओं का उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्यवाही करना

1430. **श्री भीकू राम जैन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दवाओं की मांग, आवश्यकता और सप्लाई कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश एन्टीबायोटिक्स, एन्टीमलेरियल और विटामिनों की पूर्ति आयात से होती है;

(ग) बल्क दवाओं का आयात करने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी दवाओं की मांग पूरी करने तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने वर्ष 1984-85 अर्थात् छठी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए बल्क औषधों और फार्मूलेशनों की अनुमानित मांग क्रमशः 815 करोड़ रुपए और 2450 करोड़ रुपए लगाई है। 1981-82 के दौरान 289 करोड़ रुपए के बल्क औषधों और 1430 करोड़ रुपए के फार्मूलेशनों का उत्पादन हुआ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फार्मूलेशनों के मामले में देश लगभग आत्म-निर्भर है। बल्क औषधों का आयात, देश में स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(घ) मांग को पूरा करने की दृष्टि से औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) अनेक औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किये गये हैं और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा यदि कार्यान्वयन में कोई समस्याएं हो तो उन्हें दूर करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

(ii) क्षमता उपयोग में सुधार करके सार्वजनिक क्षेत्र में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

(iii) स्वतः वृद्धि स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने की योजनाएं और सर्वोत्तम उत्पादन निष्पादन के आधार पर उच्चतर क्षमताओं के पुनःपृष्ठांकन की योजनाएं कुछ शर्तों के साथ औषध उद्योग पर भी लागू की गई हैं। देश में औषधों के उत्पादन में और वृद्धि करने हेतु यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त उपाय किये जाएंगे।

रूस से कच्चे तेल का आयात

1431. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से वर्ष 1980, 1981 और 1982 (दिसम्बर के अन्त तक) के दौरान कितना और कितने मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया गया था;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय से एक प्रतिनिधिमंडल वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए कच्चे तेल का आयात करने लिए वार्ता करने हेतु रूस गया था; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में रूस से भारत को कितने-कितने मूल्य का और विदेशी मुद्रा के खर्च सहित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में दोनों देशों के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष

1980, 1981 और 1982 के दौरान सोवियत संघ से आयातित खनिज तेल की मात्रा और उसका मूल्य निम्नलिखित रूप में है :

वर्ष	सोवियत संघ से खनिज तेल का आयात (भारत में वास्तविक रूप में प्राप्त हुआ)	
	मात्रा (मी० टनों में)	सी० आई० एफ० मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1980	1.71	313
1981	2.27	564
1982*	1.71	395

*अस्थायी

(ख) खनिज तेल के आयातों के लिए संविदाएं कैलेंडर वर्ष के आधार पर हैं। वर्ष 1983 के लिए खनिज तेल आयात संविदा पर विचार-विमर्श करने और उसे अन्तिम रूप दिये जाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी, 1983 में सोवियत रूस का दौरा किया था।

(ग) वर्ष 1983 के दौरान लगभग 2.5 मिलियन मी० टन खनिज तेल का आयात करने के लिए एस० एन० ई० (सोवियत संघ) के साथ एक संविदा पर दिनांक 21.1.1983 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस संविदा में यह व्यवस्था है कि सप्लाई किए जाने वाला खनिज तेल इरानियन क्रूड (हल्का और भारी बराबर अनुपात में) तथा/अथवा अरब के देशों से उपयुक्त खनिज तेल तथा/अथवा सोवियत खनिज तेल होगा। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए दिनांक 4.11.1982 को एस० एन० ई० के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अन्तर्गत एस० एन० ई० आई० ओ० सी० को वर्ष 1983 के दौरान, 1.30 मिलियन मी० टन मिट्टी का तेल और 0.95 मिलियन मी० टन गैस आयल सप्लाई करेगा।

खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की मात्रा और उसका अनुमानित एफ० ओ० बी० मूल्य नीचे दिया गया है :

1983

		मिलियन मी० टन में मात्रा	अनुमानित मूल्य सी० एण्ड० एफ० (करोड़ रुपयों में)
खनिज तेल		2.5	563.90
उत्पाद		1.0	1.00
	एस० के० ओ०	1.30	418.30
	एस० एस० डी०	0.95	219.40

भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाता है।

बम्बई में कपड़ा मिल मजदूर काम पर वापिस आने के लिए उत्सुक

1432. **श्री राम जेठमलानी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई में कपड़ा मिल मजदूर तो सामान्यत: काम पर वापिस आने के उत्सुक हैं, लेकिन हड़ताली नेताओं ने अपनी भयभीतपूर्ण चालों से उन्हें रोका हुआ है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : श्रम मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, बम्बई टैक्सटाइल मिलों में श्रमिकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में लगातार वृद्धि हुई है। 25.2.1983 की स्थिति के अनुसार, 92,027 श्रमिक और 13,755 तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी काम पर वापिस आ गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, छुट-फुट दुर्घटनाओं के अलावा श्रमिकों को डराने-धमकाने का कोई मामला नहीं है और सही कानून और व्यवस्था रखी जा रही है।

बम्बई हाई के कच्चे तेल का निर्यात

1433. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष बम्बई हाई से निकाले गए 1 मिलियन टन कच्चे तेल का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में उत्पादित कच्चा तेल देश की आवश्यकता से अधिक है या देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा कमाने की बहुत अधिक जरूरत है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1983 में 4.8 मिलियन मी० टन बम्बई हाई खनिज तेल के निर्यात किए जाने की संभावना है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस खनिज तेल को संसाधन/परिशोधन करने के दो कारण हैं : (i) बम्बई हाई अशोधित तेल निहित रूप से देश में आवश्यक किस्म के कुछ उत्पादों का उत्पादन नहीं कर सकता; (ii) देश में कुछ शोधनशालाओं में उपलब्ध विद्यमान संसाधन सुविधाओं से वर्तमान में उत्पादित किये जा रहे समग्र बम्बई हाई अशोधित तेल को संसाधित करना संभव नहीं है जिससे कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के वर्तमान पेटर्न को पूरा किया जाये। तथापि कोचीन, मद्रास, विजाग स्थित शोधनशालाओं में और बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम शोधनशाला के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु पहले ही प्रारम्भिक कदम उठाये जा चुके हैं जिससे कि उस समय उत्पादित किये गये बम्बई हाई अशोधित तेल के संसाधन में वर्ष 1984-85 के अन्त तक वृद्धि की जा सके।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अतिरिक्त परिव्यय

1434. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को छठी योजना के अवशेष समय में खर्च हेतु, 2,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आयोग को इसके दस वर्षीय योजना में सहायता देने पर भी सहमत हो गई है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कार्यवाही योजना के अनुसार सातवीं योजना

में खोज कार्य के लिए "वेस" का निर्माण करने के लिए छठी योजना की अवशेष अवधि में 4,700 करोड़ रुपए अतिरिक्त परिव्यय की मांग की है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने इसे मान लिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के 4788 करोड़ रुपए के पिछले परिव्यय की तुलना में 7608 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति मांगी है। इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही करने के लिए परिव्यय सम्मिलित हैं।

(घ) जी, अभी नहीं।

डाक और तार विभाग में अदक्षता

1435. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में इस समय विद्यमान अदक्षता का कारण दक्ष अधिकारियों का विदेशी सरकारी निदेशालय, आई० टी० आई० टी० आर० सी० टी० सी० आई० एल०, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठापूर्ण पदों पर प्रतिनियुक्ति पर काम करना है, जहां अधिकारियों को स्पष्टतः प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हां, प्रतिनियुक्ति पर गए हुए ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या इसका एक अन्य कारण यह है कि नियमानुकूल स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित नहीं होते तथा प्रभावित व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो महत्वपूर्ण स्थानान्तरणों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।.

(ग) जी नहीं।

(घ) महत्वपूर्ण स्थानान्तरण पहले से ही किए जा रहे हैं।

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड

1436. **श्री० के० लकप्पा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड के बारे में 8 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2662 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ला डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड की जांच पूरी कर ली है, यदि हां, तो कब और जांच अधिकारियों की जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार क्लबों जैसे सामाजिक संगठनों का शोषण और कुप्रबन्ध रोकने के लिए कुछ सुरक्षात्मक कार्यवाही करने का है विशेषरूप से जब से क्लब नाममात्र की पट्टेदारी पर सरकारी भूमि में बनी हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मै० चैम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड की लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अन्तर्गत निरीक्षण पूर्ण हो गया है और उसकी रिपोर्ट सरकार को अप्रैल, 1982 में दे दी गई थी। इस निरीक्षण से प्रथमदृश्या कम्पनी अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के अनुपालन न करने जैसे धारा 209, 211 और 217 से उत्पन्न निश्चित परिसम्पत्तियों के रजिस्टर और कतिपय राजस्व रसीदों के पूंजीकरण को अपर्याप्त रूप से रखने, और लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर बोर्ड की रिपोर्ट में सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करना प्रकट हुए। इन मामलों पर कम्पनी से सम्पर्क किया जा रहा है और जैसी भी कार्यवाही उचित हुई, यथाक्रम में की जायेगी। कम्पनी अधिनियम के विशेष उपबन्धों के उल्लंघन से अन्तर्ग्रस्त न होते हुए कुछ अन्य अनियमितताएं भी सूचना में आई थीं। ये सदस्यों को अन्तर्नियमों में उल्लिखित सीमा से अलग जमा सुविधाओं के विस्तार से सम्बद्ध थीं, एयर इण्डिया से प्राप्त हवाई जहाज के उपहार रूप के टिकटों को गलत ढंग से प्रयुक्त करने, सदस्यों के अनियमित नामांकन, पुस्तकालय शुल्क का अनधिकृत लगान, कतिपय निदेशों को कार्यवाहियों की समय में प्राप्त न करना आदि। चूंकि ये मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में कतिपय कार्यवाहियों का भाग बनते हैं, इसलिए उन पर अगर कोई उक्त कार्यवाहियों के बाद निर्णीत होता है तो उन पर कार्यवाही पर विचार करने का निर्णय किया गया है।

(ख) जहां तक सामाजिक संगठनों के सम्बन्ध में जैसे क्लब आदि, जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं शोषण के निवारण और कुप्रबन्ध के लिए आवश्यक कार्यवाही, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अगर और कभी ये सरकार की सूचना में लाये जाते हैं, तो की जा सकती है/की जाती है। इस प्रकार की कार्यवाही मै० दिल्ली एण्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकिट एसोसियेशन लिमिटेड के मामले में अभी हाल ही में की गई थी और कुछ सरकारी निदेशकों को कम्पनी अधिनियम की धारा 408 की शर्तों में बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

करोड़ों रुपयों के बिजली उपकरणों का जमा होना

1437. **श्री पी० एस० सईद :**

श्री दौलत राम सारण :

श्री त्रिलोक चन्द : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों के पास कई सौ करोड़ रुपयों के उपकरण जमा हो गए हैं;

(ख) क्या नवीनतम विश्लेषण के अनुसार 61 ताप यूनिटों में से अब तक केवल 21 ताप यूनिट चालू हुए हैं;

(ग) क्या जल विद्युत क्षेत्र में अधिक खराब स्थिति है जहां कुल सप्लाई किए गए 63 यूनिटों में से अब तक केवल 1067 मेगावाट क्षमता की 14 यूनिटें ही चालू हुई हैं और शेष यूनिटें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों के भंडारों में धूल चढ़ रही हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अशोधित तेल पर मिलने वाली रायल्टी दरों को निर्धारित किया जाना

1438. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक राज्यों को मिलने वाली रायल्टी की दरें तब निर्धारित की गई थी जब अशोधित तेल का मूल्य 305 रुपये प्रति टन था और तब से इसे संशोधित नहीं किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1981 से अशोधित तेल के कुएं पर मूल्य का संशोधन किए जाने से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपना लाभ लगभग 15 गुना बढ़ाया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित राज्यों को मिलने वाली रायल्टी की दरें न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-81 की तुलना में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कर के बाद लाभ में 1981-82 में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। मूल्य में वृद्धि के अतिरिक्त इसका कारण यह भी रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1980-81 की तुलना में 1981-82 में तेल और गैस की लगभग 50% अधिक बिक्री की है।

(ग) तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 के अनुसार किसी भी चार वर्ष की अवधि के दौरान राजस्व की दर में एक से अधिक बार संशोधन नहीं किया जा सकता है और राजस्व की दर में पिछला संशोधन 1.4.1981 से किया गया था। तथापि, राजस्व की दर में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 1979 में हस्ताक्षरित राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौता द्वितीय

1439. **श्री सूरज भान** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में हस्ताक्षरित राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझोता द्वितीय में क्या मद शामिल किए गए हैं;

(ख) इसमें शामिल प्रत्येक विशेषकर आवास, कार्य के मानकीकरण, पदोन्नति, स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी बातों का निपटारा करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) कोयला श्रमिकों की शिकायतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इस समय कोयला श्रमिकों की क्या विशेष मांगें हैं, और प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II पर दिनांक 11 अगस्त, 1979 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन मुद्दों पर समझौते शामिल हैं : न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ता, कामगारों के लिए भूमिगत तथा अन्य भत्ते। इसमें यह भी शामिल हैं काम के प्रतिमान, आवास सुविधाओं की व्यवस्था, रेलवे यात्रा रियायत और अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी फायदे जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं और कल्याण उपाय शामिल हैं।

(ख) मजदूरी, भत्ते और कार्य-भार आदि से सम्बन्धित समझौते कोयला कम्पनियों ने पूरी तरह कार्यान्वित कर दिए हैं। कल्याण उपायों जैसे आवास, जल पूर्ति स्वास्थ्य सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ विलम्ब हो गया है जिसका मुख्य कारण है भूमि, इस्पात, सीमेंट आदि मिलने में होने वाली कठिनाइयां। मानकीकरण समिति की बैठक हुई और उसने अनेक निर्णय लिए हैं जो कार्यान्वित कर दिए गए हैं—और इनमें से जिन निर्णयों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था उन पर कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति-III विचार कर रही है।

(ग) और (घ) कोयला कामगारों को मांगों में शामिल मुद्दे हैं—मजदूरी का संशोधन, महंगाई भत्ता, वेतनमान, भत्ते आदि और अन्य सेवा शर्तें जैसे —पदोन्नति नीति, काम का विवरण, वर्गीकरण आदि। कुछ अन्य मांगें कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, जैसे—आवास, चिकित्सा सुविधाएं, आश्रितों को रोजगार, कामगार प्रतिपूर्ति, आदि। इन मदों पर और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II की जिन अन्य अनिर्णीत मदों पर समझौते नहीं हो सके थे उन पर कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति-III विचार कर रही है।

वस्तु विनियम प्रणाली पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करना

1440. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान वस्तु विनियम और वस्तु उधार लेने के आधार पर कुल कितना कच्चा तेल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया और इस कार्य में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ख) वर्ष 1982 के दौरान स्वदेश के कच्चे तेल और पेट्रोलिमम पदार्थों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में अनुमानतः कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों का कितना आयात करने की सम्भावना है और इस पर कितनी बिदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वस्तु

विनिमय अथवा वस्तु ऋण आधार पर न तो खनिज तेल का और न ही पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था। तथापि भारत-रूस व्यापार करार 1982 के अन्तर्गत 2.5 मिलियन मी० टन खनिज तेज एवं 2.25 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की व्यवस्था की गई और इन मदों का भुगतान रुपयों में किया गया था। वर्ष 1982 के दौरान एक व्यापार सलेख के अन्तर्गत रूमानिया से 13525 मीट्रिक टन कच्चा पेट्रोलियम कोक (आर० पी० सी०) आयात भी किया गया है और उसका भुगतान रुपये में किया गया था।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान देश में लगभग 20 मिलियन मी० टन खनिज तेल का और 30 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन हुआ था।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरात खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की निम्नलिखित मूल्य सहित मात्रा आयात किदे जाने की आशा है :

मात्रा : मिलियन मी० टन में
मूल्य : करोड़ रुपयों में

	आयात		निर्यात		शुद्ध आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
खनिज तेल	17.683	4261	5.922	1296	11.761	2965
पेट्रोलियम उत्पाद	5.49	1690	0.889	158	4.601	1532
योग	23.173	5951	6.811	1454	163.62	4497

महिलाओं को कम भुगतान करना

1441. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :
श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आदमियों की तुलना में महिलाओं की आमदनी और मजदूरी के उत्पादन क्षेत्र और कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में अलग-अलग मानदड है;

(ख) सरकार के ध्यान में लाए गए मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ग) मजदूरी के अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) रोजगार के ऐसे क्षेत्रों में, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार संबंधित सरकार हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन के सम्बन्ध में, पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी की अदायगी में भेद-भाव का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

ताप बिजलीघर का बिजली उत्पादन

1442. श्री जयनारायण रौत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक ताप बिजलीघर की कितनी बिजली का उत्पादन हुआ;

(ख) प्रत्येक ताप बिजलीघर की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तापीय उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न विद्युत केन्द्रों की वर्षवार प्रतिष्ठापित क्षमता तथा विद्युत उत्पादन दिखाने वाला विवरण उपबंध-एक में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5961/83]

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत के उत्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय उपबन्ध-दो में दिए गए अनुसार है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5961/83]

(ग) पिछले पांच वर्ष के दौरान अखिल भारत का ताप विद्युत उत्पादन तथा पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है :

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मेगा० आवर)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1978-79	53420	
1979-80	57155	107.0
1980-81	62031	108.5
1981-82	70346	113.4

अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि का ताप विद्युत उत्पादन 66265 मेगा० आवर है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 114.7% अधिक है।

टेलीकाम्यूनिकेशन्स विभाग के कर्मचारियों की मांग

1443 **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीकम्यूनिकेशंन विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी, 1983 के पहले पक्ष में उनके मन्त्रालय द्वारा अपनी मांगें पूरी करवाने हेतु सामान्य कार्यघण्टों की अपेक्षा दो घण्टे अधिक काम किया; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी मांगें मान ली गई हैं तथा यदि इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संघ ने अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 3-1-83 से धरना देने का नोटिस दिया जिसमें यह बताया गया था कि तकनीशियन बिना कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक लिए दो घण्टे अतिरिक्त कार्य करेंगे।

1. वेतनमान में संशोधन

2. तकनीकी पर्यवेक्षकों को पर्यवेक्षकीय कार्य देना

3. 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नतियां
4. तकनीकी संवर्ग में राजपत्रित पद
5. टेस्ट डेस्क कार्य का आवंटन
6. औचित्यपूर्ण पदों का भरना
7. ट्रेड यूनियन सुविधाओं को पुनः स्थापित करना
8. अर्हताप्राप्त व्यवसाय परीक्षा
9. वैधानिक बोनस के रूप में बोनस की अदायगी
10. जे० सी० एस०/आर० सी० एम० में स्थान
11. डाक-तार के लिए पृथक वेतन बोर्ड
12. परियोजना तकनीशियनों को विशेष प्रतिपूरक भत्ता।

नोटिस प्राप्त होने पर, उपर्युक्त संघ के प्रतिनिधियों को 5-1-83 और 6-1-83 को बातचीत के लिए बुलाया गया था जिसमें वे अपनी मांगों में से 6 मांगों को फिलहाल आगे न बढ़ाने पर राजी हो गए। शेष मामलों के सम्बन्ध में उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया था।

केरल में डाक वितरण में विलम्ब

1444. **श्री स्कारिया थोमस :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि केरल में गत अनेक महीनों से डाक के वितरण में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। फिर भी विलम्ब के कुछ मामले हो सकते हैं।

(ख) डाक वितरण में सुधार करने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :

(1) मुख्य डाकघरों और उनके उप डाकघरों के बीच डाक व्यवस्था को सुचारू बनाना।

(2) मुबाट्टूपुशा में डाक कार्यालय खोला गया है।

(3) कोट्टाराकारा, तेलीचेरी, नेमाटिंकारा और पेरांवूर में डाक कार्यालय खोलने के आर्डर दे दिए गए हैं।

(4) आटिंगल, कुन्नमकुलम, पालघाट, कुहीपुरम और केसारगोड में डाक कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(5) सभी मुख्य डाकघरों और उनके उपडाकघरों के बीच क्रास-बेग प्रणाली शुरू की गई है।

(6) सर्किल में रेल डाक सेवा यूनिटों के बीच सीधे बैग शुरू किए गए हैं।

(7) ब्रेमेंट प्रणाली वाले बैगों का सुझाव दिया गया है।

(8) निकटवर्ती सर्किलों में महत्वपूर्ण डाक कार्यालयों और उक्त सर्किल में महत्वपूर्ण डाक कार्यालयों के बीच बैग शुरू किए जा रहे हैं।

(9) डाक कार्यालयो में आवश्यकतानुसार स्टाफ में वृद्धि की गई है।

(10) डाकघरों में प्रारम्भिक छंटाई शुरू की गई है।

(11) महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में दो बार डाक वितरण की व्यवस्था।

(12) सर्किल मुख्यालयों से बाहर के रेल डाक डिवीजनों के बेहतर नियन्त्रण के लिए क्षेत्रीय निवेदकों के अधीन रखा जा रहा है।

(13) द्वितीय श्रेणी की डाक के शीघ्र निपटान के लिए कोचीन पी० एस० ओ० खोला गया है।

(14) डाक कार्यालयों में पर्यवेक्षण में कड़ाई की गई है।

(15) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

विभिन्न प्रकार के ट्रंक कालों के लिए सामान्य समय-सीमा

1445. **श्री पी० नामग्याल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य स्थितियों में साधारण, तत्काल तथा लाइटनिंग ट्रंक कालों के बुकिंग समय से कॉल प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) यदि कोई तत्काल या लाइटनिंग ट्रंक कॉल निर्दिष्ट समय सीमा में मिल पाती है; तो क्या इसी काल को क्रमश: तत्काल और लाइटनिंग के स्थान पर साधारण और तत्काल कॉल म रूप में समझा जाता है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पूरी दरें वसूल किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सामान्य स्थितियों में साधारण, तत्काल तथा लाइटनिंग ट्रंक काल मिलने मे क्रमश: दो घण्टे, एक घण्टा एवं बीस मिनट का समय लगता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ट्रंक काल प्रभार काल की श्रेणी जैसे लाइटनिंग, तत्काल अथवा सामान्य काल के अनुसार लिया जाता है बशर्ते कि उपभोक्ता के अनुरोध पर काल की श्रेणी कम न की गई हो।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० द्वारा मध्य अमरीका को कीटनाशी पदार्थों का निर्यात

1446. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० मध्य अमरीका को 100 टन तकनीकी

मैलाथियोन निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कीटनाशी पदार्थों के इस निर्यात से वहां भारतीय निर्यात को बढ़ाने में किस सीमा तक मदद मिली है; और

(ग) क्या अन्तर्देशीय बाजार में मांग पूरी करने की ओर उचित ध्यान दिया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० ने सितम्बर 1982 में मध्य अमेरिका को 100 टन मलेथियन तकनीकी का निर्यात किया है।

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० द्वारा किये गये प्रारम्भिक बाजार अध्ययन से यह पता चलता है कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को मलेथियन तकनीकी और उसके फार्मूलेशनों के निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाएं है।

(ग) जी, हां।

निर्वाचन सुधारों के विषय में हैंसार्ड सोसाइटी कमीशन की रिपोर्ट

1447. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री रामविलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैंसार्ड सोसाइटी कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफार्म्स ने, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ थे, भारत सरकार को जून, 1976 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट में बहुत ही गहन विश्लेषण है और वह क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट की जांच करली है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापतनम में तेल शोधक कारखाने का विस्तार

1448. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम स्थित पेट्रोलियम शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस तेल शोधक कारखाने की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है;

(ग) इस मामले में क्या योजनाएं बनाई गई हैं और अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) विस्तार के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धन किस प्रकार दिया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) विशाख शोधनशाला का प्रतिवर्ष 1.5 मि० मी० टन से 4.5 मि० मी० टन का विस्तार कार्यान्वियनाधीन है और अक्तूबर, 1984 तक इसके पूरा हो जाने का कार्यक्रम है। दिसम्बर, 1982 तक विभिन्न गतिविधियों की प्रगति निम्न प्रकार है :

प्रोसेस इन्जीनियरिंग	98.0%
इन्जीनियरिंग	62.2%

आर्डर देना	71.2%
निर्माण एवं डिलीवरी	29.6%
निविदा देना	78 3%
निर्माण	25.9%

(घ) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नलिखित संसाधनों से की जा रही है :

1. पुनः निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड से ऋण।

3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के आन्तरिक संसाधन।

थेई बांध परियोजना में विलम्ब

1449. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**
श्री दौलत राम सारण :
श्री छोटे सिंह यादव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थेई बांध परियोजना के पूरा होने में कितना विलम्ब हो गया है और इस परियोजना में लगातार विलम्ब के लिए क्या-क्या मुख्य बातें उत्तरदायी हैं;

(ख) इस समय इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है और क्या इस परियोजना में और विलम्ब होने की सम्भावना है; इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब के कारण परियोजना की लागत किस सीमा तक बढ़ी है; और

(घ) क्या इस परियोजना से, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र को तथा सामान्य तथा पूरे देश को जो लाभ होंगे, उन पर विचार करते हुए परियोजना को प्राथमिकता देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) थीन बांध बिजलीघर में 4 × 120 मेगावाट तथा अपरबारी दोआब नहर बिजलीघर में 3 × 15 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के लिए 263.16 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत पर (1977 की कीमतों के स्तर पर आधारित) अपरबारी दोआब नहर चरण-2 सहित थीन बांध के लिए एक स्कीम योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1982 में स्वीकृत की गई थी। पंजाब सरकार ने अनुमान को अब अद्यतन कर दिया है तथा थीन बांध की यूनिटों की पहले की 120 मेगावाट की क्षमता को परिशोधित करके 150 मेगावाट कर दिया गया है तथा तदनुसार, फरवरी 1983 में 668.85 करोड़ रुपयों का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है। परियोजनाओं की परस्पर प्राथमिकताएं राज्य सरकार द्वारा तय की गई हैं और उच्चतम प्राथमिकता निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जा रही है जिनसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए 1983-84 की वार्षिक योजना प्रस्तावों के अनुसार थीन बांध को 1989-90 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्मों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

1450. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म निर्माताओं ने हाल ही के वर्षों में सरकार से अनुरोध किया था कि देश में महात्मा गांधी, डॉ० अम्बेडकर और पंडित नेहरू पर फिल्में बनाने के लिये सहायता दी जाये;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने यह सहायता मांगी है;

(ग) क्या उनको सहायता दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्में बनाने के प्रस्ताव इस समय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्मों के निर्माण के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० के विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में अमरीकी कम्पनी द्वारा खुदाई

1451. **श्री नरसिंह मकवाणा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तटदूर तेल की खुदाई कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है जो अमरीकी कम्पनी को सौंपा गया है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने तेल की सुचारु रूप से खुदाई करने की पेशकश की है;

(ग) इस खुदाई कार्य के पूरा होने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और कार्य को निर्धारित समय पर पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस कम्पनी के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक II में लगभग 5300 लाइन किलो मीटरों के लिए समुद्री भूकम्पीय तथा गुरुत्व आंकड़े प्राप्त करने के पश्चात् शौवरान आयल कम्पनी आफ इंडिया ने आंकड़ों को संसाधित किया है और आंकड़ों की व्याख्या लगभग पूरी होने वाली है।

(ख) संविदा के अनुसार शैवरान आफ इंडिया तीन वर्षों के अन्वेषण के प्रथम चरण के दौरान में सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक II में तीन अन्वेषी कूपों का व्यधन करेगी।

(ग) अन्वेषण का प्रथम चरण दिनांक 25.3.1985 को पूरा हो जाएगा। अभी तक कार्य में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति है।

(घ) जी, हां। 30 मार्च, 1982 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6019 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर संविदा की मुख्य बातें पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

उड़ीसा में विद्युत की भारी कमी

1452. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में बिजली की भारी कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपाय करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य मुख्यत: मानसून फेल हो जाने के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहा है—राज्य मुख्य रूप से जल विद्युत के उत्पादन पर निर्भर है।

(ख) उड़ीसा में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए आन्ध्र प्रदेश से सहायता की व्यवस्था की गई है। तलचेर की यूनिट सं० 6 को शीघ्र चालू करने के लिए भी सभी सहायता दी जा रही है।

भारतीय औषध उद्योग द्वारा नई औषधियों का न निकाला जाना

1453. **श्री सी० नरसिंहा रेड्डी** : (क) क्या यह सच है कि हमारे देश का औषध उद्योग गत 32 वर्षों के दौरान अपनी स्वयं की कोई नई औषधि नहीं निकाल पाया है और भारतीय नामों सहित विदेशी कम्पनियों के फार्मूलेशनों पर ही निर्भर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उद्योग संगठित नहीं है और अनुसंधान पर खर्च किए जाने वाला धन यूरोप में बड़ी-बड़ी औषध फर्मों द्वारा किए जाने वाले खर्च का 1/5 भी नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे औद्योगिक एकक "बल्क औषधियों का ऐसी लागत पर उत्पादन कर रहे हैं जो आयातित उत्पादों की लागत से दो से तीन गुना अधिक है और अन्तिम मूल्य किसी भी आयातित दवाई के मूल्य से बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय औषध उद्योग पूर्ण रूप से सुसंगठित है। यह सत्य है कि अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला उक्त खर्च बिक्री के प्रतिशत के रूप में और पूर्ण रूप में यूरोप की सबसे बड़ी औषध फर्मों की तुलना में कम है।

(ग) और (घ) भारत में उत्पादित अधिकांश बल्क औषधों के उत्पादन को लागत और फलस्वरूप उनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में अधिक हैं। इसका कारण, उच्च निवेश लागत, संयंत्र का छोटा आकार, कम दक्ष प्रौद्योगिकियां आदि जैसे बहुत से तथ्य हैं। सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. बल्क औषधों और औषध मध्यवर्तियों के निर्माण के लिए विस्तृत, लाभकारी क्षमताओं के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

2. स्वदेशी अनुसंधान के माध्यम से विद्यमान प्रौद्योगिकी में सुधार करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

3. लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियां देश में उपलब्ध न होने पर उनके आयात की अनुमति दी जा रही है।

जालंधर टेलीविजन केन्द्र की रेंज बढ़ाना

1454. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर टेलीविजन केन्द्र की रेंज बढ़ाने का कोई विचार है ताकि राजस्थान में श्री गंगानगर तक के समूचे सीमावर्ती क्षेत्र को लाभ मिल सके;

(ख) क्या सरकार का विचार सूरतगढ़ के कम शक्ति वाले "रिले" केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का है ताकि श्रीगंगानगर और बीकानेर तक के समूचे सीमावर्ती क्षेत्र को लाभ मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस क्षेत्र में पाकिस्तान के टेलीविजन के प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। संसाधनों की उपलब्धतता पर निर्भर करते हुए इन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

बोडरा-2, कुएं, पश्चिम बंगाल के लिए अनुमानित लक्ष्य

1456. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पंगाल में वोडरा-2 कुएं की खुदाई के लिए अनुमानतः क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है जहां 13 वर्षों के बाद कार्य आरम्भ हुआ था; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम बिभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पश्चिम बंगाल में वोदरा-2 कूप को 5500 मीटर की गहराई तक खोदने का लक्ष्य है।

(ख) कूप दिनांक 30.1.1983 को खोदा गया था तथा दिनांक 15.2.1983 तक 405 मीटर व्यधन किया गया था।

बड़ौदा के निकट डबोका कुएं से तेल की चोरी

1457. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के निकट-डबोका कुएं से, दिसम्वर, 1982 में लगी आग के बाद, तेल की हुई चोरी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से उन दो तेल शोधक कारखानों का पता चला जो चुराये गये अर्द्ध-परिष्कृत अशोधित तेल से सूरत में चोरी-छिपे लगाये गये थे;

(ख) क्या तेल की चोरी के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बीस सदस्यीय दल ने 8 अक्तूबर, 1982 को सी० आई० डी० से जांच कार्य अपने हाथ में लिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है, यदि हां, तो क्या उस पर कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) यह मामला सी० बी० आई० के ध्यान में आया है कि सूरत में एक भवन में उपकरण और रसायन है जिनका उपयोग खनिज तेल के कुछ स्थानीय परिशोधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ख) सी० बी० आई० द्वारा इस मामले में आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा उपर्युक्त (ख) में दिया गया है।

बम्बई की कपड़ा मिलों में एक वर्ष लम्बी हड़ताल के कारण बिना काम के बैठे श्रमिकों की संख्या

1458. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री शिवशरण वर्मा :

श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई की कपड़ा मिलों में एक वर्ष लम्बी हड़ताल और तालाबन्दो के कारण कितने श्रमिक बिना काम के बैठे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : श्रम मन्त्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, बम्बई टैक्सटाइल मिलों में 25.2.1983 की स्थिति के अनुसार कुल 77,329 श्रमिक काम पर वापिस नहीं आए।

नियमित पदाधिकारियों को दीर्घकाल तक अनुपस्थिति के कारण स्थानापन्न कार्य कर रहे अधिकारी

1459. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीर्घकाल तक स्थाई पदाधिकारियों की नियुक्ति न किए जाने के कारण केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, प्रधान सूचना अधिकारी, भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार और आकाशवाणी के महानिदेशक के पदों पर स्थानापन्न अधिकारी कार्य कर रहे हैं और फिल्म प्रभाग के चीफ प्रोड्यूसर बढ़ी हुई सेवावधि पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रधान सूचना अधिकारी, भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक और आकाशवाणी महानिदेशक के पदों को नियमित आधार पर भरा जा चुका है। फिल्म प्रभाग के मुख्य प्रोड्यूसर का कार्यकाल जनहित में तथा फिल्मों के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए 31-3-1983 तक थोड़ा सा बढ़ाया गया है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष का पद, जिस पर श्री ऋषिकेश मुखर्जी अवैतनिक हैसियत में नियुक्त थे, उनके द्वारा अगस्त, 1982 में त्याग-पत्र दे दिए जाने पर रिक्त हो गया था। इस पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चुनने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वायत्त निगम की स्थापना

1460. **श्री उत्तम राठौर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे प्रेस आयोग ने सरकारी विज्ञापनों का कार्य करने के लिए स्वायत्त निगम की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वह सुझाव स्वीकृत कर लिया है और इसे क्रियान्वित करेगी; और

(ग) यदि उक्त सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिफारिश पर विस्तार से विचार किया गया है, किन्तु अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

कार्यरत बालकों की संख्या और बाल श्रम को समाप्त करने हेतु कदम

1461. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यरत बालकों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) बाल श्रम को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की तरह जहां संगठित ट्रेड यूनियन अभियान चल रहे हैं, वहां बालकों पर शोषण कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बालकों के रोजगार का नियमन बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के अधीन किया जाता है और मुख्य पत्तनों तथा रेलों को छोड़कर, यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। बाल श्रमिक सम्बन्धी गुरुपदास्वामी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बाल श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर बाल श्रमिक सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड गठित करें।

(ग) और (घ) ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सांस्कृतिक कला के रूप में सिनेमा को मान्यता

1462. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में नवम भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आयोजित नई भारतीय सिनेमा के लिए संघर्ष सम्बन्धी सेमिनार में सरकार से अनुरोध किया गया था कि सिनेमा को सांस्कृतिक कला के रूप में मान्यता दी जाये; और

(ख) यदि हां तो उक्त सुझाव का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) औपचारिक रिपोर्ट सरकार को अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1463. **श्री के० एन० राजन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने हेतु बीड़ी श्रमिकों के बारे में तथ्य पता लगाने तथा उनकी कुल संख्या जानने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

तेनुघाट और कोयलकारो पन-बिजली परियोजना

1464. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तेनु-घाट और कोयल कारो पन-बिजली परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना के कब तक चालू होने की आशा है और इसकी प्रजनन क्षमता कितनी होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के लिए कुछ अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित की गई हैं। तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना के लिए कुछ अवसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार करने के लिए कार्य हाथ में है।

(ख) सक्रिय रूप से निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद कोयलकारो परियोजना को आठ वर्षों की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम है।

तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना की दो यूनिटें मूलतः क्रमशः जून 1985 तथा जून 1986 में चालू करने का कार्यक्रम था। तथापि, भूमि का अधिग्रहण हो जाने तथा परियोजना का क्रियान्वयन सक्रिय रूप से शुरू हो जाने के बाद परियोजना को चालू करने की तिथियों का पुनः निर्धारण करना होगा। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना तथा तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः 710 मेगावाट और 420 मेगावाट है।

5000 रुपये से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले प्रबन्ध निदेशकों नियुक्तियों की स्वीकृति

1465. **श्री आर० प्रभु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन महाप्रबन्धकों ने 5000 रुपये से अधिक पारिश्रमिक वाले पदों के लिए आवेदन किया है उनकी नियुक्तियों की सरकार ने स्वीकृति की सूचना नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण 1 जनवरी, 1983 को कितने मामले लम्बित थे;

(ग) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने यह सुनिश्चित किया है कि पारिश्रमिक की स्वीकृति दिये जाने तक पूर्णकालिक निदेशकों को 5000 रुपए से अधिक के पारिश्रमिक और परिलब्धियां प्राप्त न हों; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है और यह अनिश्चितता कब तक बनी रहेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नवम्बर, 1978 में प्रेषित प्रबन्धकीय पारिश्रमिक मार्गदर्शन नियमों के अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों तथा पूर्ण-कालिक निदेशकों के उत्तम वेतन की सीमा 5,000 रुपए प्रति मास है। कथित मार्गदर्शक नियम, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त, 1980 में उच्छेदित कर दिए गये थे। इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनरावेदन किया, जिसने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोकादेश लगाते हुए, निदेश दिया कि सरकार, जहां कम्पिनयां मार्गदर्शक नियमों के आधार पर अपने पारिश्रमिक को निर्णीत किए जाने की न इच्छा करें, वहां उनका पारिश्रमिक निश्चित न करें। सर्वोच्च न्यायालय के इन विनिर्देशों के परिणामस्वरूप, प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक, निदेशकों की नियुक्तियों के लिए आवेदन-कर्ता कम्पनियों के लिये, कथित मार्ग-दर्शक नियमों के अन्तर्गत प्रबन्धकीय पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए संमति व्यक्त करना अपेक्षित है। जहां संमति दे दी जाती है, वहां पारिश्रमिक का दर्शक-नियमों के अनुसार निर्णय कर दिया जाता है। जहां इस प्रकार की समिति का निषेध किया जाता है, वहां प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपलब्ध होने तक अनिर्णीत रखे जाते हैं।

(ख) मार्ग-दर्शक नियमों की संमति के अभाव में अनिर्णीत मामलों की कुल संख्या 1 जनवरी, 1983 तक, 197 थी।

(ग) कम्पनी अधिनियमके वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत प्रबन्ध और पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। कम्पनी के प्रस्ताव के विचाराधीन होने के कारणों होते हुए, अगर प्रबन्धकीय निदेशकों/पूर्ण कालिक निदेशकों द्वारा निर्धारित सरकारी सीमा से अधिक पारिश्रमिक लिया जाता है तो यह उनके स्वयं के खतरे और उत्तर-दायित्व पर है और इस दशा में, जब कभी भी सक्षम आदेशों के अन्तर्गत पारिश्रमिक के स्तर का अन्तिम रूप से निर्णय किया जाता है तो उनको पारिश्रमिक की राशि, अगर कोई, अनुमोदित राशि से अधिक ली गई है तो वापिस जमा करानी होगी।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यथा उल्लिखित, मामला सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत है। यह कहना सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि न्यायालय का निर्णय कब उपलब्ध होगा। 9,500 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के संदर्भ में, जिन पर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के संचालनीय उपबन्ध लागू होते हैं, अनिश्चितता कुछ मामलों (1-1-83 तक 197) के सम्बन्ध में है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

1466. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में उन दीवानी और फौजदारी मामलों की संख्या पृथक्-पृथक् कितनी है जो पांच वर्ष से निर्णय के लिए लम्बित हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले एक वर्ष में कितने मामलों पर निर्णय दिया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी विवरण में संलग्न है।

विवरण

(क) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले पांच वर्ष से लम्बित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या।

	31 दिसम्बर की लम्बित				
	1977	1978	1979	1980	1981
सिविल मामले	4516	4733	5553	5547	6792
दाण्डिक मामले	503	548	576	446	541
योग	5019	5281	6129	5995	7333

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में, लंबित रहने की अवधि के अनुसार, 31.12.1981 को लंबित मामले।

	सिविल	दाण्डिक	कुल
एक वर्ष से कम	2507	234	274
1 से 2 वर्ष	735	66	80
2 से 3 वर्ष	647	122	769
3 से 4 वर्ष	1094	70	116
4 से 5 वर्ष	647	22	669
5 से 6 वर्ष	313	16	329
6 से 7 वर्ष	300	11	311
7 से 8 वर्ष	201	—	201
8 से 9 वर्ष	121	—	121
9 से 10 वर्ष	104	—	104
10 वर्ष से अधिक	123	—	123
योग	6792	541	7333

(ख) वर्ष 1981 के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा 5019 मामले निपटाए गए।

वर्ष 1982 में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में हड़ताल और तालाबन्दी के कारण हुई श्रम दिवसों की हानि

1467. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग उद्योग-वार श्रम दिवसों की कितनी हानि हुई;

(ख) कौन-कौन से उद्योग, जिनमें हड़तालें होती रहती हैं, हड़ताल पर हैं; और

(ग) मालिकों द्वारा निर्मात्री उद्योगों यथा कपड़ा, इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग, कोयला, सीमेंट और इस्पात उद्योगों में तालाबन्दी की घोषणा करने के क्या मुख्य कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) वर्ष 1982 (जनवरी-अक्तूबर) के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या सम्बन्धी **विवरण-1** (उद्योग-वार वर्गीकरण) **और विवरण-2** (राज्य-वार वर्गीकरण) संलग्न हैं।

(ख) उद्योग ग्रुपों में, जनवरी-अक्तूबर, 1982 के दौरान विनिर्माण उद्योगों में सबसे अधिक हड़तालें हुईं।

(ग) विनिर्माण उद्योगों में तालाबन्दियों को घोषणा के मुख्य कारण, मजदूरी और भत्ते और "अनुशासनहीनता तथा हिंसा" सम्बन्धी विवाद हैं।

विवरण-1

जनबरी-अक्तूबर, 1982 (अ) के दौरान (सरकारी और निजी क्षेत्रवार तथा उद्योग-ग्रुप वार) हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

उद्योग ग्रुप	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3
कृषि, आखेट, वनरोपण और मछली पकड़ना	6	467
खनन और उत्खनन	1094	339
विनिर्माण	1094	19074
बिजली गैस और जल	336	10
निर्माण	24	53
थोक और फुटकर व्यापार ओर जलमान गृह तथा होटल	25	50
परिवहन संचयन और संचार	247	215

1	2	3
वित्त व्यवस्था, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं	28	13
सामुदायिक, सामाजिक और	110	65
अपर्याप्त रूप से परिभाषित	—	102
वैयक्तिक मरम्मत सेवाएं	—	—
जोड़	2965	20390

(अ)=अनन्तिम

एन० बी=पूर्णांक के कारण आंकड़े मेल नहीं खा सकते।

जनवरी-अक्तूबर, 1982 (अ) के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (सरकारी और निजी क्षेत्र-वार और राज्य-वार)

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में) सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र-प्रदेश	920	679
2.	असम	1	1
3.	बिहार	144	571
4.	गुजरात	17	584
5.	हरियाणा	—	38
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	4	146
9.	केरल	184	1150
10.	मध्य-प्रदेश	217	54
11.	महाराष्ट्र	677	5549*
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	6	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	69	8
16.	पंजाब	1	109
17.	राजस्थान	195	195
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	123	1160
20.	त्रिपुरा	—	—

1	2	3	4
21.	उत्तर-प्रदेश	62	411
22.	पश्चिम बंगाल	258	9621
23.	अण्डेमान और निकोबार	53	7
24.	अरुणाचल-प्रदेश	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	2
26.	दादर और नागर हवेली	—	—
27.	दिल्ली	3	76
28.	गोआ, दमन और दीव	22	26
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	—	—
31.	पांडिचेरी	8	—
	जोड़	2965	20390

(अ) अनन्तिम और 18.12.1982 तक श्रम ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित

(*) टैक्सटाइल हड़ताल के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस शामिल नहीं हैं, जिनका अनुमान सितम्बर, 1982 के अन्त तक 486.7 लाख है।

नोट---यह जरूरी नहीं कि पूर्णांक के कारण आंकड़ों का जोड़ मेल खाए।

दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड की कोयले की दैनिक आवश्यकता

1468. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड की कोयला की दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले पिछले छः महीनों में इस परियोजना को, मास-वार प्रतिदिन औसतन कितना कोयला सप्लाई किया गया;

(ग) क्या कोयले की सप्लाई संयंत्र की आवश्यकता के अनुसार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) दुर्गापुर परियोजना लि० के विद्युत केन्द्रीय की कोयले की दैनिक आवश्यकता 1750 टन है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त पिछले छः महीनों के दौरान दुर्गापुर संयंत्र को कोयले की दैनिक औसत सप्लाई लगभग 1025 टन थी। उपरोक्त अवधि के दौरान कोयले की दैनिक सप्लाई का महीने-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जुलाई, 1982 के अन्त में विद्युत संयन्त्र के पास 1,80,000 टन कोयले का

भण्डार था जो तीन महीने की खपत से अधिक था। विद्युत केन्द्र द्वारा कोयला आवश्यकता के अनुसार सड़क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद की अवधि के दौरान विद्युत केन्द्र द्वारा कोयला कम मात्रा में उतारने के कारण उनके भण्डार में कमी आ गई जो कि इस समय 10,000 टन के लगभग है।

विवरण

जुलाई, 1982 से दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान दुर्गापुर संयंत्र को कोयले की औसत दैनिक सप्लाई का महीने वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण I

1. जुलाई, 1982	2190 टन
2. अगस्त, 1982	680 टन
3. सितम्बर, 1982	270 टन
4. अक्तूबर, 1982	1030 टन
5. नवम्बर, 1982	930 टन
6. दिसम्बर, 1982	1060 टन

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ

(सरकार से आर्थिक सहायता को लेखे में जोड़ने के पश्चात्)

राज्य बिजली बोर्ड	क	ख (लाख रुपये में)
1. महाराष्ट्र	7,992	1,139
2. तमिलनाडु	0,944	598
3. कर्नाटक	3,964	1,463
4. राजस्थान	1,161	1;211
5. मध्य प्रदेश	1,458	74
जोड़ :	21.939	4.495
6. असम	1,124	जैड

(क्रमशः 31.2.1978 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचयी।)

क=31.3.1979 को संचयी

ख=31.3.1979 को समाप्त वर्ष के लिए।

जैड=31.3.79 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हुई हानियां=331

निर्वाचन सुधारों के विषय में तारकुंडे समिति की सिफारिशें

1469. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब सुझाव प्राप्त हो गये हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की घटबढ़, केवल उसी उम्मीदवार को चुना हुआ घोषित किया जाना चाहिए जो निर्वाचन क्षेत्र में वैध मतों के 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करता है, और शेष स्थानों को सीधे चुनाव से नहीं भरा जायेगा बल्कि उम्मीदवारों की अग्रिम प्रकाशित दल-सूची में से राजनीतिक दलों द्वारा डाले गये मतों के अनुपात में भरा जायेगा जिसमें एक-सदस्यीय का चुनाव-क्षेत्र रहेगा और विकृति को ठीक करने के लिए न्यूनतम परिवर्तन लागू होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या तारकुंडे समिति की चुनाव सुधार संबंधी रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) तारकुंडे समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचन की कुछ "मिश्रित पद्धतियों" के अध्ययन की सिफारिश की थी। समिति ने उसके विभिन्न स्वरूपों पर विचार करने का प्रयास किया और इस सम्बन्ध में एक सूत्र का उल्लेख किया जिसके अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्वाचन-क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक विधिमान्य मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। जहां किसी भी उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता वहां उस निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान उस सीधे निर्वाचन के फलस्वरूप नहीं भरा जाता।

समिति ने मिश्रित पद्धतियों के किसी विशिष्ट स्वरूप को, अर्थात् अमानुपातिक पद्धति को अपनाए जाने की विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की है, किन्तु उसका विचार है कि इस प्रकार के विषय पर, राष्ट्र के हित में, व्यापक लोक विचार विमर्श होना चाहिए जिससे मतैक्य हो सके।

समिति की अन्य सिफारिशों में लगभग सम्पूर्ण निर्वाचन विधि आ जाती है और सामान्यतः उन्हें निर्वाचन सुधारों के प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया है जो निर्वाचन सुधारों पर मंत्रि-मण्डल समिति के विचाराधीन हैं।

धुवारन तापीय बिजलीघर को आर० एफ० ओ० की सप्लाई

1470. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने धुवारन तापीय बिजली घर के लिए आर० एफ० ओ० की सप्लाई की मांग की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) धुवारन तापीय बिजली घर को आर० एफ० ओ० सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) धुवारन तापीय बिजली घर को आर० एफ० ओ० सप्लाई करने का निर्णय कब किया जायेगा तथा आर० एफ० ओ० का मूल्य क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एवं (ख) जी हां। इसकी कोयले की आवश्यकता के अतिरिक्त, इस पावर हाउस की सामान्य आर०

• एफ० ओ० आवश्यकया 5000 मीट्रिक टन/माह है। जनवरी, 1983 के मध्य में गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने जनवरी, 1983 से मई, 1983 तक की अवधि के 75000/80000 मी० टन/माह तरलीकृत ईंधन सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया था। ये अतिरिक्त आवश्यकतायें आई० ओ० सी० की गुजरात शोधनशाला में उत्पाद की उपलब्धता तथा अन्य नियमित उपभोक्ताओं की साधारण मांग पर निर्भर करते हुए डी० पी० एच० को दी जा रही है। जनवरी एवं फरवरी, 1983 के दौरान डी० पी० एच० को क्रमश: 66659 मी० टन तथा 760000 मी० टन सप्लाई की गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जैसे कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि धुवारन पावर स्टेशन को उसकी सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त आर० एफ० ओ० की सप्लाई की जा रही है। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है यह गौर किया जाये कि धुवारन पावर हाउस आई० ओ० सी० को वह मूल्य नहीं दे रहा है जैसे कि मध्यस्थ द्वारा दिनांक 10-4-1976 को अपने पंचाट में निर्णय लिया गया था जिनमें आर० एफ० ओ० के मूल्य को गुजरात शोधनशाला के अशोधित तेल के औसत मूल्य से जोड़ा गया है। तथापि धुवारन पावर हाउस दिनांक 15-12-1977 से आई० ओ० सी० को 389.54 रुपये प्रति टन की दर से भुगतान कर रहा है। तत्पश्चात्, आई० ओ० सी० द्वारा दावा की गई मूल्यों में वृद्धि का भुगतान धुवारन पावर हाउस द्वारा नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों को दूर संचार सुविधाएं

1471. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई० टी० यू० द्वारा वर्ष 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार वर्ष घोषित करने को ध्यान में रखते हुए और इसलिए भी कि क्योंकि एक निष्कर्ष के अनुसार भारत में वर्तमान टेलीफोनों में से 6·5 प्रतिशत टेलीफोन ग्रामीण जनसंख्या के 7 .3 प्रतिशत लोगों की ओर 93.3 प्रतिशत टेलीफोन शेष 22.7 प्रतिशत लोगों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और चालू योजना अवधि में कितने टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार करने का विचार है और इसकी किस तिथि तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। इस कार्यक्रम को उत्तरोत्तर लागू किया जाएगा बशर्ते कि निधियां और माल उपलब्ध हो जाए।

(ख) क्षेत्रीय वितरण आधार पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि वे 5 किलोमीटर के दायरे में अधिकांश बस्तियों को सेवा प्रदान कर सकें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब निधि और सामग्री उपलब्ध हो जाए। ग्रामीण रेडियो प्रणाली के प्रयोग करने की भी योजना बनाई गयी है। चालू योजना अवधि के दौरान कुल 3500 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निधि और उपस्कर उपलब्ध हो जाएं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रचार माध्यम यूनिटों के लिए सलाहकार समिति के निदेश पद

1472. **श्री चित्त महाटा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार माध्यम यूनिटों दूरदर्शन सहित को प्रभावित करने वाली बुराइयों को दूर करने क लिए श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसी कार्य के लिए अन्य समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समिति के निदेश पद क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन माध्यम एककों (दूरदर्शन सहित) से सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर इस मन्त्रालय को सलाह देने के लिए श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की हुई है। इस समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :

(1) व्यापक राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन विभिन्न माध्यमों में अधिक व्यावसायिक दक्षता लाने और उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस मन्त्रालय के विभिन्न माध्यम संगठनों और यदि आवश्यक हो तो मन्त्रालय में भी संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में सरकार को सलाह देना;

(2) लोगों की सांस्कृतिक अभिन्नता समृद्ध करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन विभिन्न माध्यम संगठनों में नवीन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनको शुरू करने में लोगों की सृजनात्मक भागेदारी और अन्त: संचार के माध्यम से, राष्ट्रीय, राज्यीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों पर अधिक सीधे सहयोजित करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में सरकार को सलाह देना;

(3) माध्यमों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा माध्यम सभी वर्गों के लोगों तक पहुंच सके इसके लिये उनको पर्याप्त अवस्थापना समर्थन देने और उनकी क्षमता बढ़ाने के बारे में सरकार को सलाह देना;

(4) विकासात्मक प्रयासों के लिये संचार समर्थन को चरम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विभिन्न माध्यम समूहों के बीच समन्वय तथा केन्द्रीय और राज्यों के माध्यम संगठनों के बीच सहयोग की प्रणाली और प्रक्रिया के बारे में सरकार को सलाह देना; और

(5) सलाह के लिए सरकार द्वारा समिति को भेजा गया कोई अन्य संबंधित मामला।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए डा० पी० सी० जोशी की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया है। इस कार्य दल के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :

(1) देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायता करने के दूरदर्शन के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध करने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार करना;

(2) शहरी और ग्रामीण दर्शकों की संरचना को ध्यान में रखते हुए बहु चैनल सेवा शुरू करने की आवश्यकता की जांच करना तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं, वर्तमान तथा नियोजित दोनों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कार्यक्रम पद्धति की अनुशंसा करना;

(3) मानव शक्ति आवश्यकता तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का आकलन करना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी दृष्टि से सुधार के लिए उपाय सुझाना; और

(4) कार्यक्रम और कलाकार कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की पद्धति तथा कार्यक्रम की मानिटरिंग के लिए भी पद्धति बनाना।

बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भाग लेने के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ का सरकार से अनुरोध

1473. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री नवीन रवाणी :

श्री चित्त बसु :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाएं;

(ख) यदि हां, तो उनकी ठीक-ठीक मांगें क्या हैं; और

(ग) इन सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादन में प्राइवेट सैक्टर द्वारा भाग लिए जाने की सम्भावनाओं के बारे में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में अध्ययन किया है तथा उसकी एक प्रति सरकार को विचारार्थ भेजी है। तथापि संघ से इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्तावों को देने के लिए कहा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी किस स्तर तक वित्त सम्बन्धी भागीदारी रहेगी इसका उल्लेख किया गया हो, ताकि सरकार प्रस्ताव का गुण अवगुण के आधार पर जांच कर सके।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण के बारे में रामानुजम समिति की रिपोर्ट

1474. **श्री जार्ज फर्नांडीज :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए पी० जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनको किस प्रकार लागू करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति ने जनवरी, 1981 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4076 दिनांक 18 मार्च, 1981 के उत्तर में समिति की सिफारिशें सभा की मेज पर रख दी गई थीं।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और जिन सिफारिशों में अधिनियम में संशोधन करने की अपेक्षा की गई थी, उन्हें अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन के बैच में शामिल कर लिया गया है, जो अब कार्यवाही की उन्नत अवस्था में हैं। पैरा 22, 23, 27, 28, 56, 65 और 71 में समाविष्ट उन सिफारिशों को छोड़कर, जिसके सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय सलाह मशविरा किया जाना है, अन्य सिफारिशों को या तो पूर्णतः या किन्हीं तरमीमों के साथ स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही चल रही है।

देश में "क्रासबार स्विचिंग सिस्टम"

1475. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क्रासबार स्विचिंग सिस्टम" समग्र रूप से देश की जलवायु के अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिस्टम का गहराई से कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पेंटाकोटा डिजाइन की क्रासबार प्रणाली की भारतीय टेलीफोन परिपथ जाल में कार्य करने से संबंधित कुछ दिक्कतें थीं। एक विशेष कार्य दल ने इन समस्याओं का अध्ययन किया और "आई० सी० पी०" के नाम से एक संशोधित रूप विकसित किया जिसका भारतीय टेलीफोन उद्योग की रायबरेली स्थित फैक्टरी में उत्पादन किया जायेगा। पेंटकोटा डिजाइन में भी

सुधार किया गया है और अब भारतीय परिपथ जाल में इस प्रकार की 6 लाख से अधिक लाइनें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

बायो गैस यूनिटों की स्थापना में विलम्ब

1476. **श्री शान्तूभाई पटेल :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बायो-गैस यूनिट स्थापित करने का कार्यक्रम पहले ही लक्ष्य से काफी पिछड़ा था लेकिन इस निर्णय को कृषि मंत्रालय से नवनिर्मित ऊर्जा विभाग को अन्तरिम किये जाने के कारण और अधिक विलम्ब हो रहा है; और

(ख) विद्युत की कमी को देखते हुए इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं, जैव गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना को कृषि मंत्रालय से ऊर्जा मंत्रालय, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग को अन्तरित किए जाने के फलस्वरूप इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में आने वाली कई कठिनाइयों को दूर कर दिय गया है। 1981-82 के दौरान स्थापित किए गए 25369 जैव गैस संयंत्रों के मुकाबले, 1982-83 में, 31 जनवरी, 1983 तक लगभग 24000 बायो गैस एकक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और बाकी अवधि के दौरान लगभग 24000 और एकक स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ख) कार्यक्रम की अच्छी प्रकार से देखभाल की जा रही है। और जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारों पर भी जोर दिया जा रहा है कि वे बहुएजेन्सी और बहुपातक दृष्टिकोण अपनाएं।

छठी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रवार बिजली उत्पादन के परिमाणीकरण का आधार

1477. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र-वार बिजली उत्पादन के परिमाणीकरण का आधार क्या था; और

(ख) उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल है, को बिजली की बहुत अधिक उत्पादन क्षमता किस आधार पर मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) योजना में परिकल्पित आर्थिक गतिविधि के अनुरूप अपने मांग के पूर्वानुमानों के आधार पर योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया था। इन अनुमानों के अनुसार 1984-85 में बिजली की अखिल भारतीय खपत का अनुमान 148 ट्रिलियन यूनिट लगाया गया था और इस मांग को पूरा करने की दृष्टि से यह अनुमान लगाया गया था कि विद्युत उत्पादन की आवश्यकता 191 ट्रिलियन यूनिट होगी। मार्च, 1980 के अन्त तक कुल 29665 मेगवाट की विद्युत उत्पादन

क्षमता स्वीकृत की गई थी और निर्माण के अनेक चरणों में भी इनमें से कुल 19666 मेगावाट क्षमता की स्कीमें छठी योजना अवधि के दौरान चालू करने के लिए निर्धारित की गई थीं और ये छठी योजना के विद्युत कार्यक्रम में शामिल की गई थीं। इस क्षमता का क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार था :

क्षेत्र	जल विद्युत मेगावाट	ताप विद्युत मेगावाट	न्यूक्लीय विद्युत मेगावाट	जोड़ मेगावाट
उत्तरी	1292	3660	220	5172
पश्चिमी	457	5480	—	5937
दक्षिणी	2205	1800	470	4565
पूर्वी	503	2820	—	3323
उत्तरपूर्वी	311	358	—	669
जोड़ :				19666

यह उल्लेखनीय है कि छठी योजना अवधि के दौरान प्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए पांचवी योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई स्कीमों पर अग्रिम कारवाई शुरू कर दी गई थी। छठी योजना अवधि में विद्युत का कार्यक्रम मुख्यतः विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी स्कीमों पर हुई प्रगति पर निर्भर करता है। यह देखा जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र में क्षमता सम्बन्धी लाभ उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में परिकल्पित क्षमता सम्बन्धी लाभों से कम है।

उच्चतम न्यायालय में निर्णय करने में विलम्ब होना

1478. **श्री आर० आर० भोले : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय में जल्दी-जल्दी निर्णय नहीं होते हैं और मुकदमा लड़ने वालों को इसके लिए बहुत समय तक इन्तजार करना पड़ता है;

(ख) सुनवाई की तारीख के पश्चात् (1) तीन मास, (2) 6 मास, (3) 1 वर्ष, (4) $1\frac{1}{2}$ वर्ष, (5) 2 वर्ष और (6) 2 वर्ष से अधिक समय से कितने मामलों में निर्णय नहीं दिए गए हैं; और

(ग) 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए माननीय न्यायाधीशों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने, जिसको इस विषय में लिखा गया था, बताया है कि यह जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस जानकारी पर चर्चा संविधान के अनुच्छेद 121 द्वारा वर्जित है।

सरकारी क्षेत्र को बल्क-औषधियों के उत्पादन की अनुमति

1479. **श्री नारायण चौबे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बल्क औषधियों के उत्पादन, जिस पर सरकारी क्षेत्र का अधिकार है, के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रपुंज औषधों की सूची से निम्नलिखित प्रपुंज औषधों को भारतीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है :

(i) एरिथ्रोमाइसिन

(ii) ग्रिसियोफल्निन

(iii) पिपराजइन

वर्तमान योजना के अंत तक की अनुमानित मांग की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रौद्योगिकी क्षमता आदि के मूल्यांकन के पश्चात् ऐसा किया गया है।

दुर्गापुर परियोजना को कोयले की सप्लाई

1480. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दिसम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में कोल इंडिया लि० से अनुरोध किया है कि दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के लिए प्रतिदिन कम से कम 1500 टन कोयले की सप्लाई की जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में इस संयंत्र को की गई कोयले की दैनिक सप्लाई का तारीखवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि किसी विशेष दिन अथवा दिनों में कोयले की सप्लाई कम की गई, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल/गैस का पता लगाने के लिए योजनाएं

1481. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तेल और गैस का पता लगाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) योजना के अन्तर्गत कितनी गैस और तेल के मिलने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए संशोधित परियोजनाओं पर छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित कुल व्यय 7887.89 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रबन्धों के लिए विश्व बैंक ऋण से 710 करोड़ रुपये की परिकल्पना है।

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजना में 700 मि० मी० टन के वसूली योग्य खनिज तेल भण्डारों को स्थापित करने और 105.?4 मि० मी० टन उत्पादन करने की परिकल्पना है।

एक कर्मचारी के वेतन से वसूली किया जाना

1482. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कर्मचारी के मूल वेतन से किन परिस्थितियों में कोई कटौती की जा सकती है;

(ख) क्या मूल वेतन किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किसी कर्मचारी, जो पेंशन पर चला गया है, के वास्तविक वेतन से अधिक किसी कारणों से जो अतिरिक्त भुगतान किया गया है उसे वसूल करने का तरीका क्या है; और

(घ) यदि सरकार को गलती से किसी कर्मचारी को अतिरिक्त किए गए भुगतान को वसूल करने का अधिकार है तो उक्त कर्मचारी को जानबूझकर कम भुगतान करने के बाद शेष राशि का भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) यह प्रश्न परिकल्पनात्मक है क्योंकि विशिष्ट मामले के ब्यौरे तथा समस्याओं के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया। तथापि, कानून के अधीन स्थिति इस प्रकार है :

ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिस पर मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 लागू होता है, अधिनियम की धारा-7 के अधीन उसकी मजदूरी से कटौतियां की जा सकती हैं। जो कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा शासित होता है, उसके मामले में उन नियमों के अनुसार मजदूरी में से कटौतियां की जा सकती हैं, जो अधिनियम की धारा 30 के अधीन शक्तियों का आमतौर से और उस धारा की उपधारा-2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का खासतौर से प्रयोग करके समुचित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर उपर्युक्त दोनों अधिनियमों में से कोई भी अधिनियम लागू नहीं होता, मजदूरी में से कटौतियां करना उन शर्तों पर निर्भर है, जिनके अधीन नियुक्ति की गई है। मूल वेतन मूलभूत अधिकार नहीं है, उसकी स्थिति सम्बन्धित कर्मचारी को लागू होने वाले नियमों और विनियमों पर निर्भर है। यदि कर्मचारी को

अधिक भुगतान कर दिया गया है, तो उसे सम्बन्धित कानून में निर्धारित की गई परिसीमा (यदि कोई हो) सम्बन्धी उपबन्धों के अध्यधीन उसकी मजदूरी में से वसूल किया जा सकता है।

राजस्थान में तेल की खोज

1483. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 22 नवम्बर, 1982 में "आयल सर्च इन राजस्थान" (राजस्थान में तेल की खोज) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो तेल की खोज किन क्षेत्रों में की जा रही है और उन पर कितने व्यय का अनुमान है और कितना एवं किस प्रकार का तेल मिलेगा; और

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने यह कार्य स्वयं आरम्भ किया है अथवा किसी विदेशी सहयोग के साथ और यदि हां तो कार्य में सहयोग करने वाले देश का नाम क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड को पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर के जिलों में, जोधपुर तथा गंगानगर जिलों के छोटे भाग सहित तेल और गैस की खोज के लिए 28600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सौंपा गया है। भूकम्पीय सर्वेक्षणों एवं भूवैज्ञानिक अध्ययनों की इस परियोजना में 30 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय की परिकल्पना की गई है। भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य को वर्ष 1983-84 के दौरान आरम्भ किए जाने की योजना बनाई गई है।

वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान के शाहगढ़ बेसिन में तेल और गैस की खोज में लगा हुआ है। आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान सर्वेक्षण और खुदाई कार्य पर अनुमानित 17 करोड़ रुपए व्यय होगा। तेल की मात्रा एवं किस्म के बारे में कुछ भी कहना असामयिक होगा क्योंकि क्षेत्र में अभी अन्वेषण कार्य हो रहा है।

(ग) व्यधन कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वयं किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। तथापि, यदि आवश्यकता हुई तो कुछ क्षेत्रों में विदेशी ठेकेदारों को अनुबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए लगाया जा सकेगा।

तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले का आयात

1484. **श्री तारिक अनवर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए पांच लाख टन कोयले का आयात करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कारण क्या है; क्या इस परियोजना के लिए बिहार-बंगाल से पर्याप्त कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ग) क्या परिवहन में कोई कठिनाई है तथा क्या यह रेल मंत्रालय की सहायता से हल नहीं की जा सकती है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने अपने तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के लिए बफर स्टाक बनाने के एक समय के आन्तरिक उपाय के रूप में, 5 लाख टन कोयला आयात करने की अनुमति देने का केन्द्र सरकार ने अनुरोध किया है। तथापि सरकार का प्रयास स्वदेशी कोयले की अधिकतम ढुलाई करने का है ताकि विद्युत केन्द्र की सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। तूतीकोरिन ताप विद्युत कोयले की आवश्यकताएं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की बंगाल-बिहार की कोयला-खानों से रेल एवं समुद्री मार्ग द्वारा वाया हाल्दिया बन्दरगाह के मार्ग से पूरी की जाती हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० उपर्युक्त विद्युत केन्द्र की सारी मांग को पूरा कर सकती है। तथापि, हाल्दिया बन्दरगाह से होकर विद्युत केन्द्र को कोयले की ढुलाई करने में दोनों ही भरने और खाली करने के स्थानों पर कठिनाइयां हुई हैं। सरकार द्वारा कोयले की सप्लाई की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ है। तूतीकोरिन विद्युत केन्द्र को समस्त रेल मार्ग द्वारा कोयले की कुछ अतिरिक्त मात्रा की ढुलाई करके जहां तक संभव हो सके, अस्थायी तौर पर इसकी अनुपूर्ति करने की व्यवहार्यता की भी जांच की गई है। तथापि इसके लिए रेलवे वैगनों से कोयले को उतारने के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

उद्योगों में महिला प्रशिक्षु

1485. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी महिला प्राशिक्षुओं (प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार) को लिया गया है तथा किन उद्योगों में लिया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में लिए गए कुल प्रशिक्षुओं में से महिला प्रशिक्षुओं का प्रतिशत राज्य-वार तथा उद्योगवार क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों में महिला प्रशिक्षुओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें विभिन्न राज्यों के राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 1980, 1981 और 1982 में शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन व्यवसाय शिश्रुओं के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं की संख्या दिखाई गई है, विवरण संलग्न है। इन शिक्षुओं का उद्योगवार विवरण एकत्र नहीं किया जाता है।

(ग) होटल उद्योग में रेस्तारेंट होस्टैस, बिल लिपिक, आदि वस्त्र उद्योग में दर्जी (महिला), दर्जी (सामान्य), डिजाइनर और मास्टर कटर और लिपिक (सामान्य), बुक कीपिंग और एकाउंटेंसी, खचांदी (सामान्य), ब्यूटीशियन, आदि जैसे उपयुक्त व्यवसाय, जो महिलाओं के लिए उपयुक्त, हैं, शिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रारम्भ किए गए हैं। राज्य शिक्षुता सलाहकार और क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं कि महिलाओं की अधिकतम संख्या शिक्षुओं के रूप में नियुक्त की जाए।

शिक्षु अधिनियम, 1961 (1980-82) के अन्तर्गत व्यवसाय शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को दिखाने वाला विवरण

क्रमांक	सैक्टर और क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष, 1980 में हाजिरी रजिस्टर पर शिक्षु			वर्ष, 1981 में हाजिरी रजिस्टर पर शिक्षु			वर्ष, 1982 में हाजिरी रजिस्टर पर शिक्षु		
		कुल शिक्षु	महिला शिक्षु	प्रतिशतता	कुल शिक्षु	महिला शिक्षु	प्रतिशतता	कुल शिक्षु	महिला शिक्षु	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क.	**राज्य/निजी सैक्टर के प्रतिष्ठान**									
	पूर्वी क्षेत्र									
1.	असम	1,245	30	2.4	1,245	30	2.4	387	1	0.3
2.	बिहार	4,281	—	—	3,738	—	—	3,738	—	—
3.	मणिपुर	38	—	23.7	38	—	—	44	9	20.5
4.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	मेघालय	62	—	—	62		—	62	—	—
6.	उड़ीसा	2,311	5	0.2	—	2,095	0.2	1,972	15	0.8
7.	त्रिपुरा	78	—	—	78	—	—	78	1	—
8.	पश्चिम बंगाल	9,529	49	0.5	9,529	49	0.5	9,529	49	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी क्षेत्र									
9.	चण्डीगढ़	255	10	3.9	203	—	—	205	5	2.4
10.	दिल्ली	4,378	326	7.4	3,615	116	3.2	3,324	153	4.6
11.	हरियाणा	3,072	45	1.5	3,138	2	0.07	3,222	8	0.2
12.	हिमाचल प्रदेश	102	8	7.8	102	8	7.8	102	8	7.8
13.	जम्मू और कश्मीर	671	64	9.5	671	—	—	221	97	43.9
14.	पंजाब	2,368	267	11.3	2,368	267	11.3	2,368	267	11.3
15.	राजस्थान	2,005	—	—	2,197	6	0.3	1,947	6	0.3
16.	उत्तर प्रदेश	9,131	64	0.7	14,118	89	0.6	16,237	94	0.6
	पश्चिमी क्षेत्र									
17.	गोवा, दमन और दीव	155	17	11.0	155	17	11.0	155	17	11.0
18.	गुजरात	7,691	304	4.0	12,752	342	2.7	15,793	505	3.2
19.	मध्य प्रदेश	1,813	4	0.2	2,145	—	—	2,331	19	0.4
20.	महाराष्ट्र	16,778	412	2.5	16,770		—	18,572	591	3.2
	दक्षिणी क्षेत्र									
21.	आन्ध्र प्रदेश	4,728	112	2.4	4,378	84	1.9	4,732	74	1.6
22.	कर्नाटक	4,691	453	9.7	5,920	128	2.2	5,543	301	5.4
23.	केरल	4,145	548	13.2	4,145	548	13.2	3,810	477	12.5
24.	पाण्डिचेरी	214	38	17.8	317	—	—	391	54	13.8
25.	तमिलनाडु	9,761	286	2.9	9.761	286	2.9	10,236	—	—
	क का योग	89,502	3,051	3.4	99,540	1977	2.0	104,999	2740	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ख	केन्द्रीय सैक्टर के प्रतिष्ठान									
I	पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता	3,653	29	0.8	4,449	27	0.6	4,181	210.5	0.5
II	उत्तरी क्षेत्र, कानपुर	5,090	47	0.9	4,453	6	0.1	5,816	—	—
III	पश्चिमी क्षेत्र, बम्बई	6,540	205	3.1	5,516	73	1.3	6,962	71	1.0
VI	दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास	10,040	633	6.3	8,937	454	5.0	9,802	161	1.6
ख	का योग	25,323	914	3.6	23,355	560	2.4	26,761	254	0.9
	अखिल भारत योग (क+ख)	1,14,825	3,965	3.45	1,22,895	2537	2.0	1,31,760	2994	2.3

महानदी बेसिन में पेट्रोलियम गैस का पता चलना

1486. **श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में महानदी बेसिन में पेट्रोलियम गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो महानदी बेसिन पेट्रोलियम गैस के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रंगीन टी० वी० के प्रसारण की नीति

1487. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रमों के रंगीन प्रसारण की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों के अवसर पर काफी संख्या में लोगों को रंगीन टी० वी० खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया था लेकिन इस समय कार्यक्रमों के रंगीन प्रसारण का अनुपात काफी कम होने के कारण वे निराश हो गए हैं; और

(ग) समस्त प्रसारण को कब तक रंगीन करने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश में रंगीन दूरदर्शन को चरणबद्ध ढंग से चालू करने के सरकार के निर्णय के अनुसार, रंगीन दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम और योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) रंगीन प्रेषण के लिए मौजूदा ट्रांसमीटरों में आपरिवर्तन।

(2) बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में दूरदर्शन केन्द्रों तथा कसौली, कोडैकनाल, आसनसोल, पणजी, वराणसी, विजयवाड़ा, मुर्शिदाबाद और कटक में रिले केन्द्रों की स्थापना की छठी योजना की स्कीमों का सीधे रंगीन प्रचालन के लिए कार्यान्वयन।

(क) और (ख) एशियाई खेलों को रंगीन में 40 ट्रांसमीटरों से टेलीकास्ट किया गया था। अब रायपुर के शेष ट्रांसमीटर को भी रंगीन अनुरूप बना दिया गया है। एशियाई खेलों के बाद, रंगीन में टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है और इस समय 25-30 प्रतिशत कार्यक्रम रंगीन में टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। जब नए दूरदर्शन केन्द्रों के लिए छठी योजना की सभी स्कीमों को सीधे रंगीन प्रचालन के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, रंगीन प्रचालन के

लिए मौजूदा केन्द्रों में आपरिवर्तन सरकार के निर्णय के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणों में किया जा रहा है।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के औद्योगिक मजदूरों से प्राप्त ज्ञापन

1488. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

श्री चित्त महाटा : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मजदूर संघों के केन्द्र से न्यूनतम मजदूरी के रूप में 500 रुपये दिये जाने के बारे में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब आदि के विभिन्न औद्योगिक मजदूरों के 50 हजार हस्ताक्षरयुक्त दिनांक 5.1.83 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(क) ज्ञापन विचाराधीन है।

अल्मोडा, उत्तर प्रदेश में रेडियो रिले स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में प्रगति

1489. **श्री हरीश रावत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अल्मोड़ा (उ० प्र०) में रेडियो रिले स्टेशन के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है;

(ख) यदि नहीं तो इस रिले स्टेशन भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है; और

(ग) इस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा यह स्टेशन कब तक पूरी तरह से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के सभी कदम उठाए गए हैं। वास्तव में अधिकांश उपकरण प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1983 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। केन्द्र के 1984-85 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों के प्रति नरम रुख अपनाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सरकार से अनुरोध

1490. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकार को ध्यान दिलाया है कि हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों के प्रति कड़ा रुख अपनाने विशेषकर हड़ताल के पश्चात् काफी संख्या में मुअत्तिल किए जाने से श्रमिकों के संगठनों की स्वतंत्रता को गम्भीर संकट की आशंका रहती है, इस तरह के रुख में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के विकास को भी नुकसान पहुंचता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार का यह दृढ़ विचार है कि अनुचित रूप मे कोई भी कठोर कार्यवाही न की जा जाये और जो भी कार्यवाही की गई, वह सामान्य ट्रेड यूनियन कार्यकलापों के विरुद्ध नहीं की गई थी लेकिन वह सामान्य रूप से समुदाय की भलाई को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हित में की गई थी।

कोयले का गबन

1491. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कुछ अधिकारियों को 2.50 करोड़ रुपये के मूल के लगभग 125,000 टन कोयले के विश्रामपुर भाटागांव कोयला खान से गबन के सम्बन्ध में निलम्बित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दायर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के विश्रामपुर में स्टाक में कमी होने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले में प्रारम्भिक जांच पड़ताल के बाद सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कोयला कम्पनी ने उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही शुरू की है। चूंकि यह मामला स्टाक अधिक रिपोर्ट करने और स्टाक में कमी/प्रमाणीकरण का था इसलिए संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई शुरू की गई है। कोई "प्रथम सूचना रिपोर्ट" नहीं दायर की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पृथक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष (सैल) स्थापित करना

1492. **श्री बनवारी लाल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19-4-1969, 3-9-1970 तथा 28-5-76 में निहित आदेशों के अनुसार सरकार के सभी कार्यालयों में पृथक अनुसूचित जाति कक्ष बनाया जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसे कक्ष स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे कक्ष स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(छ) भविष्य निधि संगठन में ऐसे कक्षों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित बताया है :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल मुख्य सम्पर्क अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। जहां तक क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का सम्बन्ध है, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पहले के परिपत्रों, तारीख 19-4-1969, 3-9-1970 और 28-5-1976 के साथ पठित परिपत्र संख्या 36013/6/81-स्थापना (एस० सी० टी०), तारीख 7-12-1981 को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सैल को गठित करने की जरूरत नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान

1493. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए निश्चित स्थान का निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है जहां उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) संयंत्र राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में बिलोपा गांव के पास स्थापित किया जाएगा।

संचार को सुविधाजनक बनाने हेतु पब्लिक डाटा

1494. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में सूचना भेजने हेतु "पब्लिक डाटा" नेटवर्क स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब से प्रभावी होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आगामी चार से पांच वर्षों के भीतर देश में पब्लिक डाटा नेटवर्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ।

(ख) इसके ब्यौरे तैयार किए जाने हैं ।

(ग) अभी कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं ।

मौन घाटी (साइलेंट वैली) परियोजना

1495. **श्री जेवियर अराकल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल की मौन घाटी परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है यदि हां, तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि केरल को पन-बिजली परियोजनाएं घटिया स्तर की हैं, बांध मिट्टी भरने से उथले हो गए हैं, और उनका रख-रखाव ठीक नहीं है; यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम सुझाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) साइलेंट घाटी जल विद्युत परियोजना अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) केरल के जल-विद्युत केन्द्रों का पिछला कार्य-निष्पादन डिजाइन की शक्यता के संदर्भ में अच्छा रहा है । किसी प्रकार की अधिक गाद जमा होने का कोई संकेत नहीं है जिससे केरल में किसी जल-विद्युत जलाशय के उपयोगी जीवन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो । जल विद्युत केन्द्रों के सभी संघटकों का समुचित अनुरक्षण करने के लिए केरल राज्य बिजली बोर्ड ध्यान रख रहा है ।

अवक्रय अधिनियम, 1972

1496. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवक्रय अधिनियम, 1972 लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण और औचित्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अधिनियम को 1-6-1973 को प्रवर्तन में लाने के लिए 30-4-1973 को एक अधिसूचना जारी की गई थी । बाद में 30 अप्रैल, 1973 की अधिसूचना को अधिक्रान्त करने वाली और

अधिनियम को 1-9-1973 को प्रवर्तन में लाने के लिए एक अन्य अधिसूचना 31-5-1973 को जारी की गई थी। क्योंकि अधिनियम को प्रवृत्त करने के विरुद्ध जनता से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, इसलिए अधिनियम को प्रवृत्त न करने का विनिश्चय किया गया और तदनुसार 31-5-1973 की अधिसूचना को विखंडित करने वाली एक अधिसूचना 23-8-1973 को जारी की गई। बैंककारी विधि समिति ने वैयक्तिक सम्पत्ति सुरक्षा विधि (1977) पर अपनी रिपोर्ट में अधिनियम में कुछ दूरगामी संशोधनों का प्रस्ताव किया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और तदनुसार अधिनियम को समुचित रूप में संशोधित करने का विनिश्चय करने के पश्चात् ही अधिनियम को प्रवृत्त करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में जाजपुर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

1497. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के जाजपुर में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होने की आशा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में जाजपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारी घाटा

1498. **श्री बालकृष्ण बासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारी घाटा हुआ है;

(ख) क्या इस मामले में कोई आंकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारत के 9वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की आय और व्यय के लेखा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

तमिलनाडु को मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि का प्रस्ताव

1499. **श्री सी० चिन्ना स्वामी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु को, जो बिजली में भारी कटौती का सामना करना पड़ता है, मिट्टी के तेल के आबंटन कोटे में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) विद्युत कटौती के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तमिलनाडु को जनवरी और फरवरी, 1983 के लिए प्रति मास 2,000 मी० टन मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन दिया गया है।

कृषि दर्शन के प्रसारण के समय ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निर्बाध पूर्ति

1500. **श्री अनवर अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरदर्शन पर ग्रामीण कृषि दर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के समय ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निर्बाध पूर्ति हो राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण तथा कृषि दर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के समय विद्युत की बाधारहित सप्लाई करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणियों, सप्लाई की अवधि आदि के अनुसार राज्य में विद्युत की सप्लाई की व्यवस्था करना प्रमुख रूप से राज्य सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड का दायित्व है।

विद्युत के क्षेत्र में भारत तथा सोवियत संघ का सहयोग

1501. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत कार्यदल की द्वितीय बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधि मण्डलों के बीच हुई वार्ता के अनुसार भारत तथा सोवियत संघ विद्युत के क्षेत्र में आपसी सहयोग का और आगे विकास करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पन-बिजली तथा विद्युत प्रणालियों में सहयोग के लिए और कौन से क्षेत्र खोजे गए हैं तथा सहयोग के कौन से नए क्षेत्रों पर विचार हुआ है;

(ग) इस समय सोवियत संघ की सहायता से कौन-सी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा वे किस चरण में हैं; और

(घ) इस समझौते के अन्तर्गत और कौन सी परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत पर कार्यकारी दल ने अन्य विषयों के अतिरिक्त विद्युत प्रणालियों, पारेषण लाइनों और जल-विद्युत

परियोजनाओं के विकास में सहयोग की संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किया था। बैठक के अन्त में हस्ताक्षर किए गए प्रोतोकोल में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी कुशलता और क्षमता में सुधार लाने के लिए यू० एस० एस० आर० भेजे जाने का प्रावधान है। विशिष्ट समस्याओं पर भारतीय संगठनों को सलाह देने के लिए सोवियत विशेषज्ञों को भारत में तैनात किए जाने की व्यवस्था है।

(ग) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र प्रथम चरण (6×210 मेगावाट) को सोवियत सहायता से स्थापित किया जा रहा है, जहां आवश्यक प्रारम्भिक कार्य किए जा रहे हैं।

(घ) एक नई ताप विद्युत परियोजना के लिए यू० एस० एस० आर० और भारत के बीच सहयोग की संभाव्यताओं के बारे में विद्युत पर कार्यकारी दल की दूसरी बैठक में प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्ष इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए सहमत हो गए हैं।

प्रत्येक गांव को टेलीफोन की सुविधा

1502. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977-79 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मैदानी इलाकों में 5000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले और पहाड़ी इलाकों में 2500 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के पुलिस स्टेशन और तहसील मुख्यालय में टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी;

(ख) क्या यह निर्णय क्रियान्वित हो गया है और यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है तथा यदि उत्तर नकारात्मक है तो इस निर्णय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय को कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाने का है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। 1977 में कैटिगरी स्टेशनों अर्थात (1) जिला मुख्यालय (2) उपमण्डलीय मुख्यालय (3) तहसील मुख्यालय (4) उप-तहसील मुख्यालय (5) ब्लाक मुख्यालय (6) सामान्य क्षेत्रों में 5000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थान और (7) 1971 की जनगणना के अनुसार पहाड़ी/पिछड़े क्षेत्रों में 2500 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थानों के लिए पूर्ण आर्थिक सहायता के आधार टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे स्थान जहां पुलिस स्टेशन, उप-निरीक्षक अथवा उससे बड़े पदाधिकारी के अधीन हैं वहां भी न्यूनतम राजस्व की निश्चित शर्त के साथ टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(ख) यह निर्णय कार्यान्वित किया गया है और टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही

है। 31-3-82 तक उपर्युक्त कैटिगरी स्टेशनों में प्रदान किए गए सार्वजनिक टेलीफोनों के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :

	5000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थान	2500 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थान	उप-निरीक्षक अथवा उससे बड़े अधिकारी के अधीन पुलिस स्टेशन	तहसील मुख्यालय
(क) कुल स्थान	3454	23628	4672	1561
(ख) जिन स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए	2877	14126	4213	1433
(ग) जिन स्थानों में अभी सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं	577	9502	459	148

(ग) उपर्युक्त कैटिगरी स्टेशनों में टेलीफोन सुविधाएं 1984-85 तक किए जाने की संभावना है परन्तु यह काफी हद तक धन और साज-सामान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गुजरात गांवों, नगरों तथा जिलों में टेलीफोन कनेक्शन

1503. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न गांवों, नगरों तथा कस्बों में टेलीफोन कार्यालय (बूथ) खोलने के लिए बलसर तथा गुजरात के अन्य जिलों से 1-1-1982 से 31-1-1983 के दौरान अनेक पत्र, प्रतिवेदन तथा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) 1970 से 1982 के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन कार्यालय (बूथ) खोले गए हैं तथा 1983, 1984 के लिए कितने टेलीफोन निर्माणाधीन हैं;

(घ) गुजरात में प्रत्येक जिले के प्रत्येक नगर, कस्बे तथा गांव के लिए व्यक्तिगत टेलिफोन के आबंटन के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ङ) 1982 में कितने कनेक्शन दिये गये तथा 1977 से 1981 के दौरान कितने कनेक्शन दिए गये;

(च) उनमें से कितने लंबित तथा विचाराधीन पड़े हैं; और

(छ) 1983 के दौरान व्यक्तिगत टेलिफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये क्या लक्ष्य हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1-1-82 से 31-1-83 की

अवधि के दौरान बुलसर जिले से कोई पत्र, प्रतिवेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य जिलों से विभिन्न ग्रामों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के संबंध में 39 मांग प्राप्त हुई हैं।

(ख) सम्बन्धित डिवीजनों/यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1977 से 1982 की अवधि के दौरान लम्बी दूरी के 372 सार्वजनिक टेलीफोन घर (बूथ) खोले गए थे। 1982-83 और 1983-84 में, इन प्रत्येक अवधियों के दौरान लम्बी दूरी के ऐसे ही और पचास सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल जाने का कार्यक्रम है।

(घ) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एल० पी० जी० संयंत्रों में डिलीवरी से पहले निरीक्षण

1504. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियां अपने एल० पी० जी० संयंत्रों में डिलीवरी पूर्व निरीक्षण कर रही हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और गत एक वर्ष के दौरान तेल कम्पनियों के ध्यान में सिलेंडर के फटने/लीक होने के कितने मामले आये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एवं (ख) जी, हां। तेल कम्पनियां एल० पी० जी० सिलेंडर भरने से पूर्व स्पष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती हैं कि कोई रिसाव तो नहीं। इसलिए रिसाव की जांच सभी भरे हुए सिलेंडरों को पानी में डुबोकर की जाती है और रिसाव वाले सिलेंडर को शीघ्र ही वापस ले लिया जाता है। उपभोक्ताओं के निवास स्थानों पर सिलेंडर फटने के चार मामले सूचित किये गये हैं। बॉटलिंग संयंत्र से सिलेंडर जाने के बाद रिसाव सिलेंडरों के मामलों की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

पनबिजली केन्द्रों सम्बन्धी विचार गोष्ठी में दिए गए सुझाव

1505. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा हाल में पनबिजली केन्द्रों के सम्बन्ध में आयोजित विचार गोष्ठी द्वारा कौन से प्रमुख सुझाव दिए गए थे; और

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में 1000 ऐसे स्थानों का पता लगाया है जो 5,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं और यदि हां, तो उन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन स्थानों पर छोटी पनबिजली परियोजनाएं बनाने के लिए कार्यवाही कब की जायेगी?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड द्वारा जनवरी, 1983 में आयोजित लघु जल-विद्युत केन्द्रों पर सेमिनार में दिए मुख्य सुझाव नीचे दिए गए हैं :

(1) अपने राज्यों में लघु जल-विद्युत शक्यता का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा बहुत ही लघु स्कीमें अर्थात् माइक्रो स्कीमें, जिन्हें दूरवर्ती गांवों के लाभ के लिए विकसित किया जा सकता हो, उनका पता लगाने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(2) राज्यों के द्वारा राज्य के सभी संगठनों के साथ बहुत छोटी स्वतन्त्र स्कीमों, विशेषकर माइक्रो स्कीमों का पता लगाने और क्रियान्वयन करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(3) राज्य प्राधिकारियों के द्वारा छोटी जल-विद्युत स्कीमों की परियोजना रिपोर्टों को सही रूप में तैयार करने के लिए विशेष रूप से महत्व दिया जाना चाहिए, जिसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(4) दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अनुसार बिजली मुहैया करने के लिए लघु जल-विद्युत के विकास को एक राष्ट्रीय कार्य के रूप में माना जाना चाहिए और लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक रियायतें प्रदान करके इसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए।

(5) लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास के लिए, ऐसी स्कीमों की आर्थिक सक्षमता के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपना कर, निधियों को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ख) लघु जल विद्युत शक्यता का यथार्थता निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावों को बनाने के सम्बन्ध में तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर, लघु जल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाने के लिए संगठित योजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

मोदी रबर लिमिटेड द्वारा 'धर्मादा' निधि एकत्र करना

1506. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टायर ट्रेडर्स एशोसिएशन ने ग्राहकों की मर्जी के बिना उनसे करोड़ों रुपए 'धर्मादा' के रूप में एकत्र करने के मामले पर मंत्रालय से मोदी रबर लिमिटेड के विरुद्ध एक स्वतन्त्र जांच कराने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान्‌जी। जहां तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का

सम्बन्ध है, मैं० मोदी रबड़ लि० द्वारा लिप्त रहने सम्बन्धी आरोपोंयुक्त व्यापारिक व्यवहार, कथित अधिनियम की धारा 2 (ण) के अर्थान्तर्गत, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नहीं हैं। तथापि, मैं० मोदी रबड़ लिमिटेड के 1980-81 के वार्षिक प्रकाशित लेखे से, दृष्टिगोचर होता है कि कम्पनी ने कथित वर्ष के दौरान ग्राहकों से 52,50 लाख रु० की राशि का दान संग्रह किया था एवं कम्पनी के वर्णनानुसार इस कुल राशि को अनुमोदित 'धर्मादा' उद्देश्यों के लिए संवितरित कर दिया गया था। तथापि मामले का यह पक्ष विभाग के पुनःपरीक्षान्तर्गत है।

कालीकट (केरल) में ग्वालियर रेयन्स फैक्टरी में तालाबन्दी

1507. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में कालीकट में ग्वालियर रेयन्स फैक्टरी में 23 दिसम्बर, 1982 से तालाबन्दी है;

(ख) यदि हां, तो तालाबन्दी के लिए प्रबन्ध द्वारा क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) क्या प्रबन्ध के विवरण में यह तथ्य है कि विदेशों से रेयन ग्रेड लुगदी के अन्धाधुन्ध आयात के कारण उन्हें फैक्टरी को बन्द करना पड़ा था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। केरल में कालीकट की ग्वालियर रेयन्स फैक्टरी के प्रबन्धतंत्र ने 8-12-1982 से अपने स्पेपल फाइबर डिवीजन की और 24-12-1982 से पल्प डिवीजन की तालाबन्दी की घोषणा की।

(ख) कारखाने के स्टेपल फाइबर डिवीजन में तालाबन्दी का कारण कनिष्ठ स्पिनरों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए सामान्य कार्य-घन्टों में काम करने से इन्कार करना है। प्रबन्धतंत्र द्वारा पल्प डिवीजन में तालाबन्दी के लिए दिया गया कारण यह है कि श्रमिकों ने कच्चे माल और रसायनों को कम्पनी में लाने ले जाने में बाधा उपस्थित की।

(ग) जी, नहीं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेयन ग्रेड पल्प के आयात की *खुली* सामान्य लाइसेंसिंग पद्धति के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है, इसलिए रेयन ग्रेड पल्प के अन्धाधुन्ध आयात करने से फैक्टरी में तालाबन्दी के लिए यह कारण तर्कसंगत नहीं है।

डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

1508. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 के दौरान राजकोट मंडल, अहमदाबाद और केन्द्र को (1) जनता, (2) वाणिज्य और उद्योग मंडल, गोंडल भोरवी और राजकोट और (3) अन्य संगठनों से गुजरात राज्य के राजकोट जिले के विभिन्न नगरों और कस्बों में (1) टेलीफोनों के काम न करने, (2) एस० टी० डी० ट्रंक कालों में यन्त्रों की खराबी, (3) टेलीफोन विभाग में भ्रष्टाचार, और (4) टेलीफोन कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं;

(ग) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के लिए के लिए कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां, । इस अवधि के दौरान जनता तथा कुछ संगठनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) मुख्य मुद्दे ये हैं :

(एक) टेलीफोन सेवा ठीक नहीं है ।

(दो) कुछ मामलों में ट्रंक कालें नहीं मिलतीं ।

(तीन) कुछ एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में बदलने की आवश्यकता है ।

(चार) कुछ आपरेटर ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते और अनुचित कार्यों में लगे हुए हैं ।

(ग) सेवा को मानीटर करने और दोषों एवं शिकायतों में कमी करने के लिए निम्न उपाय किए गए ।

(एक) उपभोक्ता के अहातों का निरीक्षण ।

(दो) जब और जैसे ही खराबियों का पता चलता है, उन पर ध्यान दिया जाता है ।

(तीन) दोषों की संख्या में कमी करने के लिए पुनः स्थापन कार्य शुरू किया जा रहा है ।

(चार) ट्रंक सर्विस बढ़ाए गए हैं ताकि अधिक ट्रंक काल लगाई जा सकें ।

(पांच) उपस्कर की उपलब्धता के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों का स्वचलीकरण किया जा रहा है ।

(घ) जहां कहीं भी अक्षकता पाई जाती है, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

फिल्मों का आयात और निर्यात

1509. **श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आयातित फीचर फिल्मों और निर्यातित भारतीय फीचर फिल्मों और छोटी फिल्मों की संख्या क्या है; और

(ख) आयातित और निर्यातित फिल्मों के नाम क्या हैं और उनसे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो इस मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

है, ने वर्ष 1982-83 के दौरान (31 जनवरी, 1983 तक) 16 फीचर फिल्में आयात कीं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो फीचर फिल्मों के आयात और निर्यात के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी है, ने 1982-83 के दौरान (31-1-1983 तक) निर्यात के लिए 601 फिल्में (1049 प्रिन्टें) पास कीं। 1982-83 के दौरान फिल्म प्रभाग ने विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को सप्लाई की गई डाकुमेंट्री फिल्मों को छोड़कर, 58 लघु फिल्में (87 प्रिन्टें) निर्यात कीं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 1982-83 के दौरान (31-1-1983 तक) विदेशी फिल्मों के वितरण से 89.99 लाख रुपए अर्जित किए। इसमें इस अवधि के दौरान आयात की गई 16 फिल्मों में से 2 फिल्मों को रिलीज करने पर प्राप्त राजस्व भी शामिल है। फिल्म प्रभाग ने लघु फिल्मों के निर्यात से लगभग 2.80 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, जिसमें से लगभग 1.2 लाख रुपए अभी वसूल किये जाने हैं।

1982-83 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा आयात और निर्यात की गई फीचर फिल्मों के नामों और निर्यात की गई लघु फिल्मों के नाम को **दर्शाने वाली सूचियां संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 5962/83]** फीचर फिल्मों के निर्यात के लिये कैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अर्जित किये गये राजस्व के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

गुलबर्गा और बंगलौर में ताप विद्युत केन्द्र

1510. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में गुलबर्गा और बंगलौर नगरों में ताप विद्युत केन्द्रों को पूरा करने का कार्यक्रम किस स्थिति में है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : कर्नाटक के बंगलौर और गुलबर्ग शहरों में ताप विद्युत केन्द्रों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गुलबर्ग के समीप रायचूर में ताप विद्युत परियोजना में 210 मेगावाट के निर्माणाधीन दो यूनिटों को स्थापित करने का विचार है। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार क्रमशः सितम्बर, 1984 और मार्च, 1985 में इन यूनिटों के चालू किए जाने की सम्भावना है। कुछ समय पूर्व कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में 60-75 मेगावाट क्षमता का गैस टरबाइन स्थापित करने का प्रस्ताव किया था परन्तु पैट्रोलियम उत्पादकों को विद्युत उत्पादन के लिए मूल ईंधन के रूप में प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति न होने के कारण इसे मंजूर नहीं किया जा सका।

फिल्म समारोह (नौवां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह)

1511. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 29 लाख रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) समारोह का स्वीकृत बजट कितना था और कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि फिल्म समारोह निदेशालय को भाग लेने वाली अपेक्षित फिल्मों की संख्या प्राप्त नहीं हुई थी और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) भविष्य में फिल्म समारोहों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की आय और व्यय के लेखे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) समारोह का स्वीकृत बजट 60 लाख रुपए था । राजस्व के बारे में सूचना अभी संकलित की जानी है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) भूतकाल की तरह, भावी समारोहों में सुधार लाने के उद्देश्य से नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की सामान्य समीक्षा करने का प्रस्ताव है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

1512. **श्री जैनुल बशर : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्पष्ट रिक्त पदों पर कितने न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हैं;

(ख) वहां लंबित मामलों को देखते हुए कितने पद और सृजित किए जाएंगे; और

(ग) इन रिक्त पदों पर न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 1-3-1983 को, स्थायी न्यायाधीशों के छह और अपर न्यायाधीशों के दस रिक्त पदों को भरने के लिए 16 नियुक्तियां की जानी हैं ।

(ख) उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है । यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । तथापि, 1-3-83 तक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुछ और पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन संयंत्र

1513. **श्री जैनुल बशर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक पेट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस पर कब तक कार्य आरंभ हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र के स्थल का चयन कर लिया गया है यह जिला अलीगढ़ में स्थित सलीमपुर में है।

(ग) कार्य आरम्भ होने का समय बताना संभव नहीं है।

तेल का आयात

1514. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान आयातित तेल की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) वर्ष 1983 के दौरान कितना तेल आयात किया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि 1983 के दौरान आयात किए जाने वाले तेल की मात्रा 1982 के दौरान आयातित मात्रा से कम है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) हमारे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1982 में 17.33 मि० मी० टन खनिज तेल की कुल मात्रा का आयात किया गया था।

(ख) से (घ) वर्ष 1983 के लिए अभी तक 13.5 मि० मी० टन खनिज तेल का आयात स्वीकृत किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1983 के दौरान आयात की जाने वाली संभावित मात्रा वर्ष 1982 के दौरान आयात की गई मात्रा की तुलना में 3.83 मि० मी० टन कम होगी।

(ङ) देशीय खनिज तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए गये हैं। इनमें देशीय खनिज तेल उत्पादन कार्यक्रमों में तीव्रता लाना, विद्यमान रुग्ण कूपों की मरम्मत, प्रस्तावित अनेक बड़ी मात्रा में वसूली प्रणालियों का कार्यान्वियन सम्मिलित है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग के विकास प्रस्ताव

1515. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योग का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) जी; हां। अल्कोहल तथा अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में देश में पहले ही काफी विकास हुआ है। औद्योगिक अल्कोहल तथा अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार करते समय शीरा/अल्कोहल की उपलब्धता, पहले विकसित की गई क्षमता और विशिष्ट रसायन के लिए विकसित की जा रही क्षमता, प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखा जाता है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिए फीडस्टाक के रूप में अल्कोहल की उपलब्धता में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे (1) यह सुनिश्चित करें कि सम्पूर्ण उपलब्ध शीरे का लाभप्रद रूप मे उपयोग हो, (2) अल्कोहल के उत्पादन के लिए खण्ड-सारी शीरे के उपभोग को बढ़ावा देना, और (3) शीरे की पर्याप्त और उचित भण्डारण सुविधाओं का सृजन (चीनी कारखानों द्वारा) सुनिश्चित करना।। सरकार ने अल्कोहल उत्पादन की दक्षता, फर्मेन्टेशन को प्रौद्योगिकी में सुधार, ईंधन परिवर्तन और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के परिवर्धन की जांच करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति भी स्थापित की है। इस समिति की रिपोर्ट, जो सरकार को जनवरी, 1980 में प्रस्तुत की गई थी, राज्य सरकारों तथा आसवनी उद्योग को सौंपी गई है।

केन्द्रीय शीरा बोर्ड की जनवरी, 1983 में हुई गत बैठक के बाद, सरकार ने अल्कोहल उद्योग तथा अल्कोहल पर आधारित उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए (1) राज्यों द्वारा अल्कोहल पर लगाए गए विभिन्न उपकरों को सुव्यवस्थित करने, (2) शीरे का भण्डारण तथा (3) क्षमता उपयोगीकरण के सम्बन्ध में तीन अलग-अलग कार्यदल गठित किए गए हैं।

अखबारी कागज सम्बन्धी नीति

1516. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज सम्बन्धी नीति, 1982-83 पर विचार करने के लिए 17 नवम्बर, 1982 को नई दिल्ली में न्यूज पेपर एसोसिएशन की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि 1982-83 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी नीति पर विचार विमर्श करने के लिए "न्यूजपेपर एसोसिएशन" की 17-11-1982 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी। तथापि, इस तारीख को आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन की दिल्ली बैठक में जरूर हुई थी तथा एसोशिएशन से प्राप्त संकल्पों के अनुसार, इसने

अखबारी कागज से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया था।

(ख) एसोसिएशन द्वारा उपरि उल्लिखित बैठक में उठाये गये मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :

(1) अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश में किए गए उस संशोधन को वापिस ले लिया जाए जिसके अनुसार प्रिंट आर्डर का छापना अपेक्षित है;

(2) राज्य व्यापार निगम को चाहिए कि वह विशेषकर छोटे और मझोले समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के वितरण से सम्बन्धित अपने कार्यकरण में गति लाए;

(3) छोटे समाचारपत्रों को अखबारी कागज की सभी आकारों में समय पर और पर्याप्त सप्लाई राज्य व्यापार निगम द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(4) लेखा, आदि को रखने की प्रक्रिया में भारी परिवर्तन किया जाए तथा छोटे और मझोले समाचारपत्रों के अनुपालनार्थ इसको सादा और सरल बनाया जाए।

कर्नाटक को ओ० बी० वैन का आवंटन

1517. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये कर्नाटक को एक ब्लैक एण्ड व्हाइट आऊटडोर ब्राडकास्टिंग वैन (ओ० बी० वैन) आवंटित करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार के अनुसार, ओ० बी० वैन के आवंटन से बंगलौर के दर्शकों को दो चैनलों की सेवा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी—एक उनका अपना कार्यक्रम और दूसरा बम्बई अथवा मद्रास से प्रसारित कार्यक्रम;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से मैसूर में रिले टी० बी० स्टेशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र पर इसके लिए भी बल दिया है कि कर्नाटक को अधिक टी० वी० कवरेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है चूंकि इस समय बंगलौर के दर्शक यह शिकायत करते हैं कि रिले किए जाने वाले कार्यक्रम घटिया किस्म के हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन देश में किसी भी स्थान पर 2 चैनल वाली सेवा के लिए अभी नहीं गया है। ओ० बी० वैन की अनुमति का अर्थ अतिरिक्त चैनल नहीं है।

(ग) से (च) बंगलोर में अन्तरिम दूरदर्शन सेवा एक किलोवाट के ट्रांसमीटर से एक नवम्बर, 1982 से शुरू की गई थी। कर्नाटक से सम्बन्धित कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए छठी योजना के अंग के रूप में बंगलोर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। कर्नाटक राज्य में मैसूर आदि जैसे अन्य स्थानों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना भावी योजनानों में संशोधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

छठी योजना विद्युत विकास को आघात

1518. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना विद्युत कार्यक्रम को आघात पहुंचेगा, यदि वितरण और ट्रांसमिशन के लिए तारों और कंडक्टरों की खरीद को सुधारा नहीं गया;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण में लक्ष्य का लगभग 67 प्रतिशत कार्य आगे ले जाया जायेगा;

(ग) क्या यह मुख्यतया तारों और कंडक्टरों की खरीद में कमी के कारण है;

(घ) क्या राज्य विद्युत बोर्डों ने 1980 के मध्य से तारों और कंडक्टरों की अपनी खरीद बन्द कर दी है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उठाने से इन्कार कर दिया है जिसके लिए पहले ही ठेका हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो उसे न खरीदने के कारण क्या हैं और क्या 1982 में नए आर्डर दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो वे आर्डर किस हद तक प्राप्त किए गए और क्रयादेश देने और तार तथा कडक्टर प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। पारेषण और वितरण के लिए केवल केबलों और कंडक्टरों का कम आफटेक, छठी योजना के विद्युत कार्यक्रम की कमियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अनेक कारण जैसे विद्युत उत्पादन कार्यक्रम मे कमियां, वित्तीय बाधाओं के कारण पारेषण और वितरण क्षत्र से योजना परिव्यय का अन्य क्षेत्रों में व्यपवर्तन और मुख्य निवेश यथा स्टील, सीमेन्ट की उपलब्धि में विलम्ब तथा जंगल में पारेषण लाइनों आदि के निर्माण के लिए स्वीकृति, छठी योजना के पारेषण और वितरण कार्यक्रम कमियों के लिए उत्तरदायी हैं।

योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई पारेषण और वितरण कार्यक्रम की मानीटरिंग से यह पता चलता है कि कमियां लगभग 57% हैं। तथापि इन कमियों के कारण अतिरिक्त विद्युत उत्पादन, जोकि योजना अवधि के दौरान वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, के समुपयोजन में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना नहीं है।

(घ) से (च) चूंकि राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारें, केबलों कण्डक्टरों से सम्बन्धित केवल वही आर्डर केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाते हैं जिनको विश्व बैंक निधियों से वित्त पोषित किया जाता है, इसमें प्रश्न के भाग के भाग (ङ) और (च) के अनुसार परिकल्पित पूर्ण सूचना नहीं है। सरकार को किसी ऐसे राज्य बिजली बोर्ड की जानकारी नहीं है जिसने वैध ठेके के अधीन अपनी आवश्यकता का माल उठाने से मना किया हो। तथापि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा केबलों और कण्डक्टरों की प्राप्ति का आस्थगित करने या अपने संसाधनों का अधिकतम समुपयोजन करने के लिए, काफी सस्ते दामों पर प्राप्त करने के लिए नए ठेके आमन्त्रित करने के मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारेषण और वितरण कार्यक्रमों के लिए किए गए योजना परिव्यय का अन्य क्षेत्रों में व्यपवर्तन न किया जाए, पारेषण और वितरण कार्यक्रमों के लिए निधियां विशेष रूप से प्रारक्षित रखी जाए इसके लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

तीसरे देशों में पनबिजली केन्द्रों के लिए भारत सोवियत संयुक्त कार्यदल

1510. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे देशों में पनबिजली केन्द्रों के निर्माण में सहयोग की संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारत सोवियत संयुक्त कार्यदल की स्थापना करने हेतु एक करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य दल का गठन कर दिया गया है; और

(ग) किस सीमा तक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और दोनों देशों द्वारा तीसरे देशों में निर्मित की जाने वाली परियोजनाएं कौन-सी हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) विद्युत के लिए भारत-सोवियत कार्यकारी दल का गठन जनवरी, 1981 में किया गया था तथा इस कार्यकारी दल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 9 से 14 दिसम्बर, 1982 तक हुई थी। विद्युत क्षेत्र में 1981-85 के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच आपसी सहयोग के एक कार्यक्रम पर 14 दिसम्बर, 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दोनों ओर से अन्य देशों में विद्युत सेक्टर की परियोजनाओं के लिए एक दूसरे को सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इस कार्य के लिए अभी किसी परियोजना का पता नहीं लगाया गया है।

उड़ीसा के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सेवाओं का विकास

1520. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में राज्य के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सेवाओं में विकास के लिए उड़ीसा मंडल द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) छठी योजना की वार्षिक योजना के दौरान जिलेवार, वर्षवार कितने शाखा और उप डाकघर खोले गए और कितने लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० और टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कितने कार्य और कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे और उनके स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा मण्डल ने योजना तैयार करते समय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के आधार पर मापदंड रियायतें, छूटें और प्राथमिकताएं अपनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो विकास के सम्बन्ध में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) छठी योजनावधि के दौरान दूर संचार सेवाओं के विकास की योजनाएं नीचे दी गई हैं :

प्रारम्भ की जाने वाली योजनाएं	जोड़ी जाने वाली संख्या
(एक) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन ; घर/संयुक्त डाक-तार घर	167
(दो) मल्टी एक्सैस ग्रामीण रेडियो प्रणाली पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	30
(तीन) टेलीफोन एक्सचेंज	48
(चार) टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार	4000 लाइनें
(पांच) टैलेक्स एक्सचेंज	3

(ख) जानकारी अनुबंध "क" में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5963/83**]

(ग) जी हां ।

(घ) योजनाएं वित्तीय और साज सामान सम्बन्धी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए उत्तरोत्तर कार्यान्वित की जा रही हैं ।

डाक :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान राज्य के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में 169 ग्रामीण डाकघर खोले गए थे । जहां तक 1983-84 की योजना का सम्बन्ध है विभाग की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है । योजना लक्ष्यों का सर्किल वार आबंटन कर दिया गया है और उसको मार्च, 1983 में अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है । 1984-85 की वार्षिक योजना अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उपयुक्त समय में शुरू की जाएगी ।

छठी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण डाकघर खोलने के अतिरिक्त, राज्य के 227 ग्रामों में चलते-फिरते ग्रामीण डाकघरों द्वारा डाक कांउटर सुविधाएं दी गई हैं ।

इसके अलावा उक्त अवधि के दौरान ग्रामों में दैनिक डाक वितरित करने के उद्देश्य से ग्रामीण डाकघरों के लिए 437 अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की मंजूरी भी दी गई है।

(ख) छठी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में जिलावार और वर्षवार खोले गए शाखा और उप डाकघर संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस योजना के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में खोले गए डाकघर भी इस सूची में शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) उड़ीसा के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए बनाई गई डाक विकास की योजना गत कुछ वर्षों से चरणबद्ध ढंग से शुरू की गई है। देश की विशालता और सीमित साधनों की व्यापक मांग के कारण प्रगति निश्चित रूप से धीरे-धीरे हो रही है परंतु इस दिशा में पहले ही पर्याप्त प्रगति की जा सकती है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

1521. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी योजनाओं के दौरान देश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कौन-सी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ख) उनके मंत्रालय के विभाग और अधीनस्थ प्रभागों द्वारा उनके सम्बद्ध क्रियाकलापों के विकास और राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में योजनाएं और कार्यक्रम लागू करने में क्या भूमिका निभाई गई है;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं और राज्य के कार्यक्रमों को बढ़ाने में राज्यों ने क्या भूमिका निभाई है;

(घ) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए चालू वार्षिक योजना सहित छठी योजना और वार्षिक योजनाओं के दौरान उनके मंत्रालय और राज्यों द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इन क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए छठी योजना के अन्त से पहले उनके मंत्रालय द्वारा कौन-सी नई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय आम तौर से लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और कमजोर वर्गों के लोगों के लाभ के लिये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करता है। तथापि, वे किसी विशिष्ट समुदाय के अनन्य लाभ के लिए नहीं होते और इसलिये उनमें से सभी की अलग से पहचान नहीं हो सकती। आदिवासी लोगों के लिये अभिप्रेत योजनाओं का पूरा प्रचार समर्थन देने के लिए सम्बन्धित माध्यम एककों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने वाली छठी योजना में अभिप्रेत कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(1) आकाशवाणी 100 कि० वा० के ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों के साथ रेडियो स्टेशन की इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के लिए नई एकीकृत सेवाओं के लिये 50 कि० वा० शार्टवेव के एक ट्रांसमीटर और स्टूडियो सुविधाओं की शिलांग (मेघालय) में और 20 कि० वा० के ट्रांसमीटर और स्टूडियो के साथ नए रेडियो स्टेशन की तुरा (मेघालय) में स्थापना करेगा। इसके अलावा, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) और क्योंझर (उड़ीसा) में स्थानीय प्रसारण केन्द्रों के रूप में नए रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। रांची (बिहार) में टाईप-2 स्टूडियो की स्थापना करने और डिब्रूगढ़, गोहाटी (असम), रांची (बिहार) और शिलांग के वर्तमान ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिये बनाये गये प्रसारण कार्यक्रमों की गुणवता और विषयों में और सुधार करेगा। इन स्कीमों के लिए छठी "योजना" (1980-85) का परिव्यय 1371.27 लाख रुपये है और वार्षिक योजना 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिये परिव्यय क्रमशः 24 25 लाख रुपए, 33.77 लाख रुपए और 115.74 लाख रुपये हैं।

(2) दूरदर्शन छठी योजना अवधि के दौरान 500 लाख रुपये के परिव्यय से गोहाटी (असम) में पूर्ण-रूपेण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करेगा। 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए परिव्यय क्रमशः शून्य, 32 लाख रुपए और 40.01 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन ने अगरतला, इम्फाल कोहिमा, शिलांग, ईटानगर, ऐजवाल, पोर्ट ब्लेयर और गोहाटी में 1982-83 के दौरान लगभग 125 लाख रुपये की लागत से अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्रों की व्यवस्था की है।

(3) पत्र सूचना कार्यालय आदिवासी क्षेत्रों में विकासीय और राष्ट्रीय विषयों पर सूचना के प्रसार के लिए और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए विशेष आयोजित यात्राओं की व्यवस्था करेगा। इन योजनाओं के लिए छठी "योजना' परिव्यय 10 8 2 लाख रुपए और वार्षिक योजना 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए परिव्यय क्रमशः 0.83 लाख रुपए, 1.78 लाख रुपए और 2.58 लाख रुपए है।

(4) विशेष फिल्मों के निर्माण के लिए तथा 16 मिलीमीटर की टेक्नोलाजी के विकास के लिए कलकत्ता और बंगलोर में फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की एक योजनागत योजना 305 लाख रुपए के परिव्यय के साथ छठी योजना में मंजूर की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी और ग्रामीण लोगों के विकास से सम्बन्धित विषयों पर 16 मिलीमीटर की फीचर टाइप की डाकुमेंट्री फिल्में तैयार की जायेंगी और उनको क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों दिखाया जायेगा। 1980-81, 198 -82 और 1982-83 के लिए परिव्यय क्रमशः 0.56 लाख रुपए, 40.32 लाख रुपए और 73 लाख रुपए है।

(5) गीत और नाटक प्रभाग ने आदिवासी क्षेत्रों के लोक रूपों का उपयोग करने के लिए और इन क्षेत्रों के लोगों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छठी योजना में 16.90 लाख रुपए के परिव्यय के साथ रांची में एक पाईलट परियोजना स्थापित की है। 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए परिव्यय क्रमशः शून्य, 4 लाख रुपए और 4.30 लाख रुपए है।

(6) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय रांची (बिहार) ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) और ऐजवाल (मिजोरम) में चलती-फिरती क्षेत्रीय प्रदर्शनी यूनिटों और गोहाटी (असम) में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करेगा। ये यूनिटें आदिवासी लोगों के विकास से सम्बन्धित विषयों पर प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगी। इन स्कीमों के लिए छठी योजना परिव्यय 32.75 लाख रुपये और वार्षिक योजना 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए परिव्यय क्रमशः शून्य, 1.70 लाख रुपए और 3 लाख रुपए है।

(7) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आदिवासी क्षेत्रों को कवर करने के लिए अधिक ध्यान देगा। 1980-81 में, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), दिफू (असम), गुमला (बिहार) और बालाघाट तथा सिधि (मध्य प्रदेश) के आदिवासी क्षेत्रों में 5 यूनिटें स्थापित कीं। 1981-82 में नई यूनिटें मणिपुर तथा महाराष्ट्र में नासिक और नान्डेड में खोली गई थीं। 1981-82 के दौरान गोहाटी मे क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला गया था। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के लिए आयोजित यात्राएं, साउंड और स्लाईड कार्यक्रम तथा कार्यालयों और रिहायशी आवास का निर्माण अन्य योजनागत स्कीमें हैं। चुनींदा आदिवासी क्षेत्रों में बहु माध्यम प्रचार अभियान चलाने के लिए "एरिया एपरोच और पूलिंग प्लान" चलाया जाता है। इन स्कीमों के लिए छठी योजना परिव्यय 122.76 लाख रुपए है तथा 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए परिव्यय क्रमशः 32.06 लाख रुपए, 30.89 लाख रुपए और 22.16 लाख रुपए है।

उपर्युक्त अनुसार कार्यक्रमों को पांचवी योजना में भी लिया गया था।

सम्बन्धित विभागों को ये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे योजनागत स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। ये सभी स्कीमें केन्द्रीय स्कीमें हैं।

(ग) राज्य सरकारों की आदिवासी क्षेत्रों में प्रचार की अपनी स्कीमें और कार्यक्रम हैं जिनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में बेहतर दूरसंचार सेवा

1522. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में छठी योजना के दौरान सुधरी हुई और बेहतर दूरसंसार सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं को अनुमोदिन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह विलम्ब योजनाओं के लिए धनराशि अथवा सामग्री की अनुपलब्धता के कारण हुआ है; और

(ङ) यदि अन्य राज्यों की अनुमोदित योजनाएं जहां इस तरह की परियोजनाओं का काफी पहले ही आरम्भ हो गया है और जिनकी प्रगति विभिन्न चरणों में है, तो अनुमोदन के बाद केवल कोरापुट परियोजना पर ही मिलने के बाद कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) कोरापुर जिले में समेकित अंकीय परिपथ लाल योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है और चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अभी इसकी अनुमति देनी है।

(घ) जी हां। वित्तीय दिक्कतों और स्वदेशी स्रोतों से उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण इस कार्यक्रम में विलम्ब हुआ।

(ङ) जी नहीं। अन्य जिलों के लिए, जहां इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, स्थिति एक जैसी ही है।

मन्त्रालयों आदि के बिजली के बकाया बिल

1523. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और दिल्ली में उनके सम्बद्ध कार्यालयों के बिजली के बकाया बिलों की कितनी धनराशि है और यह धनराशि कब से देय है; और

(ख) उन कार्यालयों की संख्या कितनी है जिनके बिजली के कनेक्शन देय धनराशि का भुगतान न किए जाने के कारण काटे गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरक की खपत बढ़ाने के लिए मंत्रालयों में सहयोग

1524. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरकों की खपत में वृद्धि के लिए किसानों को राजी करने में कृषि मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गये हैं; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने और उसकी खपत में वृद्धि करने की दृष्टि से कृषि मन्त्रालय के सहयोग से वर्ष 1982-83 के दौरान 104 चुनींदा जिलों में गहन उर्वरक प्रोत्साहन अभियान आरम्भ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्डो-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा प्रायोजना के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के 25 चुनींदा जिलों में उर्वरक शिक्षा कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है। इससे पहले इन्डो-जर्मन उर्वरक शिक्षा प्रायोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के कुछ चुने हुए जिलों में एक अन्य उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम चालू किया गया था।

गुजरात में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

1525. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 31 दिसम्बर, 81 के अनुसार जिलावार कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े थे;

(ख) गुजरात राज्य में वर्ष 1982 के दौरान जिलावार कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये थे;

(ग) 31 दिसम्बर, 1981 तक के मामलों में से 31 दिसम्बर, 1982 के अनुसार कितने मामले विचाराधीन थे और वर्ष 1982 के दौरान कितने मामले पंजीकृत किए गये;

(घ) क्या यह सच है कि नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ङ) गुजरात राज्य में वर्तमान प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार किया जायेगा और नए एक्सचेंज खोले जाएंगे जो कि मांग और उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

अनुबन्ध

जिले का नाम	31-12-81 को लंबित पड़े आवेदनों की संख्या	वर्ष 1982 के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या	31-12-81 की प्रतीक्षा सूची के बकाया मामलों की संख्या जो 31-12-82 तक लंबित पड़े थे	1982 के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या
1. अहमदाबाद	20124	3783	16866	7804
2. बड़ोदा	5080	1057	4023	2445
3. पंचमहल	487	348	139	421
4. राजकोट	4109	1809	3162	2205
5. सूरत	6836	973	58̄8	2944
6. गांधी नगर	146	351	20	472
7. साबरकान्ठा	715	502	332	591
8. सुरेन्द्र नगर	469	241	228	402
9. बांसकन्ठा	434	393	188	740
10. मेहसाना	1427	995	757	969
11. खेड़ा	1371	949	422	64)
12. बुलसर	1002	426	574	1178
13. डांग	4	26	—	22
14. भावनगर	1328	932	410	837
15. जामनगर	1087	909	301	981
16. जूनागढ़	651	736	144	930
17. अमरेली	460	695	30	734
18. भुज (कच्छ)	533	291	242	711
19. भड़ोच	868	753	371	627
योग	47131	16169	34197	25653

अन्दमान समुद्र में तेल

152. **श्री नवीन रवाणी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-विज्ञान विशेषज्ञों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अन्दमान समुद्र के उत्तरी क्षेत्र के द्वीप समूह में तेल होना बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) उसके क्या परिणाम मिले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उन अध्ययनों पर आधारित ऐसे अध्ययनों अथवा निष्कर्षों की जानकारी नहीं है। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वयं अपनी ओर से इस द्वीप का भूवैज्ञानिक चित्रण किया है।

(ग) मायोसीन और प्लोसीन युग के तृतीयक तलछट रिकार्ड किये गये हैं। परन्तु वर्तमान में द्वीप पर कोई संरचना नहीं है जिसमें किसी प्रकार के व्यधन करने की आवश्यकता हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज सलाहकार समिति की उप समिति की रिपोर्ट

1527. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज सलाहकार समिति की उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; जो अखबारी कागज की उपलब्धता के प्रश्न की जांच करने हेतु गठित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिये देशी अखबारी कागज की निवल कमी का आकलन 48,000 टन किया गया था। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार ने 30,000 टन की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का निर्णय लिया है।

पारादीप उर्वरक परियोजना की नौरा के साथ संयुक्त रूप से स्थापना

1528. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप में भारत और नौरा गणतन्त्र द्वारा संयुक्त रूप से एक उर्वरक परियोजना की स्थापना पर अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, परियोजना की लागत क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की मंजूरी 183.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दी गई है।

(ग) परियोजना दो स्तरों में स्थापित की जायेगी। स्तर-1 में 3.26 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए डाई-अमोनियम फास्फेट ग्रेन्यूलेशन यूनिट की स्थापना की जायेगी जो आयातित अमोनिया और फास्फोरिक एसिड पर आधारित होगा। द्वितीय स्तर में शेष आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कैप्टिव फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिये सुविधाओं की स्थापना करने के साथ-साथ डाई-अमोनियम फास्फेट के लिये परियोजना क्षमता को दुगुना किया जायेगा। वाणिज्यिक उत्पादन स्तर I में 1.3.1986 तक और स्तर-II में 1.11.1986 तक प्रारम्भ होने की आशा है।

ताप बिजली परियोजना को दाभोल से नए स्थान में ले जाना

1529. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 करोड़ रुपए की लागत की ताप बिजली परियोजना, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में दाभोल में लगाई जानी थी, को दाभोल स्थान में पानी में पाई गई रासायनिक अशुद्धता को ध्यान में रखते हुए किसी नए स्थान में ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ताप बिजली परियोजना को रत्नागिरि जिले में करमबवने पत्तन के निकट लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी क्योंकि वर्तमान पत्तन करमबवने को बारहमासी पत्तन में बदलने की सुविधा के अलावा इस नए स्थान पर काफी मात्रा में शुद्ध जल उपलब्ध होगा?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट में वशिष्ठी नदी के पास डाभोल के लगभग 35 किलोमीटर प्रतिप्रवाह में ग्राम धामनदेवी के पास दो चरणों में, नामशः 2 × 210 मेगावाट का चरण-एक तथा 3 × 2 0 मेगावाट का दूसरा चरण, 1000 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार है। भूमि, जल, कोयले की ढुलाई के लिए वैकल्पिक सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक निवेशों की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए इस स्थल का सुझाव महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि डाभोल स्थल पर जल में रसायनिक मिश्रण पाए जाने के कारण प्रस्तावित केन्द्र के स्थल के सम्बन्ध में किसी परिवर्तन के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित स्कीम तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास है। स्कीम का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने से पूर्व आवश्यक निवेशों यथा कोयला, पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति आदि सम्बद्ध करने होंगे।

श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी

1530. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** कृषि श्रमिकों के लिए कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजूरी के बारे में 5 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विशिष्ठ न्यूनतम मजदूरी क्या है जिन्होंने अभी तक न तो न्यूनतम मजूरी निश्चित की है और न ही अधिनियमों को वहां लागू किया है अथवा जहां बिल्कुल भी कृषि श्रमिक नहीं हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों ने अपने नैमित्तिक और ठेका मजदूरों को भी न्यूनतम मजूरी का भुगतान करना सुनिश्चित किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) एक **विवरण** संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5964/83**] जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई न्यूनतम मजदूरी दरें सम्बन्धित नियोजनों में नैमित्तिक और ठेका श्रमिकों पर समान रूप से लागू होती है।

बिहार में बेरोजगार डाक्टर, इन्जीनियर आदि

1531. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** बेरोजगार डाक्टर, इन्जीनियर आदि के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार मैट्रिक पास लोगों, इन्जीनियर स्नातकों, स्नातकोत्तरों डाक्टरों और इन्जीनियरों की सूची में बिहार सबसे ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण और उपचारात्मक उपाय क्या हैं; और

(ग) क्या रोजगार की तलाश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करके उत्पादकता उद्यम के लिए कोई देशव्यापी स्व-नियोजन योजना आरम्भ की जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां, यदि नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की, जो रोजगार कार्यालयों में दर्ज मैट्रिकुलेट या इन्जीनियरी स्नातक/स्नातकोत्तर या डाक्टर हैं, कुल संख्या को एक ग्रुप के रूप में एक साथ लिया जाता है।

(ख) बेरोजगारी की वृद्धि दर, श्रमिक बल की वृद्धि दर और रोजगार अवसरों मे शुद्ध वृद्धि का परिणाम है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और नीतियां, जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए अपनाया जा रहा है, विवरण में दी गई हैं।

(ग) छठी योजना में स्वरोजगार की प्रोन्नति के लिए विद्युत दृष्टिकोण सुझाया गया है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत, अनेक जिलों में जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित की गई हैं। मितव्ययी रूप से व्यवहार्य स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए कार्यक्षेत्र के श्रेष्ठ उपलब्ध मूल्यांकन पर आधारित प्रत्येक जिले में परिषद, अन्य बातों के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए उपलब्ध व्यवहार्य निवेश अवसरों के पोर्ट-फोलियो तैयार करवाएगी।

वाणिज्यिक बैंकों, जिला उद्योग केन्द्रों, लघु उद्योग विकास संगठन, आदि के उद्यमकारिता

सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों द्वारा स्वरोजगार की प्रोन्नति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना (ट्राईसम) प्रारम्भ की जा चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों के बीच बेरोजगारी को दूर करना है। योजना में ग्रामीण युवकों को आवश्यक कौशलों और प्रोद्योगिकी के साथ तैयार करने पर जोर दिया गया है, ताकि वे स्वरोजगार के व्यवसायों को शुरू करने के काबिल हो सकें।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम तथा नीतियां

1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विशाल सिंचाई कार्यक्रमों (लघु सिंचाई के उच्च संघटकों सहित) सुधार किए हुए कृषि सम्बन्धी इन्पुट्स आदि को विशेषकर छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार अवसरों का सृजन।

2. देश में सभी ब्लाकों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार। यह पहले किया जा चुका है। इस कार्यक्रम से 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 15 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा।

3. छठी योजना अवधि के दौरान अपरेशन फ्लड II डेरी विकास परियोजना से लगभग 8 मिलियन मूल रूप से दुग्ध उत्पादन पर आधारित परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है। अन्य डेरी विकास योजनाओं से 5 मिलियन अतिरिक्त परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा।

4. मत्स्य-पालन का विकास।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) देश के सभी ब्लाकों में लागू होता है तथा इससे विशेषकर मन्दे कृषि मौसम में मजदूरी रोजगार प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 300 से 400 मिलियन व्यक्ति-दिनों का सृजन होगा।

6. लघु उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग वाले क्षेत्रों जो कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य उपलब्ध कराते हैं, वाले क्षेत्रों के लिए योजना विनियोजन को बढ़ाया गया है। योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 9 मिलियन व्यक्तियों को हैंडलूम, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर आदि सहित खादी और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास सम्बन्धी सहायता कार्यक्रमों से लाभ पहुंचने की संभावना है।

7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों से निर्माण उद्योगों में काफी रोजगार सृजित होने की सम्भावना है और इस कार्यक्रम द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा समाज सेवाओं के विस्तार से भी पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

8. ट्राइसेम प्रत्येक वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेगा जिससे वे स्व:रोजगार प्राप्त कर सकें तथा इन व्यक्तियों को अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रोजगार स्कीमों को और सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जायेगा।

9. पर्यावरण स्वच्छता, गन्दी बस्तियों का सुधार, पेड़ लगाना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आदि जैसे कार्यों से बेरोजगार शहरी गरीबों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

10. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के बारे में अपनाई जा रही विकेन्द्रीकृत नीति है। देश के अधिकांश जिलों में इस प्रयोजन के लिए स्थापित की जा रही जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदें उन जिलों में, जो स्थानीय स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित हैं, रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाएगी। परिषदों को उपयुक्त व्यावसायिक समर्थन दिया जा रहा है और जिला रोजगार कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालयों, लीड बैंकों तथा अन्यों द्वारा उनके कार्य करने के लिए सक्रिय रूप से सहायता दी जाएगी।

11. स्व:नियोजितों के लिए नया व्यवहार छठी योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह नीति सम्बन्धी उपायों का एक "पैकेज" हैं जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों के स्व:रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, ऋण सुविधाएं, प्रशिक्षण, विपणन तथा अन्य उपाय शामिल हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित मामले और न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना

1532. **श्री ए० के० राय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बे समय से न्यायाधीशों की अनेक रिक्तियों के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई वर्षों से बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन रिक्तियों को कई वर्षों से न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 30-6-1982 को उस उच्च न्यायालय में 93,537 मुख्य मामले लम्बित थे।

अवधिवार लम्बित मामले निम्नलिखित हैं :

एक वर्ष से कम के मामले	1 से 5 वर्ष तक के मामले	5 से 10 वर्ष तक के मामले	10 वर्ष से ऊपर के मामले	योग
19774	50116	16086	7581	93537

कलकत्ता उच्च न्यायालय में, अन्य उच्च न्यायालयों के समान ही, अनेक जटिल बातों के कारण मामले लम्बित हैं और ऐसा केवल रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ही नहीं है।

25.2.1983 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 10 पद रिक्त थे, जिनमें से सबसे पहला पद 22.1.1982 को रिक्त हुआ था।

उच्च न्यायालय में नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में सांविधानिक उपबन्ध जटिल है, और इसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श होता है, जिसमें पर्याप्त समय लगता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में भी नियुक्तियों के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं। कई मामलों में राज्य सरकार के प्राधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए उन्हें बार-बार स्मरण कराया जा रहा है।

हैदराबाद में फिल्म समारोह मनाया जाना

1533. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में हुआ नवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बिल्कुल असफल रहा;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अगली बार समारोह को हैदराबाद में मनाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि भारत का नवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बिल्कुल असफल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) अगले फिल्म समारोह (फिल्मोत्सव) के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

दिल्ली में न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवाद के मामले

1534. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों में कुल कितने औद्योगिक विवाद के मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) लम्बित मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु नए श्रम न्यायालय खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो नए श्रम न्यायालय कब तक खोले जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) 31 जनवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम को धारा 10 के अधीन 5317 विवाद लम्बित पड़े हैं।

(ख) 2.10.82 और 4.1.83 से दिल्ली में दो और श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। आशा है कि पीठासीन अधिकारी शीघ्र कार्यभार संभाल लेंगे। इसके स्थापित हो जाने पर नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय को राहत मिलेगी। इस समय यह अधिकरण जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही भी करता है। अब यह मामले चंडीगढ़ अधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली उत्पादन और कोयला खनन के लिये ब्रिटिश कम्पनियों को आमंत्रण

1535. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बिजली उत्पादन और कोयला खनन के लिए ब्रिटिश कम्पनियों को आमंत्रित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) सिकन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) के विद्युत केन्द्र के लिए समस्त उपस्कर की सप्लाई, केन्द्र इंजीनियरी पर्यवेक्षण के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मैसर्ज नर्दन इंजीनियरी इन्डस्ट्रीज, यू० के० साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोयला खनन के क्षेत्र में, सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में अमलौरी परियोजना के लिए ब्रिटिश माइनिंग परामर्शदाताओं से सहायता प्राप्त की गई है। यह फर्म इंग्लैंड से कुछ संयंत्रों की प्राप्ति तथा सप्लाई में सहायता कर रही है।

(ग) और (घ) ब्रिटिश कोल सैक्टर के साथ जारी सहयोग के भाग के रूप में माइनिंग की विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के बारे में उक्त क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त फर्मों के साथ विचार विमर्श हुआ। खम्बों को खींचने की तकनीक के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोल इंडिया द्वारा प्रस्तावों में दी गई प्रौद्योगिकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय उपयोग में लाई जाएगी।

विद्युत इंजीनियरों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान

1536. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल पावर ट्रांसमिशन इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना हेतु स्थान का चयन किया गया है ?

(ग) उस संस्थान को किस राज्य में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उसकी प्राक्कलित लागत क्या है और संस्थान की स्थापना करने में उस पर क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ङ) उपकेन्द्र तथा पारेषण लाइनों के अनुरक्षण में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 625.25 लाख रुपए की अनुमानित पूंजी लागत पर एक पारेषण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पूर्व, प्रस्ताव की वित्तीय तथा अन्य पहलुओं की जांच करनी होगी तथा आवश्यक निवेश सुनिश्चित करने होंगे।

तेल की खोज के लिए चुने गये स्थान

1537. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तट पर और तट से दूर तेल की खोज करने के लिए चुने गये स्थानों ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तटीय और अपतटीय में अन्वेषण के लिए व्यधित किये जाने वाले आयोजित स्थानों की संख्या नीचे दी गई है :

तटीय	क्षेत्र	मीटरेज (1000)	स्थानों की संख्या
ओ० एन० जी० सी	केम्बे बेसिन	256.2	127
	ऊपरी असम प्लेटफार्म	220.7	59
	असम अराकान फील्ड पट्टी	46.1	16
	कृष्ण गोदावरी	56.0	13
	कावेरी	26.5	7
	बंगाल	41.7	12
	राजस्थान	11.1	3
	हिमालय की पादगिरियां और गंगा की पार्टी	23.0	4
ओ० आई० एल०	अरुणाचल प्रदेश	36.0	19
	असम	79.9	20
	महानदी	21.0	6
	राजस्थान	18.0	4
अपतटीय			
ओ० एन० जी० सी०	पश्चिमी समुद्रतट महाद्वीपीय कगार	161.0	54
	पूर्वी समुद्रतट महाद्वीपीय कगार	139.8	41
ओ० आई० एल०	महानदी बेसिन	25.3	7
	उत्तर-पूर्वी समुद्रतट	7.0	2

कोयला खानों में हड़ताल और हिंसक झगड़े

1538. **श्री रशीद मसूद** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयला खानों में बड़ी संख्या में हड़ताल और हिंसक झगड़ों की घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में यदि सरकार द्वारा कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उसके परिणामस्वरूप उत्पादन को कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ऐटक, लीटू, हिन्द मजदूर सभा (वशिष्ठ) और भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियनों ने 17.1.1983 से 19.1.1983 तक 72 घण्टे की हड़ताल की थी। हड़ताल के दौरान और हड़ताल के पहले हिंसा और झगड़े की कुछ वारदातें हुई थीं :

(1) ई० को० लि० की न्यू सतग्राम कोलियरी का एकपिट मुंशी 19 जनवरी, 1983 को बंदूक की गोली से मारा गया और तीन अन्य लोग गंभीर रूप सें घायल हुए।

(2) ई० को० लि० के केन्डा एरिया की बहुला कोलियरी के एक टिपिंग टब ड्राइवर की 16 जनवरी, 1983 की रात को बम विस्फोट के फलस्वरूप मृत्यु हो गई। इंटक और हिंद मजदूर सभा (कुलकर्णी ग्रुप) के समर्थकों तथा भारतीय मजदूर संघ के कामगारों के बीच दलों में भी मारपीट और झगड़े हुए।

(3) दिनांक 17 जनवरी, 1983 को कनुस्गोरिया एरिया के वाइन्डिंग इन्जन मैन को हिंसात्मक भीड़ ने परासिया कोलियरी से भगा दिया था।

(4) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कुजू एरिया और भुरकुंडा में झगड़े हुए और भुरकुंडा के झगड़ों के परिणामस्वरूप 19 जनवरी, 1983 को दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए।

जहां कर्मचारियों ने ऐसे अपराध किए हैं जिनमें तोड़-फोड़ हमले आदि शामिल हैं वहां प्रबन्ध-मण्डल ने अनुशासन की कार्रवाई शुरू की है। जहां तक बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों का प्रश्न है, पुलिस में शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं।

(ग) सामान्य उत्पादन 1011469 टन की तुलना में उत्पादन में हानि 249405 टन हुई।

(घ) को० इ० लि० सभी अनिर्णीत मामलों को आपसी बातचीत से निपटाने के लिए बहुत उत्सुक है। इस उद्देश्य के लिए कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठकें निश्चित अवधि पर आयोजित की जाती हैं और आशा है कि सभी मामलों को जल्दी ही निपटा लिया जाएगा।

विज्ञान को रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से लोकप्रिय बनाना

1539. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम अथवा विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों की भाषाओं के अन्तर्गत विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए रेडियो और टेलीविजन का कितना समय उपयोग में लाया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लि-कार्जुन) : आकाशवाणी—अनेक केन्द्रों पर स्थापित 13 विज्ञान सैल प्रति तिमाही में औसतन 135 कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक भिन्न-भिन्न होती है।

विभिन्न राज्यों में स्थापित अन्य वे सभी आकाशवाणी केन्द्र भी, जिनमें विज्ञान सैल नहीं हैं, प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान कार्यक्रम प्रसारित/रिले करते हैं।

पिछले 12 मास के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान कार्यक्रम की कुल अवधि 735 मिनट थी और पिछले 6 मास के दौरान अन्य राष्ट्रीय चंकों में यह 675 मिनट थी।

दूरदर्शन

विज्ञान और वैज्ञानिक सूचना सम्बन्धी कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए कोई निश्चित अवधि या समय नहीं है, क्योंकि इनको कार्यक्रमों के विविध रूपों में प्रतिबिम्बित किया जाता है। 15-8-1982, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, के बाद 149 मिनट की अवधि के कार्यक्रम टेलीकास्ट किये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट किये जाने वाले समाचार बुलेटिनों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित समाचारिक महत्व के समाचार होते हैं।

विज्ञान कार्यक्रम विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग भी हैं। इसके अलावा, प्रादेशिक भाषाओं के दस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक साप्ताहिक स्लाट तथा फिल्म प्रभाग जैसी अन्य एजेंसियों से विज्ञान विषयों पर उपलब्ध फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाता है। दिन प्रतिदिन के विज्ञान के बारे में 15 मिनट की डाकुमेंट्री का एक पाक्षिक कार्यक्रम भी दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसई दारापुर में प्रवेश

1540. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसई दारापुर में बीमारी अथवा दुर्घटनाओं में चोट लगने के कारण भर्ती किए गए कर्मचारियों पर ठीक ध्यान नहीं दिया जाता है और उनके पूर्णतः ठीक होने से पूर्व ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगियों को पहले भी अस्पताल से छुट्टी दी जाती है

क्योंकि अस्पताल को प्रत्येक भर्ती किए गए रोगी पर प्रतिदिन 15.00 रुपये भुगतान करना पड़ता है;

(ग) गत 3-4 महीनों के दौरान अस्पताल में ऐसे कितने रोगी भर्ती किए गए जिन्हें अस्पताल से न तो छुट्टी दी गई और न ही उनके बच्चों और आश्रितों को 15.00 रुपये का प्रतिदिन भत्ता दिया गया; और

(घ) रोगियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) जी, नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि बीमारी और चोट के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों का उचित रूप से इलाज किया जाता है और उन्हें केवल उनकी देखभाल करने वाले डाक्टर के परामर्श पर ही छुट्टी दी जाती है। दाखिल किए गए किसी मरीज को अस्पताल की तरफ से 15 रुपये की अदायगी की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि इन कारणों पर किसी मरीज को छुट्टी देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम उपचार की सुविधाओं, आहार के स्तर आदि में सुधार करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। ये सब सुविधाएं लाभानुभोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

1541. **श्री अनन्त रामलु मल्लु** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जीवन रक्षक औषधियों की निरन्तर कमी पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिनांक 29 दिसम्बर, 1982 को चण्डीगढ़ में हुए अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन द्वारा सरकार को दिए गए सुझावों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 28 से 30 दिसम्बर 1982 तक चण्डीगढ़ में हुए 58वें अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों से सरकार अवगत है। सरकार, राज्य औषध नियन्त्रकों, केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय, अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों और जनता से प्राप्त पत्राचार के आधार पर अनिवार्य औषध फार्मूलेशनों की बाजार में उपलब्धता पर कड़ी निगरानी रखती है। हाल ही के महीनों में कुछ स्थानों से समय-समय पर कुछ विशिष्ठ ब्राड उत्पादों की कमी की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। अधिकांश मामलों में समान फार्मूलेशन उपलब्ध थे और कमी अस्थाई किस्म की थी। तथापि, जब किसी भी विशिष्ठ दवाई की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है जो सम्बन्धित उत्पाद के

निर्माताओं और समान उत्पाद के निर्माताओं की सम्बन्धित क्षेत्रों में तुरन्त सप्लाई भेजने की सलाह दी जाती है। सरकार की सलाह के अनुसार अधिकांश मामलों में सम्बन्धित निर्माता उक्त कमी को दूर करने के लिये तुरन्त सप्लाई भेजने में समर्थ रहे हैं।

(ग) सम्मेलन में पास किए गए संकल्प की एक प्रति, जिसमें सरकार को अनेक सुझाव दिये गये हैं, संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5965/83]

औषधियों के उत्पादन के लिये स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होना

1542. **श्री के० मालन्ना :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी अनेक बल्क औषधियां हैं जिनके उत्पादन के लिये स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में कतिपय आवश्यक बल्क औषधियों के विकास में तकनीकी जानकारी का उपलब्ध न होना एक प्रमुख बाधा रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी औषधियों सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय देश में निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं हैं।

(1) रिफैम्पिसिन

(2) नियोमाइसिन

(3) ग्रिसिओफुलविन

(4) सिफलोस्पारिन्स

(5) विटामिन बी-6

(6) नारजेस्ट्रल

ये उत्पादन विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा विकसित किए जाते हैं और विदेश से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने या स्वदेशी अनुसंधान और विकास द्वारा उन्हें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों का मताधिकार

1543. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें देश में साधारण निर्वाचनों में मत देने का अधिकार दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

राज्यों में परिवार न्यायालय की स्थापना

1544. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों के समक्ष परिवार न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने राज्यों के समक्ष ऐसा प्रस्ताव कब रखा है;

(ग) ऐसे न्यायालय स्थापित करने का क्या प्रयोजन है; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) महिलाओं के अनेक संगम और अन्य संगठन तथा व्यक्ति परिवार न्यायालय स्थापित किए जाने का आग्रह करते रहे हैं, क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि ऐसे न्यायालय पारिवारिक विवादों का उचित निपटारा करने के लिए उपयुक्त रहेंगे। परिवार न्यायालय स्थापित करने के समर्थन में यह कहा गया है कि पारिवारिक विवादों में अनौपचारिक प्रक्रिया अपेक्षित होती है और वह नियम तथा साक्ष्य के सम्बन्ध में प्रायिक तकनीकी बारीकियों के बिना ही बन्द कमरे में की जा सकती है और ऐसा करने में मेलमिलाप कराने और सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

परिवार न्यायालय स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का विचार काफी आगे बढ़ चुका है। इस विषय पर राज्य सरकारों को अब तक कोई निर्देश नहीं किया गया है।

आय-कर अपील अधिकरणों में लम्बित मामले

1545. **श्री भीखा भाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न आय-कर अपील अधिकरणों में कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) देश में, अधिकरणवार, ऐसे मामलों की सूची क्या है; और

(ग) अधिकरणों में लम्बित उपर्युक्त मामलों में कितनी रकमों के सम्बन्ध में अपीलें की गई हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) अधिकरणों की विभिन्न न्यायपीठों में 1.2.1983 को लम्बित मामलों की कुल संख्या 67096 थी।

(ख) विभिन्न न्यायपीठों के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिकरण अपने समक्ष लम्बित मामलों में अन्तर्ग्रस्त उन रकमों का अभिलेख नहीं रखता है, जिनके सम्बन्ध में अपील की गई है।

विवरण

देश के विभिन्न आय-कर अपील अधिकरणों में 1 फरवरी, 1983 को लम्बित मामलों की संख्या

न्यायपीठ/न्यायपीठें	1.2.83 को लम्बित मामलों की संख्या (अपीलें/प्रत्याक्षेप/निर्देश आवेदन और उच्च न्यायालय आदेश)
बम्बई न्यायपीठें	13903
अहमदाबाद न्यायपीठें	5918
नागपुर न्यायपीठ	1421
पुणे न्यायपीठ	1679
इंदौर न्यायपीठ	2304
मद्रास न्यायपीठें	3666
हैदराबाद न्यायपीठें	3171
कोचीन न्यायपीठ	2157
बंगलौर न्यायपीठ	2982
कलकत्ता न्यायपीठें	6024
पटना न्यायपीठ	2439
कटक न्यायपीठ	925
गौहाटी न्यायपीठ	713
इलाहाबाद न्यायपीठें	3577
दिल्ली न्यायपीठें	9055
चंडीगढ़ न्यायपीठ	2008
जयपुर न्यायपीठ	1715
जबलपुर न्यायपीठ	2307
अमृतसर न्यायपीठ	1132
योग :	67096

एशियाड में लगे श्रमिकों को मजूरी देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश

1546. **श्री आनन्द पाठक :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1.5 लाख श्रमिकों को एशियाड और सम्बद्ध निर्माण स्थलों पर बिना न्यूनतम मजूरी के विधि द्वारा निर्धारित काम के घन्टों के बहुत समय बाद भी, काम करने को विवश किया गया था, जिससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में उनके जीवन को खतरा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने इसे अत्याधिक गंभीर मामला माना और सरकार और अन्य सम्बन्धितों को न्यूनतम मजूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने और विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत अन्य सुविधाओं के उपबन्धों को कड़ाई से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार और अन्य सम्बन्धितों ने उक्त निर्देशों का पालन किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) निरीक्षण के दौरान इस प्रकार के मामले ध्यान में आए जिनमें कुछ श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया था। उनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की गई।

(ख) इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय के इन निर्देशों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे श्रम कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन कराने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

(ग) इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ब्रिटेन द्वारा उड़ीसा में ताप परियोजनाओं का निर्माण शुरू करना

1547. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा में ताप बिजली परियोजना का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो निवेश सम्बन्धित शर्तों, निर्माण कार्य शुरू किया जाने की संभावित तारीख, परियोजना को पूरी करने में लगने वाले समय, बिजली के उत्पादन आदि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा औषधियों का निर्माण

1548. श्री के० ए० स्वामी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों का निर्माण कर रही सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनके उत्पादन और बिक्री का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्हें 1980, 1981 और 1982 में हुए लाभ अथवा हानि का ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) प्रपुंज औषधों और/या फार्मूलेशनों का उत्पादन करने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयां निम्नलिखित हैं :

1. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० ।
2. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० ।
3. स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० ।
4. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० ।

(ख) गत तीन वर्षों में उत्पादन व बिक्री निम्न प्रकार थी :

(लाख रुपये में)

	1979-80		1980-81		1981-82	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
आई० डी० पी० एल०	7000	6776	9010	7443	—	9854
एच० ए० एल०	1980.22	1718.54	2270.05	2026.88	2710.91	2788.43
एस० एस० पी० एल०	593.30	562.42	676.95	615.84	741.41	735.49
बी० सी० पी० एल०	—	—	—	—	1303.27	975.79

(ग) पिछले तीन वर्षों के लाभ तथा हानियों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

	1979-80		1980-81		1681-82	
आई० डी० पी० एल०	(—)	720	(—)	1982	(—)	2744
एच० ए० एल	(—)	298.03	(—)	639.47	(—)	569.43
एस० एस० पी० एल०	(+)	7.27	(+)	42.17	(—)	36.43
बी० सी० पी० एल०*		—		—	(—)	210.48 (अनन्तिम)

*यह कम्पनी एक रुग्ण कम्पनी के उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 27-3-1981 को पंजीकृत की गई।

वर्गीज समिति की आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता के बारे में सिफारिशें

1549. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्गीज समिति की रिपोर्ट में आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता के लिये क्या सिफारिशें हैं ; और

(क) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्गीज समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि एक स्वायत्त राष्ट्रीय न्यास आकाशवाणी और दूरदर्शन को देख-रेख करे।

(ख) सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निकाय स्थापित न करने का निर्णय लिया है क्योंकि ये मीडिया यूनिटें अपने मूल उद्देश्य अर्थात् लोगों की सेवा कर सकें इसके लिए इस प्रकार का संगठन आवश्यक नहीं है।

आकाशवाणी, रोहतक का विस्तार

1550. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के रोहतक स्टेशन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लम्बित मामल

1551. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) रजिस्ट्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30.6.1982 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 35682 मामले लम्बित थे। मामलों के लम्बित रहने के कारण जटिल हैं।

(ग) सामान्यत: उच्च न्यायालयों में मामलों की शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए की गई कार्रवाइयों को दर्शित करने वाला **विवरण** संलग्न है ।

विवरण

लम्बित मामलों को कम करने के लिये की कार्रवाइयां

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं :

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क) ।
2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहित 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया।
3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या समय-समय पर बढ़ायी गई है ।
4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :

   (क) अनेक उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित हैं, एक ग्रुप में रख रहे हैं;

   (ख) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

   (ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता की समाप्त करना;

   (घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना;

5. सरकार ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, यह भी लिखा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करें ।
6. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

   (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से :

      (i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिएं, मामलों के शीघ्र और

कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीयियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

हरियाणा में गैस एजेंसियां

1552. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हरियाणा में नई गैस एजेंसियां खोले जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां खोली जायेंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां

(ख) इस वर्ष के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा हरियाणा में 24 एल॰ पी॰ जी॰ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव है। स्थान नीचे दिए गए हैं :

हांसी	बहादुरगढ़ (2)
फतेहाबाद	हिसार
शाहबाद	करनाल
पल्वल	पानीपत
अम्बाला (2)	रोहतक
झज्जर	फरीदाबाद (2)
रेवाड़ी	कालका
कैथल	महेन्द्रगढ़
पंचकुला (2)	जगाधरी
सोनीपत	गुड़गांव

हरियाणा राज्य के शहरों को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली में जोड़ना

1553. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा राज्य के उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें 1983-84 के दौरान एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़ने की योजना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : ऐसी सम्भावना है कि 1983-84 के दौरान हरियाणा के निम्नलिखित नगर एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़ दिए जाएंगे :

(1) यमुनानगर

(2) सिरसा

(3) भिवाड़ी ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

1554. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) इन योजनाओं को कार्यान्वयन में पिछले दो वर्षों के दौरान क्या उपलब्धि हुई तथा इन योजनाओं के अधीन जिला-वार कितने गांवों में बिजली दी गई; और

(ग) उड़ीसा में अगले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये शुरू किए जा रहे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के लिए योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा उड़ीसा में बिजली दिये जाने वाले गांवों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर (उड़ीसा) से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

1555. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक, भुवनेश्वर और संबलपुर (उड़ीसा) से प्रकाशित उड़िया के दैनिक समाचारपत्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन दैनिक समाचार पत्रों को कितनी मात्रा में अखबारी कागज स्वीकृत किया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

कटक, भुवनेश्वर और सम्बलपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों की सूची

उड़ीसा दैनिक समाचार-पत्रों के नाम	31.12.1981 को प्रसार संख्या	1982-83 के दौरान अखबारी कागज की मीट्रिक टनों में जारी की गई मात्रा
भुवनेश्वर से प्रकाशित		
1. धरित्रि	22,096	222.12
2. दीनालिपि	7,208	58.83
3. स्वराज्य	18,334	शून्य*
कटक से प्रकाशित		
1. समाज	83,839	1804.18
सम्बलपुर से प्रकाशित		
1. कटुसत्य	1,000	शून्य*
2. कोसाला	2,000	शून्य*
3. किसान मजदूर	उपलब्ध नहीं की गई।	शून्य*

* कोई अखबारी कागज आबंटित नहीं किया गया क्योंकि कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

असंतोषजनक वित्तीय कार्य निष्पादन वाले राज्य बिजली बोर्ड

1556. **श्री रेणुपद दास :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने स्थापित किए जाने की तारीख से ही किन राज्य बिजली बोर्डों का असंतोषजनक वित्तीय कार्य निष्पादन हुआ है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के परीक्षा किए गए लेखों की 1 अप्रैल, 1979 की स्थिति के अनुसार हानियों/लाभों को संलग्न विवरण में बताया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और चालू करने में विलम्ब, वर्तमान उत्पादन क्षमता का कम समुपयोजन, पारेषण और वितरण में अधिक हानियां और कुछेक समूह के उपभोक्ताओं के लिए अलाभकारी टैरिफ ने राज्य बिजली बोर्डों के समूचे कार्य निष्पादन पर कुप्रभाव डाला है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों की हानियां

(सरकार से आर्थिक सहायता को लेखे में जोड़ने के पश्चात्)

राज्य बिजली बोर्ड		क	ख (लाख रुपए में)
1. उत्तर प्रदेश		42,271 वाई	9,144 वाई
2. पंजाब		8,655	एक्स
3. हरियाणा		5,401 वाई	361 वाई
4. बिहार		5,294	—
5. उडीसा		4,391	1,668
6. गुजरात		3,730	392
7. हिमाचल प्रदेश		2,494 वाई	435 वाई
8. आन्ध्र प्रदेश		1,801	एक्स
9. केरल		1,240	एक्स
10. प० बंगाल		591	129
	जोड़	75,868	12,129
11. मेघालय		1,505	92

(क्रमश: 31.3.1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तथा संचयी।)

क=31-3-1979 को संचयी

ख=31-3-1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

एक्स=31-3-1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान के अर्जित लाभ

पंजाब=512, आन्ध्र प्रदेश=668, केरल=2215,

वाई=सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी।

राज्य विद्युत बोर्डों के लाभ

(सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को लेखे में जोड़ने के पश्चात)

	राज्य विद्युत बोर्ड	क	ख (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	7,992	1,139

1	2		3	4
2.	तमिलनाडु		6,914	598
3.	कर्नाटक		3,964	1,463
4.	राजस्थान		1,161	1,221
5.	मध्य प्रदेश		1,458	74
		जोड़	21,939	4,495
6.	असम		1,124	Z

(क्रमशः संचयी तथा 31-3-1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

क=31-3-1979 तक संचयी

ख=31-3-1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

जैड=31-3-1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान घाटा हुआ=331

दिल्ली दूरदर्शन में समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय

1557. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष के दौरान, एशियाड 82 की अवधि को छोड़कर, दिल्ली दूरदर्शन पर निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम-वार कितना समय आबंटित किया गया :

(1) समाचार

(2) संगीत

(3) नृत्य

(4) खेल (मदवार)

(5) पहेली

(6) नाटक

(7) फीचर फिल्में और

(8) अन्य महत्वपूर्ण विषय ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

क्रम संख्या	कार्यक्रम की श्रेणी	1982 के दौरान आबंटित समय	
		घण्टे	मिनट
1	2	3	4
1.	समाचार	215	27
2.	संगीत	122	45

1	2	3	4
3.	नृत्य	36	50
4.	खेलकूद		
	(क) क्रिकेट	141	32
	(ख) हाकी	75	20
	(ग) फुटबाल	46	50
	(घ) अन्य	26	18
	कुल :	293	00
5.	पहेली	22	53
6.	नाटक	73	00
7.	फीचर फिल्में	176	00
8.	अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं	305	00

दिल्ली दूरदर्शन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए राज्यवार आबंटित समय

1558. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीने के दौरान दिल्ली दूरदर्शन पर और राष्ट्रीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने के लिए राज्यवार कितना समय आबंटित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : राष्ट्रीय कार्यक्रम में तथा दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक घटनाओं की मदों को उनकी कार्यक्रम उपयुक्तता तथा आवश्यकताओं के अनुसार शामिल किया जाता है। राज्य-वार समय का कोई निश्चित आवंटन नहीं है। दूरदर्शन न्द्र दिल्ली से गत महीनों के दौरान टेलीकास्ट किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अवधि 10 घण्टे 40 मिनट थी। जहां तक वैयक्तिक राज्य से सम्बन्धित संगीत और नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ब्यौरे का सम्बन्ध है, वह इस प्रकार है :

राज्य का नाम		गत तीन महीनों के दौरान संगीत और नृत्य की मदो का टेलीकास्ट समय	
		दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली पर	राष्ट्रीय कार्यक्रम में
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	25 मिनट	53 मिनट
2.	पश्चिम बंगाल	—	1 घण्टा 31 मिनट
3.	राजस्थान	39 मिनट	36 मिनट
4.	तमिलनाडु	—	56 मिनट
5,	मणिपुर	—	51 मिनट

1	2	3	4
6.	हरियाणा	15 मिनट	—
7.	महाराष्ट्र	—	15 मिनट
8.	हिमाचल प्रदेश	5 मिनट	—
9.	उड़ीसा	—	31 मिनट
10.	असम	11 मिमट	12 मिनट
11.	पंजाब	50 मिनट	45 मिनट
12.	केरल	—	11 मिनट
13.	जम्मू व काश्मीर	31 मिनट	10 मिनट
14.	गुजरात	—	27 मिनट

पेट्रो-कैमिकल्स संयंत्रों में भारी निवेश

1559. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या-पेट्रो-केमिकल संयंत्रों में भारी निवेश करने के प्रस्ताव को, जो सरकार के विचाराधीन था, अन्तिम रूप दे दिया गया है; **और**

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित पेट्रो रसायन संयंत्रों का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, (i) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की शोधनशाला के एक भाग के रूप में बम्बई में एक बेन्जीन संयंत्र (प्रतिवर्ष लगभग 98,000 मी० टन क्षमता)।

(ii) इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड प्रोजैक्ट के लिए (क) डी० एम० टी० संयंत्र की क्षमता में प्रतिवर्ष 10,0.0 मी० टन का विस्तार।

(ख) पोलीप्रोपीलीन (25000 मी० टन प्रतिवर्ष) और डी०-आइसो-बूटालीन के निर्माण के लिये एफ० सी० सी० अपतटीय गैस का प्रयोग (6,000 मी० टन प्रतिवर्ष);

(ग) जाइलीन क्षमता में प्रतिवर्ष 56,000 मी० टन तक विस्तार; और

(घ) एक्रीलिक फाइबर की क्षमता में प्रतिवर्ष 12,000 मी० टन तक विस्तार। इन प्रायोजनाओं की पूंजीगत लागत का अनुमान लगभग 277 करोड़ रुपये लगाया गया है।

नई दिल्ली को उपग्रह द्वारा विश्व के शहरों से जोड़ना

1560. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री राम विलास पासवान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व

के उन शहरों के नाम क्या हैं जो उपग्रह के माध्यम से नई दिल्ली से जोड़े जा चुके हैं और कौन से शहर अगले तीन वर्षों के दौरान जोड़े जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : उपग्रह के माध्यम से विश्व के नीचे लिखे शहरों को नई दिल्ली के साथ जोड़ा गया :—आबूधावी, अदन, एथेन्स, बहरीन, बेंजिग, बियोग्राड, ब्रुसल्स, ब्रुखारेस्ट, कोलम्बो, दारेसलाम, दुबई, फ्रेंकफर्ट, हेग, हांगकांग, कराची, काठमाण्डू, कुवैत, लन्दन, मनीला, मांट्रियल, मास्को, नैरोबी, न्यूयार्क, पेरिस, प्राह, रंगून, रोम, रोटरडम, शरजाह, सिडनी, ताइपेइ, तेहरान, टोकियो, वियाना, वारपा और ज्यूरिच।

आगामी तीन वर्षों में नई दिल्ली के साथ जोड़े जाने वाले प्रस्तावित शहरों के नाम हैं :—अलजियर्स, काहिरा और सियोल।

बिहार के राजधनबार उप-डाकघर में डाक के वितरण में विलम्ब

1561. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधनबार उप डाकघर की डाक कोडरमा रेलवे स्टेशन से महीने में केवल दो अथवा तीन बार प्राप्त हो रही है तथा इस सम्बन्ध से राजधनबार के लोगों ने लोगों ने शिकायतें की हैं;

(ख) क्या राजधनबार उप-डाकघर से सम्बद्ध लगभग 25-30 शाखा डाकघरों में भी मनीआर्डर, रजिस्टर्ड डाक, तारें, आदि 15-20 दिन के विलम्ब के बाद प्राप्त होते हैं तथा 1982 से से महाडाकपाल, पटना और केन्द्रीय संचार मंत्री को निरन्तर शिकायतें की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुख्यालय-राजधनबार तक डाक थैले ले जाने के लिए विशेष डाकवाहनों अथवा मेटाडोर वाहनों की व्यवस्था करके गिरीडीह-हजारीबाग जिलों के मुख्य डाकघरों को निर्बाध और नियमित दैनिक वितरण करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि कोडरमा रेलवे स्टेशन से राजधनबार उपडाकघर की डाक महीने में दो या तीन बार प्राप्त की जा रही है। तथापि बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों द्वारा अनियमित रूप से डाक ढोने के कारण राजधनवार उप डाकघर और इससे सम्बद्ध 19 शाखा डाकघरों में विलम्ब के डाक की प्राप्ति में सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) राजधनबार डाकघर और उसके शाखा डाकघरों में डाक के नियमित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हजारी बाग रोड रेलडाक सेवा से इस कार्यालय को डाक भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

पी० सी० एल० में विस्थापित किसानों को रोजगार

1562. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजरप्पा परियोजना (पी० सी० एल०) द्वारा कितने किसानों को विस्थापित किया गया है और इस समय कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में सी० सी० एल० द्वारा निर्धारित, एक एकड़ के लिए एक रोजगार, के सिद्धांत के अनुसार अब तक कितने विस्थापित किसानों को रोजगार दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटा नागपुर और संथाल परगना के बीच दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाना

1563. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर और संथाल परगना के बीच एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इन्सैट योजना के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान रांची में स्थापित किया जा रहा 10 किलोवाट का प्रेषण केन्द्र छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची, सिंहभूम और पलामाऊ के तीन जिलों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करेगा। इस केन्द्र के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। संथाल परगना के भागों में भी पश्चिम बंगाल में आसनसोल में इस समय स्थापित किये जा रहे 10 किलोवाट के दूरदर्शन रिले केन्द्र से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी।

वर्ष 1982-83 के दौरान विद्युत उत्पादन की स्थिति

1564. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 83 में विद्युत उत्पादन में उपलब्धि के सम्बन्ध में राज्यवार कोई पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में इस बारे में, राज्य-वार, उपलब्धियां क्या थीं;

(ग) क्या सरकार का 1983-84 में विद्युत उत्पादन बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो 1983-84 में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इस बारे में राज्य-वार क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के लिए प्रणाली-वार वास्तविक उत्पादन की तुलना में लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें नई विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए कार्रवाई करना तथा ताप-विद्युत परियोजना के कार्य निष्पादन में सुधार करना शामिल है। इस सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयास किसी विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं हैं किन्तु सभी राज्यों पर लागू हैं।

विवरण

अप्रैल, 82—जनवरी, 83 के लिए प्रणाली-वार विद्युत उत्पादन और लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/प्रणाली	उत्पादन कार्यक्रम (मिलियन यूनिट)	सफल उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1.	भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड	5118	5968
2.	ब्यास निर्माण बोर्ड	3751	3527
3.	दिल्ली	3788	3612
4.	जम्मू और कश्मीर	778	775
5.	हिमाचल प्रदेश	1170	1140
6.	हरियाणा	1225	901
7.	राजस्थान	2196	977
8.	पंजाब	2012	2221
9.	उत्तर प्रदेश	12406	12781
10.	गुजरात	9136	8851
11.	मध्य प्रदेश	6770	6576
12.	महाराष्ट्र	18092	17912
13.	आंध्र प्रदेश	8577	8536
14.	कर्नाटक	5791	6623
15.	केरल	4330	3908
16.	तमिलनाडु	9511	9618
17.	बिहार	2322	2287
18.	उड़ीसा	2797	2439
19.	पश्चिम बंगाल	4830	5854
20.	दामोदर घाटी निगम	5381	5041
21.	सिक्किम	22	31
22.	असम	821	766
23.	मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड	334	4401

बम्बई हाई के तेल की दक्षिण अफ्रीका को सप्लाई

1565. श्री डी० पी० यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई से निकाला जा रहा तेल अन्य देशों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से भारतीय तेल परिशोधन किये जाने हेतु दक्षिण अफ्रीका को सप्लाई किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) बम्बई हाई खनिज तेल के निर्यात के लिए सभी करार दक्षिण अफ्रीका को सप्लाई पर रोक की शर्त लगाते हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन निकासी पतनों पर स्वतन्त्र निरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं और वे उनसे प्रतिबन्ध के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं।

डाक की डिलीवरी में विलम्ब

1566. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाक को गलत स्टेशनों पर भेजे जाने तथा बड़े पैमाने पर गलत पते पर वितरण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिसके कारण जनता को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनियोजित छंटाई के कारण डाक में विलम्ब होता है और जनता को नुकसान पहुंचता है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) विभाग पिछले काफी समय से छपे हुए कागज, पत्रिकाएं, पुस्तक पैकेट, विज्ञापन सामग्री एवं वाणिज्यिक परिपत्रों वाली द्वितीय श्रेणी की डाक की ढुलाई में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। इस श्रेणी की डाक को अत्यधिक व्यय और जनता द्वारा अदा की गई कम डाक शुल्क को ध्यान में रखते हुए प्रथम श्रेणी की डाक की भारत हवाई जहाज से भी नहीं ले जाया जा सकता है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए विभाग ने चुनिंदा सार्टिंग सैक्शनों को ट्रांजिट सैक्सनों में परिवर्तित करने के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है। चूंकि सार्टर कर्मी मण्डल को डाक गाड़ी के अन्दर हिलने-डुलने और छंटाई कार्य के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, अतः चलती गाड़ियों से छंटाई कार्य को वापस ले लेने से बन्द थैलों की ढुलाई के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। इससे विभाग मौजूदा व्यवस्था में ही अत्यधिक संख्या में बन्द थैलों की ढुलाई करने और फलस्वरूप भली-भांति संभालने और शीघ्र वितरण करने में समर्थ है। हाल ही में सार्टिंग सैक्सनों को परिवर्तित करने के बड़े आशाप्रद परिणाम सामने आए हैं।

तथापि, कुछ कर्मचारी इस परिवर्तन के आलोचक रहे हैं और दिसम्बर, 82 और जनवरी, 83 में "नियमानुसार कार्य" और "धीमे कार्य करो" आंदोलन से डाक में विलम्ब तथा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह विलम्ब किसी भी अव्यवस्थित छंटाई प्रणाली के कारण नहीं हुआ था।

(ग) डाक के शीघ्र पारगमन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डाक थैलों की जांच के साथ डाक मानीटर करने की प्रणाली चालू की गई है। थैले सीधे भेजने की प्रणाली चालू करने के भी आदेश दे दिए गए हैं।

वर्ष 1982 के दौरान विद्युत उत्पादन

1567. **श्री रशीद मसूद :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान उत्पादित बिजली तथा उत्पादन क्षमता की तुलना में 1982 में बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) यदि वर्ष 1982 के दौरान बिजली के प्रत्याशित उत्पादन लक्ष्य में कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1982, 1981 तथा 1980 के दौरान विद्युत उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता युटिलिटीज में नीचे दिया गया है :

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मि० यू०)	उत्पादन क्षमता (31 मार्च की स्थिति के अनुसार) (मेगा०) लगभग
1982	129547	31,500
1981	121166	29,500
1980	106148	27,000

(ख) 1982 के दौरान विद्युत उत्पादन लक्ष्य से लगभग 1 % कम था। यह मुख्य रूप से न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों से कम उत्पादन के कारण हुआ।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा आवश्यक औषधियों का निर्माण

1568. **श्री अमर राय प्रधान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां देश में आवश्यक औषधियों का निर्माण और विपणन कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं और वर्ष 1977 से मार्च, 1982 तक उनके वर्षवार लाभ क्या थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अनिवार्य औषध फार्मुलेशनों का उत्पादन और विपणन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों सहित औषध उद्योग के सभी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। ऐसी कम्पनियों के बारे में उपलब्ध सूचना उनके द्वारा उत्पादित की जाने वाली अनिवार्य औषधियों और 1977 से 1982 तक उनके वर्षवार लाभों के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	बहुराष्ट्रिक कंपनी का नाम	श्रेणी-I और II के फार्मूलेशनों के नाम (कंपनी द्वारा निर्मित आवश्यक औषध फार्मूलेशन)	करों के पश्चात् लाभ (लाख/रुपए)					
			1977	1978	1979	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै० सिनमाइन (इंडिया) लि०	एक्रोमाइसिन कैपसुल्स, एक्रोमाइसिन आंख और कान की मलहम, एक्रोमाइसिन आंख और कान आयल सस्पेंशन, एक्रोमाइसिन इन्ट्रामस्कुलर, एक्रोमाइसिन इंट्रावेन्स, एक्रोमाइसिन पेडिएट्रिल ओरल, सस्पेंशन एक्रोमाइसिन पेडिएट्रिक सोल्युबल गोलियां, लेडिरमाइसन कैपसुल्स, लेडिरमाइसिन पेडिएट्रिक सोल्यूबल गोलियां, लेडरमाइसिन ड्राप्स, लेडरमाइसिन सिरप, लेडरमाइसिन मलहम	165.01	174.76	154.05	26.16	2.25	5.28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	हिन्दुस्तान सीबा गेगी	इन्ट्रो-बायोफार्म गोलियां इसिड्रेक्स गोलियां	312.·5	368.17	443.90	310.49	321.61	अनुपलब्ध
3.	सेन्डोजा (इंडिया) लि०	कारडोक्सिन गोलियां	112.18	168.06	152.55	127.79	175.03	,,
4.	ने एण्ड बेकर (इंडिया) लि०	गारडिनल, नेवाक्वीन गोलियां और इन्जेक्शन्स, थेलाजोल गोलियां	48.37	45.03	24.81	28.94	77.93	,,
5.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	शून्य	51.00	44.00	21.00	46.00	48.00	65
6.	बेयर (इंडिया) लि०	बिटिबान गोलियां, लुमिनल गोलियां, लुमिनलेटस गोलियां, रेसोचिन गोलियां, रेसोचिन सोल्यूशन	182.40	230.70	200.10	75.30	56.80	अनुपलब्ध
7.	रैलिस (इंडिया) लि०	शून्य	93.39	199·63	167.03	230.02	214.67	अनुपलब्ध

* लेखा परीक्षा के अध्यधीन

पिछले तीन वर्षों में बिजली की मांगें, उत्पादन और उसमें कटौती

1569. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में राज्य-वार तथा संघ राज्य-क्षेत्र वार बिजली के उत्पादन बिजली की मांग, उसकी खपत तथा बिजली में कटौती संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वर्षों के लिए बिजली संबंधी लक्ष्य क्या थे; और

(ग) इन वर्षों में, राज्य-वार तथा संघ-राज्य क्षेत्रवार कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को सप्लाई की गई बिजली के आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (अप्रैल-जनवरी, 1983) के दौरान राज्यवार/प्रणालीवार विद्युत उत्पादन **उपाबन्ध एक** में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5966/83**]

वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (अप्रैल, 82-जन०, 83) के दौरान राज्यवार/प्रणालीवार आवश्यकता और सप्लाई **उपाबन्ध-दो** में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5966/83**]

वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (अप्रैल, 82 से जन०, 83 तक) के दौरान विद्युत की कटौतियों तथा प्रतिबन्धों का महीनेवार ब्यौरा **उपाबन्ध-तीन, चार और पांच में** दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 59**6/83]

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (अप्रैल, 82 से जनवरी, 83) के दौरान विद्युत उत्पादन कार्यक्रम **उपाबन्ध-छ**: में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5966/83**]

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र को राज्यवार बेची गई बिजली **उपाबन्ध-सात** और **आठ में** दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5966/83**]

देश में बेरोजगारी

1570. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश में बेरोजगारी की दर क्या थी;

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ग) देश में पिछले पांच वर्षों में कितने बेरोजगार व्यक्ति थे; और

(घ) बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और इसे कब तक दूर किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) देश में बेरोजगारी की दर के बारे में सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवार्षिक श्रृंखला सर्वेक्षणों में उपलब्ध होती है। नवीनतम उपलब्ध दरें वर्ष 1977-78 के बारे में हैं और इन्हें **विवरण एक** में दिखाया गया है।

(ख) देश में रोजगार/बेरोजगारी की स्थिति के बारे में नियमित वार्षिक सर्वेक्षणों के अभाव में, वार्षिक आधार पर रोजगार/बेरोजगारी के अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो पाया है। छठी योजना (1980-85) में यह अनुमान लगाया गया था कि योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त रोजगार सृजन लगभग 343 लाख मानक व्यक्ति-वर्ष होगा।

(ग) देश में पिछले पांच वर्षों के बारे में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के सही-सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में यह अनुमान लगाया गया था कि मार्च, 1980 में "सामान्य-स्तर" के अनुसार लगभग 120.2 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, जबकि इस बात को माना गया था कि 1977-78 के सर्वेक्षण से प्राप्त बेरोजगारी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा।

(घ) छठी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी लाना है। योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे कई कार्यक्रमों में बहुत रोजगार की सम्भाव्यता है। इनमें से कुछ में **विवरण-दो** में सूचीबद्ध किए गए हैं। छठी योजना अवधि के दौरान रोजगार सृजन में अनुमानित वृद्धि 343 लाख मानक व्यक्ति-वर्ष है। छठी योजना के अन्त तक बेरोजगारी को पूर्ण रूप से दूर करना सम्भव नहीं होगा। अन्तिम विश्लेषण में, श्रमिक बल की वृद्धि के सापेक्ष रूप में अर्थव्यवस्था में निरन्तर तथा तीव्र वृद्धि होने से बेरोजगारी दूर हो पाएगी।

विवरण-एक

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 32वां दौर-1977-78 के परिणामों के अनुसार बेरोजगारी की दरें (तत्संबंधी जनसंख्या, 5 वर्ष और इससे ऊपर, की प्रतिशतताओं के रूप में प्रकट)

जनसंख्या की श्रेणी	सामान्य स्तर-बेरोजगारी दर
ग्रामीण पुरुष	1.41
ग्रामीण महिला	1.68
शहरी पुरुष	?.90
शहरी महिला	3.03
जोड़	1.?4

विवरण-दो

छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम तथा नीतियां

1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विशाल सिंचाई कार्यक्रमों (लघु सिंचाई के उच्च संघटकों

सहित) सुधार किए हुए कृषि संबंधी इन्पुट्स आदि को विशेषकर छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार अवसरों का सृजन।

2. देश में सभी ब्लाकों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार। यह पहले किया जा चुका है। इस कार्यक्रम से 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 15 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकेगा।

3. छठी योजना अवधि के दौरान अपरेशन फ्लड II डेरी विकास परियोजना से लगभग 8 मिलियन मूल रूप से दुग्ध उत्पादन पर आधारित परिवारों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है। अन्य डेरी विकास योजनाओं से 5 मिलियन अतिरिक्त परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा।

4. मत्स्य-पालन का विकास।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) देश के सभी ब्लाकों में लागू होता है तथा इससे विशेषकर मन्दे कृषि मौसम में मजदूरी रोजगार प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 300 से 400 मिलियन व्यक्ति-दिनों का सृजन होगा।

6. लघु उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग वाले क्षेत्रों जो कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य उपलब्ध कराते हैं, वाले क्षेत्रों के लिए योजना विनियोजन को बढ़ाया गया है। योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 9 मिलियन व्यक्तियों को हैंडलूम, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर आदि सहित खादी और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास संबंधी सहायता कार्यक्रमों से लाभ पहुंचने की संभावना है।

7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों से निर्माण उद्योगों में काफी रोजगार सृजित होने की सम्भावना है और इस कार्यक्रम द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा समाज सेवाओं के विस्तार से भी पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

8. ट्राइसेम प्रत्येक वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेगा जिससे वे स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें तथा इन व्यक्तियों को अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रोजगार स्कीमों को और सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाएगा।

9. पर्यावरण स्वच्छता, गंदी बस्तियों का सुधार, पेड़ लगाना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आदि जैसे कार्यों से बेरोजगार शहरी गरीबों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

10. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के बारे में अपनाई जा रही विकेन्द्रीकृत नीति है। देश के अधिकांश जिलों में इस प्रयोजन के लिए स्थापित की जा रही जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदें उन जिलों में, जो स्थानीय स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित हैं, रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाएगी। परिषदों को उपयुक्त व्यावसायिक समर्थन दिया जा रहा है और जिला रोजगार कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालयों, लीड बैंकों तथा अन्यों द्वारा उनके कार्य करने के लिए सक्रिय रूप से सहायता दी जाएगी।

11. स्व: नियोजितों के लिए नया व्यवहार छठी योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह नीति संबंधी उपायों का एक एक "पैकेज" हैं जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों के स्व:रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, ऋण सुविधाएं, प्रशिक्षण, विपणन तथा अन्य उपाय शामिल हैं।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में बिना पिछले अनुसधान अनुभव वाले वैज्ञानिक

1571. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको अनुसंधान अथवा विकास संबंधी कोई पूर्व अनुभव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के ब्यौरे क्या हैं जिनको ऐसा कोई पूर्व अनुभव नहीं है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टी० आर० सी०) में नियुक्त किए गए तकनीकी कर्मचारी डाक-तार विभाग की दूरसंचार शाखा में व्यावहारिक प्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए उपयुक्त एवं योग्य होते हैं।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान की रुचि वाले वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जाना

1572. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र उच्च अधिकारियों की अधिकता वाला संगठन है और अनुसंधान में रुचि रखनें वाले वैज्ञानिकों के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाता है और विफल किया जाता है; और

(ख) क्या केन्द्र में विकास कार्य में प्राप्त परिणामों को अफसरों द्वारा क्षेत्र में लाये जाने की अनुमति नहीं दी जाती?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं। अनुसंधान केन्द्र का संगठन उसे दिए गए कार्य के अनुसार ही है।

(ख) जी नहीं। विकास कार्य के परिणामों का फील्ड परीक्षण किया जाता है।

अनुसंधान में रुचि न रखने वालों द्वारा दूरसचार अनुसंधान केन्द्र की अध्यक्षता करना

1573. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में, विशेष रूप से उच्च ग्रेड के पदों पर ऐसे अधिकार आसीन हैं जिनकी अनुसंधान में रुचि नहीं है; और

(ख) क्या प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण के लिए वैज्ञानिकों को, जो अधिक प्रभावी रूप से

जानकारी का अभिग्रहण कर सकते हैं; विदेशों में भेजने के स्थान पर प्रशासकीय अधिकारियों को विदेशों में भेजा जा रहा है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में कार्मिकों की नियुक्ति कार्य की प्रकृति और उस कार्य के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ख) प्रौद्योगिकी (टेक्नालॉजी) हासिल करने के लिए केवल उन्हीं कार्मिकों को विदेश भेजा जाता है जो उक्त प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए सक्षम समझे जाते हैं।

टेलीफोन प्रणाली की आधुनिकीकरण

1574. **श्री अमल दत्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्हीं व्यक्तियों से टेलीफोन प्रणाली का पांच गुना विस्तार किया जा सकता है बशर्ते कि अद्यतन तकलीफ और अधिक मितव्ययी प्रौद्योगिकी अपनाई जाये;

(ख) क्या यह सच है कि विभाग के राजस्व से ही टेलीफोन प्रणाली को आधुनिक बनाया जा सकता है; और

(ग) सरकार के सामान्य राजस्व में टेलीफोन विभाग का योगदान क्या है और गत तीन वर्षों के लिए टेलीफोन विभाग द्वारा डाक विंग की राजसहायता क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। परंतु प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त यह पूंजी निवेश, देशी और/या विदेशी स्रोतों से माल की उपलब्धता, रोजगार नीति, प्रशिक्षण आदि जैसी कई अन्य बातों पर निर्भर करेगा।

(ख) यह काफी हद तक तभी संभव होगा, यदि दूरसंचार शाखा का राजस्व पूर्णतया दूरसंचार के लिए ही प्रयोग किया जाए।

(ग) सामान्य राजस्व में डाक-तार विभाग का इस प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तथापि सामान्य राजस्व में पूंजी पर लाभांश दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में दिया गया लाभांश इस प्रकार है :

1979-80	32.51 करोड़ रु०
1980-81	36.47 करोड़ रु०
1981-82	49.83 करोड़ रु०

डाक शाखा में हुई हानि को पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार शाखा के अधिशेष से पूरा किया गया था जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1979-80	11.53 करोड़ रु०
1980-81	72.15 करोड़ रु०
1981-82	93.59 करोड़ रु०

बम्बई हाई स्थित परामर्शदात्री फर्मों के लिए शुल्क के रूप में अशोधित तेल

1575. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल खोज कार्य में लगी बम्बई हाई स्थित परामर्शदात्री फर्मों को परामर्श शुल्क के बदले कुछ अशोधित तेल मिलता;

(ख) यदि हां, तो उनको परामर्श शुल्क के रूप में दिये जाने वाले अशोधित तेल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि समझौते के अनुसार यह परामर्शदात्री फर्में इजरायल और दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व में किसी भी देश से यह तेल बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्होंने कुछ अशोधित तेल दक्षिण अफ्रीका को निर्यात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किसी परामर्शी कम्पनी को परामर्शी शुल्क के स्थान पर खनिज तेल में भुगतान नहीं किया है।

(ख) से (ङ) तक : प्रश्न नहीं उठता।

जिला बांदा (उत्तर प्रदेश) में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज तथा माइक्रोवेव टावर बनाया जाना

1576. **श्री रामनाथ दूबे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज तथा माइक्रोवेव टावर तथा उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो टेलीफोन की स्थापना करने की मंजूरी दो वर्ष पूर्व दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनकी स्थापना कब तक हो जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) बांदा में स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज और यू० एच० एफ० लिंक की संस्थापना की मंजूरी दी जा चुकी है और इसे चालू योजनावधि के अंत तक शुरू करने की योजना बनाई गई है। माइक्रोवेव रेडियो टेलीफोन प्रणाली की संस्थापना की मंजूरी दे दी गई है तथा इसे इस वर्ष के दौरान चालू करने की योजना है।

(ख) चूंकि यह कार्य योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है अतः इसमें कोई विलम्ब नहीं है।

वर्ष 1979-82 में पंजीकृत किये गये शिक्षित बेरोजगार

1577. **श्री के० लकप्पा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980, 1981 तथा 1982 के अन्त पर कितने शिक्षित बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे; और

(ख) यदि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है तो उसमें कमी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले, जिनमें से अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं हैं, शिक्षित (मैट्रिकुलेट और इससे अधिक) की संख्या से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित के अन्त मे	संख्या (लाखों में)
1979	73.0
1980	81.0
1981	90.2
1982 (जून)	90.4

(ख) छठी योजना दस्तावेज 1980-85 के अध्याय "जनशक्ति और नियोजन" में विभिन्न कार्यक्रमों के, जिन्हें रोजगार सृजन के लिए शुरू किया जाना है, विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं। योजना में परिकल्पना की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों से, जिन्हें प्रारम्भ किया जा रहा है, शिक्षितों के लिए पर्याप्त रोजगार क्षमता की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऋण सुविधाएं, विपणन सुविधाएं और मार्गदर्शन की व्यवस्था द्वारा, जिसके अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार भी आते हैं, स्व-रोजगार की प्रोन्नति पर जोर दिया जा रहा है।

साहिब सिंह एण्ड सन्स का परिसमापन

1578. **श्री के० लकप्पा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है साहिब सिंह एण्ड सन्स लिमिटेड, नई दिल्ली का कुछ समय पूर्व परिसमापन हो गया था, यदि हां, तो कम्पनी की कुल देयतायें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी के सरकारी परिसमापक ने काफी अधिक राशियों की वसूली के लिये रेनबक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड के चेयरमैन, भाई मोहन सिंह के विरुद्ध आपराधिक/दीवानी मुकदमें दायर किये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) बेईमान लोगों द्वारा कम्पनी की आस्तियों को हड़पे जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) "साहिब सिंह (एजेन्सीज) प्राइवेट लिमिटेड" (और साहिब सिंह एण्ड सन्स लिमिटेड नहीं" के नाम से एक कम्पनी 20 सितम्बर, 1976 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा परिसमापन में चली गई। कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्र के अनुसार इस कम्पनी की कुल देयता 12,88,674.48 रु० अनुमानित की गई थी।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बन्ध शासकीय समापक ने सितम्बर, 1981 में धारा 538 और 541 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 543 के अन्तर्गत अधिकार का दुरुपयोग करने की कार्यवाहियों के लिए कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेश भाई मोहन सिंह और कम्पनी के अन्य निदेशकों के विरुद्ध 1,33,49,840,33 रु० की राशि जो कम्पनी द्वारा की गई हानि के लिए जिम्मेदार हों, संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग और जिनको उत्तरदायी ठहराया जाए, के विरुद्ध प्रस्तुत की। ये कार्यवाहियों, जो सिविल रूप में चल रही हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 542 और 543 के उपबन्धों में बेईमान लोगों द्वारा कम्पनियों का कार्य छलरूप में सम्पन्न करने के विरुद्ध पर्याप्त उपायों की व्यवस्था है।

स्टाकयार्डों द्वारा ऊंची दरों पर कोयले की सप्लाई किया जाना

1579. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुलशेर अहमद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मध्यप्रदेश के कोयले के लघु क्षेत्र के उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त कि हुई कोल इंडिया की पुनरीक्षित नीति के अन्तर्गत उनको स्टायार्डों से कोयले की सप्लाई उस भाव से अधिक भाव पर की जा रही है जिस पर उनको कोयला खानों से सीधे सप्लाई लेने पर पहले मिलती थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) लघु क्षेत्र के इन उपभोक्ताओं पर आवश्यक भार काम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ऐसी शिकायतें मिली है कि मध्य प्रदेश के कुछ चूना पत्थर निर्माताओं को कठिनाईयां हुई क्योंकि उनसे कहा गया था कि उन्हें रेल-ढुलाई से जितना कोयला कम मिले उतना कोयला वह कटनी स्टाक यार्ड से लें, सीधे उन कोलियरियों से नहीं जहां से वह पहले कोयला लिया करते थे। इस विभाग के पास आई निश्चित शिकायत यह है कि कटनी का स्टॉक यार्ड चूना निर्माताओं की कोयले की जरूरत पूरी नहीं कर सका और चूना-पत्थर निर्माताओं को कटनी का कोयला, कोलियरियों से सीधे प्राप्त कोयले की तुलना में, मंहगा पड़ता है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड ने समुचित अनुदेश जारी कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश के चूना निर्माताओं को रेल ढुलाई से कम मिलने वाला कोयला स्टाक यार्डों से और सीधे कोलियरियों से भी दिया जाए। कोल इंडिया लिमिटेड से कहा गया है कि वह इस शिकायत की जांच करे कि चूना-पत्थर निर्माताओं को स्टॉक यार्ड से मिलने वाला कोयला, कोलियरी से सीधे मिलने वाले कोयले की तुलना में, महंगा पड़ता है और इस शिकायत को दूर करने के लिऐ आवश्यक उपाय करे।

कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य

1580. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ग के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्या क्या है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया जायेगा;

(ग) कच्चे तेल के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा उस वर्ष कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) उस वृद्धि के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

ऊर्जा मन्त्रलय से पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) चालू वित्त वर्ष (1982-83) का उत्पादन लक्ष्य 20.98 लाख टन है।

(ख) जी, हां, वास्तविक उत्पादन 21.41 लाख टन होने की आशा है।

(ग) लगभग 50 लाख टन।

(घ) उपर्युक्त उत्पादन-वृद्धि से 2410/रुपए प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित लागत से 205 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के गुजरात में सुरक्षा अधिकारी की गिरफतारी

1581. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री राम प्यारे पनिका : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने गुजरात में तेल के कुओं से बड़े पैमाने पर तेल की चोरी में कथित हाथ होने के आरोप में तेल तथा प्राकृति गैस आयोग के एक सुरक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया है;

(ख) गुजरात में तेल के कुओं से बड़े पैमाने पर तेल की चोरी के लिए कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) गुजरात में दबका-15 कुएं पर अभी हाल में चोरी/अग्नि के सम्बन्ध में सी० बी० आई० द्वारा चार सुरक्षा कार्मिकों सहित छः तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी छः कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि

1582. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 में कोयले का उत्पादन बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका महीनेवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981-82 की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान कोयले का मासिक उत्पादन निम्नलिखित है :

(आंकड़े लाख टनों में)

	1982-83	1981-82
अप्रैल, 82	97.16	91.77
मई	98.05	91.30
जून	101.10	91.64
जुलाई	94.72	92.19
अगस्त	89.70	89.33
सितम्बर	98.12	92.62
अक्टूबर	102.67	95.68
नवम्बर	105.82	107.29
दिसम्बर	121.41	120.32
जनवरी, 83	119.52	122.76
	1028.27	994.90

सरकारी उपभोक्ताओं द्वारा कोल इंडिया लि० को बकाया भुगतान

1583. **इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री नारायण चौबे : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपभोक्ताओं ने कोल इंडिया लि० को सैकड़ों करोड़ रुपयों का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक की तरफ कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस धन राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि० को रु० 246.34 करोड़ सरकारी उपभोक्ताओं से लेना है।

(ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रु० 246.34 करोड़ की कुल बकाया राशि में से अकेले बिजली क्षेत्र पर ही कुल राशि का लगभग 70% बकाया है कोयला कम्पनियां अपने सभी उपभोक्ताओं से बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कर देने के लिए कहती रहती हैं। कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष ने बिजली बोर्डों और कम्पनियों के अध्यक्षों को लिखा है कि वह बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करा दें। मामले को सम्बन्धित राज्यों के साथ भी सरकारी स्तर पर समय-समय पर उठाया गया है।

विदेशों में कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबन्ध

1584. **श्री इन्द्रीजत गुप्त** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उन कीटनाशीदवाओं का निबधि उपयोग किया जा रहा जिनको कुछ देशों में उपयोग से हटा लिया गया है अथवा जिनके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रति क्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स इण्डिया दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 में इस बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) भारत कीटनाशी दवाओं का प्रयोग, आयात और उत्पादन इसैक्टीसाइड्स एक्ट 1968 के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। देश में कीटनाशकों के प्रयोग को अनुमति देने मे पहले उक्त एक्ट के अन्तर्गत गठित पंजीयन समिति भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करती है जैसे (1) सुरक्षा (2) नशीलापन (3) प्रभाविकता आदि। पंजीयन समिति ने अब तक 118 कीटनाशकों को स्वीकृति दी है, इनमें से केवल 7 जोखिम युक्त श्रेणी से सम्बद्ध हैं जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित किया है। इन 7 कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक सावधानी व समिति उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कीटनाशक पर प्रतिबन्ध या अन्य कोई निर्णय सरकार द्वारा उनके लाभ-हानि अनुपात का पूर्ण मूल्यांकन करने के पश्चात् किया जाता है।

(ग) सरकार ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित लेख पर ध्यान दिया था। यह पाया गया कि इसमें निहित कुछ दावे वास्तविक रूप में सही नहीं थे। टाइम्स आफ इण्डिया के सम्पादक के नाम दिनांक 20.12.1982 को प्रकाशित भारत सरकार के प्रोटेक्शन सलाहकार ने अपने पत्र में आम जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कीटनाशकों के आवश्यकता अन्य उपयोग व प्रयोगकर्ता तथा जलवायु को होने वाली सम्भावित हानि

से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सतत् प्रयत्नों से अवगत कराने के लिए कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में सही स्थिति को स्पष्ट किया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन कर्मचारियों की मांगे

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1982 के द्वितीय पखवाड़े में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कुछ आन्दोलनकारी आवश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी नियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी क्या मांगे थीं और हड़ताल के निपटारे के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा से संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां,

(क) और (ग) कुछ उन कर्मचारियों, जिन्होंने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की किसी भी सिब्बन्दी या उनके संस्थापनों में प्रत्येक सेवा में हड़तालों का निषेध करता है. के अन्तर्गत पास किये गए आदेश का उल्लंघन किया था, को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में से लिया गया था। तथापि, उसके बाद जब आन्दोलन करने करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बिना किसी शर्त के अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया है। और एशियाई खेलों को कवर करने में प्राधिकारियों को सहयो देने की पेशकश की तो हिरासत में लिए गये कर्मचारियों कोया तो उसी दिन या अगले दिन बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया था। कर्मचारियों ने एशियाई खेलों को कवर करने में भी पूर्णतया सहयोग दिया और इसे सफल बनाया।

कर्मचारियों की मुख्य मांग उत्पादिता आधारित बोनस दिए जाने के लिये थी। इस पर समुचित रूप से विचार किया जा रहा है।

महानगरों में प्रायः खराब रहने वाले टेलीफोन की प्रतिशतता

1586. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में प्रायः खराब रहने (डेड) वाले अथवा काफी समय के लिए कभी-कभी खराब होने वाले टेलीफोनों का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जो टेलीफोन खराब होते हैं और उनको ठीक करने में जितना समय लगता है उसका रिकार्ड सम्बन्धित टेलीफोन एक्सचेंज में रखा जाता है।

(ख) महानगरी टेलीफोन जिलों में खराब होने वाले टेलीफोन का प्रतिशत 1 से 1.5 प्रतिदिन है।

चार महानगरीय जिलों में दोषों की औसत अवधि निम्नानुसार है :

बम्बई	20.4 घन्टे
कलकत्ता	54.0 घन्टे
दिल्ली	4.7 घन्टे
मद्रास	6.6 घन्टे

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक, आन्ध्र और त्रिपुरा में निर्वाचनों पर व्यय

1587. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, आन्ध्र और त्रिपुपरा राज्यों में हाल में हुए] विधान सभा के निर्वाचनों में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में हाल में इलैट्रोनिक मतपत्र एवं गणना मशीनों के प्रयोग के व्यय, कार्य और बचत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो व्यय में बचत का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) अपेक्षित सूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही हैं। और सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

(ख) और (ग) अब तक मशीनों का उपयोग केवल प्रायोगिक आधार पर किया गया है और निर्वाचन आयोग के अनुसार वे सफल रही हैं।

इस प्रक्रम पर व्यय में आनुपातिक बचत के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार करना कठिन है। निर्वाचन आयोग की राय में हमारे निर्वाचनों में यदि मतदान की इलैक्ट्रोनिक मशीनों का प्रयोग किया जाए तो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के व्यय में पर्याप्त बचत होगी।

गुजरात उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1588. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की तुलना में गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) 1.3. 1983 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को दर्शित करने वाला **विवरण संलग्न** है ।

(ख) गुजरात उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	1.3.1983 को न्यायाधीशों के रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	16
2.	आंध्र प्रदेश	4
3.	बम्बई	6
4.	कलकत्ता	11
5.	दिल्ली	6
6.	गोहाटी	1
7.	गुजरात	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	12
13.	मद्रास	6
14.	उड़ीसा	2
15.	पंजाब और हरियाणा	1
16.	पटना	3
17.	राजस्थान	6
18.	सिक्किम	—
	योग	84

रसोई गैस के नये कनेक्शन

1589. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान रसोई गैस के कितने नए कनेक्शन दिए गए और वर्ष 1983 के दौरान कितने कनेक्शन दिए जाने की संभावना है; और

(ख) वर्ष 1982 तथा 1983 के दौरान देश में और गुजरात में रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची में कितने उपभोक्ता हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1982 के दौरान दिये गये एल० पी० जी० कनेक्शनों की कुल संख्या लगभग 12.5 लाख थी। वर्ष 1983 के दौरान दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या 15 से 16 लाख के बीच होगी।

(ख) प्रतीक्षा सूचियां लगातार आधार पर बनाई जाती है न कि वार्षिक आधार पर। दिनांक 31-12-82 की यथास्थिति को एल० पी० जी० कनेक्शन हेतु आवेदकों की संख्या 42.62 लाख थी जिसमें गुजरात के 4.90 लाख आवेदक सम्मिलित हैं।

नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में "गांधी" फिल्म

1590. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली में हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर रिचर्ड अटेनबरो द्वारा निर्मित "गांधी" फिल्म को शामिल नहीं किया गया था;

(ख) क्या समारोह में इस फिल्म को शामिल करने के लिए सररिचर्ड से अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : विनियमों के अनुसार, इस फिल्म के भारत में पहले ही प्रदर्शित हो जाने के कारण, यह समारोह में प्रतियोगिता की पात्र नहीं थी। इसलिए इसको इस समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

बिजली के सप्लाई के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हुआ करार

1591. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक में बिजली की सप्लाई के लिए दोनों राज्यों के बीच कोई करार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और

कर्नाटक के बीच विद्युत के आदान प्रदान के संबंध में समय पर हुए अनुबन्धों के अनुसार गत कई वर्षों से कर्नाटक और महाराष्ट्र विद्युत का आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने जलाशयों के स्तर में कमी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र बिजली बोर्ड से दिसम्बर, 1982 से सहायता के लिए अनुरोध किया है। महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ने कर्नाटक को रात्रि के 2200 बजे से अगले दिन के 1100 बजे के बीच और यदि संभव हुआ तो बाकी बचे घंटों में भी अधिकतम संभव विद्युत सप्लाई करने के लिए सहमति दी है।

फिल्मों का आयात और निर्यात

1592. **श्री जय नारायण रौत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फिल्मों की आयात और निर्यात संबंधी नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उदार नीति बनाये जाने के समय से कितनी फिल्मों का आयात और निर्यात किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गैर-सरकारी भारतीय पार्टियों द्वारा सीमित संख्या में फीचर फिल्मों का आयात करने के लिये, 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1983 तक हुए भारत के 9 वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान एक सीमित मुक्त बाजार लगाया गया था। ऐसा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रमुख फिल्म निर्माता देशों को अधिक संख्या में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किया गया था। सीमा शुल्क को छोड़कर किन्तु रायल्टी और प्रिन्ट/प्रिन्टों की लागत सहित इन आयातों का समग्र मूल्य 20 लाख रुपये तक सीमित होगा। फिल्म समारोह के प्रतियोगी और सूचना विभागों में प्रविष्ट की गई फिल्मों को तथा तृतीय विश्व के देशों की फिल्मों को भी तरजीह दी जायेगी। अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों का आयात करने पर बल दिया जायेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो फीचर फिल्मों का आयात करने के लिये कैनेलाइजिंग एजेंसी है, द्वारा गठित संविदा स्वीकृति समिति उन संविदाओं की जांच कर रही है जो पंजीकरण के लिये उसे प्रस्तुत की गई हैं और वह उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर उनका निपटान करेगी।

फिल्मों के निर्यात सम्बन्धी नीति में सरकार द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

निर्धनों को विधिक सहायता अभियान के विषय में वकीलों का मार्गदर्शन

1593. **श्री जयनारायण रौत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वकील निर्धनों को विधिक सहायता के अभियान में रुचि लें, वकीलों के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) अकिंचन की विधिक सहायता के लिए व्यापक स्कीमें ब्यौरेवार तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा कोई विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार नहीं किए गए हैं। निर्धनों को विधिक सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम के अधीन स्थापित किए गए उच्च न्यायालय के विधिक सहायता और सलाह बोर्डों और जिला विधिक सहायता समितियों ने लोक सेवा में रुचि लेने वाले अधिवक्ताओं के पैनल बनाए हैं। समिति के अध्यक्ष अपने दौरों के दौरान सारे देश में अधिवक्ताओं से विशेष अनुरोध करते रहे हैं कि वे इसमें रुचि दिखाएं और अधिकाधिक विधिक सहायता वाले मामलों को लें। समिति ने बार कौंसिल आफ इंडिया के साथ भी विधिक सहायता के अभियान के प्रति विधि वृत्ति को नई दिशा देने और विधिक सहायता के उद्देश्य के लिए वकीलों की सेवाएं लेने के प्रश्न पर बात-चीत की है।

महाप्रबंधक (टेलीफोन) के कार्यालय से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन

1594. **श्री निहाल सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों और फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन के आवेदन संसद सदस्यों की सिफारिश किए जाने के बाद महाप्रबन्धक (टेलीफोन) के कार्यालय में जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुए हैं तथा टेलीफोन कनेक्शनों के लगाने की तारीखें क्या हैं;

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों और फर्मों में से कितने व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन स्थायी कनेक्शनों में बदले गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है कि टेलीफोन विभाग के कुछ कर्मचारी आवेदकों से काफी धनराशि लेकर अस्थायी कनेक्शनों के लिए आवेदनों के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देते हैं और बाद में उन्हें स्थायी कनेक्शन में बदल देते हैं और जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा सूची में अन्य लोगों को टेलीफोन कनेशन प्राप्त करने में काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) तक

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

1595. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए क्या नीति और मार्ग-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा 1983 के लिए कृषि श्रमिकों के लिए न्यून मजूरी की क्या दरें घोषित की गई हैं; और

(ग) कृषि श्रमिकों को दी जा रही न्यूनतम मजूरी की दरें सुविधायें निर्धारित करने तथा विभिन्न राज्यों के कृषि फार्मों में उनकी सेवाओं को स्थायी और नियमित बनाने के संबंध में क्या नीति निर्धारित की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कृषि में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें त्रिपक्षीय बोर्डों या समितियों, जैसी भी स्थिति हो, की सलाह पर संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ये दरें सभी संगत कारकों तथा समान रोजगारों के क्षेत्र में विद्यमान मजदूरी दरों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। अगस्त, 1981 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने सिफारिश की कि उपयुक्त मानदंड तैयार किया जाना चाहिए, ताकि क्रमबद्ध तरीके से यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम मजदूरी दरें गरीबी रेखा से कम न हो और यह कि न्यूनतम मजदूरी दरों को उपभोक्ता मूल सूचकांकों के साथ जोड़ने के लिए एक मैकेनिजम तैयार किया जाना चाहिए ताकि इनमें बिना देरी के समय-समय पर संशोधन किया जा सके। ये सिफारिशें सभी सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है, [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5967/83] जिसमें कृषि में रोजगार के लिए सम्बन्धित सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें दी गई हैं।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त विधान बनाए, ताकि कार्य दशाओं को नियमित किया जा सके और कृषि श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था की सके।

मध्य प्रदेश के नगरों के लिए सीधी टेलीफोन प्रणाली

1596. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ऐसे नगरों के उपभोक्ताओं के लिये जिनकी आबादी 25 हजार, 50 हजार और एक लाख से अधिक है, सीधी टेलीफोन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) 1983-84 में उनमें से किन-किन नगरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) जी हां। इनमें से कुछ स्थानों पर मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इनको स्वचल एक्सचेंजों में बदलने का कार्य उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि वित्तीय स्रोतों और साज-सामान की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) (एक) नरसिंहपुर

(ग) (दो) शाहडोल

विद्युत उत्पादन क्षमता में गिरावट

1597. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली के उत्पादन में कुल कितनी गिरावट हुई है;

(ख) देश में तापीय विद्युत संयंत्रों की औसतन उपयोगिता क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में भारी मात्रा में उपलब्ध पनबिजली शक्ति के उपयोग के लिये कोई द्रुत कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (चन्द्र शेखर सिंह) (क) चालू वर्ष में अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक कार्यक्रम की तुलना में विघुत के उत्पादन में कमी नगण्य थी। इस अवधि के दौरान उपलब्धि कार्यक्रम का 98.8% थी।

(ख) जनवरी 1983 महीने के दौरान देश में ताप विघुत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन 52.7% था।

(ग) और (घ) लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता की जल-विद्युत स्कीमें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, 3000 मेगावाट से अधिक क्षमता की स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वियन मोटे तौर पर इन स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल में स्वीकृति के लिए विचाराधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1598. **श्री स्कारिया थामस** :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या **उर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन-कौन सी प्रमुख और मध्यम जल विद्युतीय परियोजनायें स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं; और

(ख) ये योजनायें किन-किन तारीखों में केंद्रीय सरकार के पास भेजी गई थीं और उनकी स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़ी परियोजनाओं के ब्यौरे **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी जांच जटिल कार्य है, जिसमें जल-विज्ञान, भू-विज्ञान, सिविल डिजाइन, विद्युत डिजाइन, आदि जैसी विभिन्न विधाएं शामिल हैं। अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल होने के कारण इनमें से कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति में समय लग जाता है। परियोजनाओं की

स्वीकृति लगने वाला समय वास्तव में अन्वेषणों की पर्याप्तता तथा उपयुक्त आंकड़ों की पर्याप्तता और परियोजना रिपोर्ट में दिए गए इंजीनियरी ब्यौरों पर निर्भर करता है। यद्यपि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजनाओं का शीघ्रतापूर्वक मूल्यांकन करने का प्रयास करना है, परन्तु इस प्रक्रिया में लगने वाला समय विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर होते हैं। अत: परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सांविधिक संस्था होने के नाते केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह केवल ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दे जो प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वाधिक अच्छा तकनीकी-आर्थिक विकल्प हों।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	अभ्युक्ति
	वे स्कीमें जिनमें अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल है :—			
1.	कुट्याडी विस्तार	अतिरिक्त ऊर्जा के लिए व्यपवर्तन परियोजना	दिसम्बर, 1976	यह काबेरी नदी के जल के बंटवारे से संबद्ध हैं। के० वि० प्रा०/के० जल० प्रा० की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	मनन्यवाड़ी	4 × 60	मई, 1980	
	बहुउद्देशीय परियोजना			
3.	कारा पारा कुरिधारकुड्डी	1 × 15 + 1 × 20 + 2 × 30 = 95	जनवरी, 1979	
	अन्य परियोजना			
4.	साइलेंट वैली	2 × 60	अप्रैल, 1978	के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। पर्यावरण दृष्टिकोण से पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
5.	पुयानेकुट्टी	2 × 40 + 2 × 45 + 2 × 50 + 4 × 120 = 750	अप्रैल, 1981	
6.	चालाकुडी चरण-2	2 × 40 + 2 × 60 = 200	अक्तूबर, 1982	

राजस्थान के झालावाड़ जिले में दूर संचार प्रणाली में सुधार

1598. **श्री चतुर्भुज : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 के दौरान राजस्थान के समूचे झालावाड़ जिले में दूरसंचार प्रणाली में सुधार करने तथा इस जिला मुख्यालय की दूर-संचार प्रणाली में विशेष सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) झालावाड़ जिले के अन्य प्रमुख नगरों की तार और टेलीफोन सेवाओं में और अधिक सुधार करने के लिए कोई योजनायें आरम्भ करने का विचार है;

(ग) क्या झालावाड़ जिला मुख्यालय को नगरों, शहरो अथवा राज्यों की राजधानियों के साथ सीधी टेलीफोन प्रणाली से जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। झालावाड़ और कोटा के बीच 3 चैनल कैरियर प्रणाली और 4 चैनल वाइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राम प्रणाली की योजना बनाई गई हैं। उपर्युक्त प्रणाली के अतिरिक्त, चालू योजना के दौरान झालावाड़ में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) पिरवा में भी एक छोटा स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रस्ताव है कि झालावाड़ को स्वचल एक्सचेंज की संस्थापना के पश्चात, जयपुर स्थित स्वचल ट्रक एक्सचेंज से जोड़ दिया जायेगा। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर जैसे अन्य स्थानों को देश के अन्य भाग के स्टेशनों के लिए सीधी डायलिंग की सुविधा भी तभी संभव हो सकेगी।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलना

1600. **श्री चतुर्भुज : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान सरकार का विचार राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिले के किन-किन पंचायत मुख्यालयों में शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिले के वे कौन-कौन से स्थान हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालज के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) झालावाड़ जिले के पगरिया, शिवरेती, करनवास और पिपलास और कोटा जिले के छत्तरगंज और केदईवन ग्राम पंचायत वाले गांवों को उन स्थानों के बतौर चुना गया है, जहां 1983-84 के दौरान डाकघर

खोले जाने हैं। तथापि स्थानों का यह चुनाव न्तिम नहीं है और यह निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने और आगामी कुछ महीनों में सर्किल के लिए निर्धारित किए जाने वाले योजना लक्ष्यों/निधि पर ही अवलंबित होगा। 1983-84 के दौरान झालाबाड़ में बनस खेड़ी और सरेडी और कोटा में मोरकगांव के के पंचायत ग्रामों के मौजूदा शाखा डाकघरों में दर्जा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यह भी निर्धारित विभागीय मानदण्डों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

दिल्ली और उपग्रह संचार स्टेशन लेह के बीच संचार व्यवस्था का ठप्प हो जाना

1601. **श्री पी० नामग्याल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में चालू किए गये लेह, ऐलवल, के पोर्टबलेयर, कारनीकोबार, चिंगलपेट और सिकन्द्राबाद (उत्तर प्रदेश) के उपग्रह संचार स्टेशनों में से प्रत्येक स्टेशन पर इन्फास्ट्रक्चर, मशीनरी और संस्थापना इत्यादि पर कुल कितनी लागत आई थी;

(ख) उपरोक्त स्टेशनों और दिल्ली के बीच विशेषकर दिल्ली और उपग्रह संचार स्टेशन, लेह के बीच संचार व्यवस्था के बार-बार ठप्प हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) संरचना एवं संस्थापना खर्च सहित भू-केन्द्रों की लागत इस प्रकार है :

नई दिल्ली	28- लाख
मद्रास	287 ,,
लेह	109 ,,
कारनिकोबार	113 ,,
एजवाल	80 ,,
काबारत्ती	81 ,,
पोर्ट ब्लेयर	78 ,,

(ख) दूरवर्ती स्टेशन, 1980 में स्थापित किए गये थे और इंटलसैट से पट्टे पर लिए गए तिमाही ट्रांसपोंडर द्वारा सेवा प्रदान की गई थी इंसैट-1 ए के प्रक्षेपण के पश्चात् इन स्टेशनों को इंसैट-1 ए में अन्तरित किया जाना था जिसको प्रणाली अन्तरण के लिए बन्द करना जरूरी था।

सितम्बर. 1982 में इंसैट-1 ए के विफल हो जाने के कारण ये स्टेशन इंटलसैट में अन्तरित किए गए जिसके लिए भी उक्त स्टेशन को बन्द करना आवश्यक था। स्टेशन को बन्द करने के अलावा कुछ मामूली व्यवधान भी थे जो मुख्यतः लेह में विश्वसनीय पावर सप्लाई न मिलने के कारण थे। नियमित वाणिज्यिक पावर सप्लाई न मिलने के कारण, स्टेशन की पावर आवश्यकता को पूरी करने के लिए दो इंजिन अल्टरनेटर स्थापित किए गए परन्तु लगातार काम करने के कारण उनकी मरम्मत पर काफी अधिक खर्च करने के साथ उनकी आवश्यक मरम्मत करनी पड़ती है।

(ग) सभी स्टेशनों पर मुख्य यूनिटों के महत्वपूर्ण पूर्जे प्रदान किए गये हैं ताकि खराब होने

की अवधि को कम से कम रखा जा सके। निवारक उपायों के रूप में और अधिक कड़ी जांच की जा रही है।

लेह और कारगिल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1602. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ध्रुव प्रदेशीय शीतल जलवायु के कारण लेह और कारगिल स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन आपरेटरों का 24 घण्टे कार्य करना बड़ा कठिन है; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन स्थानों में नये "इन्फास्टक्चर" आदि लगाकर स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कठिन जलवायु परिस्थितियों के बावजूद लेह और कारगिल के मौजूदा हस्तचल (मैनुअल) एक्सचेंजों में कर्मचारी दिन-रात कार्य कर रहे हैं।

(ख) लेह में छठी पंचवर्षीय योजना के के दौरान तथा कारगिल में सातवीं योजना के दौरान स्वचल एक्सचेंज प्रदान करने की एक अस्थाई योजना बनाई गई है।

चुनाव सभा के समाचारों का आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण

1603. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और दिल्ली में गत चुनाव के दौरान चुनाव सम्बन्धी सभाओं के समाचारों की कितनी बार आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम प्रसारण किया गया;

(ख) सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के क्रमश: कितनी-कितनी बार समाचारों को प्रसारित किया गया; और

(ग) उपरोक्त चुनावों के प्रचार के दौरान सरकारी पक्ष के नेताओं और विरोधी पक्ष के नेताओं और विरोधी पक्ष के नेताओं के समाचार के कथन के बारे में समाचारों की कितनी-कितनी लाइनें पढ़ी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना संकलित रूप में उपबन्ध नहीं है और न ही इसको उचित समय के अन्दर संकयित किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए हजारों बुलेटिनों की छानबीन करनी होगी।

बम्बई हाई के रिगों की खरीद

1604. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई में तेल की खोज और दोहन के लिये दो "वर्क ओवर रिगों" खरीद के लिये सात करोड़ डालर की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इनको खरीदने के लिए विश्व व्यापी निविनायें जारी की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिगों की खरीद की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सरकार को अपटतीय क्षेत्रों में वर्क ओवर कार्यों के लिग विश्व व्यापी निविदाएं आमन्त्रित करके दो जेक-आप रिग खरीदने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्पुत किया गया है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कोकिंग-कोल का आयाता करने के लिए तमिलनाडु को अनुमति

1605. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में बिजली के उत्पादन के लिये आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करने हेतु केन्द्री सरकार से स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) इस मामले में केन्द्री सरकार का रूख क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु को मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न कोयला खानों से कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने तूतीकोरिन ताप-विद्युत केन्द्र के लिए बफर स्टाक बनाने के लिए एक अन्तरिम उपाय के रूप में 5 लाख टन कोयला आयात करने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र की कोयले की आवश्यकताएं ईस्टर्न कोलफील्डस लि० की बंगाल-बिहार की कोयला-खानों से रेल एवं सनुद्री मार्ग द्वारा वाया हल्दिया बन्दरगाह के मार्ग से पूरी की जाती है। ईस्टर्न कोलफील्डस लि० उपर्युक्त विद्युत केन्द्र की सारी मांग को पूरा कर सकती है। तथापि, हल्दिया बन्दरगाह से होकर विद्युत केन्द्र को कोयले की ढुलाई करने में दोनों ही भरने और खाली करने के स्थानों पर कठिनाई हुई हैं। सरकार द्वारा कोयले की सप्लाई की नियिमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ है। विद्युत केन्द्र की समस्त मांगों को पूरा करने के लिए स्वदेशी कोयले की अधिकतम ढुलाई करने का प्रयास है।

अन्य विद्युत केन्द्र, नामशः बेसिन ब्रिज, तथा एन्नोर ताप विद्युत केन्द्र सिगरैनी और चन्दा कोलफील्डस से बहुत सम्बद्ध है और उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं।

भोपाल के संशोधन विकास संस्थान द्वारा सौर-कुकर का डिजाइन तैयार किया जाना

1606. **श्रीमती माधुरी सिंह** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के संसाधन विकास संस्थान द्वारा 25 रुपये मूल्य वाला सौर-कुकर का डिजाइन तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां तो संसाधन विकास संस्थान द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास, करने उसे लोकप्रयि बनाने तथा जनसामान्य के लाभ के लिये उसे उपलब्ध कराने के लिये किन कदमों पर विचार किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भोपाल के संसाधन विकास संस्थान द्वारा मिट्टी के बने सौर कुकर का, एक सस्ता डिजाइन तैयार किया गया है। इस कुकर का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि इसके कार्य और विश्वसनीयता का पता लगाया जा सके।

नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1607. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए कनेक्शन चाहने वालों की लम्बी प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास पी० एण्ड टी० टेलीफोन कम्यूनिकेशन्स उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त प्रतीक्षा सूची के लोगों को किस प्रकार कनेक्शन दिए जाएंगे।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिए दो फैक्टरियां, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 5 लाख लाइनों की है। स्थापित करने का प्रस्ताव है। देश में 30 लाख कण्डकटर किलोमीटर के निर्माण के लिए केबिल फैक्टरी भी स्थापित की जा रही है।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की अपर्याप्त सप्लाई

1608. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लि० द्वारा कोयले की अपर्याप्त सप्लाई करने के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि० अक्तूबर, 1982 से पश्चिम बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने में असमर्थ रहा है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल रख दी जाएगी ।

टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पुरी करने के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम

1609. **श्री अजित बाग** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनेक्शन मांगने वालों की लगातार बढ़ती हुई सूची के सम्बन्ध में जिसमें इस समय 10 लाख से अधिक आवेदक हैं तथा जिसमें समय बीतने पर और अधिक वृद्धि होने की आशा है, डाक-तार दूर संचार विभाग ने क्या दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि इस सम्बन्ध में कोई योयजा नहीं है तो सरकार इस स्थिति का किस प्रकार मुकाबाला करेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मौजूदा सूची में टेलीफोन चाहने वालों की संख्या 10 लाख से कम, लगभग 6.5 लाख है टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोन उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन को काफी हृद तक बढाने की आवश्यता हैं । छठी योजना में दो फैक्टरियां, जिनमें प्रत्येक इलेक्टांनिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की 5 लाख लाइनों का उत्पादन करेगी और एक फैक्टरी, जो कि 30 लाख कंडक्टर-किलोमीटर केबिलों का उत्पादन करेगी, स्थापित करने का प्रस्ताव हैं ।

फरीदाबाद के कुकिंग गैस एजेन्सयों के आवंटन में कथित अनियमितताएं

1610. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में 1982 में कुकिंग गैस एजेन्सियों के आबन्टन में कथित अनियमिततताओं के बारे में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली तथा गुड़गांव के जिला मजिस्ट्रेटों को कहा गया था कि दिल्ली तथा गुड़गाव के राजस्व तथा नागरिक पूर्ति अधिकारियों द्वारा कुकिंग गैस एजेन्सियों के दावेदारों को जारी किये राजस्व दस्तावेजों की घरेलू शिकायतों प्रमाणपत्रों का सत्यापन करें; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उन पर अन्तिम निर्णय क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी नहीं। तथापि फरीदाबाद में इण्डेन वितरकों के चयन को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व चयन के बारे में शिकायतों की जांच की गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, हां । दिल्ली (राजौरी गार्डन) में एल० पी० जी० डीलर शिप दिये जाने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अधिवास प्रमाण-पत्र की जांच के लिए अनुरोध सहित एक ऐसा संदर्भ दिया गया था । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

मावूर (कोजीकोड) की ग्वालियर रेयन्स फैक्ट्री में तालाबन्दी

1611. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोजीकोड के नजदीक मावूर में बिरला के स्वामित्व वाली ग्वालियर रेयन्स फैक्ट्री में दिसम्बर, 1982 से तालाबन्दी घोषित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितने कामगार प्रभावित हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने तालाबन्दी समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मावूर में स्थित ग्वालियर रेयन्स फैक्ट्री के प्रबन्धतंत्र ने अपने स्टेपल फाइब्रे डिवीजन में 8.12.82 से और पल्प डिवीजन में 24.12.82 से तालाबंदी घोषित की।

(ख) कारखाने के स्टेपल फाइब्रे डिवीजन तालाबंदी का कारण कनिष्ठ स्पिनरों द्वारा उनको आवंटित सामान्य कार्य घण्टों में काम करने से अभिकथित इन्कारी है। पल्प डिवीजन में तालाबंदी के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा बनाया गया कारण यह है कि श्रमिकों ने कम्पनी के लिए कच्चे माल और रसायनों को लाने तथा ले जाने में बाधाएं पैदा की।

(ग) इस तालाबंदी से फैक्ट्री के फाइब्रे डिवीजन में 1384 श्रमिक प्रभावित हुए तथा पल्प डिवीजन में 2816 श्रमिक प्रभावित हुए।

(घ) इस मामले पर, जो सराधनाधीन है, 3.12.82 को श्रमायुक्त द्वारा आयोजित संयुक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया, इस सम्मेलन में श्रम राज्य मन्त्री ने भी भाग लिया। 22.12.82, 4.1.83 और 2१.1.83 को पक्षकारों की और आगे बैठकें हुईं, परन्तु विवाद के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका। संशोधन प्रयास जारी है।

1981 और 1982 में बंधुआ मजदूर

1612. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 में बन्धुआ मजदूरों की कुल संख्या क्रमशः कितनी थी;

(ख) बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इन कदमों के फलस्वरूप बन्धुआ मजदूरों की संख्या में कमी आई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या

31.1..1981 और 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार क्रमश; 1,33,550 और 1,52,338 थी।

(ख) और (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25 अक्तूबर, 1975 से बंधुआ श्रम प्रणाली को देश भर में समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप सभी बंधुआ श्रमिक मुक्त हो चुके हैं तथा उनके ऋण भी समाप्त हो चुके हैं। बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा फिर से बसाना सतत प्रक्रिया है। बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा फिर से बसाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है जो अभिनियम के अधीन "समुचित सरकारें" हैं। समय-समय पर राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाता रहा है कि जहां कहीं बन्धुआ श्रमिकों के विद्यमान होने का पता लगे, वे उन्हें शीघ्र मुक्त कराने तथा फिर से बसाने के लिए तुरन्त कारगर उपाय करें। इन उपायों में उन क्षेत्रों के गहन सर्वेक्षण करना भी शामिल है, जिनमें बन्धुआ श्रमिकों के पाए जाने की सम्भावना है। राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूर्ण करने के उद्देश्य से 1978-79 से एक केन्द्र संचालित योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50 : 50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक बन्धुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए 4,000 रुपये के अनुदान की व्यवस्था है जिसमें से आधी राशि केन्द्र के भाग के रूप में दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि बन्धुआ श्रमिकों को स्थायी आधार पर पुनर्वासित किया जाए, राज्य सरकारों को (सितम्बर, 1982 में) यह सलाह दी गई है कि वे केन्द्र संचालित योजना का वैसी ही अन्य योजनाओं, अर्थात् आई० आर० डी० पी०, एम० आर० ई० पी०, अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट काम्पोनेंट प्लान और आदिवासियों सम्बन्धी "सब-प्लान" और राज्य सरकार की अन्य वर्तमान योजनाओं के साथ समाकलन करें सामंजस्य स्थापित करें ताकि मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों के प्रभावी तथा स्थायी पुनर्वास के प्रयोजनार्थ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता को एकत्र (पूल) किया जा सके। बंधुआ श्रमिकों का अर्थपूर्ण पुनर्वास कराने के लिए योजनाओं के इस प्रकार के समाकलन हेतु राज्य सरकार को मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सेट भी भेजा गया है।

राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पता लगाए तथा मुक्त कराए गए कुल 1,52,338 बन्धुआ श्रमिकों में से 31.12.82 तक 1,11,769 बन्धुआ श्रमिकों को फिर से बसाया जा चुका है।

राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और सरकार के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता

1613. श्री बी० वी० देसाई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और सरकारों के मार्गदर्शन लिए निर्वाचन आयोग ने कोई व्यापक आदर्श आचार संहिता तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचन संहिता की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह निर्वाचन संहिता जनवरी में तीन राज्यों में हुए निर्वाचनों में किस हद तक कार्यान्वित और लागू की गई;

(घ) यदि हां, तो क्या इस आधार संहिता का किसी भी राजनीतिक दल ने कोई अतिक्रमण नहीं किया था; और

(ङ) इस आधार संहिता के नियमों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों (जिसमें सत्तारूढ़ दल भी सम्मिलित है) और अभ्यर्थियों के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार की है। निर्वाचन आयोग द्वारा 17 अप्रैल, 1982 को जारी की गई आदर्श संहिता की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5968/83**]

(ग) से (ङ) तीन राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा की विधान सभाओं के हाल ही के निर्वाचनों के दौरान संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध कुछ शिकायतें निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं और आयोग ने सम्बद्ध राज्यों से रिपोर्टें मांगी है। निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही की जा सकेगी।

एशियाई खेलों सम्बन्धी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में हुई मौतें

1614. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण-कार्य के दौरान कितने-कितने श्रमिक मारे गए; और

(ख) प्रत्येक मृत श्रमिक के परिवार को कितनी-कितनी धनराशि दी गई तथा उन श्रमिकों के नाम और पते क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एशियाड के सम्बन्ध में प्रारम्भ किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों में 16 व्यक्ति मारे गए थे। निर्माण कार्यों का ब्यौरा, मृतकों के नाम तथा भुगतान किए गए मुआवजे की राशि, आदि **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	निर्माण कार्य का ब्यौरा	मृत श्रमिक का नाम	भुगतान किए गए मुआवजे की राशि/मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी स्थिति
1	2	3	4
1.	एशियन गेम्स विलेज कम्प्लैक्स	श्री शामशुल हक	18,000/- रुपये
2.	-यथोक्त-	श्रीमती टीजा	10,000/- रुपये
3.	कन्ट्रक्शन आफ फ्लाई आवर एट स्कूल लेन ।	श्री ख्याली राम	21,000/- रुपये
4.	लोदी स्टेट कम्प्लैक्स	श्री फिरंगी	16,800/- रुपये
5.	इन्डोर स्टेडियम, आई० पी० एस्टेट	श्री नाज़र	19,200/- रुपये
6.	लोदी एस्टेट कम्प्लैक्स	श्री कश्यप दयाल	नियोजकों ने मृतक के आश्रितों को वितरित किए जाने के लिए कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास निम्नलिखित राशि जमा कराई है :
7.	कन्सट्रक्शन आफ फ्लाई आवर एट स्कूल लेन ।	श्री एन० बाबू	1. श्री कश्यप दयाल 21,000/- रुपये 2. श्री एन० बाबू 18,000/- रुपये
8.	इनडोर स्टेडियम, आई० पी० एस्टेट	श्री अछूतन	3. श्री अछूतन 21,000/- रुपये
9.	इनडोर स्टेडियम, आई० पी० एस्टेट	श्री पी० मुस्तफा	मुआवजे की अदायगी के प्रश्न को उस बीमा कम्पनी के साथ उठाया गया है, जिसके साथ इन श्रमिकों का बीमा हुआ था ।
10.	-यथोक्त-	श्री किशनचन्द मनगेरी	
11.	इनडोर स्टेडियम, आई० पी० एस्टेट	श्री राम कृष्ण	ठेकेदारों ने सूचित किया है कि श्रमिकों ने बीमा कम्पनी के साथ बीमा करवाया था और उन्होंने मुआवजे की राशि के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बीमा कम्पनी को पहले ही लिख दिया है ।
12.	इनडोर स्टेडियम, (यमुना वेलड्राम)	श्री रेवड़राम	

1	2	3	4
13.	इनडोर स्टेडियम, आई० पी० एस्टेट	श्री सुरेन्द्र सिंह	कर्मकार प्रतिकर आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह देय मुआवजे की राशि निर्धारित करें।
14.	इनडोर स्टेडियम, आई० पी० एस्टेट	श्री सी० सुदर्शन	ठेकेदारों को निदेश दिए गए हैं कि वह मुआवजे की राशि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कराएं।
15.	कन्सट्रक्शन आफ फ्लाई ओवर एट स्कूल लेन।	श्री हकीकत सिंह	
16.	तालकटोरा स्वीमिंग पूल	श्री हरि हर	मृतक ने मैसर्स नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी, नई दिल्ली के साथ बीमा करवाया था। अतः कम्पनी से कहा गया है कि वह प्रतिकर की बाबत 21,600/- रुपये की राशि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा करवाएं।

कोयला खान के कर्मचारियों की यूनियन और सी० एम० पी० डी० आई० लि० रांची के प्रबन्धकों के बीच समझौता

1615. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एम० पी० डी० आई० रांची के प्रबन्धकों और कोयला खान के कर्मचारियों की यूनियन के बीच 8 जून, 1981 और 2 अगस्त, 1981 को 11 मुद्दों के बारे में समझौता हुआ था और बकाया धनराशि के भुगतान की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर, 1981 तय की गई थी;

(ख) क्या समझौते का अनुपालन करने में लापरवाही बरतने के बारे में शिकायत मिलने पर रीजनल लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) धनबाद ने सी० एम० पी० डी० आई० लि० के प्रबन्धकों को "कारण बताओ नोटिस" जारी किया है।

(ग) क्या सी० एम० पी० डी० आई० एल० के 1400 स्थायी कर्मचारियों को मजदूरी के रूप में केवल 8 से 10 रुपया प्रतिदिन तक दिया जा रहा है और उनके वेतन और एम० सी० डब्लू० ए-I और एन० सी० डब्ल्यू० ए०-II के निर्धारण के बारे में लापरवाही बरती जा रही है और इसके विरोध में कर्मचारियों की यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोलियरी इम्प्लायीज यूनियन और केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के 3 अधिकारियों के बीच समझौते हुए थे और उन पर 8 जून, 1981 को क्रमशः 22 और 27 मुद्दों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर हुए थे। बकाया राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख 15 सितम्बर, 1981 से पहले की निश्चित हुई थी।

(ख) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के तीन अधिकारियों को संबोधित एक "कारण बताओ नोटिस" प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय खान आयोजन एव डिजाइन संस्थान लि० के प्रबन्ध मण्डल को पता लगा है कि कोई नोटिस नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) के० खा० आ० डि० सं० लि० के सभी स्थायी कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-I और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II के अनुसार मजदूरी दी जा रही है। कोलियरी इम्प्लायीज यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दिया था परन्तु हड़ताल नहीं हुई।

हिमालय पर्वतमालाओं में जल क्षमता का मूल्यांकन

1616. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय पर्वतमालाओं में जल क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या योजनायें तैयार की गई हैं ; और

(ग) उन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश की समस्त नदियों की, जिसमें हिमालय की नदियां भी शामिल हैं, जल-विद्युत शक्यता का क्रमवार पुनर्निधारण और मूल्यांकन संबंधी कार्य हाथ में लिया है। हिमालय क्षेत्र की शक्यता का अनन्तिम रूप से 50 मिलियन किलोवाट अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) हिमालय क्षेत्र में प्रचालनाधीन और निर्माणाधीन जल-विद्युत स्कीमों के अलावा लगभग 4530 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की जल-विद्युत स्कीमें, जिनके ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं, तैयार की गई हैं तथा विभिन्न अवस्थाओं में विचाराधीन हैं।

विवरण

हिमालय क्षेत्र की जल-विद्युत् परियोजनाएं

राज्य	स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)
हिमाचल प्रदेश	चमेरा	540
	नाथपा झाकरी	20
जम्मू और कश्मीर	दुलहस्ती	330
	अपर सिंध चरण-दो	70
	उरी	480
हरियाणा	दादुपुर	6
पंजाब	शाहपुरकंडी	94
उत्तर प्रदेश	मनेरी	142.5
	लोहरिंगपाला	282
	श्रीनगर	200
असम	धनसिरी	19.95
	दोयांग	105
	सरलुई	1
	नुंगसुंगखोंग	1.5
हिमालय प्रदेश	रेनुका	40
जम्मू और कश्मीर	सेवा	90
	लोअर जेहलम यूनिट-चार	35
	लोअर कालनई	60
	सूरन नदी	24
पंजाब	अपर बारी दोआव नहर-तीन	30

	सतलुज यमुना लिंक	44
उत्तर प्रदेश	किशाऊ	600
	खारा	81
	काटपतहर	19
पश्चिम बंगाल	रमन चरण-एक	30
	तीस्ता नहर 1 से 4	67.5
बिहार	पूर्वी गंडक	57
सिक्किम	रनजीत	60

कपड़ा मिलों में तालाबन्दी

1617. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) देश की उन कपड़ा मिलों के क्या नाम हैं जिनमें वर्ष 1982 के दौरान प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी घोषित की गई;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के और श्रमिकों के हित में इन मिलों को फिर से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है जो यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

एक बम्बई टैक्सटाइल श्रमिक वेतन

1618. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एक बम्बई टैक्सटाइल श्रमिक को बम्बई में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक संस्थानों के ऐसे ही एक श्रमिक के न्यूनतम वेतन की तुलना में इस समय कितना न्यूनतम वेतन मिलता है जिसमें मूल में मजूरी महंगाई, भत्ता, नगर प्रतिकर, वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता शामिल है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : बम्बई में सूती कपड़ा मिलों में अक्तूबर, 1982 मे सबसे कम मजदूरी पाने वाले कर्मियों की आय 731.33 रुपये थी, जिसमें मूल मजदूरी, महंहगाई भत्ता तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्तरिम राहत शामिल है। पहली जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार बम्बई में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ यूनिटों में सबसे कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की कुल परिलब्धियां दर्शाने वाला **विवरण संलग्न है ।**

विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	मूल वेतन	निर्धारित महंगाई भत्ता	परिवर्तित महंगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	नगर भत्ता	अन्य भत्ते	कुल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कम्पूटर मेनटिनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	260.00	—	332.00	70.00	15.60	—	685.60	
2.	राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड बम्बई	300.00	100.00	195.00	90.00	18.00	28.00	*731.00	*10 रु० धुलाई भत्ता 18 रु० सवारी भत्ता
3.	इण्डियन रेयर अर्थ॰ लिमिटेड, बम्बई	210.00	80.00	320.00	42.00	—	—	652.00	
4.	रिचर्डसन एण्ड क्रूठस (1972) लि० बम्बई	42.00	—	560.82	25.00	—	**36.16	663.98	**16.66 रु० शिक्षा भत्ता 12.50 रु० भत्ता 7 रु० विशेष भत्ता
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० बम्बई	190.00	116.85	440.00	20.00	27.00	—	793.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई	325.00	152.43	279.50	65.00	25.00	—	846.93	
7.	इण्डियन आयल ब्लेंडिग लिमिटेड, बम्बई	275.00	140.00	250.00	—	22.00	***27.50	7:4.50	***अतिरिक्त भत्ता
8.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन बम्बई मिलस बम्बई	282.52	—	387.41	—	—	*63.00	682.93	*45 रु० तदर्थ वृद्धि 18 रु० वार्षिक वृद्धि
9.	काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बम्बई	190.00	287.60	—	57 00	12.00	—	546.60	
10	एयर इण्डिया, बम्बई	250.00	—	252.30	49.00	15.00	**170.00	736.00	**80.00 रु० विशेष भत्ता 20.00 रु० सीमांत समायोजन 35.0) रु० अन्य भत्ता 20.00 रु० उत्पादक भत्ता 15.00 रु० धुलाई भत्ता।
11.	दि मुगुल लाईन लि० बम्बई	82.00	—	885.00	30.00	—	*80.00	1077.00	*80. 0 रु० परिवार भत्ता और अन्तरिम राहत।
12.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, लि०, बम्बई।	82.00	—	885.00	30.0)	—	*70.00	1067.00	*30.00 रु० परिवार भत्ता और 40.00 रु० विशेष भत्ता।

ओषधि निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी

1619. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा औषधि उत्पादन में की गई प्रौद्योगिकी के मामले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न संस्थानों को अनेक पत्र लिखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने पत्र लिखे गये और तत्सम्बन्धी कम्पनियों व ओषधियों के नाम क्या हैं और निम्न अथवा उच्च प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण के सम्बन्ध में संस्थाओं का क्या विचार रहा और उसके औचित्य और आधार क्या थे ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल एक ही ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई जिसमें इस मन्त्रालय ने सी० एस० आई० आर० के अधीन एक संस्थान, अर्थात् नेशनल कैमीकल लेबीरेटरी के साथ एक भारतीय कम्पनी, मै० सिपला द्वारा उत्पादित सालबुटामोल नामक प्रपुंज औषधि के उत्पादन में अन्र्ग्रस्त प्रौद्योगिकी के प्रश्न के सम्बन्ध मे पत्राचार किया। यह संदर्भ मै० ग्लेक्सो द्वारा इस औषध की प्रक्रिया को उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त प्रक्रिया में वर्गीकरण करवाने के संबंध में किया गया था।

एन० सी० एल० के उप-निदेशक, जिन्होंने सिपला के लिए इस प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता दी थी, का यह विचार था कि मै० सिपला के लिए विकसित की गई प्रक्रिया में निम्नलिखित कारणों से कोई उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त नहीं थी :

(क) इसके विकास की किसी भी अवस्था में उन्हें किन्हीं अकस्मात समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और प्रयोगशाला विधि को उत्पादन बैंचों में निर्विघ्न रूप से स्थानान्तरित किया गया।

(ख) अन्तर्ग्रस्त सभी रसायनिक प्रक्रियाओं का बहुविध सिन्थैटिक आर्ग्रनिक कैमिस्ट द्वारा बहुधा व्यवहार में लाया जाता है।

(ग) इसके कुल संश्लेषण में अन्तर्ग्रस्त सात अवस्थाओं को किसी भी योग्य आर्गेनिक कैमिस्ट द्वारा आसानी से पूर्ण किया जा सकता है।

(घ) इसके उत्पादन में कोई उक्ताने वालीयों जटिल प्रौद्योगिकी समस्या अन्तग्रंस्त नहीं है :

(ङ) हर अवस्था में उत्पादक को वांछित शुद्धता में प्राप्त किया जाता हैं और हर अवस्था में उनकी प्राप्ति उपयुक्त रूप स अच्छी है।

(च) इस मद का सिपला द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के लिए बिना किसी समस्या उत्पादन किया जा सकता है।

औषधियों की उच्च प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति

1620. **श्री तारिक अनवर :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच कोई समन्वय नहीं है और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की सिफारिशों पर बल्कि औषधियों के उत्पादन की अनेक विधियों को उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग वाली घोषित किया गया है और यदि हां, तो वे औषधियां कौन-कौन सी हैं जिनके मामले में सिफारिशें भेजी गई हैं और उन सिफारिशों के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय कम्पनी की विधियों को भी ध्यान में रखा जाता है यदि नहीं, तो क्या औषधियों की उच्च प्रौद्योगिकी से संबद्ध संदर्भों से निपटने के लिए एक केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रौद्योगिकियों के पुनरीक्षण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों के प्रौद्योगिकी स्तर का वर्गीकरण करने में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं शामिल नहीं थी । यह कार्य एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया था जिसमें विशेषज्ञ शामिल थे ।

(ख) भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों की निर्माण प्रक्रियाएं उच्च स्तरीय समिति के कार्य से संबद्ध नहीं थी । औषधों के उच्च प्रौद्योगिकी सबंधी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) वस्तु स्थिति का पता लगाया जा रहा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनकी समीक्षा तथा उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5920/83]

(ख) (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5921/83]

(ग) (एक) कोचीन रिफाइनरीज, लिमिटेड, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5922/83]

(घ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5923/83]

(ङ) (एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ग) से (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[सभा पटल पर रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5924/83]

हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में वर्ष 1981-82 की वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसकी समीक्षा तथा बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० का वार्षिक वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन समय पर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण।

रयायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखे गये। दखिए संख्या एल० टी० 5925/83]

(2) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[सभा पटल पर रखा गया। दखिए संख्या एल० टी० 5926/83]

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1983

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर): मैं कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 फरवरी, 1983 के के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का नि० 87(अ) में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं।

[सभा पटल पर रखी गयी। दखिए संख्या एल० टी० 5927/83]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजार्नमेंट मोशन दिया है···आप मेरी बात सुन लीजिए···इस में मैंने दवाइयों का मामला उठाया है···

अध्यक्ष महोदय: आप इसको दूसरे तरीके से दीजिए।

श्री जगपाल सिंह: आप मेरी बात सुन लीजिए···संसद में एम० पीज को जो दवाइयां दी जा रही हैं, वे आर्टीफीशियल हैं···

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से नहीं।

श्री जगपाल सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए—पार्लियामेंट में एम० पी० को बनावटी दवाई मिलेगी तो फिर इस देश की स्थिति का आप अन्दाजा लगा लीजिए। यहां पर बिलकुल आर्टीफीशियल दवाइयां दी जा रही हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री जगपाल सिंह : अगर एम० पीज को आर्टीफीशियल दवाईयां दी जाएगी···

अध्यक्ष महोदय : मेरे कान बिलकुल ठीक हैं, इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं। ···**व्यवधान**··· आप पहले जोर से बोल लीजिए, उसके बाद देखूंगा। आप इसको किसी और तरह दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : पिछली बार भी हम दोनों ने इस मामले को उठाया था। आप ने कहा था कि काल-एटेन्शन स्वीकार किया जायेगा। लेकिन उसके बाद भी आप ने उसको नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : अब दे दीजिए। लेकिन इसका एडजार्नमेंट मोशन नहीं बनता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो मंत्रालय दवाइयां लेता है उसके खिलाफ हम ने उठाया था। हमने यहां पर ग्लैक्सो की एक शीशी रखी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप काल-एटेन्शन दे दीजिए, मैं देख लूंगा।

श्री जगपाल सिंह : काल-एटेन्शन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने दवा की शीशी यहां पर रखी थी, आपने आदेश दिया था कि जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई जांच नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए तो कहता हूं कि आप कोई दूसरा मोशन दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : उन कम्पनीज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको दूसरी तरह लीजिए। इस स्थगन प्रस्ताव के आधार पर नहीं पूछा जा सकता। यह एडजार्नमेंट मोशन में नहीं आ सकता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : काल-एटेन्शन दिया जायेगा तो उस पर क्या कार्यवाही होगी? वह तो आजकल बिलकुल बेकार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर एक घन्टा लगा लें या पांच घण्टे लगा लें, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 377 और काल-एटेन्शन बिलकुल महत्वहीन हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे फ्रीडम-फाइटर्स के सम्बन्ध में कहना है। उसकी कमेटी ने···

अध्यक्ष महोदय : मैंने जिनको एलाउ किया है, पहले उनको बोलने दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे भी मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप की बारी भी आ जायेगी। भगवान सब की बारी बराबर करता है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैंने प्रो० मधु दण्डवते के विरुद्ध उनके द्वारा एक हथियार के दिखाए जाने पर विशेषाधिकार की सूचना दी है **(व्यवधान)** माननीय सदस्य को आपराधिक दायित्व से छूट कैसे दी गई ? मैं गृह मन्त्री से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य चाहता हूं। देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए। यहां एक व्यक्ति उपस्थित है जिनके कब्जे में अवैध हथियार हैं। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए।··· **(व्यवधान)** आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आप की बात कैसे सुन सकता हूं। कल सारी समस्या आपके सामने आई थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, आप जानते हैं मैंने सदन के सामने ऐसा किया है और स्वयं सदस्य ने बिना शर्त माफी मांग ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर कानून में कोई व्यवस्था होती है तो होम मिनस्टर साहब उसको देख लेंगे। वे इसकी जांच करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : आप सदन के संरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, मैंने इसमें कोई कसर नहीं रखी है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, वह आपकी रूलिंग को चुनौती दे रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। मैंने कोई नरमी नहीं बर्ती है। मैंने इसके लिए यथासंभव कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें इनकी ही बात नहीं है बल्कि सब की है और यह इन के हित मैं भी था जिसकी मैंने रक्षा की है और मेरा धर्म बनता है कि मैं ऐसे काम को रोकूं।

बाकी रही दूसरी बात, मैंने होम मिनस्टर साहब को सारा समझा दिया है। यदि कोई बात विधि विरुद्ध होती है, वो वह सम्भाल लेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया गृह मन्त्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए कहें ? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैंने उन्हें सब बता दिया है। वह सब जानते हैं। गृह मन्त्री नहीं, बल्कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

(व्यवधान)

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि इस सदन ने फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन के बारे में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सरटेन रिकमेंडेशन्स दी थीं।

अध्यक्ष महोदय : आप 377 दे दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : उस कमेटी ने सरटेन रिकमेंडेशन्स दी हैं लेकिन उनको अभी माना नहीं गया है। ···(व्यवधान)···

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने अखबारों में ब्यान दिया है कि हम अभी गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं···

अध्यक्ष महोदय : मोशन दीजिए। आप बैठिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कालिंग एटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। आप मुझे दे दीजिए।···(व्यवधान)···

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरे साथियों ने जो आबजेक्शन किया था वह यह नहीं कि आप कालिंग एटेंशन एलाऊ नहीं करते। उनका कहना है कि गवर्नमेंट यहां के सेंटीमेंट्स के हिसाब से काम नहीं करती और आपकी डाइरेक्शन्स नहीं मानती। इसलिए कालिंग एटेंशन इममेटीरियल होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उसे देखेंगे। **(व्यवधान)** आप इसका चर्चा के दौरान उल्लेख कर सकते हैं। जब आपका तबादला होगा, तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे।

श्री जगपाल सिंह : मेरा हम्बिल सबमिशन यह है कि हमने इस हाऊस के सामने एक कम्पनी की दवाई रखी और उस कम्पनी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : आप देख लीजिए। ये पार्लियामेंट हाऊस डिस्पेंसरी के कैपसूल हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था।···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे बाद में आएं। यह मामला मेरे विचाराधीन है। आप चिन्ता न करें।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगर कुरनूल) : मैंने हरीजनों पर हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में एक अलग बहस का नोटिस दिया है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। श्री० वी० एन० गाडगिल।

बेतार सन्देशग्राही यंत्र के लिए लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1982

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, बेतार सन्देश ग्राही यंत्र के लिए लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 837 में प्रकशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[सभा पटल पर रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5928/83]

बोनगाई-गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन समय पर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मैं बोनगाई-गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[सभा पटन पर रखा गया। देखिए संख्या एय० टी० 5929/83]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1991-82, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं उन पर समीत्तर तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5930/83]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[सभा पटल पर रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5931/83]

नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5932/83]

अध्यक्ष महोदय : श्री दलबीर सिंह।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : मैं मद संख्या 9 पर इस पत्र को सभा पटल पर रखे जाने का विरोध कर रहा हूं, मैं आपका तथा इस सभा का ध्यान एक बार फिर सरकार की इस निंदनीय प्रथा, जो इसकी आदत बन गयी है, की ओर दिलाना चाहता हूं।

वास्तव में, सभा बहुत प्रस्तावों के बारे में भी चिंतित है। अब वे कोयले की कुछ किस्मों पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने सम्बन्धी 8 फरबरी की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने जा रहे हैं। मुझे आदेश के ब्यौरे की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमने इसे नहीं देखा है और इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है, यद्यपि संसद का 18 फरवरी, 1983 से अधिवेशन चल रहा है। मुझे आशा है कि यह विभिन्न प्रकार के कोयले का उप्पाद शुल्क है, चाहे यह घरेलू कोयला हो, चाहे औद्योगिक कोयला हो। कल ही, जब सभा में बजट पेश किया गया, इस बात को नजरअंदाज किया गया। 8 फरबरी को जारी की गयी अधिसूचना 1 मार्च को सभा पटल पर रखी गयी, अब सभा का 18 फरवरी से अधिवेशन चल रहा है।

मैं इन लोगों के बारे में चिंतित नहीं हूं, इन्हें नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन मैं आपके बारे में चिंतित हूं। आप ऐसी बातें करते आ रहे हैं जिन्हें ये लोग पूर्णत: नजरअंदाज करते आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? आप निर्णयों को बदलें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये इस प्रकार अधिसूचना द्वारा उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे ऐसा नहीं कर सकते, जब सभा का अधिवेशन चल रहा हो और सभा बहुत प्रस्तावों पर विचार कर रही हो। इसका अर्थ लोगों पर और अधिक बोझा है और इसे देश से छिपाया जा रहा है। यह धोखा है। यह सभा की मान हानि है और यह आपके निर्णय का अपमान है। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने विनिर्णय को कोई महत्व नहीं देते। वे इसे कम महत्व दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल निर्णयों से बंधा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने उत्पाद शुल्क में यह वृद्धि क्यों की है। कोयला एक अनिवार्य वस्तु है। सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं। रंगा जी बोल रहे हैं (**व्यवधान**) शांति, शांति, रंगा जी।

प्रो० एन० जी० रंगा : चूंकि वित्त मंत्री जी इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का उत्तर देने के लिये यहां नहीं हैं तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप इस मामले पर वित्त मंत्री से सलाह करने के बाद विचार करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह वित्त मंत्री का नहीं ऊर्जा मंत्री का है।

प्रो० एन० जी० रंगा : लेकिन कैबिनेट मंत्री यहां नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें बात स्पष्ट करनी चाहिए। फिर हम वित्तीय कार्य को देखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : एक संसदीय प्रजातन्त्र में सभा में चर्चा किये बिना कोई भी कर नहीं लगाये जा सकते हैं। रफरी बहुत प्रक्रिया एक निष्फल प्रयास बन गयी है, हर बात बहुत चर्चा से बाहर रखी जा सकती है; कोई भी चर्चा नहीं होती; अब विनियोग विधेयक भी जरूरी नहीं होता। यह श्रेय लिया जा रहा है कि केवल 60 करोड़ रुपये के कर लगाये गये हैं और कम से कम शुल्क लगाये गये हैं। सभा की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जायेगा। यह सब एक मजाक सा बन गया है।

श्री मगनभाई बारोट (अहमदाबाद) : यदि वसूली की राशि 50 लाख रुपये से अधिक हो तो अधिसूचना उसी दिन जारी करनी पड़ती है। मंत्री महोदय बतायें कि कितने राजस्व की सम्भावना है और इसमें देर क्यों हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, सोमनाथ जी और आप भी।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : पता नहीं माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। यह इस सभा के निर्धारित निर्णयों तथा विनियमों के अनुसार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कौन से नियम ?

श्री दलबीर सिंह : क्योंकि धनबाद क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिये पैसों

की जरूरत है। धनबाद क्षेत्र की सड़कें बुरी हालत में हैं और सड़कों के निर्माण कार्यों के लिये राशि चाहिये और इसी कारण अधिसूचना जारी की गयी है। इससे अधिक कुछ नहीं। वसूल की गयी राशि का उपयोग धनबाद क्षेत्र में सड़क निर्माण करने के लिये किया जा रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : रोज-रोज इम्पररूवमैंट का काम बढ़ता चला जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हैं। हमने सरकार के इस इस प्रकार के आदेश जारी करने के कानूनी अधिकार को चुनौती नहीं दी है। अब मंत्री महोदय ने कहा है। कि पैसा धनबाद में सड़क निर्माण कार्य के लिये चाहिये। प्रश्न औचित्य का है। धनबाद की सड़कें बुरी हालत में हैं। अत: कोयले के मूल्य बढ़ाये जाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम क्या कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि स्थिति यह है, तो सरकार हर काम के लिए अनुचित तरीके अपनायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही कह सकता हूं जो कि मैंने कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को सभा को बताना चाहिये कि सरकार को इससे कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है। कोयले की कीमतों में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

(व्यवधान)

सभा यह जानकारी लेने की हकदार है। क्या आप हमें सूचना प्राप्त करने से रोक रहे हैं ? सरकार बढ़ाये गये शुल्क को कैसे पूरा करने जा रही है ? मंत्री महोदय को सभा को बताना चाहिये।

अयक्ष महोदय : ये जानना चाहते हैं कि इससे कितनी आय प्राप्त होगी ? जब बता रहे हैं तो आप सुनते नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : क्या यह वाद-विवाद है ? वे अपनी बात कह चुके हैं। आप इन्हें उन सब बातों का उत्तर देने के लिये क्यों बाध्य करते हैं ? यह वाद-विवाद नहीं है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और अपवाद मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह सभा पटल पर रखे जा रहे पत्र के प्रस्ताव सम्बन्धी गुणों का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न सभा के अधिकार तथा प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। मंत्री महोदय ऐसा कह चुके हैं। यह स्पष्टत: सभा की प्रक्रिया के अनुसार है। जैसे कि उस दिन श्री गाडगिल ने कहा था, कुछ ऐसे मद हैं जो जरूरी तौर पर बजट में शामिल नहीं होने चाहिये। अत: भारत सरकार यह सब उपाय सभा की प्रक्रिया के अनुसार संविधान के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत करती है।

एक माननीय सदस्य : बात यहनहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूरी चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। आप यह सब सभा में उठा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : एक चर्चा की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नोटिस दें। मंत्री इसे सभा पटल पर रखें।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता) : अपनी असमर्थता कभी भी प्रकट न करें। आप भगवान् विष्णु, रक्षक की तरह हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे असहाय मंत्री हैं। आपको इन असहाय मंत्रियों की सहायता करनी चाहिये। वे कुछ अनुचित काम कर रहे हैं···

श्री बूटा सिह : इन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम सब अध्यक्ष महोदय के हाथ में हैं। यदि वे चर्चा की अनुममि दें, तो चर्चा कौन रोक सकता है ?

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती : इस प्रकार आप संसदीय प्रजातन्त्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत अधिसूचना

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 95(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय किस्म के कोयले पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर 9 फरवरी, 1983 से निर्धारित की गई है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5933/83]

आयकर अधिनियम 1961 तथा धनकर (संशोधन) नियम 1983 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (संशोधन) नियम, 1983 जो 21 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या संख्या का० आ० 128 (अ) में प्रकाशित हुए।

(दो आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 जो 23 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 131 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5934/83]

(2) धनकर (अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 22 फरवरी 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 130 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5935/83]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1982-83

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं वर्ष 1982-83 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1980-81

रेल मंत्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं वर्ष 1980-81 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रिचर्ड निक्सन द्वारा लिखित पुस्तक 'लीडर्स' में कतिपय अपात्तिजनत और अप्रिय टिप्पणियां

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़) : नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने से पूर्व मैं आपकी अनुमति से इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करनी होगी। मैं इस की जांच करूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या आप अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक ऐसे मामले का उल्लेख करने के लिए

खड़ा हुआ हूं जिसमें राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा अन्तर्ग्रस्त है और तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है मैं सभा का ध्यान धड़ाधड़ बिकने वाले अमरीका के हाल ही के एक प्रकाशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन द्वारा लिखित तथा अमरीका में हाल ही में वारनेर बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'लीडर्स' का उल्लेख कर रहा हूं। 'लीडर्स' निक्सन द्वारा राष्ट्रपति पद के दौरान खींचे गए विश्व के विभिन्न देशों के राजनैतिक व्यक्तियों के रेखाचित्रों का संग्रह है। मैं आपका ध्यान इस पुस्तक के पृष्ठ 270 पर अध्याया 'एन्क्रुमा, सुकार्णो और नेहरू' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है, (कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिए) "नेहरू 1889 में इलाहाबाद में, जो कि अब पाकिस्तान का एक भाग है, पैदा हुए थे। उनका कहना है कि इलाहबाद पाकिस्तान का एक भाग है···

अध्यक्ष महोदय : वह तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं।

श्री कमल नाथ : यह पुस्तक यहां मेरे पास है। और उस पृष्ठ की फोटो कापी भी मेरे पास है। मैं इसे* सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही विद्वान् व्यक्ति हैं।

श्री कमल नाथ : उन्होंने इलाहाबाद तक सीमा खींचा दी है। इलाहाबाद से निर्वाचित सदस्य को एक मित्र सभा में बैठना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई अत्यन्त लज्जाजनक लापरवाही है जो विश्व के सार्वजिनक शक्तिशाली सिंहासन पर बैठ चुका है। रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान की ओर इस कद्र झुक गए कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान की सीमा इलाहबाद तक ला दी है। विश्व के सर्वाधिक धनी राष्ट्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति की ऐसी अज्ञानता से पता चलता है कि निक्सन को हमारे उपमहाद्वीप का कितना ज्ञान है और उनकी पुस्तक कहां तक ठीक है। उसी अध्याय में निक्सन श्रीमती गांधी का 'तानशाह' होने पर उपहास करते हैं। (व्यवधान) क्या आप इससे सहमत हैं ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं वास्तविक स्थिति से सहमत नहीं हूं परन्तु मूल्यांकन से मैं सहमत हूं।

श्री कमल नाथ : यह शैतान द्वारा बाइबिल की कसम खाने के समान है क्योंकि वाटरगेट के मुकदमों ने निक्सन की प्रजातन्त्र के प्रति चिन्ता को अमर कर दिया है।

महोदय, निक्सन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के जो कि अब सत्ता में है, एक स्तम्भ है। इस प्रकार पुस्तक को स्पष्ट रूप से सरकारी स्वीकृति और समर्थन प्राप्त है।

*अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक अनुमति न दिये जाने पर इस पत्र को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

आपके माध्यम से मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह अमरीका के विदेश विभाग से, उनको भूतपूर्व शासक द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के प्रलाप और गलत शब्दों के प्रयोग के लिए बिना शर्त माफी की मांग करे।

(दो) राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित से अधिक अवधि तक ठहरे रहना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : राजस्थान की 644 मील लम्बी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान से चोरी छिपे नागरिक तो राजस्थान में आते ही हैं पर प्रति वर्ष वैध पासपोर्ट लेकर भी औसतन 400 पाक नागरिक प्रवेश करते हैं पर उनकी अवधि खत्म हो जाने के बाद भी वापस न जाकर छिपे रहते हैं। यह एक गंभीर प्रश्न है कि :—

1977	में	363
1978	में	450
1979	में	751
1980	में	958
1981	में	1000

नागरिक पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर भी नहीं गये, तथा पाकिस्तानी नागरिकों ने अपना नाम मतदाता सूची में लिखाना शुरू कर दिया है। यह गम्भीर प्रश्न है। अत: सरकार कार्यवाही करके ऐसे नागरिकों को ढूंढ निकाले तथा आवश्यक कार्यवाही के साथ उन्हें पाकिस्तान जाने को मजबूर करे।

(तीन) एकक्रित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के निर्धन व्यक्तियों को उचित ढंग से ऋणों का वितरण

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास योजना (आई०आर०डी० पी०) के अन्तर्गत मानीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार दस हजार से कम लोक सख्या के गांवों में रहने वाले दरिद्र रेखा के नीचे के किसान मजदूर हरिजन, गिरीजन (शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स) लोगों को उनकी खेती की उन्नति के लिए गाय-भैंस के लिए या धन्धे के लिए पांच हजार रुपये तक की रकम राष्ट्रीयकृत से बैंकों बिना जमानत के पंचायत समिति की सिफारिश पर देने को कहा गया था लेकिन देखने में यह आया है कि किसान, मजदूर, हरिजन और गिरीजन जो दरिद्र की रेखा के नीचे होते हुए भी जो गांव वार सूची तैयार हुई है उनमें बहुत से लोगों के नाम ही नहीं हैं जिनके नाम हैं वह भी कोई सभी पंचायत समिति या बैंक जाते नहीं, लेकिन जो थोड़े लोग जाते हैं और आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत मदद चाहते हैं पंचायत समिति की ओर से सिफारिश रहने के वावजूद ऐसे लोगों को बैंकों में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। गांव में रहने वाला सीधा-सादा आदमी पहले ही कोई कायदे कानून नहीं जानता। वास्ते केन्द्र शासन से और माननीय वित्त मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे गरीब लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, ऐसे उपाय व योजना की जानी चाहिए क्योंकि मेरे विभाग से (भण्डारा जिले से ऐसी कई शिकायतें मेरे पास आई हैं) मैंने भी जिले में जब दौरा किया तब यह बात ग्रामीण विभाग व पंचायत समिति में बतायी गई है।

(चार) निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं की सहायता हेतु प्रत्येक गांव सभा में मतदान केन्द्र बनाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : इस समय उत्तर प्रदेश में संसदीय एवं विधान सभाई निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों के पुर्ननिरीक्षण एवं निर्धारण का कार्य चल रहा है। मतदान केन्द्रों की स्थापना बहुत पहले हुई थी और समय-समय पर केन्द्रों का घटाव, बढ़ाव तथा स्थानान्तरण होता रहा है। मतदान केन्द्र के निर्धारण में स्थानीय प्रभावकारी लोग तथा शासक दल की अहम भूमिका रहती है, जिन्होंने अपनी सुविधा एवं स्वार्थ को सदैव वरीयता दी है परिणामस्वरूप समाज के सामान्य नागरिक निर्बल वर्ग के लोग बड़ी संख्या में असुविधाओं के कारण अपने माताधिकार का प्रयोग करने से वंचित होते रहे हैं। समाज के प्रभावकारी लोग अपने सुविधाजनक केन्द्रों पर अवैध कब्जा करके तथा निर्बल वर्ग के लोगों को विशेषकर महिलाओं को मतदान से वंचित करके उनका मत अपने पक्ष में डाल देते हैं। इसके अतिरिक्त दूर के केन्द्रों के लिये प्रत्याशियों द्वारा अवैध तरीके से साधनों का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त खामियों एवं अनियमितताओं के निराकरण के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि प्रत्येक गांव सभा में मतदान केन्द्र की व्यवस्था की जाय। यह नीति के आधार पर स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इस प्रकार की अव्यवस्था विशेष कर गांवों में पाई जाती है। अत एव प्रत्येक गांव सभा में मतदान केन्द्र हो जाने से मतदान का प्रतिशत बढ़ जायेगा, मतदान केन्द्रों पर अवैध कब्जों की सम्भावना कम हो जायेगी तथा प्रत्याशियों द्वारा अवैधानिक तरीके से मतदाताओं के लिये सवारियों की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार चुनाव व्यय में कमी होगी।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से साग्रह निवेदन करूंगा कि वे इसके क्रियान्वयन में सहायता करें, जिससे सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले नागरिकों को भी निर्भय हो कर अधिक संख्या में मताधिकार का अवसर सुलभ हो सके। यह एक सामयिक प्रश्न है और इसके लिये तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता है।

(पांच) बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड में हड़ताल को रोकने के लिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के विभिन्न युनिटों के 6000 से अधिक मजदूरों को जबरदस्ती बेकार कर दिया गया है और पिछले कुछ महीनों से मुश्किल से पेट भरने की स्थिति में छोड़ा गया है। इससे पहले कि समस्या भयंकर रूप धारण करे मैं इस आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर विचार करे।

इस मिल में 6000 से अधिक मजदूर हैं जिनमें से लगभग 2,500 'बदली' मजदूर हैं।

इन मिलों ने अपनी लगभग 50 प्रतिशत वस्त्र सम्बन्धित मशीनरी को सिम्बर, 1982 से बेकार रखकर मजदूरों को जबरदस्ती झुकाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। प्रबन्धकों ने जान बूझ कर और कृत्रिम रूप से पैदा किए गए अभाव, जो कि वास्तव में नहीं है, से तालबन्दी को न्यायोचित

ठहराने का प्रयास किया है। प्रबन्धकों का उद्देश्य मजदूरों को डराना था और तालबन्दी का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरों की एकता को तोड़ना था।

प्रबन्धकों ने अपनी धन-शक्ति के द्वारा मजदूरों पर अनुचित दबाव डाला। उन्होंने अनुचित तरीकों का प्रयोग करके विधि, न्याय के सभी सिद्धान्तों का विशेषरूप से श्रमिक कानूनों का उल्लघंन किया है जिसके कारण अधिकांश मजदूर बेकार हो गये हैं। मजदूरों ने सरकार और सम्बन्धित अधिकारियों से अपनी मांगें मनवाने के लिए पिछले छः महीनों से काफी तकलीफें उठाई हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम तालाबन्दी, उत्पीड़न और निरंकुशता निकला है।

प्रबन्धकों ने 22 जनवरी, 1983 से तालाबन्दी समाप्त कर दी है परन्तु उन्होंने कुल मजदूरों की अपेक्षित संख्या का दसवां भाग रखा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई ऐसा निश्चित रास्ता निकाले जिससे मजदूर भूखों न मरें और मिल जल्दी खुल जाएं और मिल, जनता और स्वयं मजदूरों के हित में अधिकाधिक मजदूरों को काम करने की अनुमति दी जाए।

(छः) देश में मछुआरों की दशा को सुधारने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मान्यवर, अपने देश में समुद्री सम्पदा के विकास तथा उसके दोहन की दिशा काफी में देर से ध्यान दिया गया है। मछुआरों की नावें अब भी पुरानी किस्म की हैं और उनके यन्त्रीकरण की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। जिन थोड़े लोगों के पास छोटी मोटी मोटर वौट है वे भी पार्ट पुर्जों तथा डीजल के संकट से परेशान हैं। लकड़ी के मूल्य में निरन्तर वृद्धि के कारण देशी नावों का निर्माण भी कठिन होता जा रहा है। मत्स्य पालन के नाम पर तटीय राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने काफी अधिक धनराशि की व्यवस्था किये जाने के बावजूद भी इस दिशा में उल्लेखनीय कुछ नहीं किया। इसमद में आवंटित धनराशि का अधिकांश भाग प्रशासकीय मद में ही अत्याधिक खर्च हुआ है। वास्तविक रजत क्रान्ति की आवश्यकता है मगर साधनहीन मछुआरों से यह कैसे सम्भव होगा। तालाब, झील, नदी और इन सबसे अधिक सागर के तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ी जाती है किन्तु प्रति वर्ष चक्रवात तथा तूफान जैसी प्राकृतिक विपदायें इस व्यवस्था को रौंद जाती हैं। यदि इन्हें आर्थिक सुविधा के साथ-साथ यांत्रिक नौकायें तथा तकनीकी जानककारी उपलब्ध करायी जाए तो इनका उन्नति का सपना यथार्थ बन सकता है। फिलहाल देश के अन्य उद्योगों में कार्यरत मजदूरों तथा कर्मचारियों के हित में गठित कोष की तरह इन श्रमिकों के लिए भी कोष का गठन किया जाना चाहिये तथा इन्हें बैंक एवं अन्य वित्तीय संगठनों से पर्याप्त आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित होना चाहिये। सागर तटीय इलाकों का, जहां इनकी भरपूर आबादी है, चुनावी दृष्टिकोण से पुनर्गठन होना चाहिये जिससे इस वर्ग का भी विधान मण्डलों में भरपूर प्रतिनिधित्व हो सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रसतव

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 22 फरवरी, 1983 को श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा पेश किए गए तथा प्रो० के० के० तिवारी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करेगी :

"कि राष्ट्रटति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाए।

"कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के पास अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1983 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

श्रीमती जयन्ती पटसायक बोल रही थी। वह पांच मिनट ले चुकी हैं। वह और पांच मिनट लेंगी और अपना भाषण समाप्त कर देंगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक समय दिया जाना चाहिए।

महोदम, मैं मुद्रास्फीति व मंहगाई और देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा कर रही थी। हम अपने देश में मुद्रास्फीति को रोकने में सफल हुए हैं जबकि विश्वभर में इसमें वृद्धि हुई है। इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर 2% के 2.8% रही जबकि पिछले वर्ष यह 6.4% थी। सूखे की स्थति के बावजूद, जो अर्थव्यवस्था के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है, महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग और पूर्ति का शानदार सन्तुलन बना रहा। कोयले, विद्युत, सीमेंट और उर्वरक के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। देश में तेल के उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। छठी योजना के अन्त तक क्रूड कच्चे तेल के उत्पादन में 1972-73 के उत्पादन से पांच गुना बृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में हमने अब शानदार प्रगति की है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में देश में पेट्रोलियम के उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि के वस्तुतः हमारे दृढ़ निश्चय की परिचायक है। सार्वजनिक क्षेत्र ने अपने उत्पादन और कार्यकुशलता में सराहनीय बढ़ोतरी की है। निर्धनों को ग्रामीण रोजगार के 3300 लाख अतिरिक्त कार्य दिवसों से लाभ प्राप्त हुआ है। 5 लाख से अधिक नए आवासीय स्थलों का वितरण किया गया है और लगभग 25,000 समस्याग्रस्त गांवों में जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है। योजना परिव्यय में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सरकार मौजूदा निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान वर्ष की योजना में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा कृषि के क्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम पर बल दिया गया है। इम वर्ष हम प्रत्याशित कृषि विकास प्राप्त नहीं कर सके। परन्तु कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना से तिलहनों के विकास और ड्राइलैण्ड फार्मिंग के विकास पर 20 सूत्री कार्यक्रम में भी है, बल दिया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के शानदार परिणाम रहे हैं। यदि हम इस कार्यक्रम को 1977 से अब तक उसी तरह जारी रखते जैसे यह इस वर्ष था तो हमें न केवल सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त होते बल्कि शानदार परिणाम भी प्राप्त होते। ये सब अच्छे कार्य निष्पादन और आशावाद के चिह्न हैं।

प्रशासनिक ढांचे के संबंध में, बचत करने के संबंध में तथा निर्धनों के लाभ हेतु कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी बनाने के संबंध में सरकार द्वारा किए गए कतिपय उपायों की मैं सराहना करता हूं। विभिन्न उपायों द्वारा प्रशासन को स्वच्छ बनाने के हमारी प्रधानमंत्री के हाल ही के निदेश स्वागत योग्य हैं। अर्थशास्त्रियों की समिति की नियुक्ति स्वागत योग्य है।

मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य प्रणाली बढ़ती हुई लागत को पूरा करने हेतु राजस्व में वृद्धि करने और प्रतिदिन उपभोग की इस महत्वपूर्ण वस्तु को निर्धनों को कम लागत पर उपलब्ध कराने और डीजल की मिलावट की संभावना को कम करने के उद्देश्य को पूरा करेगी। समाज के कमजोर वर्गों के लिए राशन कार्ड प्रणाली को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाए ताकि निर्धनों को नई प्रणाली के कारण कष्ट न हो। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक व्यय में बचत तथा धन के प्रदर्शन को समाप्त करने पर काफी बल दिया है। इन कदमों से और काले धन को निकालने के लिए की गई कड़ी कार्यवाही से हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

महोदय, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में हमारे प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ग्रामीण जनमानस में दूरदर्शन अत्यन्त लोकप्रिय हो रहा है। उपग्रह छोड़कर हमने एक प्रोद्यौगिकी सफलता प्राप्त की है। सामुद्रिक खोज में हमने अच्छी शुरूआत की है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास कार्यक्रमों में भी अच्छी शुरूआत हुई है। बायोगैस संयन्त्रों के महत्व को ठीक मान्यता दी गई है और राष्ट्रीय बायो-गैस संयन्त्र की स्थापना की गई है जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इन कदमों से बहुत सहायता मिलेगी।

महोदय, यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं परन्तु मैं सरकार को व्यवस्था बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक सदभाव बनाने के लिए तुरत और ठोस कदम उठाने के लिए बधाई देती हूं। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ऐसे कुछ तत्व और संगठन हैं जो साम्प्रादियकता, पृथकतावाद और राजनीतिक उथल पुथल को प्रोत्साहन देते हैं। विपक्ष के मेरे अनेक मित्र कहते हैं कि देश की स्थिति खराब है परन्तु निराशा का कोई कारण नहीं है। हमारे देश जैसे बड़े मुल्क में समस्याएं होना स्वभाविक है विशेषरूप से ऐसी स्थिति में जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति गम्भीर हो। हमारे जैसे विशाल देश में जहाँ भाषाओं, संस्कृति और धर्म की विभिन्नता के कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहां सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम वस्तुतः उसकी स्थिरता दृढ़ संकल्प और लोगों की जरूरतों के परिणामस्वरूप रहने की भावना के द्योतक हैं, क्या कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा प्राप्त किए जा रहे सम्मान से इन्कार कर सकता है? यद्यपि गरीबी है, निरक्षरता है, क्या यह सच नहीं है कि हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? हम प्रगति कर रहे हैं और करेंगे। हम आर्थिक मोर्चे आदि हरेक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से प्रगति कर रहे हैं और वह भी उल्लेखनीयरूप से। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि हम विश्व के प्रथम सात अग्रणी देशों में से नहीं हैं। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि भारत ने विश्व को वे निश्चित उद्देश्य नहीं दर्शाए हैं जो हमारे समक्ष हैं जिनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और शान्ति, स्थायित्व और साख के लिए वकालत कर

रहे हैं। विपक्ष के हमारे बहुत से मित्र सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय विकल्प की बात करते हैं। हाल में हुए कुछ राजनीतिक दलों के विलय के फलस्वरूप उनकी आशा बहुत बढ़ गई है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनका अनुमानित विकल्प कोई विकल्प नहीं है। 1977 में, उन्हें एक बहुत बड़ा अवसर मिला था परन्तु उनकी एकजुट शक्ति उन्हें तीन वर्ष से आगे नहीं ले जा सकी और देश उनके हाथों में बंटवारे, विखण्डन, आर्थिक ठहराव, राजनीतिक और सम्प्रदायिक संघर्ष, कलह की ओर अग्रसर हुआ। मुझे आशा है कि भारत के व्यापक हित में वे सरकार के साथ अनावश्यक विरोध पैदा करने का प्रयास न करके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर अपना सहयोग देंगे।

मैं राष्ट्रपति महोदय को अपने भाषण में आशावादी भावना को पकड़ने और भावी विकास की नीति की रूपरेखा रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबली) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से पूर्व, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों ही हैं। महोदय, मैं अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ कहूंगा और इसलिए व्यक्तिपरकरूप से मैं जो कुछ कहूंगा वह मेरे क्षेत्र से सम्बद्ध होगा और वस्तुपरकरूप से मैं एक कन्नडी और तमिल हूं। वस्तु-परक रूप से यदि मैं अपनी शिक्षा को आधार मानू तो मैं कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों का हूं क्योंकि मैंने अपनी इन्टर्मिडिएट की परीक्षा सेन्ट्रल कालिज, बंगलौर से पास की और अपनी बी० ए० आनर्स की परीक्षा प्रोजीडेन्सी कालिज, मद्रास से पास की। अतः मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र और वस्तुपरकरूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में बोलने की अनुमति दी जाए।

जहां तक आन्ध्र-प्रदेश का सम्बन्ध है और मेरे चुनाव क्षेत्र का सम्बन्ध हैं विशाखापत्तनम बन्दरगाह न केवल केन्द्र के लिए अपितु राज्य के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। यह भारत के मुख्य पोताश्रयों में से एक है। मैं संसद सदस्यों और इस सदन से विशाखापत्तनम बन्दरगाह के के विकास के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का निवेदन करता हूं। आजकल विशाखापत्तनम बन्दरगाह केवल 32 फुट ड्राफ्ट के जहाजों को ही प्रवेश की अनुमति देती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि समुद्र के स्तर के लगभग 32 फुट नीचे पानी में एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान की पर्त है। मुझे बताया गया है कि यदि भारत सरकार लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है तो हम बन्दरगाह की गहराई को तीन-चार गुना और बढ़ा सकते हैं अर्थात 100 फुट से 120 फुट तक जिसमें 10,000 डी० डबल्यू० टी० क्षमता के समुद्री जहाज प्रवेश कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने बताया है, समुद्री जल के नीचे बन्दरगाह के प्रवेश स्थल के समुद्री स्तर के केवल 32 फुट नीचे एक चट्टानी-पत्थर हैं। परन्तु यदि इसे डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है तो बन्दरगाह के प्रवेश स्थल की गहराई को 32 फुट से 120 फुट तक बढ़ाया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विशाखापत्तनम बन्दरगाह को भारत के एक प्रमुख अभियन्ता श्री विश्वेश्वर अय्यर की सलाह पर 1928-29 में विकसित किया गया था। वह मैसूर राज्य के प्रमुख अभियन्ता थे उसके भूतपूर्व दीवान थे। उनके सुझाव पर, दो पुराने समुद्री जहाजों को पोताक्षण के मुहाने पर डुबोया गया था जिससे कि समुद्री रेत बन्दरगाह कि डॉक-यार्ड में न घुस सके। इस प्रकार विशाखापत्तनम बन्दरगाह विश्वेश्वर अय्यार की देन है। यदि उन्होंने

पोताश्रय के मुहाने पर दो पुराने जहाजों को डुबाने की विशाखापत्तनम के प्रधिकारियों को सलाह न दी होती तो मुझे डर है कि वर्तमान शिपयार्ड न बना होता।

जैसा कि मैं कह चुका हूं यदि पोताश्रय के प्रवेश स्थल पर समुद्री स्तर के नीचे प्रस्तर चट्टान को विस्फोट करके उड़ा दिया जाये तो हम बन्दरगाह के प्रवेश की गहराई को 32 फुट से 120 फुट तक बढ़ा सकेंगे। वर्तमान 32 फुट की गहराई, केवल 28000 डी० डब्लयू टी० के अधिकतम भार के जहाजों को ही बन्दरगाह क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देती है जबकि बढ़ी हुई 120 फुट की गहराई से बन्दरगाह में 100,000 डी० डब्ल्यु० टी० भार के जहाज जा सकेंगे। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो पोताश्रय को सरलता से आज से चार गुना बड़ा बनाया जा सकता है।

आजकल हिन्दुस्तान शिपयार्ड 26,000 डी० डब्ल्यू० टी० भार के जहाजों का निर्माण कर रहा है, परन्तु यदि पोताश्रय प्रवेश स्थल की गहराई को 100 फुट या 120 तक फुट बढ़ा दिया *जाता है* तो समुद्री विकास यार्ड को चार गुना या पांच गुना बढ़ाया जा सकता है और वे 120,000 डी० डब्ल्यू० टी० भार के जहाजों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे हिन्दुस्तान शिपयार्ड के ब्यौरे का पता नहीं है, परन्तु आजकल एक प्रमुख नौसेना अभियन्ता वाइस-एडमिरिल मेनन हिन्दुस्तान शिपयार्ड का प्रभारी है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि मैंने जो प्रस्ताव वाइस-एडमिरिल मेनन के पास भेजा है वह उस पर बातचीत करें। महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि शिपयार्ड के विकास में चार-पांच गुनी वृद्धि करने तथा पोताश्रय मुहाने पर प्रवेश को आजकल की 32 फुट की गहराई से 120 फुट कर देने से उन्हे अतीव प्रसन्नता होगी।

महोदय मैं आरंभ में कह चुका हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं एक कन्नडी, आंध्री और तमिलियन हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि 1937-38 में, तत्कालीन मद्रास सरकार के पास गोदावरी नदी के ऊपर रामपथसागर नाम की एक परियोजना को विकसित करने की एक योजना थी। मैं इसका विशेषरूप से उल्लेख करूंगा क्योंकि रामपथसागर को आंध्र प्रदेश में भद्राचलम में बनाया जाना चाहिये था। उन दिनों यह विचार था कि यदि गोदावरी के ऊपर परियोजना का निर्माण किया जाता है तो जल को राजमुन्दरी से कन्याकुमारी तक ले जाया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्य से तत्कालीन मद्रास सरकार के समक्ष दो परियोजनाएं थीं। एक थी नागार्जुन सागर और दूसरी रामपथसागर। रामपथसागर गोदावरी नदी पर थी और नागार्जुनसागर कृष्णा नदी पर। तत्कीलीन निज़ाम सरकार ने नागार्जुन सागर के विकास को तो स्वीकृति दी थी परन्तु रामपथ सागर को नहीं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि 1937-38 में नागार्जुन सागर पर 170 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था और रामपथ सागर पर 220 करोड़ रुपये का। इन दोनों में से निजाम सरकार ने नागार्जुन सागर को वरीयता दी थी। परन्तु, महोदय मैं कहना चाहूंगा कि यदि रामपथ सागर को पुनर्जीवित किया जा सकता है तो उसका सारा जल तमिलनाडु को दिया जा सकता है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यह तमिल का जल है या तेलगू जल है क्योंकि गोदावरी नदी एक राष्ट्रीय नदी है। यह आन्ध्र प्रदेश की नहीं है। ब्रह्मपुत्र और गंगा के बाद यह देश की तीसरी बड़ी नदी है। महोदय, आज हम गोदावरी के 8% जल का ही उपयोग कर रहे हैं और 92% बंगाल की खाड़ी में बेकार चला जाता है। इसलिए यदि रामपथ सागर को पुनर्जीवित कर दिया जाता है तो हम भद्राचलम से राजाकुण्ड—कन्याकुमारी तक पानी दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त,

कर्नाटक के मेरे मित्रों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वे कावेरी के समस्त जल को अपने उपयोगार्थ रख सकेंगे। कावेरी जल की एक भी बूंद तमिलनाडु को नहीं दी जायेगी और यद्यपि कर्नाटक के पास कावेरी जल का सम्पूर्ण बहाव रहेगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक चावल की खेती होगी। इस परियोजना के विकास के फलस्वरूप गोदावरी का जल तमिलनाडु को दे दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जल रॉयर्ल सीमा से होकर जाना चाहिये। है ना ?

श्री पी० वी० जी० राजू : नहीं, महोदय, केवल कृष्णा का जल रॉयल सीमा तक जायेगा।

उपाध्याक्ष महोदय : यदि यह जल रॉयल सीमा तक नहीं जाता है तो फिर तमिलनाडु सुरक्षित है।

श्री पी० वी० जी० राजू : परन्तु इस योजना पर 200,000 को 300,000 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसलिए मैं भारत सरकार को सुझाव दूंगा कि वह ऋण की मांग विश्वकोष से करें और रामपथ सागर का निर्माण किया जाए।

महोदय, आज हम विशाखापत्तनम में एक इस्पात संयन्त्र लगाने की बात कर रहे हैं। परन्तु महोदय, हम जब तक गोदावरी का जल वहां तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक वहां इस्पात संयन्त्र नहीं लग सकता है क्योंकि इस्पात संयन्त्र के लिए 30 लाख गैलन जल प्रति घन्टे की आवश्यकता होती है। अतः महोदय, लोगों को गोलमोल बात नहीं करनी चाहिये। हमारी नीति स्थिति की वास्तविकता को दृष्टिगत रखने की होनी चाहिये। मुझे डर है कि हम तथ्यों का वस्तपरक रूप में अध्ययन नहीं करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। जब तक हमारे पास जल न हो हम विशाखापत्तनम में इस्पात संयन्त्र नहीं लग सकता है। और जब तक गोदावरी नदी पर हमारी परियोजना तैयार नहीं हो जाती है, हमें जल नहीं मिल सकता है। व्यक्तिपरकरूप में बोलते हुए मैं कहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश को इस्पात संयन्त्र और गोदावरी जल परियोजना मिलेगी, तमिलनाडु को कन्याकुमारी तक जल मिलेगा और कर्नाटक को मोट्टूर बांध से पहले का कावेरी का जल मिलेगा।

एक और मुद्दा है। विशखापत्तनम एक इस्पात संयन्त्र का प्रस्ताव कर रहा है। जापान और अमरीका के फ्लोरिडा राज्य में समुद्र की गहराई में से बिजली तैयार की जाती है। जापानियों और अमरीकियों ने एक सीमेन्ट की पाइप लाइन बिछाई है सीमेन्ट के पाईप के साथ पारे को पाईप लाईन के ऊपरी सिरे तक जाने दिया जाता है और दबाव डालकर नीचे उतारा जाता है। पाईप की निचली सतह पर विद्युत उत्पाद संयन्त्र लगा होता है। पाईप के नीचे बिजली पैदा की जाती है।

अमरीका में समुद्र की गहराइयों से पैदा बिजली से एल्युमीनियम बनाया जाता है। जापान में समुद्र से प्राप्त बिजली से उच्च-तापीय इस्पात का उत्पादन किया जाता है।

मेरा सुझाव के समुद्र से विद्युत प्राप्त करने के मामले की जांच की जाए।

मुझे पता है कि श्री काकुलम जिले में सोमपेटा नाम का क्षेत्र हैं, जहां पर समुद्र की गहराई

लगभग 4500 मीटर है। अतः, यदि इस क्षेत्र के समुद्र से इस इस्पात संयन्त्र के लिए बिजली ली जाए तो तब उच्च-तापीय इस्पात के उत्पादन के लिए विशाखापत्तनम में एक विद्युत इस्पात संयन्त्र लगाना सम्भव हो सकेगा। इसलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

आखिर में, मैं भी विश्वेश्वरैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये विचार दिये। तमिलनाडु के सदस्यों ने उन्हें देश की इंजीनियरी का अगुआ कहा है, कर्नाटक के भद्रावति में बिजली ऊर्जा से हाई-टेमपर्ड ब्च्चे लोहे का उत्पादन हो रहा है। यह कोई नवीन विचार नहीं है। 1920 में, सर विश्वेश्वरैया ने कर्नाटक राज्य में इस विचार को जन्म दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर साम्पेरा में हम समुद्र के पानी से यानि समुद्र की गहराईयों से बिजली पैदा करने में सफल हो सकते हैं और अगर इसे वहां से दूसरे स्थानों तक ले जाया जा सकता है, यानि साम्पेटा से विशाखापत्तनम जो 140 मील उत्तर में है तो अगर विशाखापत्तनम में इस्पात संयन्त्र लगता है तो इस संयन्त्र में 'हाई-टेम्परड' इस्पात पैदा हो सकता है। मैसूर के भूतपूर्व दिवान सर विश्वेश्वरैया की कृतियों को पढ़ने से मुझे यह विचार आया। इसलिए, मैं तमिलनाडु और कर्नाटक के अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे निष्पक्ष रूप से अपने विचार रखने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप भी इस रामपद सागर परियोजना का समर्थन करें और कन्याकुमारी तक पहुंचाये।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप भोजन काल को स्थगित कर दें क्योंकि दोनों ओर से काफी संख्या में माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और 3.30 बजे माननीय प्रधान मंत्री भी इस में हस्तक्षेप करने वाली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन प्रस्ताव से सहमत है। श्री शास्त्री आप जा सकते हैं और अपना दोपहर का खाना खा सकते हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कृपया पहले मेरी बात सुने। अपनी ही टिप्पणी न करते रहें।

मेरा उपाध्यक्ष जी, यह आग्रह नहीं है कि आप लंच आवर को सस्पेंड मत कीजिए। सदन का काम चलता रहे। लेकिन मेरा निवेदन यह जरूर है कि जब आप अधिक लोगों को बोलने का समय दे रहे हैं तो दूसरे दलों के लोगों को भी, जिन दलों के केवल एक-एक ही स्पीकार को आपने बोलने के लिए अलाऊ किया है बोलने का समय दिया जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपोजिशन के दूसरे लोगों को भी समय दीजिए और उन्हें भी एडस्जट कीजिए तब हमें कोई एतराज नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक विपक्षी दल से एक-एक वक्ता को बोलने का अवसर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। यहां मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना

चाहता हूं कि प्रत्येक विपक्षी दल को बोलने का कुछ समय निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक ही दल से दो वक्ता बोलना चाहते हैं, तो उन्हें आपस में फैसला करना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : लेकिन आप समय में बृद्धि कर रहे हैं। यह अधिकार का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास आम बजट और रेल-बजट है।

श्री रामवतार शास्त्री : आप समय बृद्धि क्यों कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां हम प्रक्रिया अपना रहे हैं कि प्रत्येक दल को उसके सदन में सदस्यता के अनुरूप समय दिया जाये। मुझे खेद है कि मैं इससे अलग नहीं हट सकता।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : यह क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है, अगर समय में वृद्धि की जाती है, तो आपके अनुरोध पर सदन विचार करेगा। घबरायें नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप समय में बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय मिलेगा। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि जब समय में वृद्धि होगी तो आपको अपने दल की सदस्यता के अनुसार समय दिया जायेगा। लेकिन आपको 4-5 मिनट मिलेंगे। ठीक है डा० मेहता अब भोजन काल स्थगित किया जाता है।

डा० महिपतराय एम० मेहता (कच्छ) : कल, डॉ० कर्ण सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि देश की आत्मा और भारत की धार्मिकता का लगातार हनन किया जा रहा है। असल में यह एक सही कथन हैं। मैं इसका समर्थन करूंगा, लेकिन साथ ही, मैं दीवारों पर ऐसे नारे लिखे हुए देखता हूं :

हम हिन्दु एक हैं।

वे विराट हिन्दू सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। हर जगह वे देश की आत्मा की बात का प्रचार कर रहे हैं, जो कि देश के पहले ही मूलभूत अधिकार, यानि धर्मनिरपेक्षता, के बिरुद्ध है, क्योंकि वह सिर्फ इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि :

हम हिन्दु एक हैं।

मैं डॉ० कर्ण सिंह से चाहूंगा कि वे इस बारे का इस रूप में प्रचार करें :

हम सब भारतीय एक हैं।

तब मैं समझता हूं कि जिस भाषा में उन्होंने कल यहां भाषण दिया, वह उचित सिद्ध हो सकेगा। कल यहां बैठे अपने कुछ मित्रों और अधिकतर प्रैस द्वारा कही गई इस बात से सहमत हूं कि यह अभिभाषण साधारण है, और इसमें किसी भी मामले में प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन, मगर

आप इन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को देखें तो—राष्ट्रपति यहां पर इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकते--आप पायेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति ने कई बातें कहीं हैं।

मैं अब बताता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्या कहा है।

गृह स्थिति के बारे में उन्होंने कहा है कि "देश में विघटनकारी तत्व कार्यरत हैं।" इसका अर्थ है कि आज देश में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। श्रीमन, उन्होंने यह भी कहा है कि साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रवादी विरोधी तत्वों से जो आपत्तिजनक क्रियाकलापों में लगे हैं, पूरे जोर से लड़ना चाहिए। इसलिए, श्रीमन्, यह भी बिल्कुल सही है। साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने देश की अखण्डता को बनाये रखने की अपील की है। इसलिए, श्रीमन्, राष्ट्रपति को भारत के लोगों को यह अपील करने पर वाध्य होना पड़ा है क्योंकि यह खतरे में है और इसे बनाये रखने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने लोगों से ऐसी अपील की है कि उसे बनाये रखें।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार और अकुशलता के विरुद्ध लड़ाई का भी जिक्र किया गया है। अगर आप इसके पीछे के अर्थ को समझें तो सोचेंगे कि इससे देश की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चलता है। मैं राष्ट्रपति के इस कथन से सहमत हूं कि देश इस समय एक राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है। यह चरित्र हनन का संकट है। एक राजनीतिज्ञ चुनाव जीतता है और एक राजनेता राष्ट्र का निर्माण करता है। क्या हमने राष्ट्र को बनाया है? मैं यह समझ सकता हूं कि देश की जीवनशक्ति और ताकत खत्म होती जा रही है। लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि भारत में राष्ट्रीय चरित्र का हनन हो रहा है। मैं आपके जरिये से पूछना चाहता हूं कि ये जो आठ आदमी हरियाणा में कांग्रेस (आई) से निकाले गये थे और वे सभी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़े हुऐ थे, इसके बाद उन्हें न केवल कांग्रेस में शामिल किया गया, बल्कि उन्हें मंत्री पद भी दिये गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही राष्ट्रीय चरित्र है? क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है, जिसके लिए मैंने अपना खून दिया है? दुर्भाग्यवश यह कांग्रेस (आई) की संस्कृति है, न कि हमारी कांग्रेस की। (व्यवधान)

हां डॉ० शर्मा साहिब, मैं, निश्चिय ही ऐसा कहूंगा इसीलिए मैं, भ्रष्टाचार और अकुशलता के बारे में कहता हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां भ्रष्टाचार न हो। कल इस पर कई लोगों ने कहा। कई जगह सूखा है। सभी जगह राहत कार्य चल रहा है। इस पर 700 करोड़ रु० खर्च किया जा रहा है। लोग इससे बहुत खुश हैं। है कि यह सहायता जरूरतमन्द लोगों तक नहीं पहुंच रही है? हर कोई इस बात से सहमत है—यहां तक कांग्रेस (आई) वाले पक्ष के लोग भी यह मानते हैं कि, यह लोगों तक नहीं पहुंचती, बल्कि जो लोग प्रशासन चला रहे हैं, उनकी जेबों में चली जाती है। कांग्रेस (आई) को इसका पता नहीं है?

दुर्भाग्यवश, गुजरात में चक्रवात के बाद सूखा पड़ा, दोहिरी विपदा पड़ी। प्राकृतिक सरकार वास्तव में लोगों की सहायता व बचाव के लिए आई। लेकिन आप किसी भी नगर या गांव में जाकर देख सकते हैं। अभी हाल ही में माहुआ में सभी दलों का विरोध जलूस निकला गया था—केवल विरोधी दलों का नहीं बल्कि वह लोग भी शामिल हुए जो उनके साथ खेलना नही चाहते थे।

और एक भी ऐसा छोटा सा गांव नहीं हैं, जहां पर भ्रष्टाचार की कोई घटना न हुई हो। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। केन्द्रीय सरकार भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है

कांडला बन्दरगाह से फर्नेस तेल निरन्तर पाया जाता हैं। कांडला बन्दरगाह के चेअरमैन ने खुद भी इसकी शिकायत की हैं। मैं नहीं जानता कि यह फर्नेस तेल वहां जाता है। एक बहादुर नौजवान लड़के ने जोकि उपमंत्री के मकान में रहता था, उसने वहां पर फर्नेस तेल को उतरते हुऐ देखा। वह पुलिस के पास गया और उनसे बातचीत की। अगर आप चाहें तो, मैं जो कुछ पुलिस इन्स्पेक्टर ने कहा, उसका टेप, यहां सदन में चला सकता हूं। उसने कहा था कि "क्योंकि आप सभी मंत्री के व्यक्ति हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं।" और उसने मंत्री से कहा कि "मैंने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया है।" गुप्तचर के सचिव के पास जाने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिकायत करने गया था, लेकिन कांडला बन्दरगाह के चेयरमैन को गुजरात राज्य के सबसे ऊंचे प्राधिकारी से आदेश प्राप्त हुआ था कि वह पुलिस में न जायें।

मेरा आरोप है कि एक न्यासी ने एक पत्रकार को साथ उसी दिन कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष से मिला। उसी दिन उसको यह सूचना दी गयी थी कि तेल कहां पर है? परन्तु वह चालीस दिन तक पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस को चालीस दिन के बाद एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी थी। इस बीच सभी साक्ष नष्ट कर दिए गए थे। इसके बदले उसे क्या मिला? कांडला पन्तन न्यास के अध्यक्ष को गुजरात समुद्री बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कांडला पत्तन न्याज के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय नौवहन तथा परिवहन मंत्री वहां पर गए थे—आप भी लारेंस में पूछ सकते हैं—तथा उन्होंने अध्तक्ष की बहुत प्रशंसा की तथा उनके सेवाकाल से वृद्धि कर दी। परन्तु उन्होंने सलाहकार सीमिति के सामने स्वीकार किया कि इस विलम्ब को रखा जा सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस विलम्ब को टाला जा सकता था तो उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती हैं? यदि हां तो उन्होंने इसके लिए क्या कार्यवाही की है? दूसरी ओर अध्यक्ष वहीं पर बने हुए हैं। उपमन्त्री का बेटा इसमें अन्तर्ग्रस्त है। उनके दामाद पर लभी आरोप लगाया गया है। यह परिसर निश्चित रूप से उपमन्त्री के हैं। परन्तु उनका नाम केसशीट में नहीं है। केवल यही नहीं। मैंने वाणिज्य मन्त्रालय के बारे में भी बात की है कांडला पत्तन पर खाद्य तेलों के 8 टेंकर रंगे हाथों पकड़े गए। केमिकल एलकालाईन कम्पनी इसमें अन्तर्ग्रस्त थी। परन्तु गरीब ड्राईवर, ट्रक को साफ करने वाला तथा गरीब श्रमिक जिन्होंने उन टेंकरों में तेल भरा, पकड़े गए थे। मालिक साफ बच गये। क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के उस कम्पनी में अपने सम्बन्धी थे। यह मेरी समझ में नहीं आता।

यदि श्री शिवशंकर जी यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या पूरे भारत को किसी भी संस्थापना में तेल नापने के लिए मीटर है। मैं स्वयं कांडला स्थित सभी तेल संस्थापनाओं में गया था। बे तेल को नापते नहीं, बल्कि उनके यहां नमन प्रणाली है। मान लीजिए 10 टन तेल गया है। वहां पर नियुक्त व्यक्ति कहेगा 7 टन गया और क्लर्क 7 टन ही लिखेगा। बाकी तेल की तस्करी की जाती है। इस प्रकार से दो ट्रक रंगे हाथों पकड़े गए थे। परन्तु संस्थापना के प्रबन्धक ने उन्हें जाने दिया। यह पूछे जाने पर कि उसने ऐसा क्यों किया उसने कहा यह रिवाज है,

यह आम बात है और हम पुलिस के पास नहीं जाते। मैंने इस सम्बन्ध में लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

हम भारत की अखण्डता की बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में इस बारे में कोई संदेह नहीं कि प्रधान मंत्री देश को बहुत अधिक प्यार करती हैं उनके लिए देश की अखण्डता बहुत अधिक प्यारी है। हर जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए। गांधी जी की हत्या एक धर्मान्ध हिन्दु युवक द्वारा की गयी थी। परन्तु गांधी जी के गुजरात में गांधी जी की हत्या प्रतिदिन की जा रही है उनका जन्म स्थान-पोरबन्दर केवल शराब केन्द्र ही नहीं बल्कि मार्फिया का भी केन्द्र बन गया है। मैं सभा में इस बात की चुनौती देता हूं। प्रधान मंत्री, गृहमंत्री, था रक्षा मंत्री उस समय बड़ौदा गए थे जब वहां पर एक वर्ष से निरन्तर साम्प्रदायिक दंगे चल रहे थे। गुजरात में इससे पहले ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। गुजरात सीमावर्ती राज्य है। मुझे मालूम है कि लालबहादुर के समय में किस प्रकार से पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने उनसे सीमा विवाद तथा उन सभी बातों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था ध्यानाकर्षित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं परन्तु आप इस बात का ध्यान रखें कि साम्प्रदायिक एकता बनी रहे। सभी मुसलमानों की रैली बुलायी गयी थी और कच्छ के मुसलमानों ने पाकिस्तान के हमले की निन्दा की थी। वे बहुत खुश हुए। पूरे भारत के मुसलमानों ने उनसे सबक सीखा था। अब क्या होता है। हम सभा में सभी के विरुद्ध दंगे भड़काने का आरोप लगाते हैं। यदि श्रीमती कृष्णा साही यहां होती यदि श्रीमती सिंह यहाँ होती तो मैं उनसे कहता कि प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री तथा रक्षा मंत्री ने बड़ौदा में क्या देखा। यहां मेरे मित्र श्री रनजीत सिंह गायकवाड़ हैं जो बड़ौदा जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या लिखा है? केवल यही नहीं एकता समिति ने रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस ने संसद सदस्य श्री कालीनिया की अध्यक्षता में वहां पर जाकर स्थिति का अध्ययन करने तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति बनाई। मैं सभा में कहता हूं कि मुख्यमन्त्री के साथी धन एकत्र करने के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करके इन साम्प्रदायिक दंगों को चला रहे हैं। दो ग्रुप हैं एक हिन्दु तथा दूसरा मुसलमान। हिन्दु ग्रुप को मुख्य मंत्रियों के साथियों द्वारा संरक्षण दिया जाता है। मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसमें मैं पैदा हुआ था और जो मुझे सबसे प्रिय थी। मैंने उस पार्टी को आंखों में खून के आंसू भरकर छोड़ा। महोदय, हमने यह यह पाठ पण्डित जवाहर लाल नेहरू से सीखा था। आज पण्डित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हमारी प्रधान मन्त्री हैं। मैंने अपने आपको सौभाग्यशाली समझा था। उन्होंने बड़ौदा का दौरा किया परन्तु क्या उन्हें लोगों से इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिली? मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन पर क्या कार्यवाही की? यह डा० मेहता का प्रश्न नहीं है, यह माधवसिंह सोलंकी का प्रश्न नहीं हैं, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी का भी प्रश्न नहीं है। यह भारत की अखण्डता का प्रश्न है। सीमावर्ती राज्यों में हजारों साम्प्रदायिक भावनायें भड़कायी जा रही हैं। आप किसी भी जिले में चले जाइए, आप हिम्मत नगर चले जाईए, आप गोदरा चले जाइए, आप बड़ौदा चले जाइए, आप अहमदाबाद चले जाइए, आप सिद्धपुर चले जाइए, आप पलानपुर चले जाइये और अन्त में, महोदय कम से कम आप मेरे जिले में चले जाइये जहां पर शतप्रतिशत अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। वहां क्या हो रहा है इसका पता अपने स्रोतों से लगा लीजिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर मत जाइए। किस प्रकार से साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है यह वह स्थान है जहां के मुसलमानों ने हमारे

अपर पाकिस्तान के हमले की निन्दा की थी जब इम्फाल पर हमला किया गया था तो बम्बई को खाली किया गया था। परन्तु जब कच्छ पर हमला किया गया था तो एक भी व्यक्ति सीमा से एक इन्च भी नहीं हटा लड़के गोलियों के टुकड़ों से खिलौनों की भांति खेल रहे थे। परन्तु आज यह घुस पैठियों का केन्द्र बन गया है, देशद्रोही, और तस्करी का केन्द्र बन गया है। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैंने इसको और अधिक विस्तृत रूप से लिया होता जब भारत आजाद हुआ था तो गुजरात ही केवल ऐसा राज्य था जो भाषायी आधार पर नहीं बना था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल बंगालियों का हो गया, बिहार बिहारियों का परन्तु गुजरातियों को गुजरात नहीं मिला। गुजरात बम्बई से संलग्न था। सौराष्ट्र भाग 'ख' राज्य के रूप में रहा। और कच्छ केन्द्र के अन्तर्गत रहा। किस लिए जब मैंने कच्छ को गुजरात में मिलाने पर विरोध प्रकट किया था तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने जो कुछ कहा वह मुझे याद है यद्यपि मैं स्वयं गुजराती था, मैंने सभा में विरोध किया था क्यों अगर भारत जिन्दा है तो कच्छ भी जिन्दा है। स्वतन्त्रता लोगों के विकास के लिए है। 15 अगस्त 1947 को अर्द्धरात्रि के बारह बजे पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि जब सारी दुनिया सोयी है तो विश्व के दूरस्थ कोनों में तथा भारत के गरीब लोगों में स्वतन्त्रता की भावना को फैलाने के लिए, भारत जागता है। इसी का उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया था। वे कच्छ को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कांडला की आधारशिला रखते हुए कहा था कि इसके लिए विशेष कदम उठाये जायेंगे। जब मैंने इस मुद्दे को मैंने राज्य सभा में उठाया था तो हमारे सम्माननीय परम प्रिय अत्यन्त माननीय, युग पुरुष प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने ही हमें आश्वासन दिया था कि यदि आपको अपना विकास बोर्ड अनुच्छेद 371(2) के अन्तर्गत सुरक्षित नहीं लगता तो आपको अपना विकास बोर्ड मिलेगा। मैं बहुत खुश था। प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष तथा दूसरों की उपस्थिति 1974 में इसका वायदा किया था। मैं इसके लिए 1971 से अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूं। सौभाग्य से राष्ट्रपति ने इस पर 1977 में हस्ताक्षर किए थे। राजपाल ने विधान सभा में घोषणा की थी "मुझे राष्ट्रपति के आदेश मिल गये हैं।" संसद के दोन में सदनों में यह घोषणा की गयी थी, परन्तु इसको कभी अपनाया नहीं गया और क्रियान्वित नहीं किया गया। जब जनता पार्टी सत्ता में आयी थी। तो इसको रद्द कर दिया गया कांग्रेस की चुनाव घोषणा में यह था, इस मुद्दे पर जनमत भी प्राप्त किया गया था, जनता पार्टी के सभी छः उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गयी तथा जनता ने सार्वभौमिक तथा एक तरफा निर्णय दिया। अतः कांग्रेस (आई) सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। अब 11 वर्ष बीत गये हैं 1971 से लेकर अब तक उसका कोई कार्यान्वियन नहीं हुआ। यह संवेदन शील क्षेत्र है।

मैं उन मुद्दों के बारे में यहां पर कुछ नहीं कहना चाहता जो राज्य-विधानसभाओं के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। मैं राज्य को उस स्तर तक आना चाहता हूं जिस तक वह जा सकता है। नर्मदा जल का क्या हो गया? हम अपने हिस्से से वंचित रखे गये। यदि आप पहली योजना को देखें तो पता चलेगा कि राजस्थान नहर कांडला तक जानी थी। इसको पाकिस्तान स्थित इक्चोगिल नहर का स्थान लेना था। उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। हमारे पास खाना नहीं था। वह नहर सुरक्षा का भी कर सकती कार्य तथा खाद्य उत्पादन के लिए सिंचाई का भी। परन्तु मोरार जी ने कहा उसकी बात मत करो आपको नर्मदा मिल जायेगी। यदि आप न्यायाधिकरण की रिपोर्ट पढ़ें तो देखेंगे कि नर्मदा की तीन नहरें हमें दी जानी थी। न्यायाधिकरण ने लिखा है कि नर्मला के विकास के

लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि दी जानी चाहिए जो कि कच्छ का एक भाग है खोसला आयोग हमें 20% जल देने के लिए सहमत हुआ, परन्तु उसके विरुद्ध केवल 0.6 प्रतिशत पानी दिया गया था और वह भी एक दया के रूप में, क्योंकि इस प्रजातन्त्र में हमारी संख्या कम है केवल छः प्रतिनिधि विधान सभा में और संसद में। क्या यही हमारा अपराध है ?

हमारा पूर्वी भाग जल रहा है और पश्चिम में खालिस्तान की मांग की जा रही है क्योंकि यह बहुत ही संवेदन शील मुद्दा है मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। यदि आप यह महसूस करते हैं कि यह अकालियों की धार्मान्ध मांग है, तो आपने पंजाब में क्यों किसी अन्य की सलाह नहीं ली यद्यपि वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऐसे लोग हैं जो आपको ठोस सलाह दे सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इस धर्मान्ध मांग को मानने से पहले पंजाब के किन्हीं अन्य लोगों से परामर्श किया है कि वह दिया जाना चाहिये अथवा नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं। चूंकि समय अनुमति नहीं देता, मैं इस पर विस्तार में नहीं बोल सकता। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इस समय भारत राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री हर समय लोगों से सहयोग देने की अपील करती हैं।

'सर्व धर्माय परित्यज्या, माम एकं शरणं व्रज'

उनका कहना है : सब कुछ एक तरफ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ, उसे सहयोग कहते हैं।

महोदय, सहयोग मांगने का यह तरीका नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, समय भी जब आसाम की भांति ही सामूहिक हत्याएं हुई थीं तो झूठी प्रतिष्ठा पर नहीं अड़े रहे। जैसे ही स्वतन्त्रता मिली उन्होंने परिस्थिति देखी और कहा कि इस समय राष्ट्रीय संकट है, राष्ट्रीय विपत्ति है और इसलिए एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जानी चाहिये और उन्होंने वस्तुतः भारत में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई। उस समय आज की तरह सहयोग देने के लिए नहीं कहा गया था। वह सबसे महान् थे, वह झूठी प्रतिष्ठा पर नहीं अड़े रहे उन्होंने कहा कि 'मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है' क्योंकि पहले भारत है फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत नहीं है। भारत अलग है। उन दिनों लोगों को धोखे में रखा गया था और वे उस समय की बात कर रहे हैं और यही कारण है कि आज जबकि भारत एक राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है, यदि वह सचमुच लोगों का सहयोग चाहती हैं तो राष्ट्रीय सरकार के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। मैं यहां उपस्थित विपक्ष के सब सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मात्र सदन में शोर मचाने से काम नहीं चलता; बाहर जाने और शांति भंग करने से भी काम नहीं चलता। मैं जानता हूं कि कई बार इस सदन में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहिष्कार किया जाता रहा है। मुझे वे दिन याद हैं जब संविधान के 46 वें संशोधन पर मतदान किया जाना था, उस दिन केवल 208 सदस्य उपस्थित थे। उस पर मतदान किया गया और वरिष्ठतम सदस्य की ओर से यह प्रस्ताव किया गया कि मतदान मशीन खराब है और सदन अब स्थगित किया जाना चाहिये, जैसे कि इसे करने का और कोई तरीका नहीं है। मैं विपक्षी सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि सदन का यह कर्त्तव्य है कि इसे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का रखवाला होना चाहिये। और यदि आप देखें कि इसे सदन में भी उसको समाप्त किया जा रहा है, तो हमें यहां बैठने का कोई अधिकार

नहीं है। हम सबको त्यागपत्र दे देना चाहिये। केवल यही तरीका है। एक दल का स्वेच्छाचारी शासन होने दीजिए क्योंकि तानाशाही नेता के नेतृत्व में उन्हें भारी बहुमत प्राप्त है।

महोदय, यदि भारत को इस राष्ट्रीय संकट से बचाना है तो मैं प्रधान मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं अभी भी उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी के नाते, एक भारतीय होने के नाते और भारत की प्रधानमंत्री के नाते-उनका सम्मान करता हूं। मैं इस सदन में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रतिष्ठा बनाए रखने का सवाल नहीं है, यह इस दल या उस दल का प्रश्न नहीं है। दक्षिण भारतीयों ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है और उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया है। अत: क्या काम करने का यह तरीका उचित है? महोदय, यदि सभी राज्य वह रास्ता अपना लें, भारत का रुख बदल जायेगा। यही कारण है कि यही वह महत्त्वपूर्ण क्षण है जबकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय संकट महसूस करना चाहिए और एक राष्ट्रीय सरकार बनानी चाहिए। धन्यवाद।

***डा० वी० कुलनदई वेलु (चिदम्बरम)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरा बहुत बड़ा कर्त्तव्य है कि मैं अपने दल, द्रविड मुनेत्र रुणघम की ओर से राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष दिए गए भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की जा रही चर्चा में भाग लूं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि यह हमारे देश के इतिहास में गौरव का क्षण है। भारत के लोगों ने इतने ऊंचे पद पर राष्ट्र के पिछड़ी जाति के एक पुत्र को आसीन किया है। राष्ट्रपति जैलसिंह को देश के सभी लोगों का सम्मान प्राप्त है। और नि:संदेह संसद के समक्ष दिये गये भाषण में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि उन्होंने 80% जनता के कल्याण के बारे में कोई बात नहीं कही है। उन्होंने मंडल आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को, जिसमें उन सभी समस्याओं का उल्लेख है जिसका सामना ये लोग कर रहे हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें स्वीकार करना तो अलग रहा सरकार के विचाराधीन इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। हाल ही में मैंने एक समाचार पढ़ा कि सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इस वर्ष अप्रैल में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुला रही है। मेरी इच्छा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कम से कम इस बारे में बताया जाता।

महोदय समय की पाबंदी से मैं थंथाई पेरियार की इस देश के पद्दलित लोगों को उठाने के लिए किए जो निष्ठा थी उसका उल्लेख नहीं कर सकता। उनका पूरा जीवन समर्पण की एक गाथा है और कथनी और करनी में अभिन्न सम्बन्ध था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में उनके कल्याण के सपनों को साकार किया। कर्नाटक में श्री देवराज अर्स तथा तमिलनाडू में डा० कलायगनर करुणानिधि के शासन काल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण ही सरकार की सब गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बन गया था। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक प्रतिष्ठा देने के लिए कानूनी समर्थन और सांवैधानिक गारंटी का विश्वास दिया। उनके लिए उनकी आवाज ईश्वर की आवाज बन गई थी।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लेकिन अब ये लोग निराश हो गए हैं कि संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग नहीं की है और उन्होंने विधान सभा और संसद सदस्यों के त्यागपत्र देने तक की मांग कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि क्या जनता के प्रतिनिधि इसके लिए प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग राजनैतिक खेल में लगे हुए हैं। यदि ये प्रतिनिधि हमारी 80% जनता की भावनाओं पर ध्यान नहीं देते तो जनता के पास अपने उचित अधिकारों की रक्षा के लिए विद्रोह का झंडा उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जायेगा। केन्द्र को मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरा का पूरा स्वीकार करने और उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू करने की घोषणा करने में और अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह कहा है कि देश में विघटनकारी शक्तियों का दृढ़ता से मुकावला करना चाहिये। मुझे यह कहने कि आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय का यह बहुत बड़ा कर्त्तव्य है कि वे इस उद्देश्य का अनुसरण करें कि राष्ट्र की एकता ही उनका मुख्य उद्देश्य है। मुझे संदेह है कि हमारे देश में पृथकतावादी शक्तियां ही एकमात्र शक्ति है। मैं यह सोचने के लिए विवश हूं कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार पृथकतावादी शक्तियों से मिली भगत किए हुए है। विविधता में एकता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने देश के लोगों के समक्ष सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई युक्तिसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। राष्ट्रीय एकता केवल युक्तिसंगत दृष्टिकोण के आधार पर ही वास्त-विकता बनेगी और यही भारत सरकार की प्रेरित करने वाली शक्ति होनी चाहिए।

देश में गैर-हिंदी भाषी लोगों पर हिन्दी भाषा थोपकर राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा खड़ा किया जा रहा है। मैं अपने लिए हिंदी सीखना चाहता हूं न कि किसी अन्य के दबाव के कारण। राष्ट्र के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गैर-हिंदी भाषी लोगों को आश्वासन दिया था कि उन पर हिंदी कभी भी नहीं थोपी जायेगी। स्वयं संविधान में यह बात कही गई है। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री का इस महत्त्वपूर्ण आश्वासन का। जिसका संविधान भी समर्थन करता है, पूर्णतया उल्लंघन किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग और ऐसी अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बाहरी और आन्तरिक रूप से हिंदी थोपी जा रही है और गैर भाषी लोग हिंदी भाषी लोगों और उनके शासीय निकायों की स्वेच्छाचारिता के अधीन हैं। मैं केन्द्र को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि राष्ट्र की एकता की कीमत पर गैर-हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिये।

समस्त देश का औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति के संबंध में, मैं यह तथ्य बताने के लिए बाध्य हूं कि देश में औद्योगिक असंतुलन है जो कि लोकतांत्रिक विकास की जड़ काटता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुल मिलाकर हमने औद्योगिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन यह सब देश के कुछ प्रदेशों के विकास की कीमत पर हुआ है। जब आप देखते हैं कि कुछ उत्तरी राज्यों ने महत्त्वपूर्ण औद्योगिक विकास किया है, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र विकास कर रहा है जबकि दक्षिण का ह्रास हो रहा है। दक्षिणी राज्य कष्ट झेल रहे हैं और उत्तरी राज्य हर प्रकार से उन्नति कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से विशेषरूप से नेवली लाइनाइट कारपोरेशन

की स्थापना के बाद से तमिलनाडू में, कोई सरकारी औद्योगिक उपक्रम स्थापित नहीं किया गया है। तमिलनाडू में, जब मेरा दल डी० एम० के सत्तारूढ़ था तब भारत में औद्योगिक दृष्टि से उसका दूसरा स्थान था। अब तमिलनाडू 11 वें स्थान पर है तमिलनाडू की इस शोचनीय स्थिति के लिए केन्द्र तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र काड़घम सरकार दोनों ही जिम्मेदार है। आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० सरकार तमिलनाडू के लोगों को आकर्षक नारों से बहका रही है और केन्द्र सरकार राज्य के हितों की उपेक्षा कर रही है क्योंकि वहां पर गैर कांग्रेस (आई) सरकार है।

तमिलनाडू सरकार की बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की योजना सैद्धान्तिक रूप से अच्छी है लेकिन सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपने निर्धन और जरूरतमन्द लोगों को भोजन दे। यह शिक्षा के विकास के हित में है। खाली पेट बच्चा स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने इस योजना को मत प्राप्त करने का एक माध्यम बना लिया है उस पर मुझे आपत्ति है। जबकि आंध्र प्रदेश में नई तेलगू देशम सरकार इस दोपहर के भोजन की योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर सकती है, तमिलनाडू सरकार इसे राज्य योजना में शामिल करने के बारे में केन्द्र को सहमत नहीं कर पाई है। आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० सरकार ऐसा नहीं चाहती क्योंकि इससे सत्तारूढ़ दल पर उसका प्रचार कम हो गया।

मैं यह मांग करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को योजना कार्यक्रमों में इस योजना को शामिल करना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर इसे कार्यान्वित करना चाहिए। शीघ्र ही इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि आप केन्द्र सरकार को इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में लेने की राजनैतिक आवश्यकता के बारे में अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस सरकार के बारे में बताना चाहते हैं, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार।

डा० वी० कुलनदई वेलु : मैं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों के बारे में चिन्तित हूं।

श्री० टी० नागरत्नम (श्री परम्बदूर) : आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तमिलनाडु सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों के बारे में कह रहे थे।

(व्यवधान)

राज्य सरकार को बताने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। किन्तु मैं केन्द्र सरकार से कह दूंगा।

डा० वी० कुलनदई वेलु : महोदय, यह काफी होगा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय विशेष घटक योजनाओं की, राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार की विशेष घटक योजनाओं, राज्यों की विशेष घटक योजनाओं और अनुसूचित जाति विकास निगमों के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता का उल्लेख करते हैं। इन बातों को नोट कर मुझे प्रसन्नता होती है किन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का या तो दुरुपयोग किया जाता है अथवा उसे अन्य योजनाओं के लिये खर्च कर दिया जाता है। यह बात केवल तमिलनाडु पर ही लागू नहीं

होती; कुछ दिन पहले नई दिल्ली से प्रकाशित 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार छपा था कि उत्तर प्रदेश में भी इस खंड के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का काफी भाग अन्य योजनाओं के लिए खर्च कर दिया जाता है। तमिलनाडु में एक तमिल साप्ताहिक 'तुगलक', में जिसका वे जनता दल का एक सदस्य, जो सम्पादन कर रहा है, मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें उसने तमिलनाडु सरकार के प्रकाशनों में छपे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इसका उल्लेख किया। केन्द्र इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि इन योजनाओं से लाभ अन्ततः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तक नहीं पहुंचते।

पिछले वर्ष हमारी प्रधान मन्त्री तमिलनाडु गई थीं और प्लान योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार का कार्य निष्पादन उन्होंने एक देखा था। उन्हें कुछ ऐसी फाइलें दिखाई गई जिसमें उपलब्धियों सम्बन्धी आंकड़े थे। यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वे आंकड़े केवल कागज पर निष्पादन के सम्बन्ध में थे। हमारी प्रधानमंत्री उससे सन्तुष्ट हो गईं क्योंकि वे स्वयं स्थल पर जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन नहीं कर सकी। हम भी उन्हें स्थल पर अध्ययन के लिए नहीं ले जा सके। इसमें सबसे दुःख की बात प्रधानमंत्री द्वारा प्लान योजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में तमिलनाडु सरकार के सन्तोषजनक निष्पादन के बारे में घोषणा करना था।

वर्तमान वर्ष में 75% बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप 400 करोड़ रुपये के औद्योगिक उत्पादन का नुकसान हुआ तथा 2 लाख औद्योगिक कर्मकारों के जीवन-निर्वाह की हानि हुई यह सब पिछले तीन वर्षों में आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० सरकार की अकुशलता तथा सरकारी तन्त्र का संचालन का सामूहिक प्रभाव था। महोदय, 9 वरिष्ठ तथा अनुभवी आई० ए० एस० अधिकारियों ने तमिलनाडु सरकार से त्यागपत्र दे दिया, जब उन्हें यह पता चला कि वे अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि इससे तमिलनाडु की आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० की सरकार की शान ऊंची नहीं होती।

यदि केन्द्र सरकार को पता चलता है कि सरकार राज्य की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है और कार्य संचालन में अकुशल है, तो केन्द्र को ऐसी राज्य सरकार को एकदम बरखास्त करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।

यदि केन्द्र इससे भिन्न समझती है तो उसे राज्य सरकार को वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन देने चाहिये ताकि राज्य की जनता राज्य की मनमानी अथवा केन्द्र की सनक की शिकार न बने। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि तमिलनाडु की जनता को केन्द्र और राज्य की राजनीति के शतरंज की मोहरें नहीं बनना चाहिये।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 7 घण्टे का व्रत रखकर तमिलनाडु को खाद्यान्न की शीघ्र सप्लाई की आवश्यकता की ओर केन्द्र का ध्यान खींचा है। अपने नाश्ते के पश्चात् उन्होंने सुबह 10 बजे अपना व्रत आरम्भ किया और ठीक अपने सायंकाल के भोजन के समय 5 बजे अपना व्रत तोड़ा। उन्होंने यह व्रत रखकर तमिलनाडु की जनता के सामने स्वयं को हास्यास्पद बना दिया। केन्द्र ने कहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल में अंशदान नहीं दिया है, केन्द्रीय पूल से राज्य सरकार को

खाद्यान्न की सप्लाई नहीं की जा सकती। जब श्री एम० जी० आर० दिल्ली आये तो उनके विचारों में काफी परिवर्तन था और इस विषय पर केन्द्र के पक्ष में भी परिवर्तन आ गया। मुझे मुख्य रूप से इस बात की चिन्ता है कि तमिलनाडु की भूखों मर रही जनता को शीघ्र ही खाद्यान्न सप्लाई किये जाएं।

पिछले वर्ष दो मौनसूनों के सफल हो जाने के परिणामस्वरूप राज्य में कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। जल की कमी के कारण पन बिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन में बहुत ही गिरावट आई है। कोलले की कमी के कारण तापीय परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता का भी बहुत ही कम उपयोग हुआ है। इस बात की भी कोई निश्चितता नहीं है कि 2 अथवा 3 घण्टे की निर्धारित अवधि में भी बिजली उपलब्ध हो सकेगी। कावेरी जल-विवाद के न सुलझाये जाने के कारण कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को जल की सप्लाई बन्द कर दी है। परिणामस्वरूप, तंजाबुर जिला, जिसे तमिलनाडु को अन्न का भण्डार कहा जाता है, तीव्र गति से धार मरूभूमि बनता जा रहा है। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में सूखा की स्थिति का तथा राज्य द्वारा सूखा-राहत के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल को तमिलनाडु भेजा जा रहा है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु के लिये 200 करोड़ रुपये की सूखा राहत सहायता तदर्थ आधार पर दे दे। जब केन्द्रीय दल अपनी रिपोर्ट पेश करे तो आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। 200 करोड़ रुपये की इस तदर्थ सहायता से तमिलनाडु की जनता को सूखा की लपेट से बचाया जा सकेगा।

महोदय, मैं अब इसे विस्तार से बताऊंगा कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु के हितों की कैसी उपेक्षा करती है। 1981 में करूर-डिंडीगल तूती-कोरिन-थिरुनेवेली बी० जी० लाइन के लिए 42.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। स्वतन्त्रता के पश्चात तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की जाने वाली यह पहली योजना थी। किन्तु दुर्भाग्य से 1981-82 तथा 1982-83 में इसके लिए केवल 2·5 करोड़ रुपये ही आबंटित किये गये और 1983-84 में रेल बजट में 1·75 करोड़ रुपये ही आबंटित किये गये हैं। आप इस बात की भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि इस परियोजना को इस गति से पूरे होने में कम से कम 40 वर्ष लग जाएंगे। हममें से अधिक लोग तो उस समय जिन्दा भी नहीं होंगे तब यह योजना पूरी होगी। जबकि केन्द्र निर्माणाधीन परियोजनाओं को पहले पूरा करने के लिये स्वयं को वचनवद्ध होने की बातें करता नहीं थकता और यह घोषणा करता है कि संसाधनों की कमी के कारण नई परियोजनाएं नहीं ली जाएंगी, किन्तु करूर-डिंडीगल-तूतीकोरिन-थिरूनेवेली बी० जी० लाइन जैसे निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया जाए क्योंकि इससे तमिलनाडु के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सकेगा।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख करूंगा जिसका तमिलनाडु के लिये बड़ा ही महत्व है। सेतु समुन्द्रम परियोजना के बारे में पिछले 4 दशकों से बातें हो रही हैं। अनेक विशेषज्ञों ने इस परियोजना के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट पेश की है। जब यह परियोजना पूरी हो जायेगी तो यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्वेज नहर का कार्य करेगी। पेट्रोल की खपत में बहुत बचत हो गई क्योंकि

इसके बनने से जलपोतों को श्री लंका का चक्कर नहीं लगाना होगा। भारतीय जलपोत बम्बई से कलकत्ता तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य पत्तनों पर जाने में काफी धनराशि बचा सकेंगे। भारत को विदेशी मुद्रा की भी आय होगी क्योंकि विदेशी जलपोत इंधन के लिए टूटीकोरिन रुका करेंगे। यह परियोजना तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिये बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगी।

मैं समझता हूं कि लक्ष्मीनारायण समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत करने जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सेतु समुन्द्रम परियोजना को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए। हिन्द महासागर का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का अड्डा बनने की दृष्टि से सामरिक कारणों से इस परियोजना का महत्व है।

गोल्डन राक रेल वर्कशाप में डीजल इंजनों की मरम्मत सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से सुधार किए जाने चाहिए। इंटीग्रल कोच फैक्टरी का भी विस्तार किया जाना चाहिए ताकि यहां पर ही अधिक कोचों का निर्माण किया जा सके। यदि इसका विस्तार किया जाता है तो रेलवे के संरचनात्मक व्यय में काफी बचत होगी। रेलवे के कम संसाधनों को अन्यत्र प्रयुक्त किया जा सकता है। यह बात स्पष्ट नहीं है कि जबकि रंगीन फिल्म परियोजना की स्थापना के लिए उटकमंड में सभी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं, केन्द्र सरकार इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में क्यों कर रही है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे व्यर्थ व्यय होगा। इस परियोजना को उटकमंड में ही लगाया जाना चाहिए। नैवेलां में तीसरी-खान-कर योजना, जो कि कई वर्षों से लम्बित पड़ी है, केन्द्र को उसकी स्वीकृति देनी चाहिए। इस परियोजना के लिए योजना आवंटन केन्द्र सरकार के सम्बद्ध मन्त्रालय द्वारा किया जाना चाहिए।

मैं खेद के साथ यह कह रहा हूं कि कोयले की कमी के कारण प्रतिबन्धित बिजली सप्लाई और प्रतिबन्धित हो गई है। केन्द्र को तमिलनाडु की तापीय परियोजनाओं के लिये कोयला शीघ्र भेजना चाहिए। मुझे यह भी कहना है कि केन्द्र सरकार ने यद्यपि राज्य सरकार के बल्गेरियन शिप के बारे में तमिलनाडु के प्रमुख शक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच के बारे में कोई रूचि नहीं ली फिर भी केन्द्र सरकार को उत्तर से तमिलनाडु में कोयले की ढुलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी दूसरे देश से जलपोतों की खरीद के बारे में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। इसे खरीदने के अधिकार को स्वयं अपने पास रखने के लिए राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में अभी हाल में हुए चुनावों से केन्द्र सरकार की आखें खुल जानी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम की सफलता तथा कर्नाटक में जनता पार्टी की सफलता इन राज्यों की जनता की इस इच्छा की अभिव्यक्ति है कि राज्यों को अधिक स्वायतता मिले और उनके दैनिक कार्यों में केन्द्र का हस्तक्षेप कम हो। केन्द्र को इस सम्बन्ध में देश की इच्छा के आगे झुक जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के दल को 20 मिनट का समय दिया गया है । मैं इस पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं इसलिए मुझे सावधानी बरतनी होगी । वह अब कृपया समाप्त करें ।

डा० वी० कुलनवईवेलु : मैं समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामवतार शास्त्री जी मैं आपको अधिक समय दे सकता हूं, परन्तु उन्हें नहीं ।

डा० वी० कुलनवईवेलु : मैं अब उस महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करूंगा जिसका सामना मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में कर रहा हूं । श्री लंका में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकता विहीन लोगों से सम्बन्धित 1964 का शास्त्री सिरीमाओ समझौता 1981 में समाप्त हो गया था और अब कोई समझौता नहीं है । इस समझौते के अन्तर्गत यदि भारत ऐसे 7 लोगों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है तो श्री लंका ऐसे 4 व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करेगा ।

इस अनुपात की अब पुनरीक्षा नहीं की जानी चाहिए । मैं इसका उल्लेख भारत द्वारा शीघ्र ही आयोजित किए जा रहे आगामी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन को देखते हुए कर रहा हूं । श्री लंका के राष्ट्रपति यहां होंगे और केन्द्र को इस मामले को शान्तिपूर्वक सुलझाने के लिए श्री लंका के राष्ट्रपति के साथ बात करनी चाहिए ।

नेवेली और इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का भाग हैं, श्री लंका के बहुत से शरणार्थी बसा दिए गए हैं । मैंने उनकी दयनीय दशा की ओर यहां पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था । पर्याप्त पुनर्वास सहायता के अभाव में वे दरिद्रता की स्थिति में आ गए हैं । पुनर्वास मन्त्री ने मुझे लिखे अपने पत्र में मुझे आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार को इन दुर्भाग्यशाली लोगों का ध्यान रखने के लिए एक आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं । परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से जानना हूं कि इन लोगों ने अब सड़कों पर भीख मांगना आरम्भ कर दिया है ।

मैं केन्द्र से श्री लंका के इन शरणार्थियों को तत्काल आवश्यक सहायता देने का अनुरोध करता हूं । इस जिम्मेवारी को राज्य सरकार पर न डाला जाए ।

मैंने सभा में मध्य प्रदेश में शासन और विदिशा की खानों में कार्य करने वाले बन्धुआ मजदूरों का मामला उठाया था । तमिलनाडु की स्थानीय पुलिस ने इन स्थानों पर पहुंचकर इन लोगों को खानों से मुक्ति दिलाई । उसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में बन्धुआ मजदूर के रूप में काम करने वाले तमिलनाडु के लोगों को तमिलनाडु पुलिस ने मुक्ति दिलाई ।

मध्य प्रदेश ने इस बात से इन्कार किया कि वहां खानों में तमिलनाडु के बन्धुआ मजदूर हैं जबकि प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम में बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करना भी सम्मिलित है । जब मैंने इन बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास का मामला उठाया तो केन्द्रीय श्रम मंत्री ने इस आधार पर अनिभिज्ञता प्रकट की कि अब तक तमिलनाडु सरकार और तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश ने उनके पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र इन बन्धुआ मजदूरों को तत्काल आवश्यक पुनर्वास सहायता प्रदान करें।

निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में मौजूदा औद्योगिक असन्तुलन को अविलम्ब समाप्त किया जाए। केन्द्र द्वारा तमिलनाडु के औद्योगिक हितों की रक्षा की आनी चाहिए थी। मैं केन्द्र सरकार से एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को हमारे देश के पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाखों लोगों के हित में तत्काल लागू किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० शिव शंकर दयाल शर्मा (भोपाल) : मैं हिन्दी में बोलने की बात सोच रहा था परन्तु तमिलनाडु के अपने मित्र को सुनकर मैंने अपना विचार बदल लिया है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी को देश के किसी भाग पर अथवा किसी व्यक्ति पर थोपने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह मेरे दल का विचारधारा नहीं है। हम भारत की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं मानते हैं और हम सब उनके विकास में रुचि रखते हैं।

कभी-कभी एक दम व्यापकीकरण कर दिया जाता है और इसी सन्दर्भ में मेरे मित्र ने तमिलनाडु की औद्योगिक आवश्यकताओं के बारे में कहा है। प्रत्येक राज्य के सदस्य अपने-अपने राज्य की आवश्यकताओं पर जोर देते हैं। परन्तु कभी-कभी एकदम व्यापकीकरण कर दिया जाता है। उन्होंने अभी कहा है कि तमिलनाडु में नेवेली के अतिरिक्त अन्य कोई केन्द्रीय सरकार का उपक्रम नहीं है अचानक इसका मुझ पर असर हुआ और मैं सोचने लगा। निस्सन्देह में कोई मन्त्री अथवा अन्य ऐसा कुछ नहीं हूं। सबसे पहले मुझे टेलीप्रिन्टर फैक्टरी याद आई क्योंकि मैं उस मन्त्रालय से कभी सम्बद्ध रहा हूं। वहां हिन्दुस्तान फोटो फिलमस फैक्टरी है वहां विजयन्त टैंक फैक्टरी है। वहां ट्रिकी बायलर प्लांट है। वहां इन्टेग्रल कोच फैक्टरी भी है जिसका उन्होंने स्वयं बाद में उल्लेख किया।

अत: वास्तव में कोई भी व्यक्ति बोलते-बोलते ऐसी शिकायत कर जाता है परन्तु कभी-कभी इस प्रकार बोलने से समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं। अब मिसाल के तौर पर उत्तर भारत के लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि तमिलनाडु में प्रत्येक गांव में बिजली है परन्तु उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। परन्तु बात यह नहीं है जहां कहीं जो कुछ सम्भव ही किया जाना चाहिए।

जहां तक मेरे नेता और मेरे दल की चिन्ता का संबंध है राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी चिन्ता है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि वह भारत के प्रत्येक भाग से प्रेम करती हैं, उन्हें और उनके दल के सभी सदस्यों को भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य पर गर्व है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि तमिल अथवा बंगाल का साहित्य बहुत अच्छा है तो एक भारतीय के नाते में उस पर गर्व कर सकता हूं। जब रविन्द्रनाथ टैगौर को नोबल पुरुस्कार मिला तब हमने बच्चे होते हुए भी यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना है।

महोदय, गर्मागर्म चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जेठमलानी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को 'अप्रिय प्रलेख' की संज्ञा दी है। अभी श्री मेहता ने इसे 'मामूली दस्तावेज' की संज्ञा दी है। इस प्रलेख के शोध-पत्र होने की आशा नहीं की जा सकती। संक्षेप में राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह आशा की जा सकती है कि उसमें देश की आर्थिक, राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का चित्रण हो तथा देश कैसे प्रगति कर सकता है, इस बारे में सुझाव हों। यदि हम इस ओर इस दृष्टि से देखें तो यह प्रलेख प्रशंसनीय है क्योंकि यह संक्षिप्त है और इसमें कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है।

हमने जिन क्षेत्रों में प्रगति की है, तथा जिन क्षेत्रों में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इन दोनों का उल्लेख किया गया है।

महोदय, जहां तक आर्थिक पहलू का संबंध है, मुझे यह कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हैं जिस पर हम शर्म महसूस करें बल्कि ऐसी बातें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। यदि हम विश्व बैंक के प्रतिवेदन का स्मरण करें जिसमें यह कहा गया है कि 100 विकासशील देशों में प्रगति पर शून्य है तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लातिनी अमरीका में प्रगति दर 1.6 रही है। जापान के अतिरिक्त 24 विकासशील देशों की प्रगति दर शून्य रही है।

इन परिस्थितियों में यदि हम इसमें यह कहें कि 13 करोड़ एकड़ भूमि सूखे से प्रभावित हुई, फिर भी हम औद्योगिक विकास कर पाये हैं—भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उद्योग का कृषि से जुड़े रहना स्वाभाविक है और यह सब सामाजिक कल्याण योजनाओं की कीमत पर नहीं किया गया। भारत एक ऐसा देश हैं जहां कठिनाइयों के बावजूद भी हमने अपनी सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को समाप्त नहीं किया बल्कि उनमें वृद्धि ही की है।

यह मैं इस कारण कह रहा हूं कि यदि उसी जेठमलानी तथा अन्य यहां होते तो मैं उन्हें यह कहता कि उन्हें याद करना चाहिए कि श्री रेगन ने उपरोक्त में सामाजिक कार्यक्रमों में कैसे कटौती की और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विकासशील देशों में बेरोजगारी तीन से साढ़े तीन करोड़ तक पहुंच गई है।

इन परिस्थितयों में जब सारी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है और जब मूल्य बढ़ रहे हैं और जब सारे विश्व में मंदी है, घर हम इसमें वृद्धि करते आये हैं और घर भी हम अपनी समाज कल्याण योजनाओं को जारी रख सके हैं और उनमें वृद्धि भी करते आये हैं और फिर आर्थिक विकास को जारी रखते आये हैं। मेरे विचार में यह एक ऐसी बात है जिस पर देश गर्व होना चाहिए। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। यह सब भारत के लोगों की परिस्थिति के अनुसार चलते हैं।

जैसे कि उन्होंने अन्य अवसरों पर भी किया है। उसी संदर्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने जो कुछ भी किया, तथा जो कुछ भी कर रहा है उसकी निन्दा करने की प्रवृत्ति के निरुत्साहित किया जाना चाहिए। यह हमारी गुलामी की बिरासत है। इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष भारत ने बहुत कुछ किया है जिसके लिए हर भारतवासी को गर्व

करने का अधिकार है मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले वर्ष हमारी बिज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धियां रही हैं। हमारी गर्त्र दक्षिणी ध्रुव गयी थी। यह एक ऐसी बात है जिसके लिए हर राष्ट्र को गर्व होना चाहिए।

विश्व ने हमें समुद्र प्रोद्योगिकी की अग्रणी की पदवी दी है। निसन्देह ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें गर्त्र करने का अधिकार है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम आर्थिक विकास का कम सम्पन्न कर पाये हैं।

राजनैतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ उनकी मेहता श्रीमती गांधी को तानाशाही प्रवृत्तियों के बारे में कह रहे थे। उनके लिए उन्हें एक तानाशाह कहना एक फैशन सा बन गया है। यदि जो कुछ मैं कहूं, वे उसे न सुनें तो वे एकतानाशाह हैं यदि मुझे मन्त्री न बनाया जाए तो वे एक तानाशाह हैं ? वे तानाशाह हैं यदि वे मेरी किसी बात को स्वीकार न करें ? उनकी आलोचना ऐसी ही है। एक प्रजातन्त्र में, बहुमत का ही बोलबाला होता है।

मुझे संदेह है कोई ऐसा कह सके कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है। यदि वोट पड़ें तो 2 प्रतिशत लोग भी उनके नेतृत्व के विरुद्ध नहीं जायेंगे। अतः तानाशाही का प्रश्न कहां पैदा होता है? हमारे दल से बाहर के लोग हमारे दल के कार्यकरण में क्यों दिलचस्पी लेते हैं। एक बात तो है। हमारी दल शुरू से ही स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ा रहा है जिसके फलस्वरूप यह राष्ट्रीय विचार धारा की अंग बनगया है जब मेरा दल तथा देश की तुलना की गई तो मैंने इसका विरोध किया।

निस्संदेह हर दल को नेता पर निर्भर करना पड़ता है। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसा ही है। आप चीन। रूस तथा किसी अन्य देश के इतिहास का अध्ययन करें। आप माओ के समय के चीन, लेनिन, स्टालिन, खुशचेव, ब्रेझनेव और अब एंड्रोफ़ेव के समय के रूस की बात करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी देश का विकास नेता के व्यक्तित्व से सम्बन्धित होता है।

महोदय, मैं अपने मित्र श्री मेहता की इस बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार का हर स्तर पर मुकाबला किया जाये। एक प्रजातन्त्र में, सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से होता है। हमारा पड़ौसी पाकिस्तान सैनिक तानाशाही के अधीन है। श्री अयूब खां ने जब पाकिस्तान में सत्ता सम्भाली थी, उस समय मुझे 1958 में पाकिस्तान जाने का मौका मिला था। मैं कराची गया था जहां मेरे चुनाव क्षेत्र भोपाल के कई लोग रह रहे थे।

मैं 1958,1959 की बात कर रहा हूं। उन सबने कहा कि वे अयूब के सैनिक शासन का स्वागत करते हैं क्योंकि पहला शासन भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। कुछ राजनीतिज्ञ, प्रशासक नौकरशाह भ्रष्ट हो सकते हैं। हमें इसका मुकाबला करना है। फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि हमारी नौकरशाही में इतना भ्रष्टाचार नहीं है एक साधारण राजनीतिज्ञ इससे मुक्त है। लेकिन इसका

तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस बारे में संतुष्ट रहें और हमें इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। यदि हम ऐसा करें, तो हम इस सम्बन्ध में काफी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्र गांधी जी के बारे में बोल रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि सही आन्दोलन शुरू करने के लिए एक सत्यग्रही काफी है। आइए सब मिलकर भ्रष्टाचार को समाप्त करें और इसका विरोध करें।

उत्पादकता सम्बन्धी कुछ अन्य प्रश्न भी हैं ; जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्पादकता को महत्व दिया जाना चाहिए। भारत में ऐसा किया जा रहा है। अब अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये ऐसी बातें हैं जिनकी पूंजीवादी दुनिया में जरूरत है और जिनकी साम्यवादी देशों में भी जरूरत है। श्री एंड्रीफ़ेव की, जब उन्होंने सत्ता सम्भाली, एक योगदान और वह अनुशासन के बारे में था, और अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस बात को संक्षेप में स्पष्ट भी किया था उन्होंने कहा था कि अनुशासन, कठिन परिश्रम, अधिक उत्पादकता और भ्रष्टचाार निवारण पर अधिक ध्यान दिया जाए। उनके कुछ सिद्धान्त ये हैं। कभी-कभी कुछ कारणों से इनमें वृद्धि भी हो जाती है। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता कि क्या जनता शासन के दौरान भ्रष्टाचार अधिक था या क्या प्रश्न यह नहीं है। यदि है तो इसका मुकाबला पूरी ताकत के साथ करना चाहिए यदि हम सब निश्चय करें तो मेरे विचार में बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हमें इस बात की खुशी तथा गर्व है कि हमारे इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण काम किये हैं। यदि वे इसी प्रकार कठिन परिश्रम करते रहें और जिम्मेवारी निभाते रहें तो वे चमत्कार दिखा सकते हैं। एशियाड में जो कुछ खर्च हुआ, वह महत्वपूर्ण नहीं है। अब जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, इसका श्रेय हमारे इंजीनियरों को जाता और इससे उनके परिश्रम, उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता का पता चलता है।

मैं यह भी कहूंगा कि यह पैसा बर्बाद नहीं हुआ है क्योंकि इससे दिल्ली की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इससे खेलकूद की सुविधाओं में वृद्धि हुई है और सब से बढ़कर यह निर्माण कार्य, पुलों के निर्माण कार्य तथा दुनिया के अन्य भागों अन्य बातों के लिए ठेकों के बारे में एक अच्छा विज्ञापन है।

ऐशियाड के बाद हमें करोड़ों रुपये के ठेके मिले हैं क्योंकि जो लोग ऐशियाड देखने आए, उन्होंने हमारे देश की योग्यता तथा क्षमता देखी है। अतः उससे हमारी सम्पति में वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार बहुत शीघ्र यहां गुट-निरपेक्ष सम्मेलन भी हो रहा है। मैं यह सम्मेलन यहां सभी गुट-निरपेक्ष देशों की सर्व सम्पत्ति से हो रहा । उन्होंने यह निर्णय लिया है और इससे कई आशायें पैदा हुयीं हैं। वे सब बहुत खुश हैं और उनमें से कइयों ने कहा है कि अब अगले तीन वर्षों के लिए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में सुरक्षित है जो ऊपर विश्व की वरिष्ठतम नेता हैं। मैं इस बात को दोहराता हूं और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग मेरी गलती को ठीक करे। अतः गुट-निरपेक्ष देशों के बीच बहुत सी आशाएं पैदा

हो गयीं हैं। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो इससे चिन्तित हैं जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की बढ़ती मजबूती नहीं चाहते और यही कारण है कि कुछ अप्रसंगिक बातों पर अधिक बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए इसके महत्व को कम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है फिर भी कुछ लोगों ने इसे "जम्बूरी" के घर में "जम्बूरी" कहा है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के 97 सदस्य हैं और इनमें तीन और सदस्य जोड़े जाएंगे। अतः इसकी सदस्यता 100 देशों की होगी और 12,13 सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में होंगे। अब यह सारा ब्लाक संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कुल देशों का दो तिहाई भाग है। अब उसका नेतृत्व हमारे देश पर है और हमारे पर है और हमारे देश के इस दृष्टिकोण का पता सारी दुनिया के हैं कि नामिबिया के तुरन्त आजाद किया जाना चाहिए।

महोदय, पहली ही रात जब हम आजाद हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था— "हम आजाद तथा खुश हैं। लेकिन हमारे लिए यह सब अपूर्ण है जब तक विश्व के अन्य भाग आजादा नहीं हो जाते। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि "शांति के अविभाजनीय कहा गया है ; इसी प्रकार आजादी भी और समृद्धि भी इस बिश्व में अविभाजनीय है। हम अनिवेशवाद के अधीन देशों की आजादी के लिये लड़े हैं और लड़ते रहेंगे"। नामिबिया भी एक देश है। इसलिये हम नामिबिया के दक्षिण अफ्रीका की गुलामी में रहने के विरुद्ध हैं हम रंगभेद के विरुद्ध और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगले तीन वर्षों में ये देश आजाद हो जायें। यह तर्क कि दक्षिण अफ्रीका का नामिबिया को तब छोड़े जब क्यूबा की सेना अंगोला छोड़े, अस्वीकार किया जायेगा और दक्षिण अफ्रीका के लोग गोरे लोगों की गुलामी से मुक्त हो जायेंगे।

यह मेरे देश की एक भावनात्मक बचनबद्धता है, जो अभी से नहीं बल्कि गांधी जी के समय से है, इसे वे देश पसंद नहीं करते जो दक्षिण अफ्रीका के हिन्द महासार पर नियंत्रण करने के लिये एक अड्डा समझते हैं, कुछ ऐसा समझते हैं जिससे हिंद महासागर पर नियंत्रण बना रह सके और अफ्रीका महाद्वीप के गुलामी में रखा जा सके।

इसी प्रकार, हिंद महासागर के शांति क्षेत्र बने रहने का प्रश्न भी कुछ ऐसा है जिसे भारत ने उठाया है। प्रस्ताव श्री लंका ने रखा और भारत ने उसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका सर्मथन किया और हिंद महासागर सम्बन्धी सम्मेलन की तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव द्वारा निश्चित की गयी लेकिन कुछ निहित स्वार्थ वाले देश ऐसा नहीं चाहते थे और इसे कई वर्षों तक स्थगित किया गया। हमें आशा है कि यह सम्मेलन शीघ्र आयोजित किया जायेगा।

अब इन सब बातों तथा फिलिस्तीन के बारे में भारत का दृष्टिकोण स्पस्ट रहा है। हम फिलिस्तीन के साथ हैं चाहे श्री जेठमलानी कुछ भी सोचें, चाहे जंनता पार्टी कुछ भी सोचे। फिलिस्तीन के प्रति हमारी बचनबद्धता भारत के सिद्धान्तों का एक अंग है ; यह हमारी संस्कृति का एक भाग है।

भारत हमेशा ही से शोषितों का न कि शोषण करने वालों कासाथ देने में विश्वास करता रहा

परिणामस्वरूप हम लगातार ही फिलिस्तीनीयों को समर्थन देते रहे हैं। यह समर्थन हमने न तो यहां के अल्पसंख्यकों और न अरब राष्ट्रों को खुश करने के लिए नहीं दिया है। वहां पर अरबों का उस समय पैसा नहीं लगा हुआ है। जब गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीनीयों से उनकी भूमि लेना एक पाप है, उस समय अरबों का वहीं भी पैसा नहीं था। मैं समझता हूं कि, जहां तक महात्मा जी का संबंध है, पाप एक ऐसा शब्द है जो कि सबसे कठोर शब्द हो सकता है। मैं इससे कठोर शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। हमारा फिलिस्तीनीयों को समर्थन देना, कई राष्ट्रों को पसंद नहीं है, हालांकि इस सदन के कुछ सदस्य इजराइलों और इजराइलों नेताओं का नैतिकता को आदर्श मानते हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमें इजराइल के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इजराइल ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसने फैसला दिया है कि बेगिन और शेरों दोषी हैं और शेरों को पद छोड़ना पड़ा।

इस सदन में लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, जिन्हें कि काफी जानकारी है। मैं समझता हूं कि, अगर हम विपक्षी पत्र समेत अपने आस पास देखनें का प्रयत्न करें तो पायेंगे कि हर कोई यह जानता है कि हांलाकि शेरों को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है, वह मंत्री मंडल के सदस्य बने हुए हैं और रक्षा समिति के चेयरमैन भी बने हुए हैं, ये बातें हमें झांसा नहीं दे सकती उन्होंने दूसरों को बेशक झांसा दे दिया हो, वह भी उनको समझना चाहिए जो उन में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। जनता पार्टी के लोगों के साथ इस पर ज्यादा तर्क करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे कुछ बातों में विश्वास करते हैं। फिर भी, मूल मतभेद तो बना रहेगा। कुछ लोग मोशे दयान से हाथ मिलना पसन्द करते हैं, हम यासार अराकल के साथ हैं कुछ लोग उनके साथ हैं जो कि अत्याचार करते हैं। के बेगिन और शेरों को पसंद कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि शेरों ने जघन्य अपराध किया है, लोगों की सामूहिक हत्या की है; एक ऐसा अपराध जो कि हिटलर द्वारा किये गये अपराध से भी बुरा है।

जब हम कुछ मामलों पर बोलते हैं तो निश्चिय ही कुछ राष्ट्र और कुछ मित्र जो कि इजराइली धन या सियोनवादियों से प्रभावित हैं, शायद इसको पसन्द नहीं करते।

इसके फलस्वरूप एक खतरा है और यहां मैं चाहता हूं कि हम सब एकजुट हों और हमारे नेता के हाथ मजबूत करें, मेरे दल के हाथ मजबूत करें जिसकी कि इस समय सरकार है। यह किसी दल का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है। मूल मुद्दों से यह प्रश्न उठाकर कि नोरोदोम सिहानुक को कम्पुचिया को प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं, से हटाया नहीं जा सकता। भारत में, हमने यह रुख अपनाया है, कि, हमने हेंग सेमरीन सरकार को मान्यता दी है। इस सदन को इसकी सूचना दी गई थी और इस पर हमें चुनावों में जनता का फैसला भी मिला है। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में यह तो आदान-प्रदान और एक दूसरे को समझने की बात होती है। हम इस पर अडिग नहीं रह सकते। जो कुछ क्यूबा और हवाना में तय हुआ था, हम भी उसी पर सहमत हो गये हैं कि कोई भी कम्पुचिया का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से हम नोरोदोम सिहानुक के विरुद्ध नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हमारे उनसे काफी अच्छे संबंध हैं। जब मैं मुख्य मंत्री था, तो वह मेरे

अतिथि थे। वह एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वह आज क्या हैं ? वह पोल-पोट सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि कम्पूचिया के तीन-चौथाई मुसलमानों की हत्याओं के लिए जिम्मेवार था। मैं इसे दोहरा रहा हूं—मेरे दोस्त चाहे इसका विरोध करें—क्योंकि पोल-पोट सरकार इन्हें इसका मूल मानती थी इसलिए उन्हें मार दिया गया। और आज नोरोदोम सिंहानुक के नाम पर उसी पोल-पोट सरकार को पीछे से पुनः वापस लाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि हमें इस आन्दोलन को मजबूत बनाना है अतः हम हेंग सेमरीन सरकार को नहीं बुला रहे हैं। जैसाकि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन ने कहा है, हम इस स्थान को खाली रख रहे हैं। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्ष देशों के नेताओं के सामने जो मुख्य कार्य है वह है कि जहां देश-एक-दूसरे से लड़ रहे हैं वहां ज्यादा से ज्यादा देशों की एक एक राय से फैसला किया जाये और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह सहमति गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मूल विचार के नजदीक होनी चाहिए, इस बारे में मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सभी का समान दृष्टिकोण नहीं है। जब पंडित जी ने गुट-निरपेक्ष की आवाज उठायी थी तब द्विफोकसी विश्व था, लेकिन वे हमेशा इस बात को दोहराते रहे कि गुट-निपेक्षता के कुछ आधार भूत सिद्धान्त हैं जिनके बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। किसी के भी साथ एक जैसी दूरी का प्रश्न नहीं होगा। हमारे देश को अपनी और अपने लोगों की रक्षा के अनुसार अपनी विदेश नीति, आर्थिक नीति स्वयं तैयार करने का पूरा अधिकार है। किसी को भी इन्हें बनाने के लिए करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हम किसी भी सैनिक-गुट से अलग रह रहे हैं, जो कि कोई नया विचार नही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1885 में हुए हमारे अधिवेशन की अध्यक्षता श्री बोनोश चन्द बनर्जी ने की थी। उस समय भी हमने कहा था कि हम किसी बात में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन गुट-निरपेक्ष एक मूल सिद्धान्त के लिए वचनवद्ध है। हम साम्राज्यवाद-विरोधी, उपनिवेशवाद-विरोधी और पृथग्वासनवाद-विरोधी हैं। हम विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में विश्वास रखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक देश में दूसरे देश द्वारा शोषण न करने और शांति और खुशहाली के लिए वचनवद्ध हैं।

अब नई आर्थिक व्यवस्था का मूल विषय महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि गरीब और अमीर देशों में तनाव पैदा हो गया है। इस बात की राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा थी विकासशील देश जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं उसका मूल्य कम होता जा रहा है, जबकि विकसित देशों द्वारा तैयार उत्पाद का मूल्य हर समय अधिक होता जाता है। इसके फलस्वरूप देश निर्धन होते जा रहे हैं और विकसित विकासशील देश अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन विकसति देशों के भी कई अर्थशास्त्री अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक अदूरदर्शी नीति है और विकसति देश के न तो हित में है और न ही होगी और उनकी नई आर्थिक व्यवस्था अपनानी होगी। आज के विश्व में यह सभी मामले हैं और भारत निश्चित हीं इनमें अग्रणी है। इस पर हमने उत्तर-दक्षिण वार्ता बातचीत की ओर उससे हम दक्षिण-दक्षिण वार्ता पर आये ताकि हर समय धन और प्रोद्योगिकी के लिए, विकसित देशों पर ही निर्भर नहीं रहे। हमें खुद ही नजदीक आना चाहिए। विकासशील देशों के पास खुद इतनी सम्पदा है कि हम खुद ही विचारों, माल तथा अपना ज्ञान

का आदान-प्रदान कर सकते हैं। और अगर हम एक जुट होकर काम करें तो एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म होगा जो कि विकासशील देशों, गरीब देशों और तीसरे विश्व के देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। यही बात, यहां होने वाले सम्मेलन में राष्ट्रों का ध्यान अपनी खीचेगीं। लेकिन वे देश जो शोषण करते हैं और हम में से जो इस प्रश्न की तह में नहीं जाना चाहते, शायद सफल हो जायें। इस सदन में हम सभी को एक स्वर से यह आवाज उठानी चाहिए कि पृथकतावादी प्रवृत्तियां समाप्त की जानी चाहिए चाहे वह धर्म के नाम पर हों या भाषा के नाम पर। इस संदर्भ में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमें सभी विखण्डन कारी प्रवृत्तियों से लड़ना चाहिए, उन सभी बातों से जो कि हमें अलग करती हैं—चाहें वे धर्म हो या अन्य, या भाषा हो—क्योंकि अगर आप इसकी गहराई में जायें तो आप पायेगे कि कहीं पर भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों के होने के पीछे अगर विदेशी हाथ नहीं हो तो विदेशी ताकतों द्वारा प्रोत्साहन जरूर दिया जाता है। इसलिए इसके बारे में हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस महान संसद में हम सभी इस अवसर पर एकजुट होंगे। और देखें कि आगामी तीन वर्षों में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का जो नेतृत्व जब इस देश के पास होगा, तो यह सारी मानव जाति के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि हम हमेशा ही जैसाकि ऋगवेद में लिखा है **मनुष्य जाति एक ही है** या **सारा विश्व एक परिवार** है दृष्टि से सोचते रहे हैं। आइये कामना और प्रार्थना करें कि—अगर मेरे मित्र इस पर आपत्ति न करें तो, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूं—कि हमारे सामने जो कार्य है उसमें हम सफल होंगे।

श्री जे० सी० वरवे (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

पहले ही मेज पर माननीय राष्ट्रीपति जी ने कहा है कि देश एक मुसीबत से गुजर रहा है और इस सदन में बैठे हुए अपोजीशन के जो सारे माननीय सदस्य हैं, उन से मैं अपील करूंगा कि उनको और हम को इस देश को बनाने के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है।

हमारे देश ने जो प्रगति की है और हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण जो देश ने प्रगति की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। रूलिंग पार्टी के अनेक जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपनी दलील पेश करते हुए कहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार हमने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की है और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए हमने अनेक कार्यक्रम इस देश में चलाए हैं।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में मछुवारे लोग हैं, जिन का प्रतिनिधित्व करने वाला यहां कोई प्रतिनिधि नहीं है और उन की बहुत-सी समस्याएं हैं। उनकी समस्या को लेकर मैं पंथ प्रधान श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास गया और जाने के बाद मैंने उनसे अपील की कि बहुत से मछुवारे जो समुद्र में या तालावों में या झीलों में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जब कभी तूफान आता है, तो उस में बहुत सारे मछुवारे लोग वह जाते हैं और

उनका कोई पता नहीं लगता और इससे उन के घर वालों के पास खाने-पीने का कोई जरिया नहीं रहता। इसलिए मैंने उन से यह कहा कि यह जो आयु-बीमा योजना है, यह उन लोगों पर भी लागू की जाए, तो बड़ी कृपा होगी। मुझे हर्ष है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह बात कही है और हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मेरी बात सुनते ही अपने हाथों से, अपने कर कमलों से श्री प्रणव मुखर्जी, जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, को लिख कर सुपुर्द किया और कहा कि इसको एग्जामिन कीजिए और ऐसा करने के बाद इन लोगों के लिए जो भी हो सके, वह करिये। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने उसको एग्जामिन किया और तुरन्त आयु बीमा योजना लागू करने की उन्होंने घोषणा की।

मैं जानता हूं, उपाध्यक्ष जी, कि आप ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया क्योंकि मैं चन्द मिनटों के लिए बोलना चाहता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई), श्रीमती इन्दिरा गांधी की जो कांग्रेस है, वह इस देश का संचालन कर रही है और यह ठीक बात है। आप जानते हैं कि इस देश में अनेक जातियां और अनेक धर्मों के लोग रहते हुए भी, अनेक प्रान्तों में रहते हुए भी, हम सब संगठित हैं और संगठित रहने के कारण ही इस देश की नैया अच्छी तरह से चल रही है। यह छोटी बात नहीं है क्योंकि मैंने वे दिन देखे हैं जब जनता पार्टी का यहां पर राज्य था और उस समय भी मैं मेम्बर आफ पार्लियामेंट था। उस वक्त जो कुछ मैंने देखा, जो हलचल मैंने देखी, उनके पावर में आने के बाद, अपोजीशन के लोग अपने 5 साल भी शासन के पूरे न कर सकें। यह दुःख की बात है कि जो समय जनता ने उनको दिया था, उस को वे पूरा नहीं कर सके। यहां पर सिर्फ नुक्ताचीनी करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं यह अपील करूंगा कि आगे जाने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन में वे हमारा साथ दें।

मैं मंडल कमीशन की ओर जाना चाहता हूं। मंडल कमीशन ने सारे देश में घूम कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। मेरा आप से नम्र निवेदन है और आपके जरिए से मेरी अपने नेताओं से भी अपील है कि वे मंडल कमीशन के जरिए से जो भी हमारी समस्याएं सुलझ सकती हैं उनको सुलझाने में हमें ज्यादा समय नही लगाना चाहिए जबकि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले सारे देश के लोगों के लिए हम कुछ विचार करने जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कई लोग हैं और उनमें स्पष्ट रूप से इस देश के सारे मछुआरे लोग हैं। उनकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाए। ये शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के नीचे के दर्जे के लोग हैं। उनके बारे में तुरन्त मंडल योजना को लागू किया जाए।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंडल कमीशन अवार्ड को हमें जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इस पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सिफारिश लेने की जरूरत नही। परन्तु जो भी सिफारिशें आ चुकी हैं उनको तो फौरन लागू किया जाए। जिससे कि मंडल कमीशन योजना से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राहत मिले और हमारे देश की प्रगति अधिक क्षेत्रों में हो।

अधिक क्षेत्रों में देश की प्रगति होने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश में उत्पादन बढ़ना जरूरी है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, एक और हमारा उत्पादन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। यह हमारी जनसंख्या न बढ़े, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है।

अगर हमारी पापुलेशन बढ़ती गयी, तो हमारी जो प्रगति है, उन्नति है, उसका लाभ कैसे हमारी जनसंख्या को मिल पायेगा। इसलिए मैं आप से अनुरोध करूंगा यह जो आपने परिवार नियोजन के जरिए से 16 परसेंट का लक्ष्य रखा है, इसको बढ़ाया जाए। इसको इस लक्ष्य से ड्योढ़ा किया जाए ताकि हम आगे चल कर अपने देश की तरक्की कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, असम के प्रश्न पर कई बड़े-बड़े नेता बोल गये और यह कह गये कि वहां सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि असम का जो प्राब्लम है असम की जो समस्या है, जब आप रूलिंग पार्टी में थे, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने तुरन्त निर्णय लिया? उन्हें क्यों नहीं राहत दी?

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों में एक राष्ट्रीय विचार रहने के बाद भी, जिस काम को बढ़ावा हमें देना चाहिए, उस काम को बढ़ावा न देकर, हमारे जो जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोक दल के लोग हैं, ये आतंक को फैलाने में लगे हुए हैं उनको यह नहीं करना चाहिए। जब हम चुनाव कराने नहीं जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि वहां चुनाव कराये जा रहे हैं। जब हम चुनाव कराने जाते हैं तो वे ही लोग फिर यह कहते हैं चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।

क्या इस तरीके से बात करके हम देश को आगे ले जा सकेंगे। इसलिए मेरी उन लोगों से अपील है कि हमारी जो असम की समस्या है, उसको हम मिल-बैठ कर सुलझायें।

हमारी सरकार ने, हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश में जो-जो उपाय करने थे, वे उपाय करके दिखा दिए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ विनती करने का समय दिया।

श्री रशीद मशूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पिछले कई सालों के प्रेसीडेंशयल एड्स पढ़ रहा था और उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐहसास हुआ कि या तो सरकार इस मुल्क की हालत को जानती नहीं है या इस मुल्क की प्राबलम्स से बाकिफ नहीं है। यह सरकार जानबूझ कर उसी बात को बार-बार कह देना चाहती है जो कि हकीकत में नहीं है।

बकील गोएबल्स के "झूठ को इतनी बार रिपीट करो कि वह सच महसूस होने लगे।"

मैं सन् 1971 का प्रेजीडेंट का एड्रेस पढ़ रहा था। मैंने पढ़ा कि हमारी सरकार की पालिसीज में एक पलासी यह भी थी कि गरीबी इस मुल्क से दूर कर दी जाएगी, सिर्फ पांच साल के लिए और यही नहीं कि गरीबी दूर कर दी जाएगी बल्कि इस मुल्क को शायद जो आज डवलप्ड कन्ट्रीज हैं उनकी बराबरी का दर्जा दे दिया जायेगा, ऐसा कुतुबे को पढ़ने के बाद अन्दाज होता है। क्या हुआ गुराबत इस मुल्क से दूर नहीं हुई लेकिन गरीबों को दूर करने का सिलसिला आपने शुरू कर दिया। 1981-82 और 1983 के जो तीन प्रेजीडेन्शिल एड्रेस आए हैं, इन तीनों को पढ़ने के बाद अहसास हो रहा है कि जहां सन् 1971 से आप चले थे, उससे नीचे चले गए हैं। आप गुरबत को दूर करने की बात कर रहे थे लेकिन गुरबत बढ़ाने में पूरा पूरा आपका हाथ है। मैं गांधी फिल्म देख रहा था और उसको देखने के बाद अन्दाज हुआ कि महात्मा गांधी की कसमें खाने वाले लोग किस तरह उनकी आइयोलॉजी, उनके ख्यालात को इस मूल्क से दूर कर रहे हैं। महात्मा गांधी को गुरबत और ऐसे लोगों को देखने के लिए जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, देहात जाना पड़ता था। आज 36-37 साल की आजादी के बाद, महात्मा गांधी की 36 साल की शहादत के बाद हालत क्या है? आज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के मेम्बर्स को गुरबत देखने के लिए देहात में जाने की जरूरत नहीं है।

आज आपकी नाक के नीचे दिल्ली के अन्दर एशियन गेम्स जो हुए हैं, उनकी बिल्डिंग्स बनाने वाले मजदूरों को देखकर अन्दाज हो जाता है कि महात्मा गांधी कसमें खाने वाले महात्मा गांधी के मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। आज हिन्दुस्तान का अवाम आपकी बात को समझता नहीं है जो आपका रेडियो कहता है, वह समझता है शायद यह सही है लेकिन, वह दिन दूर नहीं जब हिन्दुस्तान का अवाम इस जहालत से बाहर निकलेगा और उसको अहसास होगा कि आप जो कहते हैं, बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी को भुलाने का जो काम आपने शुरू किया हुआ है उसको समझेगा। आप कहते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। "फाओ" की सन् 71 की रिपोर्ट देखने के बाद जब पर-केपिटा इन्कम की बात आती है तो उसमें 125 मुल्कों का नाम दिया है, उन मुल्कों के अन्दर आपका 105 वां नम्बर था। यह ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान का नम्बर 124 था, बंगलादेश उस समय था नहीं और सीलोन का नबम्बर 103 था। सन् 81 की रिपोर्ट देखिए, दस साल के बाद जब आप गुरबत को हटाने की कसम खाकर उस मुल्क से इलैक्शन जीते थे। फाओकीरिपोर्ट में आपका नवम्बर 124 वां हैं गरीबी के मुल्कों। में उससे ऊपर जो मुल्क हैं आपको मालूम है जिनका मैंने और शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, दस लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले 131 मुल्कों में से आपका गुरबत में 124 वां नम्बर है। आपने तरक्की की है, इन दस सालों के अन्दर, 104-105 से बढ़कर नम्बर 124 पर आ गया है। सीलोन का नम्बर 116 वां और पाकिस्तान का 111 वा है यह तरक्की की है। मैं नहीं समझता कि आप लोग समझते नहीं कि गरीब होते चले जा रहे हैं या नहीं। मैं यह जरूर समझता हूं कि आप इस मुल्क के अवाम को यह नहीं बताना चाहते कि हम गरीब होते जा रहे है। मैं अभी आपको एक बात और बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट के क्वेश्चन को देखरहा था, उससे यह अन्दाज हुआ कि सन् 1951 में जो चना 22.5 ग्राम रोजाना इस मुल्क के आदमी को खाने के लिए मिलता था, दालें-60.7 ग्राम रोजानाइस मुल्क के आदमी को खाने के लिए मिलती थी लेकिन क्या हुआ इस गुरबत को हटाने वाले दौर में, सन् 1976 में वह चना घटकर 20.5 ग्राम रह गया। यह आपकी तरक्की और इस मुल्क से गुरबत दूर करने यह इस मुल्क के बढ़ाने का सबूत है। 1951 में जब एक आदमी को रोजाना 60.7 ग्राम दालें

मिलती थीं वह घट कर 1976 में हो गई 50.8 ग्राम और आज 40 ग्राम ही दालें रोजाना खाने को मिल रही हैं। देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनको दालों से ही प्रोटीन मिलता है। लेकिन वह रोज घट रहा है जिसका नतीजा है कि दिमागी और जिस्मानी तौर पर मुल्क में कमजोर बच्चों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। आप कहेंगे कि गुरबत हट रही है। समझ में नहीं आता कैसे आप यह कहते हैं।

पिछले दिनों 20 अक्तूबर, 1982 को एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि जब 1980 में आपकी सरकार आयी उस वक्त 46.51 परसेंट लोग, इस मुल्क की आबादी के बिलो पावर्टी लाइन थे। आपका कहना है कि जनता पार्टी ने उनको गुरबत की तरफ धकेल दिया, जबकि यह बात सही नहीं है। जनता पार्टी के तीन साल का रेकार्ड देखेंगे तो पता लगेगा कि हमने क्या किया। लेकिन अब क्या पोजीशन है ? आज 56, 57 परसेंट आबादी पावर्टी लाइन के नीचे चली गई है। गुरबत दूर करने वाले लोगो, आप बताओ कि 10 परसेंट तीन साल के अन्दर कैसे पावर्टी लाइन के नीचे चले गये ? जनता पार्टी तो इनको नीचे नहीं धकेल रही है, आपकी ही सरकार बरसरेक्तदार है। 5, 6 परसेंट आबादी हर साल बिलो पावर्टी लाइन जा रही है। क्यों ? महात्मा गांधी की कस्में खाते हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर नहीं चलते। इसलिये लोग नीचे जा रहे हैं। अपोजीशन वालों का यह फर्ज बनता है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको बतायें ताकि आपको मालूम हो कि कहीं कुछ गलती है कि नहीं, अगर आप वाकई में समझना चाहें तो। हां, अगर समझना ही न चाहें तो मेरे पास उसका कोई हल नहीं है।

अनएम्प्लायमेंट के बारे में आपका जवाब है कि 20 लाख आदमी हर साल अनएम्प्लायड हो जाते हैं। जब इतने आदमी बेरोजगार हो रहे हैं तो उनको रोजगार कहां से दिया जायेगा ? आपकी पौलिसी है बड़े-बड़े कारखाने लगाने की, लेकिन महात्मा गांधी की नीतियों पर चलने को तैयार नहीं हैं जिनकी कस्में आप रोज खाते हैं। महात्मा गांधी बड़ी इंडस्ट्रीज के खिलाफ क्यों थे ? इसलिये कि जब बड़ी इंडस्ट्रीज लगायेंगे तो काम करने वाले हाथ बेकार होंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज वहां अच्छी होती हैं जहां काम करने के लिए हाथ नहीं हैं। लेकिन जहां काम करने के लिए हाथ हैं वहां बड़ी इंडस्ट्रीज हाथों को बेकार करती जायेंगी जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी वजह से 20 लाख लोग हर साल बिलो पावर्टी लाइन जा रहे हैं।

आपने कोई ऐलोकेशन काटेज इंडस्ट्रीज के लिये इस साल नहीं रखा है। यहां का दस्तकार दम तोड़ रहा है। मैं सिर्फ देहात की बात नहीं करता। जब हम देहात की भी बात करते हैं तो हम सबसे बड़े शहरों के दोस्त भी हैं, जिनका कि हमें दुश्मन बताया जाता है। आज 33 परसेंट लोग बम्बई के अन्दर फुटपाथ या स्लम्स में रह रहे हैं। दिल्ली में 28 परसेंट, कानपुर में 35 परसेंट। बड़े शहरों में लोग जानवरों की जिन्दगी जी रहे हैं। लेकिन उन जानवरों की जिन्दगी जीने वाले लोगों के लिये आपके पास रेडियो और टेलीविजन है जो दिन-रात गाता रहता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर गुरबत नाम की चीज नहीं है।

कहां से आये हैं ये ? ये लोग देहात, गांव और कस्बों से आये हैं। यह क्यों आये हैं, क्या इनको कोई पागलपन सवार हो गया था ? यह इसलिये आये हैं कि आप फेल्योर हो गये हैं उनको वहां

पर रोजगार देने में। देहात के लोगों के इन्ट्रेस्ट को प्रोटैक्ट करने में आपका टोटल फेल्योर है। जब आप उनको रोजगार नहीं दे सकते तो वह मजूबरन पेट के लिये शहरों की तरफ बढ़ते हैं। इस से यहां स्लम हो जाता है। आप इस एलम की कोई प्राबलम साल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि आज तक आपने देहात की डैवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जिसमें यहां इनका फदंर इन-फलो रुक जाये। वह लोग आते ही रहेंगे, जब तक कि आप महात्मा गांधी की नीतियों पर अमल नहीं करेंगे।

हमारे मुल्क में मजबूरी और बदकिस्मती यह है कि यहां पर कोई आदमी, मैं मसल चौधरी चरण सिंह कहता हूं, राष्ट्रकिता का नाम लेकर राष्ट्रपिता की किसी बात को सही और ईमानदारी से लागू करना चाहता है, तो आप कहते हैं कि वह 200 साल पीछे ले जा रहा है हिन्दुस्तान को। अगर इस मुल्क में रहने वाले को रोजगार देने उसके पेट को रोटी देने का मतलब यह है कि मुल्क 200 साल पीछे जा रहा है तो मैं समझता हूं कि मुल्क को 400 साल पीछे जाना चाहिये। 200 साल पीछे जा रहा है तो गलत जा रहा है। वह दौर आ जाना चाहिये जब हिन्दुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज तो यह हिन्दुस्तान न कांसे की चिड़िया है और न मिट्टी की चिड़िया है आपने इसे चिड़िया-लैस बना दिया है। कभी किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला मुल्क आज कोई भी चिड़िया का मुल्क नहीं है। आज यहां इन्सान स्लम में रहते हैं जो कि जानवरों से बदतर जिन्दगी गुजारते हैं। आप तो उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, आप महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर महसूस कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बात कब तक चलेगी। मैं समझता हूं कि आपको अपनी नीतियों पर गौर कर दोबारा सोचना चाहिये कि आप बड़ी-बड़ी मशीनरी, बड़े-बड़े कारखानों, मोनोपली हाउसेस को मदद करके क्या मुल्क से बेरोजगारी को दूर सकते हैं मैं समझता हूं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं ऐसे स्टैप्स उठाना चाहते हैं जिससे इस मुल्कसे बेरोजगारी दूर हो?

आपका मुल्क कहां जा रहा है, क्या कभी आपने यह सोचा है? आज इस मुल्क में हिन्दू मुसलमान के फिसाद, बड़ी जात के छोटी जाति वालों के साथ फिसाद जबान के नाम पर फिसाद, एरिया और इलाके के नाम पर फिसाद और तरह-तरह के फिसादात क्यों हो रहे हैं।

हमारी मशरिकी सरहद, और मरहबी सरहद, दोनों पर आज एक ऐसा हंगामा खड़ा हुआ है जिसकी तरफ देखने के बाद हरआदमी को, जो कि अपने आपको हिन्दुस्तानी कहता है, यह सोचना पड़ेगा कि मुल्क कि धर चल रहा है और क्यों जा रहा है? हमारी नजर आज देखती है कि यहां कोई और महत्मा गांधी होता, लेकिन वह हो नहीं सकता क्योंकि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की कस्में खाने वाले लोग उनकी नीतियों पर तो अमल कर सकते हैं। कहिये आप ईमानदारी से कि हम महात्मा गांधी की नीतियों को नहीं मानते, फिर चलिये उन नीतियों पर जिन पर आप चल रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि मुरादाबाद में क्या हुआ? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मुरादाबाद में फिसादात की शुरुआत हिन्दू मुसलमान की बजह से नहीं है। मुरादाबाद में मसूम बेगुनाह मुसलमानों पर गोली चलाने वाली पी० ए० सी० पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन था।

वह हिन्दू नहीं था। आप अपनी पी० ए० सी० पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं रोक सकते ? क्या महात्मा गांधी की कस्में खाने वाले लोग उनको बर्खास्त नहीं कर सकते ? क्या महात्मा गांधी की कस्में खाने वाले लोग बाहर का हाथ बताकर 15 अगस्त को तकरीर कर सकते हैं मुरादाबाद के अन्दर ? एक अजीब तमाशा है।

जो लोग मारे गये, उनको कहा जा रहा है कि इसमें फारेन हैंड था। पाकिस्तान को एक एहतजाजी नोट भी भेजा गया, इससे क्या होगा।

दूसरे कौमुनल लोगों ने एक हजार बार यह बात कही है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान यहां का लायल नहीं है, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जब एहतजाजी नोट भेजेगी तो हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू क्या महसूस करेंगे हिन्दुस्तान के मुसलानों के बारे में जिसके बारे में लोग दिन-रात कहते रहते हैं कि ये हिन्दुस्तान के लायल नहीं है। हिन्दुस्तान का वफादार नहीं है—क्या आपने हिन्दुओं के दिल में यह शक पैदा नहीं किया मुसलमानों के लिए ? अगर किया तो आप महात्मा गांधी की कस्में क्यों खाते हैं ? कौन जिम्मेदार हैं, आप बतायेंगे ? मेरठ में मुसलमानों को हिन्दू से शिकायत नहीं थी। मेरठ में पी० ए० सी० और पुलिस से शिकायत थी लेकिन यहां पर बैठ करके या दूसरे हाउस में बैठ करके जिस जोरदार तरीके से पी० ए० सी०, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को डेफेन्ड करने की कोशिश की गई क्या उससे यहां के मुसलमानों को यह सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि वे यहां दूसरे दर्जे के शहरी हैं ? यह उस हुकूमत में हो रहा है, जिसके लोग महात्मा गांधी की कस्में खाते हैं। महात्मा गांधी की कस्में खाने वाले लोगों की हुकूमत के अन्दर यहां के मुसलमान यह महसूस करें कि वे इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी हैं—क्या यह बात आपकी समझ में नहीं आती ? आती है। यह फसादात कौन कराता है ? मैं बताना चाहता हूं, आज पहली बार ही नहीं कह रहा हूं कि यह फसादात सरकार कराना चाहती है। इसलिए कि माइनारिटीज की डरने के बाद एक रवैया होता है कि जिस सरकार को वे महसूस करते हैं कि वह उन्हें बचा सकती है उसके साथ लग जायें। आपको मालूम है कि 4 अक्तूबर, 1982 को जामा मस्जिद में एक सुवर फेंका गया—सुवर के चार पैर और एक सिर मस्जिद में पाए गए जिसकी रिपोर्ट कराई गई। उन्होंने बहुत अकल से काम लिया कि कहीं फसाद न हो जाए इसलिए उन्होंने बहुत खामोशी के साथ पुलिस में रिपोर्ट कराई। आपको मालूम है 28 अक्तूबर को तुर्कमान गेट की मस्जिद में फिर सुवर का सिर फेंका गया। आपको मालूम है 5 नवम्बर, 1982 को दरियागंज में साबरी में मुकम्मल सुवर फेंका गया था। आपको मालूम है पिछले एक महीने में फराशखाने के एक मंदिर में भैंस का सिर रखा गया। कौन लोग हैं जो यह सब कुछ कर रहे हैं ? बहुत आसानी से आप कह देंगे आर० एस० एस० वाले कर रहे हैं। बहुत आसानी से आप कह देंगे कि जमाते इस्लामी वालों ने मंदिर में सिर रख दिया होगा। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि जब इन चीजों की रिपोर्ट हुई और सी० बी० आई० और सी० आई० डी० ने इंक्वायरी की तो वे फेल हो गए, वे मालूम नहीं कर सके किन लोगों ने यह किया। लेकिन मैं जामा मस्जिद एरिया की पुलिस को मुबारकबाद देता हूं; वहां के स्पेशल ए० एस० पी० को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मुस्तकिल कोशिश की और उसके बाद 6 आदमियों को गिरफ्तार किया जिसमें एक प्रेम कुमार था और पांच उसके मुलाजिम थे। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने 161 का बयान लिया तो मालूम है उसने क्या कहा ? उसने कहा मैं दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस (आई) एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर हूं। क्या सजा दी गई? उस पुलिस आफिसर को एक नोट भेजा गया, एक हायस्ट एग्जीक्यूटिब की तरफ से कि इस मामले को टाप सीक्रेट रखा जाए। अगर इसको डिस्क्लोज किया गया तो अपने आप को सस्पेन्ड ही नहीं, डिस्मिस समझियेगा। क्या फिर भी आपकी समझ में नहीं आता कि कौन फसाद करवा रहा है? आखिर आप कितनी जानें लेना चाहते हैं? इस मुल्क के किसी हिन्दू की जान जाए या किसी मुसलमान की जान जाए तो वह हिन्दुस्तानी की जान जाती है और उस पर अफसोस होना चाहिए, खुशी नहीं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है।

आज असम के बारे में बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यह अपोजीशन वाले कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि असम में जो कुछ भी हुआ, जो फसाद हुए, जो भी हिंसा हुई उसकी हम सभी बिला एख्तिलाफ किसी पार्टी के मजम्मत करते हैं, उससे कोई भी हिन्दुस्तानी खुश नहीं हो सकता है लेकिन इस खून की जिम्मेदारी लेने से आप क्यों भागते हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसकी जिम्मेदारी उधर बैठे हुए लोगों पर है। यह खून उन्हीं के दामनों पर है, हमारे नहीं। मैंने उस रोज भी कहा था कि जब मुझ से भीष्म नारायण जी ने यह बात कही कि एक स्पेशल सेशन कर दिया जाए और असम के सिलसिले में अमेन्डमेंट ले आया जाये ताकि वहां पर एलेक्शन न हो क्योंकि अगर एलेक्शन होगा तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है तो मैंने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, अगर असम में एलेक्शन करायेंगे तो यकीनी तौर पर वहां फसादात होंगे और मुकम्मिल तौर पर यह फसाद कम्युनल भी हो सकते हैं। भीष्म नारायण जी जब कहने लगे कि आप हमें सपोर्ट दे दें तो हम सेशन एक्सटेन्ड करके यह बिल ला सकते हैं। मैंने उनसे कहा एक घंटे में बताऊंगा। मैंने एक घंटे के बाद भीष्म नारायण जी को श्री प्रणव मुकर्जी के कमरे से बाहर बुलाकर, कहा कि आप सेशन एक्सटेन्ड कर दीजिए, हम आपको रिपोर्ट करेंगे। वे मुबारकबाद वगैरह देकर और शुक्रिया अदा करके अन्दर गए लेकिन सुबह सात बजे टेलीफोन किया कि बहुत से लोगों की सेंटिमेन्ट्स का एहतराम करना चाहते हैं लिहाजा हम स्पेशल सेशन बुला करके इस अमेन्डमेन्ट को लायेंगे। अभी असम के बारे में बातचीत हुई थी, तो इत्तफाक से मैं उसमें मौजूद था। एक दम फैसला हुआ कि इलैक्शन होगा। आप यह बार-बार कहेंगे कि असम के फसाद की जिम्मेदारी अपोजीशन के लोगों के ऊपर है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। हम जानते थे कि वहां खून-खराब होगा हम लोगों ने अन-कंडिशनल सपोर्ट दी कि आप असम के लिए अमेंडमेंट ले आइए लेकिन आप नहीं लाए। आप लोगों की तरफ से तकरीरें फिर भी दी जा रही हैं कि अपोजीशन वालों से सपोर्ट नहीं किया। अमेंडमेंट नहीं लाए, तब कुछ लोगों ने कहा कि कान्स्टीचूशनली इसको पूरा करना जरूरी था। फिर कहा गया यूनैनिमिटी नहीं थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में बनारसी दास की सरकार को डिसमिस किया था, उस वक्त आपकी यूनैनिमिटी कहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत से काम आप ऐसे करते हैं, जिनमें यूनैनिमिटी नहीं होती है, जो कि आपको नहीं करने चाहिए।

कल माननीय सदस्य श्री व्यास जी तकरीरें दे रहे थे। यदि आप उनकी तकरीरों को पढ़ें, तो मालूम होगा कि वे सही हालात सदन के सामने रख रहे थे, लेकिन आप उनको समझ नहीं रहे थे। व्यास जी कह रहे थे कि राजस्थान में बिजली नहीं मिल रही है, राजस्थान में पानी नहीं मिल रहा है,

यह प्रोजैक्ट काम नहीं कर रहा है और, वह प्रोजैक्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंदिरा जी बहुत अच्छी हैं। मुल्क के एक हिस्से के अन्दर कुछ नहीं हो रहा है, उसको उसके हिस्से पानी नहीं मिल रहा है, अनाज की दिक्कत है, लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन नहीं है हम तो कहते हैं कि पूरे मुल्क के अन्दर यही हालत है, लेकिन आपके यहां कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आखिर में उन्होंने टीप का बन्द लगा दिया कि इंदिरा जी बहुत अच्छी है। स्टेट वाले गड़बड़ कर रहे हैं। आपकी सरकार है, इसलिए मैं यह नहीं समझता हूं कि सैन्टर वाले कुछ कहें और स्टेट वाले कुछ कहें। हमारे ऊपर यह इल्जाम है कि जनता पार्टी वालों ने ऐसा किया, जनता पार्टी में तो बहुत सारी बातें ऐसी थीं, बहुत सारे मामले ऐसे थे, बहुत से लीडर थे, लेकिन आपका एक लीडर है, एक नीति है, एक पार्टी है, फिर सैन्टर और स्टेट की अलग-अलग जिम्मेदारी की बात हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करें। ···व्यवधान···लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इस हंगामे से मैं खामोश होने वाला नहीं हूं। सही बात कहूंगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी अकल में बात आ जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ देख रहे हैं या हमारी तरफ देख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : मैं झुक नहीं रहा हूं, मैं झुक नहीं रहा हूं। **(व्यवधान)** नहीं, मैं झुक नहीं रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह झुक नहीं रहे हैं। यह सदस्य की तरफ से एक अनुरोध था, पर वह इसे मान नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रसीद मसूद : आप जो चाहें, कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रसीद मसूद : यह तो मैंने आपको मोटी-मोटी बातें बताई हैं। व्यास जी की तकरीर के मुताबिक यह सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, यह हालत पूरे मुल्क की है। इस हालत से इस मुल्क की कोई हिस्सा नहीं है। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि देश को लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन क्या है। मैं उन बातों में जाना चाहता हूं, जो मुल्क की तरक्की से सम्बन्धित है, लेकिन आप तो मुल्क को पीछे-पीछे ही ढकेलते चले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दस-पन्द्रह मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण 3 बजे सांय तक पूरा करना होगा। आपके दल को 28 मिनट का समय दिया गया था। मैंने आपको 30 मिनट का समय दिया है।

श्री रसीद मसूद : मैं आपका ध्यान पूरे मुल्क की ओर दिलाना चाहता हूं। आपने रूरल इन्टीग्रेशव प्रोग्राम चल दिया, अपने रूरल वाटर सप्लाई का कार्यक्रम चला दिया, आपने नेशनल

डवेल पमेंट कार्यक्रम चला दिया। लेकिन इन सब बातों से क्या कुछ डवल पमेंट हुआ? कागज पर आप ने कर दिया हो, लेकिन मुल्क में जाकर देखिए, मुल्क में इस का कोई असर नहीं हो रहा है।

गन्ना पैदा करने वाले किसानों को आज 240 करोड़ आपकी तरफ बकाया है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ रुपया किसानों का मिलों की तरफ बकाया है। इसी सिलसिले में बहुत सी मिलों में स्ट्राइक चल रही है। सहारानपुर में भी एक मिल है जिसमें स्टाइक चल रही है···

श्री रामप्यारे पुनिका : यह बात आपने ठीक कही है।

श्री रसीद मसूद : मैं सभी बातें ठीक कहता हूं। शायद यह बात आपकी समझ में आ गई है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अगर ये स्टेट की मिलें होतीं या प्राइवेट मिलें होती, तो भी मैं इतने गुस्से में नहीं कहता, लेकिन ये आपको मिलें हैं, सेन्ट्रल गर्वमेन्ट के तेहत चलने वाली शुगर की मिलें हैं, जिनसे पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट न होना भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टेट्स ने जो कीमत गन्ने की डिक्लेअर की है वह कीमत भी आप देने के लिये तैयार नहीं हैं। यह स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का अखबारों में आ चुका है। हरियाणा और दूसरी जगहों पर भी यह पोजीशन है।

आप किसानों के बहुत हिमायती बनते हैं बड़े जोर-शोर से ऐलान करते हैं कि हम उनके हिमायती हैं, लेकिन किसानों की इतनी कीमत आप के पास पड़ी हुई है, उस रुपये को दिलाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। यह कौन सी किसान के फायदे की नीति है—मेरी समझ में नहीं आ रहा है? आप किसानों के एक तरीके से दुश्मन हैं।

आपको याद होगा—एग्रीकलचर प्राइसेज कमीशन ने गन्ने की कीमत 15 रुपए क्विंटल रिकमैण्ड की थी, लेकिन आपने मंजूर की 13 रुपए क्विंटल। जब भी किसी कमेटी या कमीशन की कोई रिकमैण्डेशन आपके पास आती है तो आप उसे फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब कोई सवाल पूछता है तो आप बड़े मासूम बनकर कहते हैं कि फलां कमेटी की रिकमेण्डेशन आ गई थी या फलां कमीशन की रिकमेण्डेशन आ गई थी, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की रिकमेण्डेशन 15 रुपए क्विंटल की आई और किसानों की हिमायती सरकार ने उसको सिर्फ 13 रुपए दिए—मैं पूछता हूं यह कौन-सी हिमायत की बात है? इसी तरह से आप माइनारिटीज कमीशन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, मंडल कमीशन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जो चीज आपके हक में होती है उसके लिए आप पार्लियामेन्ट मे आयेंगे और कहेंगे कि हम मजबूर थे, कमीशन ने रिकमेण्ड किया था, इसलिए कर दिया।

आपको याद होगा—आपने बड़े जोरशोर से दावा किया था कि हम 8 परसेन्ट ग्रोथ कर देंगे—इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन में, लेकिन अफसोस है—सिर्फ 4·6 परसेन्ट कर पाए। क्या यह आपका फैल्योर नहीं है, यह आपकी नाकामी नहीं है? इस प्रोडक्टिविटी ईयर में जो टारगेट आपने रखा था उससे इतना कम पैदा करना, क्या खुश होने की बात है? अगर खुश होने की बात है तो खुश होइए, लेकिन असल में यह खुश होने की बात नहीं है। एग्रीकल्चर में आपके यहां (—) 3 प्रोडक्शन हुई है···

श्री रामप्यारे पनिका : कैसे ?

श्री रशीद मसूद : आप इकानामिक सर्वे आफ इंडिया पढ़कर आइए।

श्री रामप्यारे पनिका : बिल्कुल गलत बात है।

श्री रशीद मसूद : आप इस मामले को प्रिवलेज कमेटी में भेज दीजिए।

(—) 3 परसेन्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ है और मुझे ताज्जुब है इस हाउस के काबिल मैम्बर्स कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं इनके रिकार्ड से कह रहा हूं, फिर भी ये कहते हैं कि गलत कह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं—यह माइनस 3 क्यों आया, आप फेल क्यों हुए ? इसलिये कि इस मुल्क के किसानों को आपने जायज कीमत नहीं दी। आप 222 रुपये क्विटल बाहर के किसानों को देने के लिए तैयार हो गये, लेकिन पिछले साल जब मुल्क के किसान 140 रुपये क्विटल मांग रहे थे, वह कीमत आपने उनको नहीं दी। यह किसानों की हिमायती सरकार इस तरह से ल‹कायगी, हम नहीं समझते थे। आज मैं कह सकता हूं—आपमें से बहुत से लोग जो उधर बैठे हुए हैं, उनके दिलों में वही बात है जो मैं कह रहा हूं···

श्री रामप्यारे पनिका : ऐसी बात नहीं है।

श्री रशीद मसूद : याद रखिये, आपके ऊपर भी किसानों की प्रोटेक्शन का उतना ही फर्ज है, जितना मेरे ऊपर है। इसलिये अपने जमीर की आवाज सुनें और उसके मुताबिक किसानों की मदद करें।

बिजली के मामले को लीजिए। हो सकता है बड़े-बड़े शहरों में कुमकुमे जलाकर रोशनी में बैठ जाते होंगे, एशियाड के नाम से आपने दिल्ली को दुल्हन बनाने की कोशिश की हो, लेकिन आज देहातों के अन्दर जब किसानों को बिजली की जरूरत है, गेहूं पैदा करने के लिए, तो आप बिजली नहीं दे रहे हैं और जब आप बिजली नहीं दे रहे हैं, तो पानी नहीं मिल रहा है और जब किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, तो वे लोगों को खाने के लिए कहां से देंगे। आप अगले साल के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं कि वह मजबूरन कम गेहूं पैदा करे। जब आप बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो अगले साल आपको फिर दोबार बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या साजिश है कि इतने बड़े पैमाने पर हमको खाने के लिए बाहर से गेहूं मंगाना पड़ता है जबकि हम अपने यहां इतना गेहूं पैदा कर सकते हैं।

यही नहीं आपने बिजली के रेट्स हर स्टेट में बढ़ा दिए। 15 से 17 और 23, 24 तक कर दिये पर होर्स पावर पर मंथ। तो यह एन्टी-किसान पालिसी कब तक चलेगी।

मैं एक मिनट में अभी खत्म कर देता हूं। अभी हमारे शर्माजी बोल रहे थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और बात भी वे सही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के बारे में कुछ लोगों के ख्यालात अलग होंगे। मैं नहीं जानता, कुछ लोगों के ख्यालात जरूर ऐसे होंगे क्योंकि ख्यालात में फर्क होता ही है लेकिन हम जितने भी लोग हैं, उनके साथ हमने हमदर्दी का इजहार किया है और

हमदर्दी का इजहार करते हैं, और जो कुछ भी वहां हुआ है, उसको कोई भी आदमी पसन्द नहीं करेगा लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि जब आप नान-एलाइन्ड की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, उसके बारे में भी हम सब को एक साथ उठकर आवाज उठानी चाहिये और वहां पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन पर हमको ख़ामोश नहीं रहना चाहिए। यहीं पर हममें और आपमें इख्तिलाफ है। हम चाहते हैं कि अगर जुल्म मुसलमान पर हो, तो एक साथ उठकर आवाज उठाएं, जुल्म हिन्दू पर हो, तो एक साथ उठकर आवाज उठाएं, फलस्तीनियों पर जुल्म हो, तो एक साथ उठकर आवाज उठाएं और अगर अफगानिस्तान में लोगों पर जुल्म हो, तो एक साथ उठकर आवाज उठाएं, लेकिन उसके लिए आप आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। हमारी किसी आदमी के खिलाफ दुश्मनी नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ दुश्मनी नहीं है, किसी कन्ट्री के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी तो जुल्म के साथ दुश्मनी है और जो जुल्म करेगा, हम उसके खिलाफ हैं चाहे वह अमेरिका हो, चाहे रूस हो और चाहे चीन हो और चाहे कोई दूसरे मुल्क हों।

मैं एक बात कहना भूल गया था और वह आपको बताना चाहता हूं। य हमें आखिरी बात बता रहा हूं, आप लोग सुन लें क्योंकि अभी तक आप यह कहते आए हैं कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। एक आदमी को 2600 किलोरी **पर डे आन एन एवरज** की जरूरत है, **हैल्दी मैन** के लिए इतने किलोरी की जरूरत है और आपकी एवेलेबिलिटी कितनी है, थोड़ा सा आप देख लें। श्रीलंका आपके बराबर में है और वह आपसे कम आबादी वाला देश है और से गरीब भी वह होगा रिसोर्सेज के मामले में लेकिन वहां के रहने वालों को 2340 किलोरी **पर डे** मिलती हैं और इन्डिया में, जो बकौल आपके तरक्कीयाफ्ता कन्ट्री है, डैवलप्ड कन्ट्रीज में शामिल हो गया है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है और बड़े जोर-शोर से कहा है, यहां के रहने वाले को क्या मिलता है—1990 किलोरी **पर डे**। आप कह सकते हैं कि हमार यहां बड़ी जबर्दस्त पापूलेशन है, इसलिए हमारी मजबूरी है लेकिन मैं आपको चीन की मिसाल देता हूं जिसने आपके बाद आजादी हासिल की है और जिसकी पापूलेशन आपसे ज्यादा है और रिसोर्सेज भी आपसे कम हैं। चीन के अन्दर **पर डे पर पर्सन** किलोरी की कन्जम्पशन जो है वह 2050 किलोरी है लेकिन आपसे करीब 100 किलोरी ज्यादा वहां मिलती है और जो आपके पास बराबर में पाकिस्तान है और हमने और उसने साथ-साथ आजादी हासिल की है, उसके यहां **पर कैपीटा एवेलेबिलिटी आफ किलोरी** 2410 है। यही नहीं, अभी यहां एक सिलसिला शुरू हुआ है पंजाब में।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। जब आप पढ़कर सुना रहे हैं तो मुझे किसी और को नहीं बुलाना चाहिये।

समय हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रशीद मसूद : जी हां महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

पंजाब की हालत देखकर कोई खुशी नहीं होती है। यह खुशी का मामला नहीं है बल्कि यह बहुत सीरियस मामला है। इससे हम सब लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं ?

श्री रशीद मसूद : हम खुद कहते हैं और आपने इन्वाइट किया है तो हम खिदमत के लिए

तैयार हैं और कहते हैं कि हमारी खिदमत लें लेकिन मुल्क को इनटेग्रेट करने के लिए डिसइनटेग्रेट करने के लिए नहीं लिहाजा आपको बहुत सोच-समझकर इसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अलग-अलग बिरादरियां, हर कौम और हर मजहब के लोग खड़े होकर अपनी-अपनी डिमांड रखने लगे और फिर मुल्क को अनेक दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़े। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया है। मैं इतने समय में ही बोलने का प्रयास करूंगा।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इस देश के समग्र और दिन-पर-दिन गहन होते जा रहे संकट पर दृष्टिपात करने का प्रयास हुआ है और यह अवास्तविक रूप से सर्वथा एक अनुष्ठानिक परिपाटी बन गई है। हमारे देश के आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक और अन्य सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट नहीं आई है तो गतिहीनता अवश्य आई है। जिस सरकार ने स्वयं ही "सरकार वह जो काम करे" नारा दिया था वही कार्य निष्पादन में निष्क्रिय, अनिर्णय और गड़बड़झाला पैदा करने और तदर्थ आधार पर चलने वाली पाई गई है। इसी के कारण समस्याओं ने सारे देश को शिकंजे में कस लिया है।

पैदा हुए भारी आर्थिक संकटों के बावजूद, आज हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ा खतरा इसकी एकता और अखण्डता का है! मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है! परन्तु, मैं इस सरकार द्वारा असम में अपनाई गई नीति के परिणामस्वरूप एक पहलू पर बल देना चाहूंगा कि आज असम से भागकर हजारों लोग पश्चिम बंगाल में आ गये हैं। वे एक बार फिर शरणार्थी बन गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन हजारों-हजार लोगों की देखभाल के लिए क्या जिम्मेवारी ले रही है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे इस देश के एक भाग में शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं और जिन्होंने किसी के हितों पर आघात नहीं किया है। मैं इस सरकार से इन लोगों की सम्पूर्ण सुरक्षा की मांग करता हूं और इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी मांग करता हूं जिन्हें कि पश्चिमी बंगाल और हो सकता है अन्य राज्यों को भी जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अब वे पश्चिमी-बंगाल इसलिए आ रहे हैं चूंकि यह पड़ौसी राज्य है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अपनी वचनबद्धता को स्पष्ट करे और इन असहाय लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करे।

जहां तक सूखे के प्रश्न का सम्बन्ध है, सूखे की गम्भीरता व्यक्त की गई है। परन्तु ऐसा नहीं लगता है जहां कहीं इस प्रकार की सूखे की गहन स्थिति है केन्द्रीय सरकार को अपने दायित्व का पता है। पश्चिमी-बंगाल ने 205 करोड़ रुपये की मांग की थी यद्यपि हानि 1,000 करोड़ रुपये के उत्पादन से अधिक की है। राहत कार्यों के लिए 205 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। केन्द्रीय सरकार का दल वहां कई बार गया है और उन्होंने हानि का जायजा लिया है और कहा है कि समस्त कठिनाइयों और साधनों की अड़चन के बावजूद राज्य सरकार स्थिति से सराहनीय ढंग से निपट रही है। यह बात रिकार्ड में है, सबको पता है। परन्तु 205 करोड़ की छोटी-सी राशि के मुकाबले अभी तक केवल 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, परन्तु भुगतान अभी नहीं किया गया है। यदि देश को समग्रता में

बने रहना है और यदि आप इसको भूलना छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि "जहां तक देश के किसी भी भाग में सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है, हमारा उसके प्रति कोई उत्तर-दायित्व नहीं है।" राज्यों को उपलब्ध साधनों को देखते हुए यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। हम अपने आदरणीय श्री वाई० बी० चव्हाण के देश के हमारे इस भाग के दौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह एक ऐसी समस्या है जिस पर ध्यान देना होगा।

कल के बजटीय भाषण में 120 करोड़ रुपये का एक नवीन अधिकार लगाया गया है जिसमें से एक पाई भी राज्यों के पास नहीं जायेगी। प्रणाली अधिकार को बढ़ाने की है जिससे कि इसे राज्यों में नहीं बांटा जा सके और आयकर की दर को घटाया जा सके जिससे कि राज्यों को कम धनराशि मिले। यह स्थिति है। राज्यों के लिए लोचहीन राजस्व साधनों के होते हुए, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का उत्तरदायित्व राज्यों पर नहीं थोपा जा सकता है। इसे केन्द्र को वहन करना पड़ेगा। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से और प्रधानमन्त्री महोदया से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सरकार की इस नीति को स्पष्ट करें कि वे लोगों के पक्ष में किस प्रकार निर्णय लेंगे।

एक पहलू जिस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है, वह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बद्ध है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सत्तारूढ़ दल या यह सरकार इस महत्वपूर्ण और विषम समस्या को कब तक टालती रहेगी।

आप यह कह सकते हैं कि एक बार इस सरकार ने सारे देश पर अपना शासन चलाने का विचार किया था, सिवाय बंगाल और त्रिपुरा के जिनमें वह हार गई है और यह कि यह सरकार वहां भी तिकड़म भिड़ायेगी और वहां पर भी भविष्य के लिए वंशानुगत उद्देश्यों को पूरा करेगी।

परन्तु आज स्थिति क्या है ? सारा दक्षिणी भारत आपके नियन्त्रण से बाहर है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्रियों ने अधिकाधिक वित्तीय अनुदान की मांग की है और देर-सबेर केरल भी उनके साथ हो जायेगा।

जहां तक कांग्रेस (इ) द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का सम्बन्ध है, वे भी केन्द्र और राज्यों के बीच फैले आर्थिक और वित्तीय असन्तुलन के बारे में कठिनाईयां अनुभव कर रहे हैं और उन कठिनाईयों को देर-सबेर दूर करना होगा।

आप इससे बचे नहीं रह सकते हैं। आप राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी के बाद जिम्मेवारी थोपते जा रहे हैं। आप उन बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपना चाहते हैं जिनकी अखिल भारतीय उलझनें हैं—वे अखिल भारतीय महत्व की वस्तुएं बना रहे हैं—जबकि केन्द्र न कोई कार्यवाही कर रहा है और न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ही दे रहा है। केन्द्रीय सरकार उन दुर्दान्त नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की थी जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया था। केन्द्रीय सरकार को विदेशी-मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

खेल क्षेत्र की उपलब्धियों पर हमें गर्व है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि एशियाई

खेलों ने हमारे अच्छे मित्र श्री बूटासिंह जी के लिए मन्त्रिमण्डलीय स्थान दिलवा दिया है। जहां तक एशियाई खेलों का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु हमें प्राथमिकताएं निश्चित करनी होंगी। हमें अपने अभियन्ताओं की उपलब्धियों पर गर्व है।

परन्तु कलकत्ता की मेट्रो रेलवे छः वर्ष खा चुकी है और हमें बताया गया है कि इसमें और छः वर्ष लगेंगे। हमारे अभियन्ताओं को मेट्रो रेलवे के निर्माण को पूरा करने के पूर्ण अवसर नहीं दिए गए हैं। कलकत्ता नगर मुसीबत में है।

हमें हुगली पर एक और पुल चाहिए जो कि अभियान्त्रिकी आश्चर्य होगा। हमारे अभियन्ता कहां हैं। उन्हें धन क्यों नहीं दिया गया है? कलकत्ता में हुगली पर एक दूसरे पुल के निर्माण को वर्ष पर वर्ष क्यों लग रहे हैं? ये ऐसे मामले हैं जिन पर हमें अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी होंगी और मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अपनी प्राथमिकताएं सही ढंग से निश्चित करे और एशियाई खेलों पर धन खर्च करने के बजाय इन मामलों पर सर्वाधिक तत्परता से ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि सरकार इस पर सर्वाधिक गम्भीरतापूर्ण ध्यान देगी।

श्री धर्मबीर सिन्हा (बाढ) : महोदय, कुछ समय पहले डा० शंकर दयाल शर्मा सभा में उपस्थित थे और उन्होंने कहा था कि बोलते समय हमें तर्क-वितर्कों में गरमा-गर्मी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि मेरे भाषण में कोई भावना आयेगी तो वह क्रोध या आवेग के बजाय दुख की भावना होगी। आसाम के उत्पीड़न तथा पंजाब की अशान्ति तथा देश की बिगड़ती हुई आर्थिक हालत पर दृष्टिपात करने पर मुझे बढ़ती हुई अशान्ति महसूस होती है और इससे हर किसी को चिन्ता पैदा होगी।

यह सरकार द्वारा किसी नीति का पालन करने या उसकी कोई भी नीति न होने का प्रश्न नहीं है। सरकार अपनी नीति अपनाने के लिए स्वतन्त्र है। इसको यह भी स्वतन्त्रता है कि यह कोई भी नीति न अपनाये।

परन्तु हम इस सभा में निश्चित रूप से सरकार की कमियों के बारे में चिन्तित हैं। सरकार की संरचना तथा सरकार में बार-बार किए गये परिवर्तनों से क्या लक्षित होता है? जो बहुत से परिवर्तन किये गये हैं उनसे कोई किस प्रकार का निर्देशन ले सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि यह प्रमाणित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति परिहार्य तथा हटाये जाने योग्य है। सरकार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं और पिछले तीन वर्षों में इसकी जो बहुत सी संरचनायें हुई हैं उनके प्रति क्रोध की भावना के बजाय दुख की भावना ही अधिक दिखाई दी है। क्या मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं?

आज देश मे आवासों की भारी कमी है और 1980 से कितने मंत्री बने है? मैं आपको तीन उदाहरण दूंगा परन्तु तीन उदाहरण पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि मंत्रियों में चार बार परिवर्तन हुए हैं। नागरिक आपूर्ति तो ले लीजिए। 1971 में मुझे भी प्रधानमन्त्री के अधीन काम करने का सौभाग्य मिला था। तब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य-

क्रम बन गया है, परन्तु नागरिक आपूर्ति विभाग में हमें मिलता क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या प्राथमिकता दी गयी है। नाम से यह बहुत ही साधारण मन्त्रालय प्रतीत होता है। परन्तु अति गरीब लोग इस मंत्रालय पर निर्भर करते हैं, चाहे मिट्टी के तेल के लिए या खाद्यान्नों के लिए या चीनी की पूर्ति के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वे इस मंत्रालय के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करते हैं। परन्तु वहां क्या है। पहले मेरे मित्र श्री वी० सी० शुक्ल थे, फिर राव वीरेन्द्र सिंह और फिर बिहार के मेरे साथी श्री भीष्म नारायण सिंह और फिर···(व्यवधान) आप अनुमान लगा लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने मंत्री आये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अटकलबाजी लगायें। हां मैं आपको नाम दे दूंगा अब श्री भगवत झा आजाद मंत्री हैं। सामने बैठे हुए सदस्यों को यह भी याद नहीं कि नागरिक आपूर्ति के वर्तमान मंत्री कौन हैं। केवल व्यक्तियों या व्यक्तियों के परिवर्तनों के अर्थों में ही नहीं बल्कि इस मंत्रालय की सम्बद्धता के अर्थों में भी मैं उल्लेख कर रहा हूं। एक बार यह एक मंत्रालय का अंग था···

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तो दूसरी बार दूसरे मंत्रालय का और तीसरी बार यह किसी अन्य मंत्रालय का अंग था। यही बात सिंचाई के साथ है, यही हाल रेलवे का है और यही पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं कि लगातार पुनर्गठन तथा परिवर्तन होते रहे हैं।

इसका क्या तात्पर्य है मैं यह समझने का प्रयत्न करता रहा हूं। इसके पीछे क्या आदर्श है? मैं इस बात का पता लगाने की कोशिश करता रहा हूं। ऐसा लगता है कि यह नयी पद्धति का सृजन करने के लिए हो रहा है, मुझे नहीं मालूम परन्तु इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इससे कोई भी किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं रहता। आप किसी मंत्री को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते यदि वह उस मंत्रालय में केवल छः महीनों से है। आप दूसरे मंत्री को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते जो एक वर्ष से ही मंत्रालय में है। यह ठीक है कि संयुक्त उत्तरदायित्व है। मैं अपने मित्र डा० शंकर दयाल शर्मा को आश्वासन देता हूं कि मैं उनसे असहमत नहीं हो रहा हूं। संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों को लोकप्रिय होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। परन्तु आज की दुनिया ऐसी है कि प्रत्येक मंत्रालय की प्रौद्योगिकी अंतर्ग्रस्तता होने के कारण मंत्री को न केवल मंत्रालय के कार्यकरण की जानकारी की आवश्यकता है बल्कि इसमें तकनीकी पहलुओं की जानकारी आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जबकि किसी भी बात के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है और जब मैं यह कहता हूं तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आसाम की दुखद घटना के लिए कौन जिम्मेदार है?

मेरी पार्टी ने चुनावों में भाग लेने का जानबूझकर निर्णय लिया था। मैं किसी भी तरीके से चुनावों में भाग लेने के अपने तर्क तथा मूलाधार को वापस नहीं ले रहा हूं परन्तु किसी न किसी को इन दुखद घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए और महोदय, आप इस बात को ध्यान में रखें कि आसाम में अधिकांश कत्ल मतदान प्रक्रिया जारी करने के बाद हुई मतदान प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है।

अब, मैं मतदान प्रक्रिया पर आता हूं। बिहपुरा नाम का एक चुनाव क्षेत्र है। इस चुनाव

क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या 64,000 है तथा कुल 440 मत डाले गये। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मत किसके पक्ष में डाले गये। एक टेओक नाम का दूसरा चुनाव क्षेत्र है। इस चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या 68,391 है तथा यहाँ पर केवल 1,374 मत पड़े। यह नमूना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ और चुनाव क्षेत्रों के नाम दे देता परन्तु अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि मैं समाप्त करूं।

महोदय, सरकार को देश की खातिर तथा इस सभा की खातिर तुरन्त जो कार्य करना चाहिए वह यह है कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी—चाहे राजनैतिक जिम्मेदारी या प्रशासनिक जिम्मेदारी—निर्धारित करे जिसने सरकार को चुनाव कराने की सलाह दी। यदि आसाम के राज्यपाल ने ऐसा किया तो उसको तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिए। यदि गृह-मन्त्रालय में ऐसा कोई है तो उसको भी तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिए। परन्तु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

महोदय मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री ने कहा है कि पुनः वार्ता शुरू की जायेंगी, परन्तु मुझे खेद है कि वार्ता म चुनावों के तथा कथित विजेता ही भाग लेंगे। महोदय, इससे केवल वार्ता में विघ्न हीं नहीं पड़ेगा बल्कि उनको नुकसान भी पहुंचेगा। आसाम वह केन्द्र है जिस पर देश का पूरा उत्तरी पूर्वी भाग निर्भर करता है और किसी भी नीति का कार्यान्वयन चाहे वह सुरक्षा की नीति है चाहे विकास की इस बात पर निर्भर करेगा कि आसाम के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

महोदय यद्यपि मैं अधिक कहना चाहता था परन्तु केवल यह कह कर कि आसम में आसाम का ही विदेशी हो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रपति द्वारा 18 फरवरी को संसद का सम्बोधित करने के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गयी है। यह वास्तव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अभिभाषण में सरकार की बहुत सी उपलब्धियों का उल्लेख है जिसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं।

मगर यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा भी अभिभाषण को केवल एक वार्षिक रस्म के रूप में ही लिया गया है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन पर अभिभाषण में ध्यान नहीं दिया गया। अभिभाषण बहुत सी महत्वपूर्ण कमियों के बारे में भी चुप है। अभिभाषण मे, मुसलमानों में उनकी सिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में बढ़ते हुए असन्तोष, व्यथा तथा भ्रम को बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया। यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय मुस्लिम लीग की यू० पी० शाखा को भी, मुसलमानों से उनकी शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में बढ़ते हुए असन्तोष को पर्याप्त मात्रा में प्रकट करने के लिए तथा सरकार को इसके लिए तुरन्त व्यावहारिक उपाय खोजने की आवश्यकता का आभास कराने के लिए जेल भरो आन्दोलन चलाना पड़ा।

महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि 27 फरवरी को मैंने भी गिरफ्तारी दी थी मैं सरकार के सामने जो मुद्दा रखना चाहता हूं वह यह है : सभी की नजर सरकार पर है।

भारतीय जनता पार्टी तथा कुछ अन्य पार्टियां हैं जिनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है तथा भ्रम ही है। वर्तमान सरकार से बहुत आशायें हैं और व्यवहारिक उपाय करने की तुरन्त आवश्यकता है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को केवल एक रस्म माना जाता है बहुत सी बातों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जब अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया भी जाता है तो उन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास मुश्किल से ही कोई उपाय होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकारी नीतियों का दर्पण होता है। परन्तु जब अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया भी जाता है तो दिये गये वचनों को पूरा करने के लिए हमारे पास मुश्किल से ही कोई उपाय होता है।

उदाहरण के तौर पर मैं ध्यान दिलाता हूं कि 23 जनवरी 1980 को अभिभाषण में कहा गया था कि सरकार अहिंसा तथा अव्यवस्था को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करेगी। यह वायदा 1981 मे किया गया था, 1982 में भी किया गया। अब फिर अभिभाषण में स्थिति पर बेचैनी व्यक्त की गयी है। परन्तु हम देखते हैं कि दंगों में वृद्धि हो गयी है। 1981 में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या 319 थी 1982 में यह 474 हो गयी।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें बार-बार यह कहा जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि सभी वर्ग सुरक्षा और सम्मान से रहें। 18 फरवरी, 1983 का राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कहा था कि दोषी व्यक्ति के साथ कठोरता बरती जायगी। लेकिन, सांप्रदायिक दंगों के इतिहास में दंड शब्द नहीं आता। हाल ही में जीतेन्द्र नारायण आयोग ने वहाँ की स्थिति के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन अभी तक हमने कोई कार्यवाही नहीं की।

महोदय, भाषणों में हमें बार-बार यह कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि अल्पसंख्यक वर्ग जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी और बराबर की भागेदारी मिले। इस वायदे को भी पूरा नहीं किया गया है। यहां तक कि केन्द्रीय सचिवालय के लिपिकीय संवर्ग में भी मुस्लिम लिपिकों की संख्या मुश्किल से 0·20 प्रतिशत है। 1 जनवरी, 1981 को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिमों का प्रतिशत 2.98 या 1 जनवरी, 1976 को आई० पी० एस० में दूना प्रतिशत मुश्किल से 2.8 था। चूंकि समय अधिक नहीं है मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में बहुत कम ही कोई मुसलमान होगा। एल० आई० सी० बोर्ड में मुसलमानों की संख्या देखिए। वहां एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। हमें विभिन्न अनुसूचित बैंकों, उनमें से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, की रिपोर्ट देखनी चाहिए। वर्ष 1981 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, सिंडीकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, आंध्र बैंक और कारपोरेशन बैंक में कोई भी मुसलमान कर्मचारी नहीं था। इलाहाबाद बैंक के निदेशक बोर्ड में केवल एक और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशक बोर्ड में केवल दो मुस्लिम कर्मचारी हैं। मेरे पास कई आंकड़े हैं। मैं उन्हें सदन के समक्ष नहीं रख रहा हूं क्योंकि इसमें सदन का समय नष्ट होगा। लेकिन हम देखते

हैं कि अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। अतः हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वे अल्पसंख्यक आयोग की उन सिफारिशों को लागू करें जो कि उनके पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों में की गई हैं तथा यह सुनिश्चित करें कि उनको उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति करके सांवैधानिक दावों का प्रावधान करने वाले कानून बनाने के लिए कहा है। ऐसे कार्य किए जाने चाहिये।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं मंडल आयोग के बारे में एक-दो वाक्यों में बता देना चाहता हूं। केरल के सम्बन्ध में मंडल आयोग ने कहा है कि केवल मप्पला ही पिछड़े वर्ग की सूची में है और अन्य मुस्लिम पिछड़े की सूची में नहीं आयेंगे। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में बनाई गई केरल के लोगों की भावनाओं को स्वीकार करें। यह सूची केरल के लोगों के लिए वैध नहीं है। अतः राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान सूची का अनुसरण किया जाना चाहिये।

***श्री सी० चिन्नास्वामी** (गोबिचेट्टीपलयम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष दिए गए भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर की जा रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूँ। संभवतः संसद में मेरे दल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मैंने महसूस किया कि तमिलनाडु के लोगों और तमिलनाडु राज्य के प्रति यह मेरा पहला कर्त्तव्य है कि मैं उनके कल्याण और राज्य के आर्थिक हित की केन्द्र द्वारा उपेक्षा किए जाने के विरुद्ध उनकी भावनाओं को इस संशोधन के माध्यम से प्रदर्शित करूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि देश में पृथकतावादी शक्तियों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए और राष्ट्र की एकता बनाए रखी जानी चाहिए। मैं पूरे विश्व से राष्ट्रपति जी इस सम्बन्ध में किए गए आह्वान का समर्थन करता हूं।

इस समय मैं, यह बताना चाहूंगा कि जबकि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय एकता पर बल दे रही है, यह बड़े खेद की बात है कि राज्य में गैर-कांग्रेस (आई) सरकार को राजनैतिक आधार तथा संशय से देखा जाता है। मैं अपने इस तर्क को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण दूंगा।

1974 में कावेरी जल समझौता समाप्त हुआ था और तब से तामिलनाडु की राज्य सरकार ने केन्द्र का ध्यान बार-बार इस ओर दिलाया है कि जब तक तामिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में कावेरी नदी का जल उपलब्ध नहीं कराया जाता, राज्य को रेगिस्तान बनने से नहीं रोका जा सकता। केन्द्र सरकार ने अभी तक इस समस्या को सुलझाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई है। केन्द्र सरकार की दक्षिणी राज्यों में कावेरी जल के विभाजन के इस कठोर रुख के कारण; तंजावुर, जिसे तमिलनाडु का अन्न भण्डार कहा जाता है, बहुत तेजी से रेगिस्तान में परिवर्तित होता जा रहा है। मैं सचमुच इसका बयान नहीं कर सकता कि जबकि केन्द्र सरकार पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी, व्यास नदियों का जल वितरण के बारे में चालू समझौते

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को पुनः आरम्भ कर रही है, उन्होंने कावेरी जल विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखायी है। यहां मैं देश की सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करने की अत्याधिक आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं, सभी अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान का यही एकमात्र उपाय हो सकता है। यह राज्यों के बीच बन्धनों को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण सुदृढ़ता प्रदान करने का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। दुर्ग्राह्य राष्ट्रीय एकता एक वास्तविकता बन जायेगी।

1982 में तमिलनाडु राज्य में दोनों मानसूनों के समय पर न आने के कारण राज्य में खाद्यान्न की भारी कमी हुई है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए कहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार राज्य को अनाज भेजने में संकोच कर रही है। केन्द्रीय पूल का भण्डार मात्र दिखावे के लिए नहीं है। इसे देश में भूखे लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि केन्द्र को राज्य में अनाज के अभाव के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू पौष्टिक भोजन योजना का उल्लेख करे। डी० एम० के० के मेरे सहयोगी डा० कुलनदेवेलु, अभी थोड़ी देर पहले इस पौष्टिक आहार योजना की राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषणा करने का निवेदन किया है और वह चाहते हैं कि इसे योजना कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाये। उन्होंने मांग की है कि माननीय प्रधान मन्त्री को इसे अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित करने का आश्वासन देना चाहिये। मैं यहां इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि राज्य में अनाज की कमी होने का मुख्य कारण मानसून का न आना ही है। यह भूलना नहीं चाहिए कि तमिलनाडु राज्य ने पिछले वर्षों में अनाज उत्पादन की बचत हुई थी तब तमिलनाडु राज्य ने काफी मात्रा में अनाज देने में योगदान किया था। केन्द्र को राज्य में भूखे बच्चों और दूसरे लोगों को बचाने के लिए वहां तुरन्त अनाज भेजना चाहिये।

राज्य में बिजली का भारी संकट है। इसके लिए भी केन्द्र ने राज्य में ताप बिजली घरों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं दिया है। सभी ताप बिजली घर कोयले की कमी के कारण स्थापित क्षमता का 50% उत्पादन भी नहीं कर पा रहे है। तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन सुपर ताप बिजली घर के लिए 5 लाख टन कोयले का आयात करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है। सरकार ने अभी तक इसे आयात करने की अनुमति नहीं दी हैं। राज्य में इस अभूतपूर्व संकट को दूर करने के लिए केन्द्र को न केवल राज्य को तुरन्त कोयला भेजना चाहिए बल्कि राज्य को आवश्यक मात्रा में कोयला आयात करने की भी अनुमति देनी चाहिये।

तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र की औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 138 निवेदन पत्र भेजे हैं। केन्द्र ने अभी तक इन उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि केन्द्र लाइसेंस जारी करने में तीव्रता और समय पर कार्यवाही न करके राज्य की औद्योगिक प्रगति में बाधा डालने में योगदान कर रही है।

इसी तरह, भाषा के मामले का भी अभी केन्द्र सरकार ने समाधान नहीं किया है। बहुत से राज्यों ने अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी भी केन्द्र द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रुप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं जैसे चार्टड एकाउटेंट परीक्षा के माध्यम से गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी

थोपी जा रही है, अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आंतरिक और बाह्य रूप से लोगों पर हिन्दी थोपे बिना अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा माना जाना चाहिये और इसके साथ-साथ केन्द्र का प्रादेशिक भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिये ताकि विविधता में एकता ही हमारे देश के लोगों का जीवन बने।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए सदन का समर्थन चाहता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : अध्यक्ष महोदय, प्रेसिडेन्ट एड्रेस में सरकार की एक साल की नीतियों का जायजा होता है, लेकिन इस शासन पार्टी को हिन्दुस्तान पर हुकूमत करते हुए 32 साल हो चुके हैं, पिछले सालों की तरह से इस साल भी प्रेसिडेन्ट एड्रेस में देश की जनता के लिए उत्साह बढ़ाने वाली या हिन्दुस्तान की समस्याओं के समाधान का कोई नक्शा हम इस प्रेसिडेन्ट एड्रेस में नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है तथा सरकार का काम सन्तोषजनक रहा, लेकिन परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि देश के अन्दर एकाधिकार-घरानों की दौलत बढ़ रही है, देश के अन्दर कालाधन समानान्तर आर्थिक-ताकत के दौलत के रूप में काम कर रहा है। देश के अन्दर गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के अन्दर गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे तीन मिनट में ही कहिये। मैं आपको 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : 5 मिनट तो दीजिये। आपने औरों को दिये हैं, इनको भी दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : कोई तर्क न दें।

श्री विजय कुमार यादव : मैं कह रहा था कि आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही भयावह है। आप जानते हैं देश के कई हिस्सो में सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई है जिसमें हमारा बिहार, हमारे बगल में उड़ीसा, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी बंगाल भी प्रभावित हुआ है, दूसरी स्टेट्स भी प्रभावित हुई हैं, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और राज्य सरकारें आज जो जिम्मेदारी उन के ऊपर आई हैं उसको पूरा नहीं कर रही हैं। पश्चिमी बंगाल में तो दूसरी पार्टी की हुकुमत है, लेकिन केन्द्र की और से जो वाजिब मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। जहां तक बिहार और उड़ीसा की बात है वहां पर आन्दोलन चल रहा है। इसी महीने की ता० 7 को बिहार के गवर्नर के सामने कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियां आन्दोलन कर रही हैं। उड़ीसा में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। भुखमरी बड़े पैमाने पर फैली हुई है, रिलीफ का काम नहीं हो रहा है। बिहार की स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय है।

20 प्वाइन्ट प्रोग्राम का जिक्र किया गया है—लेकिन वहां तो 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम बिल्कुल कागज पर है। देश के अन्दर 40 लाख बीड़ी मजदूरों की तादाद है, लेकिन इन बीड़ी मजदूरों की

स्थिति हमारे देश में क्या है ? उनको मिनिमम वैज भी नहीं मिलता। जहां सरकार ने कोई कानून बना रखा है, वहां वह कानून लागू नहीं होता। सरकार ने जो मिनिमम वैज तय किया है उसके हिसाब से बीड़ी मजदूरों का करोड़ों रुपया बकाया है। चूँकि वहां कानून लागू नहीं है इसलिये राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से भी इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। देश के अन्दर करप्शन बढ़ रही है, देश के अन्दर चारों ओर जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, उससे हम लोग व किफ हैं। बिहार खास तौर पर इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है और वहां पर जनजीवन खतरे में है। वहां पर ऐसी स्थिति है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है बल्कि कई स्थानों पर तो सरकारी लोगों की सांठ-गांठ एन्टीसोशल एलीमेंट्स के साथ है, जोकि अखबारों मे बराबर निकलता रहता है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कम से कम बिहार की जो स्थिति है, उड़ीसा की जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार की इसमें स्पेशल जिम्मेवारी है क्योंकि वहां पर सुखाड़ की स्थिति के कारण हजारों-हजार लोग बिहार के लोग भाग कर पंजाब और हरियाणा में रोजी रोजगार के लिए आ रहे हैं। वहां की स्थिति बहुत भयावह है और लोग भूखे मर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और उचित ध्यान देगी।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छी बातें कही हैं, कुछ ने अपने पुराने सिद्धान्तों को दोहराया है और कुछ ने अपने पूर्वाग्रहों को ही अभिव्यक्त किया है। मैं किसी एक ग्रुप अथवा दूसरे ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहती और न ही किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे पसन्द नहीं करती अथवा उनके द्वारा की गई आलोचना पर मुझे आपत्ति है बल्कि इसलिये कि सभी का नाम लेना संभव नहीं होगा और केवल कुछ का नाम लेना भेदभाव करने के समान होगा। किन्तु मैं सभी को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देती हूं।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति संसद और राष्ट्र को देश की स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। अभिभाषण में यह कार्य बड़े दायित्व और स्पष्ट एवं ठोस ढग से किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण पर आवश्यक रूप से अच्छा एव आशावादी होने का आरोप लगाया है। किसी ने यह दावा नहीं किया है कि आदर्श परिस्थितियां हैं अथवा हम उपलब्धियों से सन्तुष्ट हैं। किन्तु कुल मिला कर अभिभाषण वस्तु-परक है एवं इसमें खूबियों और कमियों दोनों का ही सन्तुलित ब्यौरा दिया गया है। मेरा विचार है कि इसमें निश्चय ही राष्ट्र की इतनी अधिक कठिनाईयों की तुलना मे शक्ति और उपलब्धि प्राप्त को गई उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में कमी तथा पिछले वर्ष

की तुलना में 1982-83 में आर्थिक विकास की दर में कमी होने का उल्लेख किया है। कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ है किन्तु औद्योगिक उत्पादन में कमी नहीं आई है। समूची विकास दर में कुछ कमी अवश्य आई है किन्तु इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट आई है तथा दूसरे, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में 1982 में असाधारण सूखा पड़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल से अलग कर नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसे इसी के अन्तर्गत संचालित होना होना है। जब विश्व व्यापार में ठहराव आ जाता है तो हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। सहायता बहुत महंगी होती जा रही है और उसे प्राप्त करने में भी कठिनाई बढ़ गई है। समूचा विश्व अत्यधिक मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के कारण आर्थिक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भी पिछले वर्ष विकास की औसत दर केवल एक प्रतिशत थी। गैर-तेल-निर्यायक-विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए थे क्योंकि उनकी अर्थ-व्यवस्था में अन्तर्निहित कमजोरियां थीं और विकसित देशों में मन्दी के परिणामस्वरूप भी ऐसा हुआ है। 1982 वर्ष के दौरान, इन देशों में मुद्रास्फीति की दर 35 प्रतिशत तक थी और विकास की औसत दर केवल 1.8 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रों में ठहराव के इस वर्ष के दौरान भारत भी उन थोड़े से देशों में से है जो सामान्यतया सन्तोषजनक विकास दर बनाये रख कर भी मुद्रास्फीति को 2.8 प्रतिशत निम्नस्तर पर रख सका है।

2 प्रतिशत विकास की दर पिछले वर्ष की विकास दर से कम है किन्तु मैं उस दूसरी बात, जो मैंने पहले कही थी, के बारे में कहना चाहती हूं कि विकास की यह दर एक ऐसे वर्ष में प्राप्त की गई है जब भयंकर सूखा पड़ा हुआ था जिसके कारण 430 लाख हैक्टर भूमि तथा 26 करोड़ जनता प्रभावित हुई है। पिछली बार 1979-80 में सूखा पड़ा था जब 380 लाख हैक्टर भूमि एवं 22 करोड़ जनता प्रभावित हुई थी। यदि अब हम पिछले सूखे के वर्ष के साथ अब भी अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो सदन अच्छे और बुरे प्रबन्ध के बीच अन्तर कर सकता है। हमारे देश में, जोकि अत्यधिक रूप से मानसून पर निर्भर है, मानसून की असफलता वाले वर्ष में सरकार केवल अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन से उसके विपरीत प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकती है। हमने 1982 में बिल्कुल यहीं किया है। इस तरह से देश को एक घोर प्राकृतिक आपदा के विपरीत प्रभाव से बचाया जा सका है।

1979-80 में, खाद्य भंडार एव विदेशी मुद्रा के संबंध में स्थिति अच्छी होते हुए भी मूल्यों में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1982 के सूखा के वर्ष में मूल्य वृद्धि केवल 2.8 प्रतिशत ही थी। ऐसा संयोगवश नहीं हुआ था बल्कि वास्तव में 1982 में कीमतों में बहुत वृद्धि होने लगी थी। किन्तु सरकार ने उचित वित्तीय उपायों, समय पर आयातों, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि तथा अन्न खरीदने के लिए अथक प्रयासों से इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की। वास्तव में, 1982 में चावल और गेहूं की खरीद पहले वर्ष की तुलना में अधिक थी और इसी कारण से सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से उनकी

निरन्तर सप्लाई जारी रही। इसके पश्चात्, पहले वाले सूखा वर्ष, 1979-80 के दौरान वास्तव में राष्ट्रीय आय में 4.8 प्रतिशत की कमी आई है और औद्योगिक उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसकी तुलना में 1982 के सूखा वाले वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय आय में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आधारभूत सुविधाए जैसे बिजली, कोयला, रेलें, बनाये रखी जा सकीं। निवेश की गति तीव्र हुई। अच्छे और बुरे प्रबंध में यही अन्तर है।

मैंने विपक्ष से कभी प्रशंसा की आशा नहीं की है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहों की ही आशा की है और शायद इस प्रकार का रिकार्ड केवल आदत के कारण ही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, यह तस्वीर न तो काल्पनिक है न ही अतिशयोक्तिपूर्ण है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है।

एक माननीय सदस्य ने अन्न भंडार की अपर्याप्तता पर खेद व्यक्त किया है। 1 फरवरी, 1983 को भंडार में 125 लाख टन अन्न था। फरवरी, 1981 अथवा 1982 से यह अन्न की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। 2.76 लाख मान्यता प्राप्त उचित दर की दुकानें हैं जिसमें 78% दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं जोकि लगभग 52 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिये हैं। मैं यह स्वीकार करती हूं कि पद्धति दोषरहित नहीं है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। जब भी कभी कठिनाईयों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है, हम अन्न को शीघ्र ही पहुंचा देते हैं और स्थिति में सुधार का प्रयास करते हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों की समस्याओं का जिक्र किया है। महोदय, संसद वह मंच नहीं है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक राज्य की विशिष्ट समस्याओं की जांच कर सके। मैं जानती हूं कि राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल में हमने कुछ अनाज तमिलनाडु तथा अन्य उन राज्यों में भेजा है जिन्होंने इसकी मांग की थी।

एक अन्य माननीय सदस्य का विचार था कि मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण सम्बन्धी हमारी सफलता हमारे प्रयासों का प्रतिफल नहीं था बल्कि सारे विश्व में मूल्य गिर रहे थे। महोदय, स्पष्ट बात तो यह है कि मैं यह नहीं समझ सकी कि हमारे मित्र किस विश्व की बात कर रहे थे। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के अनेक देशों में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है। बढ़ती हुई कीमतें अनेक देशों की प्रमुख समस्या बनी हुई हैं। कुछ देशों में जहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम हैं, वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं है जिसके परिणामस्वरूप असन्तुष्ट लोगों की लम्बी कतारें लगी है जिन्हें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक अन्य माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी की है कि थोक मूल्यों की तुलना में उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि अपेक्षाकृत काफी अधिक है। ऐसा होता है। किन्तु उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि पर भी नियन्त्रण पा लिया गया है। दिसम्बर 1981 में 12.7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष दिसम्बर, 1982 में यह वृद्धि 8 प्रतिशत थी। जनता की स्मरण शक्ति कम मानी जाती है। किन्तु हम आशा करते हैं कि संसदीय स्मरण शक्ति भी अवश्य अधिक होगी। क्या हमारे दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विरोधी, जो जनता पार्टी के घटक अथवा समर्थक थे, इतना शीघ्र भूल गये हैं।

यह एक बड़ी हास्यास्पद बात है किन्तु ऐसी नहीं जिसकी आशा न की जा सके कि एक राजनीतिक दल ने हमारे परिवार नियोजन प्रयासों को अपर्याप्त कह कर उसकी आलोचना की। क्या मुझे यह सदन को याद दिलाने की आवश्यकता है कि यह जनता पार्टी ही थी जिसने विषैला और झूठा प्रचार कर परिवार नियोजन कार्यक्रम को समाप्त कर दिया और जब वे सत्ता में आए, तो उसका नामोनिशान मिटा दिया गया। सदन को यह जानने में शायद रूचि होगी कि पिछले महीनों में पहली बार हमारी आबादी की विकास दर में कमी आई और यह दर 2 प्रतिशत से भी कम अर्थात 1.9 प्रतिशत हो गई। मैं सच्चे मन से आशा करती हूं कि कोई भी निहित स्वार्थी दल इस कम दर को समाप्त करने के लिए पुनः अब जनता को गुमराह नहीं करेगा।

बजट प्रस्ताव अभी हमारे दिमाग में ताजा है। वित्त मन्त्री का बहुत ही कठिन एवं अप्रिय कार्य होता है। किन्तु बजट हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। इसमें नई किस्म के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके माध्यम से हमारी वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव किया गया है इन सबका हमारी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। इस बजट से और पहले के कुछ प्रस्तावों से काफी संसाधन जुटाए जायेंगे। इनसे बचा नहीं जा सकता क्योंकि हम योजनाबद्ध वह विकास की गति को खोना नहीं चाहते हैं।

इस बजट का आधार एवं हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नीति का भी आधार योजना व्यय में वृद्धि करने का है। पिछले वर्ष के बजट में केन्द्रीय योजना व्यय 27 प्रतिशत से अधिक था। इस बार यह वृद्धि 26 प्रतिशत से भी अधिक होगी। हम किसी ओर व्यय की कटौती चाहे करे किन्तु हमने योजनाव्यय में कटौती नहीं की है। फिर भी मुझे मालूम है कि हमें राज्यों तथा यहां तक कि केन्द्रीय मन्त्रालयों के अनेक लाभकारी एवं अत्यावश्यक परियोजनाओं को छोड़ना पड़ा है। मैं यह कह सकती हूं कि इनमें से कुछ परियोजनाएं मेरे दिल को बहुत भायी थीं। सूखा और मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रीय मंदी एवं भुगतान सन्तुलन संबंधी हमारी कठिनाइयों के बावजूद हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम आत्म-निर्भरता की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन विकास के पथ से विचलित न हों। योजना के अन्तर्गत, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं बिजली, रेलवे, कोयला, इस्पात, परिवहन और सबसे अधिक पेट्रोलियम जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए हैं।

कृषि के लिए हम सिंचाई, उर्वरक तथा अन्य सेवाओं पर बल देते हैं जिसमें छोटे तथा सीमित कीमतों को उत्पादन बढ़ाने तथा ऐसे अन्य उपायों जिससे सीधे गरीब तथा कमजोर वर्गों को सहायता मिलती है।

इस प्रयास को बनाए रखने के लिए हमें साधनों में वृद्धि करनी है। वित्त मंत्री ने गैर-मुद्रास्फिति ढंग से ऐसा करने की कोशिश की है। जिनके पास अधिक है, उन्हें अधिक देना चाहिए। यदि बाजार भाव कुछ वस्तुओं के बहुत ऊंचे हैं और इनसे अधिक लाभ मिलता है तो उस लाभ का कुछ भाग सरकारी खजाने में आना चाहिए। यदि व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति कम खर्च

करते हैं और अधिक पूंजीनिवेश तथा बचत करते हैं तो उन पर कम कर लगेगा। हममें से सबको राष्ट्रीय विकास के इस महान कार्य में अधिक बचत करके, उत्पादन संबंधी सम्पत्तियों में अधिक पूंजी लगाकर, अधिक परिश्रम करके और अधिक उत्पादनकारी तथा कार्यकुशल बनकर योगदान देना है। हम घरेलू उत्पादों के लिए अधिक मांग पैदा करने के लिए, योजना अथवा गैर-योजना परिव्यय सरकारी तथा निजी परिव्यय में वृद्धि चाहते हैं। हम सभी आयातों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने घरेलू उद्योग की रक्षा करनी चाहिए जिनमें से अधिकांश की समस्या विकास है। लेकिन मैं कहूंगी कि हमारे बहुत से घरेलू उद्योग, जिनकी रक्षा बहुत समय से हो रही है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अधिकाधिक संकोच कर रहे हैं। अतः यह एक अन्य पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह हमारी औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति का प्रमाण ही है कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों की व्यापक उत्पादन क्षमताओं का देश में निर्माण किया गया है और यह उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन्जीनियरिंग उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। बजट में निर्यात के लिए कुछ और प्रोत्साहन दिए गए हैं।

हम चाहते हैं कि उद्योग चुनौती का सामना करे, अपनी कुशलता बढ़ायें और उत्पादन बढ़ायें।

अपनी उपलब्धियों की आलोचना करना अपने बल अथवा अपनी सरकार की ही प्रतिष्ठा को कम करना नहीं बल्कि हमारे परिश्रमी लोगों हमारे किसानों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों, तकनिशयनों तथा अन्य लोगों की प्रतिष्ठा को भी कम करना है।

संसद ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रखवाले के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रायः आलोचना की है। हमारे बामपंथी सहयोगियों ने भी, जो सैद्धान्तिक रूप से सरकारी क्षेत्र का समर्थन करने का दावा करते हैं, कभी-कभी इसे निरुत्साहित किया है। अब जबकि इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है तो हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें श्रमिकों तथा प्रबन्धकों को अपना अच्छा काम करते रहने के लिए कहना चाहिए।

हमारे ऊपर यह गलत आरोप लगाया गया है कि हम श्रमिक विरोधी हैं। यह बहुत अनुचित बात है। हम श्रमिकों की समस्याओं और कठिनाईयों के प्रति हमदर्दी रखते हैं और अनेक कठिनाईयों के बावजूद भी उन्होंने प्रायः सहयोग दिया है।

ये आरोप उन लोगों द्वारा लगाये गये हैं, जो चाहते हैं कि श्रमिक सरकार विरोधी हैं यह वे श्रमिकों के हित में नहीं बल्कि उनके अपने ही हित में चाहते हैं, मैं उन श्रमिकों का अभारी हूं जिन्होंने उनकी कठपुतली बनने से इनकार किया है इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तालाबंदियों और ऐसे कार्यों से होने वाली कठिनाईयों से अनभिज्ञ हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाता है।

हम निरन्तर नये विचारों की खोज में रहते हैं। इसी दृष्टि से मैंने पांच प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया है। उनके कार्य और योजना आयोग के कार्यों में परस्पर टकराव नहीं होगा एक समाचार पत्र में टिप्पणी आयी थी "हमारे पास काफी सलाह हैं, हमें अधिक काम करने की जरूरत है।" क्या ये एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं? इसके विप-

रीत ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हर जगह समस्याओं तथा निकट संकटों के लिए नये विचारों, नए तरीकों की खोज रहती है।

विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति गम्भीर है। तेल की कीमत बढ़ने से एक समस्या पैदा हो जाती है। यदि मूल्य गिरने शुरू हो जायें तो विश्व एक अन्य जाल में फंस जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अस्त-व्यस्त है। हमारे जैसे विकासशील देशों को इससे सबसे अधिक धक्का लगा है। मुझे विश्वास है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री समस्याओं के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समाधानों के लिए रचनात्मक विचार आगे रखेंगे। मैंने कुछ सिद्धान्तों के बारे में प्रायः अपने विचार प्रकट किए हैं विपक्ष के एक या दूसरे ग्रुप के सदस्यों को कई सिद्धान्तों में गहरी आस्था है। लेकिन मैं नई सफलताओं की आकांक्षा करती हूं, पुराने सिद्धान्तों की नहीं।

हम पर एक दूसरा आरोप यह है कि हम आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से हट गये हैं। आत्मनिर्भरता तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सरकार के रूप में, हमारे निर्णयों तथा कार्यों का आधार है। विपक्ष के कुछ लोगों के अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विचार तथा दर्शन विदेशों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से प्रेरित हैं, जहां के हालात तथा परिस्थितियां बिलकुल भिन्न हैं और यदि ये सिद्धान्त वहां भी सफल होने का दावा नहीं कर सकते। हकारी कोशिश अपने तरीकों तथा अपने समाधान का पता लगाना है।

सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही नहीं की गई है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी राशि हड़प करती है। इससे नैतिकता का हनन होता है और राष्ट्र को कमजोर बनाता है। यह धारणा पैदा करना दुर्भाग्य की बात है कि भारत एक भ्रष्ट देश है। यह राष्ट्र पर लाच्छन है। अनेक विरोधी दल के सदस्य उन शिकायतों को भूल जाते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध की है और वे प्रचार करते हैं कि केवल कांग्रेस ही भ्रष्ट है। हम भ्रष्टाचार का मुकाबला कर रहे हैं और हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं जिनकी तस्वीर किसी कारण हमारे विचार में अच्छी नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसे लोगों को विपक्ष प्रोत्साहित करता हैं। इसमें दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार एक बुराई है और इससे राजनैतिक लाभ उठाना भी उतना ही बुरा है। हम भ्रष्टाचार की इस बुराई को दूर करने के लिए कृतसंकल्प हैं **(व्यवधान)** कई उदाहरण हैं। मैं इनका अभी पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता।

श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : एक भी उदाहरण नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आपसे यहां तर्क नहीं दे सकती। कई उदाहरण हैं, । जिनका सबको पता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल एक उदाहरण चाहता हूं **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं मान सकती। मुझे इस बारे में अपनी बात का पूरा यकीन है। मैं निराधार ध्यान नहीं देती।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जो कुछ आप कहें, उसे आपको उचित ठहराना है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इसे कई अवसरों पर उचित ठहरा चुकी हूं। इस पर काफी गहराई से विचार हुआ है **(व्यवधान)**। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि विपक्ष चिल्लाये, तो उनका चिल्लाना ठीक हैं इसका अर्थ यह नहीं है। कि पत्रकार जो कुछ सनसनी खेज बातें लिखें वह ठीक है। हमारे पता लगाने तथा तदनुसार व्यय करने के अपने तरीके हैं। मैं जानना चाहती हूं कि यहां विद्यमान किसी भी दल ने, जो कई राज्यों में सत्ता में रहे हैं, कोई कार्यवाही की है। मुझे ऐसे किसी भी उदाहरण की जानकारी नहीं है।

घरेलू राजनीति के बारे में कई विचार प्रकट किए गए हैं विशेषकर मेरे दल के सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। क्षेत्रवाद का उदय एक बहुत खतरनाक बात है। कांग्रेस की नीति क्षेत्रीय व्यक्तित्व को उभारने की रही है और मैं इस विचार का पुरजोर पालन करती हूं। लेकिन इस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में व्यय करना हैं।

कुछ लोग देश के विघटन के बारे में खुले आम बातें करते हैं। यह देश टूटने नहीं जा रहा है। यह संसद, मेरा दल और मुझे विश्वास है कि यहां उपस्थिति सभी दल ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन यदि कोई दल, सामूहिक अथवा व्यक्ति समूचे देश की समस्याओं से हटकर किसी विशेष क्षेत्र पर संकेन्द्रित हो, तो तनाव बढ़ेगा।

सभा में अपव्यय पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं इस पर पुनः प्रकाश नहीं डालना चाहती मैंने पिछले सप्ताह कहा था, सारे वर्गों को मिलाकर। ऐसी भावनाओं को दबाने तथा समाधान निकालने की जरूरत है कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो सद्भावना तथा बातचीत से हल न की जा सके। यदि आज कुछ युवकों को क्रोध आता है तो, जैसे कि मैंने कहा, मैं उन्हें अपने तथा देश के ही बच्चे समझती रहूंगी। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं देश की एकता और अखंडता सम्बन्धी अपनी जिम्मेवारी को एक तरफ रख सकती हूं ?

एक कांग्रेस सदस्य ने भावुकता तथा विश्वास के साथ पंजाब में भाई-चारे की भावना पैदा करने की जरूरत पर बल दिया है। यदि मैं सिख धर्म को सही तरह से समझी हूं तो इसका मूल आदेश लोगों के बीच प्रेम तथा भाई-चारा पैदा करना है। गुरूनानक के सबसे अधिक प्रभावित करने वाली भजन वे हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हिन्दू और मुस्लिम समान हैं। हमारे देश में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, फारसी और यहूदी सब बराबर हैं।

दुर्भाग्यवश, कुछ लोग साम्प्रदायिकता भड़का रहे हैं। अधिकांश साम्प्रदायिक दंगों के कारण आर्थिक अथवा अन्य प्रतिद्वन्दता तथा भय के परिणामस्वरूप होती हैं। कुछ शरारती तत्व उनका दुरुपयोग साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। कुछ शरारती तत्व समझते हैं कि उपद्रव पैदा करने से शायद नेता बन जायेंगे।

कतिपय बोर्डों की सदस्यता, और निदेशकों के बारे में अभी कुछ कहा गया है हम इस मामले

का पुनरीक्षण कर रहे हैं और मैं इससे सहमत हूं कि ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके सम्बन्ध में अविलंब उपाय किए जाने की आवश्यकता है इनमें कुछ पर विचार किया जा रहा है और अन्य सुझावों का स्वागत है। मैं सभा और माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि सभा के अन्दर या बाहर ऐसा कुछ भी कहने अथवा करने का समय नहीं है जिससे और घटनाएं अथवा तनाव पैदा हो। आप किसी बात को भड़काने वाला अथवा साम्प्रदायिक नहीं समझते होंगे परन्तु इस नाजुक स्थिति में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि अन्य लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मुसलमानों के साथ-साथ हिन्दुओं में भी कुछ उग्रवादी संगठन पैदा हो गए हैं और इससे किसी भी वर्ग को सदभाव पैदा करने में सहायता नहीं मिल रही है।

गृह मन्त्री जी मुझे अभी बता रहे थे कि मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर मुख्य मंत्रियों से चर्चा हो रही है।

यह कहा गया है कि हमें अपने आसूचना तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मुझे स्वयं बहुत चिन्ता है। स्थिति और जन-भावनाओं के प्रति अधिक जागरुक होने तथा लोगों की रक्षा करने के अपने कर्त्तव्य से विचलित न होने के लिए आसूचना तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना पुलिस बल को प्रशिक्षण देने के समान ही है जिससे वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें हम इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं।

कुछ सदस्य गुट-निरपेक्षता के सम्बन्ध में बोले हैं। मुझे एक बार फिर 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता' के बारे में सुनने को मिला है। मैं सोचा था कि उन शब्दों के, जो कई बार हास्यास्पद रहे हैं, प्रयोग से बचा जाएगा। जब तथाकथित 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता' की बात हो रही थी, तब शेष गुट-निरपेक्ष विश्व 'वास्तव' में हमारे 'वास्तविक' उद्देश्यों के बारे में असमंजस में था। कुछ लोगों ने पश्चिम (जिसमें पश्चात के गैर-पश्चिमी अनुयायी भी सम्मिलित हैं) के इस प्रचार का ढोल पीटा कि भारत अलग पड़ गया है। क्या हमें स्वयं निश्चय करके जो कुछ हमें उचित और न्याय-संगत लगे उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए अथवा हमें बिना सोचे ही अन्य व्यक्तियों की बात मान लेनी चाहिए? मैं माननीय सदस्यों को ऐसे अनेक अवसरों का स्मरण नहीं कराना चाहती हूं जब हम पर अक्षेप किए गए और कई ओर से दोषारोपण भी किया गया परन्तु अन्ततः हमारा निर्णय ही सही निकला। यहां तक कि आज भी,—वस्तुतः प्रत्येक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में जहां तक मुझे याद है, पहले भी जब में सत्ता में भी बाहर से हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्यधिक दबाव डाला गया कि हम आन्दोलन में बाधा डालें और तनाव तथा असहमति का वातावरण पैदा करें ताकि यह कहा जा सके कि आन्दोलन असफल हो गया है।

अतः मैं यह आशा करती हूं कि माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत अथवा दलगत जो भी राय हो, वास्तव में वे सब भारतीय हैं; आगामी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके प्रभावी होने से विश्व के महत्वपूर्ण मामलों जैसे निरस्त्रीकरण, शन्ति सहयोग और विकास को हल करने में काफी सीमा तक सहायता मिलेगी।

एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं और राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा द्वारा स्वीकार किए जाने की सिफारिश करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन रखे गए हैं। क्या मैं उन संशोधनों को सभा के मतदान हेतु एक एक साथ रख दूं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कत्ले आम अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह आम सतागम है।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए :

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं *प्रश्न यह है* :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1983 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रेल बजट, 1983-84—सासान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करते हैं। भूतपूर्व मन्त्री।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं वर्ष 1983-84 के लिए रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करता हूं।

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक रेलवे के कार्य निष्पादन का संबंध है, हमें इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा कि रेलवे का बहुत बड़ा जाल बिछा है और इसलिए इसके कार्यचालन का प्रबन्ध करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक प्रबन्ध के अन्तर्गत शायद हमारा रेलवे विश्व में दूसरे स्थान पर है। **(व्यवधान)** बहुत बाधा डाली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक शोर है। क्या वे गाड़ी में सवार होने आए हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : रेलवे की दुर्घटनायें तो समझ में आती हैं परन्तु सभा में दुर्घटनायें क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो शान्ति से जाइये। इसे रेलवे प्लेटफार्म न बनाइये। ठीक है, अब आरम्भ कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री भी उपस्थिति हैं।

(इस समय श्री वसन्त राव पाटिल सभा से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : दादा, क्या आप सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। क्या यह वांछनीय है कि एक दूसरी सरकार के मन्त्री सभा में उपस्थिति हों?

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह सभा के सदस्य हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। मैं सिद्धान्त का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप द्वारा आपत्ति करने से पूर्व ही वह बाहर जा चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक रेलवे के कार्यों का संबंध है, उसका अनुमान रेलवे के व्यापक विस्तार को दृष्टि में रखकर किया जा सकता है। हमारी रेलवे के लगभग 61,000 किलोमीटर रूट है जिसमें 7000 स्टेशन आते हैं। और हमारी रेल गाड़ियां 10,000 इंजनों द्वारा खींची जाती हैं। यह हमारी रेलवे प्रणाली की विशेषता है कि 61,000 किलोमीटर पर प्रतिदिन लगभग एक करोड़ यात्री यात्रा करते हैं और 60,000 से 70,000 मीटरी टन भार ढोया जाता है। रेलवे के इस विस्तार के कारण हमारी रेलवे एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत विश्व में दूसरे स्थान पर है। मैं चाहता हूं कि रेलवे का इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे रेलवे की कार्यकुशलता को समय-समय पर बढ़ाया जा सके और यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के अनुसार हो जाए।

जहां तक रेलवे के कार्यों का संबंध है, वे जब से हमारे नए रेल मन्त्री आए हैं, नहीं हो रहे हैं। सौभाग्य से विरासत में रेलवे की अच्छी उपलब्धियां मिली हैं। परन्तु, चूंकि रेलवे विभाग को देखने वाले व्यक्ति दूसरी पार्टी के रहे हैं, इसलिए मैं भारतीय रेलवे, मजदूरों और अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता।

पिछले कुछ वर्षों से कुछ उपलब्धियां तथा कुछ असफलताएं रही हैं। 1980 में जब व्यवस्था ने कार्य करना आरम्भ किया तो यह जानना बड़ा रुचिकर लगा कि यातायात व्यवस्था कैसे बढ़ी है और यात्रियों तथा अन्य रेल उपयोगकर्ताओं पर कितना बोझ डाला गया है।

महोदय, 1980-81 में भारतीय रेलों में 1959.30 लाख टन माल ढोया गयाथा मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 1981-82 के दौरान 2212 लाख टन माल ढोया गया 1982-83 में यह बढ़कर 2270 लाख टन हो गया और मैं रेल मन्त्री महोदय के आशावाद से सहमत हूं कि 1983-84 में 2410 लाख टन तक माल ढोये जाने की संभावना है अतः, जबकि माल की ढुलाई में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और मैं तो कहूंगा कि यदि माल ढुलाई की मात्रा में इस विशिष्ट सीमा तक वृद्धि हुई तो उस स्थिति में श्रेय उन कुछ अभिनव परिवर्तनों को जाना चाहिए जिन्हें भारतीय रेलों में लाया गया है और उसके परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि कुछ परिवर्तन लाये गये हैं। मुझे यह देखकर अतीव प्रसन्नता हुई है कि जहां तक आधारभूतीय ढांचे की सुविधाओं और उनकी निष्पादकता का सम्बन्ध है, 1982-83 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ महत्वपूर्ण अभिमत व्यक्त किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में यह ठीक ही बताया गया है कि 1980 के अन्त में लागू किए गए प्रबन्धकीय और परिचालन के क्षेत्र में अभिनव परिवर्तनों के फलस्वरूप रेलवे की *निष्पादकता* में भारी सुधार हुआ है। मैं विगत की निष्पादकता का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। इन अभिनव परिवर्तनों में रोलर बियरिंग और सैंटर बफर काप्लर्स लगे बैगनों से पारम्परिक बैगनों के बेड़े को अलग करना, रोलर बियरिंगस और सेन्टर बफर काप्लर्स लगे बन्द वैगन बेड़े को जम्बो रेकों से अलग करना, रेलों को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक समन्वित रूप में चलाना यातायात की कुछ विशिष्ट धाराओं की मांग को पूरा करने के लिए फिकस्ड-ट्रेन कनसिस्टम बनाना ट्रेनिंग भार को ईष्टतम सीमा तक पहुंचना और लोको कर्षण को युक्तियुक्त बनाना रेलवे ने जहां तक कहीं भी सम्भव है, बन्द रेकों में भी लदान आरंभ कर दिया है और इसी नीति के कारण समग्र रेलवे के कुल यातायात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

महोदय, इस निरन्तर बढ़ते हुए भार जिसे कि भारतीय रेलों ने ढोया है। को देखते हुए आप पायेंगे कि मन्त्रियों और रेलवे का उपयोग करने वालों को तदनुरूप राहत नहीं मिली है। 1980-81 में माल-भाड़े और यात्री-किराये में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 1981-82 में 366.26करोड़ रुपये की और 1982-83 में 264 करोड़ रुपये की और रेल मन्त्री महोदय ने 1983-84 का जो नया बजट पेश किया है उसमें माल-भाड़े और यात्री-किराये में 488.99 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव है। हमारे नए रेल मन्त्री महोदय सदैव विशालरूप में कार्य करने में विश्वास करते हैं और यदि वह विशाल पैमाने पर संचलन चाहते हैं तो वित्तीय भार भी विशालकार्य पैमाने पर डालना चाहते हैं। और यहां पर उन्होंने 488.99 करोड़ रुपये की रिकार्ड लेवी का प्रस्ताव किया है। अतः यदि आप 1980 में इस नए शासन की स्थापना से लेकर वित्तीय वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 के प्रस्तावित बजट तक की गयीं समस्त बजटीय वृद्धियों को एक साथ जोड़े तो माल-भाड़े और यात्रीकिराये का कुल बढ़ा हुआ भार 1,309.16 करोड़ रुपये आयेगा। इतना भारी भार थोपा गया है। मैं रेल मन्त्री महोदय की कठिनाइयों को भली-भांति अनुभव करता हूं। क्योंकि बजट तैयार करते समय उन्हें उन कुछ हिफारिशों को ध्यान में रखना होता है जो कि रेलवे सुधार समिति, और उन विभिन्न समितियों ने की हैं, जो कि पहले नियुक्त की गई थीं और उन्हें रेलवे अभिसमय समिति की भी कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखना

पड़ता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि ह्रास आरक्षित निधि में वृद्धि की गई है। पेन्शन कोष में वृद्धि की गई है। लाभांश देनदारी में वृद्धि हुई है और कुछ सीमा तक इससे रेलवे का भार और बढ़ा है।

परन्तु महोदय, मैं यहां रेल मन्त्री महोदय को कुछ सर्जनात्मक प्रस्तावों का सुझाव दूंगा, जिससे कि माल-भाड़े और यात्री-किरायों में हेर-फेर वाले प्रबन्ध करके ही यह नहीं सोच लिया जाए कि वह आवश्यक वित्तीय भार को वहन करने में सफल रहेंगे और आवश्यक वित्तीय ढांचा खड़ा कर सकेंगे परन्तु मैं उनको सुझाव दूंगा कि वित्तीय समन्वयन हेतु केवल माल-भाड़े और यात्री-किरायों पर ही निर्भर करने का केवल अर्थ होगा कि एक लेख पाल का बजट।

मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अपने विभाग। मन्त्रालय में सफलता प्राप्त करें और इसलिए मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि केवल एक लेखपाल का ही वजट बना कर न रह जाएं। मैं चाहता हूं कि वे कुछ अभिनव वित्तीय परिवर्तन करें। मैं चाहता हूं कि वह रेलवे के समस्त वित्तीय ढांचे को बदल डालें। पहले कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि वह उन कदमों पर चलें, जिससे कि रेलवे-वित्त के ढांचे में और भी आधारभूत परिवर्तन लागू किए जा सकें, जिससे एक और बड़ी गुन्जाइस उपलब्ध हो सके जिससे कि वह उन अनेक योजनाओं को स्वयं ही पूरा कर सकें जिन्हें वह चाहते हैं और उसी के साथ-ही-साथ पिछड़े क्षेत्रों को वह आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो जाएगा जिसकी कि वे अपेक्षा करते हैं।

जहां तक वर्तमान ढांचे का सम्बन्ध है, इसमें हमें कुछ ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिला है। 1924 में, भारतीय रेलों के वित्त को आम वित्त से अलग कर दिया गया था अर्थात सामान्य वित्त से। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बर्ष 1924 से लेकर 1977 तक भारतीय रेलों का पूंजी-ढांचा पूर्णतया अपरिवर्तित रहा है। मैं रेलवे के किसी व्यक्ति विशेष को उल्लिखित करना नहीं चाहता हूं। परन्तु जब मुझे रेलवे के कुछ वित्तीय विशेषज्ञों से बातचीत करने का अवसर मिला और मैंने उनसे एक स्पष्ट और सरल-सा प्रश्न पूछा कि "1924 में रेलवे वित्त को आम राजस्व से अलग कर दिया गया था तो यह कैसे हुआ कि 1977 तक पूंजीगत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ?" तो विशेषज्ञों द्वारा दिया गया उत्तर था, "बस ऐसा ही हुआ और यह अपरिर्वातित ही रहा।"

ब्रिटिश शासन काल में जो प्रारम्भिक जड़ता विकसित हुई थी, हम उससे उस विशिष्ट प्रकार की जड़ता को विरासत में पा गये और हमने जड़ता को सक्रियता में बदलने से इन्कार कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलों का पूंजीगत ढ़ांचा 1924 से लेकर 1977 तक पूर्णतया अपरिर्वितत रहा। आपको यह जानकर आघात पहुंचेगा और आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलों के विभिन्न परिचालनों का 1977 तक पूंजी-ढ़ांचा क्या रहा। हमें सामान्य राजस्व से पूंजी उधार लेनी पड़ती है। हमें उस रेलवे प्रवर समिति द्वारा निश्चित किया गया 6 प्रतिशत लाभांश देना पड़ता है, जिसको कि वास्तव में लाभांश दर निश्चित करने और उस के साथ-साथ सहयोगी मामलों पर विचार करने का भार सौंपा गया है।

अब, अपनी नई सिफारिशों में उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि 6 प्रतिशत से बदलकर 6.5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। मैं उस विशिष्ट अवस्था पर बाद में विचार प्रकट करूंगा। पहले क्या हुआ था ? हम आम राजस्व से पूंजी-ढ़ांचा प्राप्त कर रहे थे और 6 प्रतिशत लाभांश दे रहे थे। जब कभी रेल राजस्व कम पड़ा तो लाभांश देनदारी और ऋण पर देय ब्याज केभुगतान हेतु रेलवे सामान्य राजस्व से ऋण लेती रही है। यह ब्याज सहित ऋण लेने जैसा ही था और उस पर फिर से ब्याज देना पड़ता है। अतः यह कुछ-कुछ चक्रवर्ती ब्याज जैसा ही था। मैं इस प्रकार के पूंजी-ढ़ांचे को समझ और पचा नहीं पाया। अतः एक पूंजी-ढ़ांचा समिति की स्थापना की गई। उन्हें कुछ माप दिए गये थे और उनसे पूंजीगत ढाचे की समस्या की गहराई में जाने के लिए कहा गया था तथा उनसे विगत की देना दारियों के प्रश्न, लाभांश के प्रश्न पर विचार करने और यह पता लगाने के लिए कहां गया कि क्या वे उस सारे ब्याज को बट्टेखाते में डाल सकते हैं जो कि विगत में भविष्य में देय था और यह कि जब कभी भी भविष्य में रेलवे को कमी पड़ेगी, कोई ऋण नहीं लिया जायेगा और लाभांश देनदारियों का भुगतान करने के लिए सामान्य राजस्व से लिए गये ऋण पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

सौभाग्य से 1977-78 में कुछ परिवर्तन लाये गये थे और 1978-79 में लागू किए गये थे कि अब से आगे रेलवे की लाभांश देन दारियों को केवल भविष्य के लिए विलम्बित देनदारियों के रूप में समझा जायेगा और इसलिए यदि रेलवे किसी विशिष्ट समय पर राजस्व की कमी अनुभव करती है तो उस मामले में उन्हें लाभांश देन दारियों को पूरा करने के लिए ब्याज सहित पैसा उधार लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए सभी लाभांश देनदारियों को विलम्बित देनदारिया माना गया।

रेलवे के पूंजीगत-ढ़ांचे में लागू किया गया यह केबल एक आराम था। मैं अपने मित्र श्री गनी खान चौधरी को सलाह देता हूं कि वह पूंजीगत ढ़ांचे की इस समस्या के बारे में गहराई से सोचें और उसमें और आगे भी परिवर्तन लाएं।

वित्त के और अन्य भी पहलू हैं जो कि लाभांश की दर और भारतीय रेलों के पूंजीगत-ढ़ांचे से सम्बद्ध हैं। विश्व के अन्य भागों की तरह, भारतीय रेलों पर भी भारी-भरकम सामाजिक भार, उत्तरदायित्व हैं और ये सामाजिक भार भारतीय रेलों को बनाने से सम्बद्ध नहीं हैं। उदाहरणार्थ भारतीय रेलें बहुत-सी ऐसी वस्तुओं को ढोंती हैं जिनकी कि परिचालन लागत कम होती है और उससे वास्तव में 100 करोड़ रुपये से अधिक का सामाजिक भार पड़ता है। कुछ अन्य यात्री-शायिक-सेवाएं भी हैं जो कि हानि में चल रही हैं। ऐसी घाटे वाली ब्रान्च-लाइने भी हैं जो कि रेलवे के लिए तो अलाभकर हो सकती हैं परन्तु पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आधार-भूत ढांचा प्रदान करने के विचार से वे अनिवार्य हैं। अतः दायित्व वहन करना पड़ेगा।

परन्तु प्रश्न यह है कि भारतीय रेलवे पर ये सब सामाजिक उत्तरदायित्व और बोझ क्यों डाले जाएं ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसके बाद ऐसी बहुत सी राहत समतियां हैं जो रेलवे द्वारा रियायती दरों पर ले जाई जाती है और वे पूर्वतः निःशुल्क होती हैं। विदेशों में सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं। और इसके साथ ही जहां तक लाभांश दर का संबंध हैं, जो कि छः प्रतिशत होना चाहिए था, मेरे विचार में रेलवे अभिसमय सतिति ने उसे इस बार 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। रेलवे अभिसमय समिति को इसे 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाने अथवा इसे उस सीमा तक घटाने का, जितना कुछ वर्ष पहले था, पूर्ण अधिकार है। मेरा विवाद निर्धारित किए गए लाभांश की दर की मात्र से नहीं है। रेलवे अभिसमय समिति से मेरा विवाद यह है कि वह लाभांश दर की समस्या को सामाजिक जिम्मेदारी से अलग करके हल कर रहे हैं। आप का कहना है कि 6 प्रतिशत लाभांश दर बहुत ही कम है अतः इसे 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

परन्तु इसके साथ ही आप इस वास्तविकता को भूल जाते हैं कि भारतीय रेलवे कार्यचालन लागत से भी कम पर वस्तुओं को ढोकर अत्यधिक सामाजिक जिम्मेवारी का वहन करके महान सामाजिक कार्य कर रहा है। वास्तव में वह अनेक सामाजिक उत्तरदायित्वों का वहन कर रहा है और मैं सभा को यह चुनौती दे सकता हूं कि शेष सम्पूर्ण विश्व में इस प्रकार की सभी सामाजिक जिम्मेवारियों का वहन संबंधित सरकार के राजस्व द्वारा किया जाता है।

भारत जैसे थोड़े से देशों में ही यह होता है कि सामाजिक दायित्व का भार रेल मंत्रालय पर डाल दिया जाता है और इसके फलस्वरूप उसके पास अन्य क्षेत्र नहीं रह जाते जिनमें कि वह अपना राजस्व को खर्च कर सकें। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यद्यपि रेलवे अभिसमय समिति को लाभांश की दर को 6 से 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की पूरी आजादी है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना भारतीय रेलवे ही है जो कि सबसे अधिक सामाजिक बोझ उठा रही है और लाभांश दर को यांत्रिक रूप से 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 1/2 प्रतिशत कर देना चाहिए। मैं इसे सामाजिक बोझ नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व कहना चाहूंगा। भारतीय रेलवे को इस सामाजिक दायित्व निभाने के लिए क्या सजा पुरस्कार के रूप में दी गई है? उनको कहा गया है कि वे सामाजिक दायित्व निभा कर और सामाजिक भार उठाकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसके लिये उन्हें अपना लाभांश की दर को 6 से 6.5% तक बढ़ाने की सजा दी जाती है। अच्छे कार्य करने के लिए और सामाजिक भार उठाने के लिए, हमारे गरीब रेल मंत्री को यह सजा पुरस्कार के रूप में दी जाती है। मैं चाहूंगा कि उन्हें अपने इस अतिरिक्त भार को जो कि सामाजिक बोझ है से मुक्त कर दिया जाये और इस हालत में अगर रेलवे अभिसमय समिति इसे 6 से 6.5 प्रतिशत की बजाय 7 प्रतिशत भी कर दिया जाये तों, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एक तरफ तो आप लाभांश बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ आप सामाजिक बोझ को बढ़ाने की भी अनुमति देते हैं, जिसके फलस्वरूप भारतीय रेलवे पर दोहरी मार पड़ रही है। मैं समझता हूं कि इस समस्या विशेष को सुलझाने की आवश्यकता है।

यह मेरा प्रस्ताव नहीं है कि शुरू करने के लिए पहले सामाजिक बोझ को कम किया

जाये। लेकिन कहीं से तो शुरूआत करनी ही होगी, इसलिए, सरकार यह फैसला कर सकती है कि किस हद तक भारतीय रेलवे से सामाजिक बोझ हटाकर, सामान्य राजस्व के ऊपर डाला जा सकता है, और उस सीमा तक भारतीय रेलवे को अपने विकास कार्यों के लिए अधिक पैसा मिल सकेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने एक नया नारा दिया है उन्होंने सुरक्षा-बचाव और समय की पाबन्दीका नारा दिया है। मैं रेलवे के सभी नारों से सहमत नहीं हूं। उदाहरण के तौर पर, शायद आपको पता होगा कि एक नारा था प० बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी में डुबो दो। "यह भी एक नारा था। असम में मैं एक अन्य कारण से इसका विरोधी था। मैंने कहा था कि माननीय मंत्री, प० बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी में मत फैंको क्योंकि, बंगाल की खाड़ी "लाल सागर" बन सकती है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि : अगर कोई सरकार दुर्व्यवहार करती है तो प० बंगाल के लोग उसे बंगाल की खाड़ी में फैंक देंग।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे खेद है मैं अपने कथन को शुद्ध करता हूं। माननीय मंत्री प० बंगाल के लोगों की तरफ से बोल रहे थे। मैं अपने कथन को सही करूंगा। लोग फैंक देंगे। यह ठीक है। प० बंगाल का जिक्र भी सही था। जिन लोगों को बंगाल की खाड़ी में फैंका जाना है, वह भी ठीक है, मेरी व्याख्या यह थी कि बंगाल की खाड़ी लाल सागर बन जायेगी, और इसीलिए मैं यह विशेष प्रस्ताव नहीं रखना चाहता हूं।

नारे पर लगाते हुये, एक बहुत अच्छा नारा है। माननीय मंत्री ने कहा था कि में, बचाव सुरक्षा और समय की पाबन्दी के लिए हूं। मैं इस नारे से बहुत खुश हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी टिप्पणियों को ज्यादा गम्भीरता से नहीं लेंगे, उन्हें हल्के से लेंगे। जब मैं कोई हवाला दूं तो, इसके केवल गम्भीर पहलू को ही गम्भीरता से लेंगे······

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वह गम्भीर नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने खुद ही यह कहा था। इसलिए जब मैं आपके बारे में भी कुछ टिप्पणी करूं, तो आप भी इसे गम्भीरता से न लें। मुझे आपके बारे में भी कुछ टिप्पणियां करनी हैं।

मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने सम्वाददाता सम्मेलन में कुछ वक्तव्य दिये। कुछ कथन वास्तव में प्रशंसा योग्य हैं। जहां तक उनके शुद्ध परिणाम और अन्तिम परिणाम का संबंध है, मैं इतना खुश नहीं हूं। वह चाहते हैं कि रेलवे में बचाव, सुरक्षा और समयनिष्ठा पूरी तरह से अपनाई जाये, इसके अलावा एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं ? उन्होंने सार्वजनिक रूप से सम्वाददाता सम्मेलन में कहा था कि क्योंकि इंजन ड्राइवर शराब पीते हैं इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने यही कहा था···

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कृपया सुनें

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप प्रत्येक चरण पर उत्तर देंगे ?

सभापति महोदय : इससे आपको सहायता मिलेगी । वह मान गए हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खांन चौधरी : मैंने यह कहा था कि मुझे बताया गया है कि कुछ इंजन ड्राईवर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं ।

प्रो०. मधु दंडवते : मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं किसी के सामने न झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं । मुझे रेल मंत्री के सामने झुकना चाहिए । इसलिए, प्रत्येक तीन मिनट बाद बैठने में मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मगर वह मुझे यहां हर बात का जवाब देना चाहेंगे तो अन्त में जवाब देने के लिए उनके पास कोई बात नहीं रह जाएगी । इसलिए उनके अन्तिम उत्तर के हित में, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हस्तक्षेप न करें। लेकिन अगर किसी क्षण आप चाहेंगे, तो मान जाऊंगा, और बैठ जाऊंगा

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : उस तरह हम आपकी अच्छी बातों से वंचित रह जायेंगे । कृपया ऐसा न करें ।

प्रो० मधु दंडवते : इसलिए, मैं इस मामले को गम्भीरता से उठा रहा था । यह इस विचार से नहीं था कि उनकी बदनामी की जाये, क्योंकि उस वक्तव्य के बाद वे कहेंगे कि "मुझे बताया गया है कि ।" जो कुछ बताया गया है वही प्रैस द्वारा जनता को भी बताया गया है। इसलिए यह आम धारणा बनती है कि शायद दुर्घटनायें, इंजन ड्राइवरों के शराब पीने के कारण ही होती हैं । मैं रेल मंत्री को वाइसराय, लार्ड कर्जन के समय हुई एक दुर्घटना से संबंधित रोचक किस्से की याद दिलाना चाहता हूं

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : यह भी एक कारण हो सकता है ।

श्री कमल नाथ : आप इतनी हल्की टिप्पणियां क्यों करते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : यह कोई हल्की टिप्पणियां नहीं है । वह अपना चेहरा कठोर क्यों बना रहे हैं । वह एक नौजवान हैं

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जरूरी नहीं कि किस्से बुरे ही हों । कृपया उन्हें बोलने दें ।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक बहुत अच्छा किस्सा है, क्योंकि इसमें नीति बनाने का काम मौजूद है । मैं बिना वजह कोई हंसी वाली बात नहीं लाना चाहता । मैं समझता हूं कि इस हंसी के टुकड़े में कुछ नीति बनाने का कार्य मौजूद है, जोकि लार्ड कर्जन के दिनों में इंजन ड्राईवर समझ सकते थे । जब लार्ड कर्जन भारत के वाइसराय थे और जब एक दफा विशेष रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, उनका सचिव और स्टाफ इंजन ड्राईवर के पास गए और बोले, शराब मत पीना । इंजन

चलाने में अधिक सावधानी बरतना। क्या तुम जानते हो कि इस रेल में भारत के वाइसराय यात्रा कर रहे हैं ? और इंजन के ड्राईवर ने वाइसराय के स्टाफ को उत्तर दिया कि, "तुम्हारा वाइसराय भाड़ में जाऐ। मुझे केवल वाइसराय की सुरक्षा की ही चिन्ता नहीं है। मुझे अपनी सुरक्षा का भी उतनी ही चिन्ता है। अगर मैं शराब पीता हूं और इंजन चलाने में सावधानी नहीं बरतता तो न केवल वाइसराय की ही जीवन बल्कि अन्य लोगों का जीवन भी खतरे में हो जाएगा और मेरा अपना जीवन भी खतरे में हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं बहुत सावधानी से गाड़ी चलाऊं।" श्रीमन्, इस किस्से से यह शिक्षा मिलती है और अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं और विभिन्न दुर्घटनाओं के उपलब्ध आंकड़ों से भी पता चलता है कि दुर्घटना के समय सबसे अधिक खतरा रेल इंजन के ड्राईवर और फायरमैन को होता है जो कि इंजन में होते हैं। इसलिए ज़ानबूझ कर कोई भी इंजन ड्राईवर लापरवाही नहीं करेगा। ड्राईवर को अपनी तथा रेल में सफर करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों समेत सभी यात्रियों के जीवन की रक्षा करनी होती है। इसलिए सारा दोष कुछ एक ड्राईवरों पर लगाना ठीक नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहत हूं कि अगर सुरक्षा की समस्या को सही ढंग से सुलझाना है तो

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रो० दंडवते के भाषण में व्यवधान न डालें।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, जहां तक सुरक्षा पक्ष का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री का कुछ ठोस कारणों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि सुरक्षा में बाधा के लिए जिम्मेदार हैं और अगर उनसे सही ढंग से निपटा जाए तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।

श्रीमन्, उन्हें उद्धृत किया गया है कि उन्होंने दुर्घटनाओं के लिए इंजन ड्राईवर को जिम्मेवार ठहराया है और उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा है कि थोड़े से समय में ही उनके द्वारा इस मन्त्रालय के मन्त्री बनने के बाद दुर्घटनाओं में 26% कमी आई है। अगर दुर्घटनाओं में 26% की कमी आई है तो मन्त्री महोदय को मुबारकवाद देता हूं।

उन्हें खुश होना चाहिए तथा ऐसे ही अनावश्यक रूप से इंजन ड्राईवरों पर आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, उन्हें उनका विश्वास जीतना चाहिए, अतः मैं कुछ ठोस सुझाव दे रहा हूं।

पहली सरकार ने पहले ही लोकोरनिंग कर्मचारियों के साथ समझौता किया है कि उन्हें 10 घंटे से अधिक लगातार कार्य पर नहीं लगाया जायेगा। यह समझौता सशक्त रूप से तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि यदि लोकोरनिंग स्टाफ थक जाता है और उनसे दस घंटे से अधिक काम करवाया जाता है तो उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा और वे गलतियां करेंगे। यह दस घंटे की ड्यूटी का नियम गम्भीरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

बहुत सी 'थ्रू फोर्मेशन' गाड़ियां हैं जो काफी दूरी तय करती हैं। हाल ही में यह पता चला है कि मध्य बिन्दुओं पर उचित जांच नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप उन गाड़ियों की सुरक्षा को खतरा होता है। मैं सुझाव देता हूं कि बीच-बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर इनकी जांच करने की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए।

महोदय, आपतकाल में, विशेष रूप से आप के इंजिनों में जहां पर फायरमैन काम कर रहे हों, यदि डकैत रेल चालक पर ही आक्रमण कर दें और यदि वह मारा गया तो निश्चित रूप से गाड़ी का विपथन हो जायेगा। मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है और मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे फायरमैनों को भाप के इंजिन चलाने की अनुमति देना बन्द कर दें।

महोदय, ऐसी बहुत सी मालगाड़ियां हैं जो गार्ड के बिना ही चलायी जाती हैं। यह खतरनाक प्रथा है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रथा को त्याग दें और प्रत्येक गाड़ी पर गार्ड रखा जाए।

महोदय जब फिश प्लेटों को हटाने से तोड़फोड़ होती है तो ये दुर्घटनायें सबसे खराब किस्म की होती हैं। कुछ आधुनिक तकनीकी शक्तियां हैं जिससे फिश प्लेटों को पूर्णतया हटाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि रेल प्रशासन को लांग "वेडेड और शार्ट वेडेड" रेलों द्वारा जिनमें प्लेटों को पूर्णतः हटा दिया जाता है, फिश प्लेटों को हटा देना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाए तो तोड़-फोड़ से होने वाली सभी दुर्घटनायें पूर्णतः समाप्त हो सकती हैं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

महोदय, लाईनों के प्राथमिक नवीकरण की आवश्यकता है। आर्थिक समीक्षा में यह दिखाया गया है कि 31-3-81 को 14,000 से अधिक लाईनों के प्राथमिक नवीकरण की आवश्यकता है। यदि प्राथमिक-नवीकरण नहीं किये जाते तो उनमें बहुत अधिक दरारें पड़ जाएंगी जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

अतः मैं सरकार से इस बात के लिए अपील करूंगा और यहां पर मैं रेल मंत्री का समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग से करता हूं। क्योंकि आने वाली पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाईनों का पूर्ण नवीकरण पूरा किया जाना है। मैं रेल मंत्री को लाईनों के नवीकरण के लिए अधिक आबंटन की मांग का समर्थन करता हूं ताकि बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

स्वतः सिगनल प्रणाली, विशेषतः उपनगरीय रेलों की, प्रणाली बिल्कुल पुरानी हो गयी है और इसमें पूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है और विश्वास है कि रेल मन्त्री इस पर ध्यान देंगे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्वतः चेतावनी प्रणाली बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही थी। स्वतः चेतावनी प्रणाली में रेलवे रास्तों पर चुम्बक जैसी कुछ तरकीबों को फिर किया जाता है। परन्तु ये चोरों तथा लुटेरों द्वारा चुरा ली गयी हैं और उस प्रणाली को

ही छोड़ दिया गया। मैं चाहूंगा कि स्वतः चेतावनी प्रणाली अधिक घनी लाईनों पर विशेष रूप से शुरू की जानी चाहिए हावड़ा बर्दवान लाईन पर यह पहले ही हो चुका है। स्वतः चेतावनी प्रणाली हावड़ा बर्दवान लाईन पर परिचालित की जा रही थी। एक भी दुर्घटना पर टक्कर नहीं हुई। मैं मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे स्वतः चेतवानी प्रणाली पर कुछ और अधिक खर्च कर दें ताकि टक्कर आदि से होने वाली दुर्घटनाओं का पूर्णतः समाप्त किया जा सके।

रेलवे जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। ऐसी कुछ सिफारिशें हैं जिनसे कर्मचारियों का गहरा सम्बन्ध है। यह कहा गया है कि भर्ती, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति नीति सिगनलिंग तथा इन्टरलाकिंग में सुधार तथा कोचों, माल चल-स्टाफ गाड़ियों तथा उत्प्रेरक शक्तियों में सुधार के सम्बन्ध में रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ये स्वयं सरकार द्वारा स्थापित की गयी समिति की सिफारिशें हैं यदि कर्मचारियों तथा उपस्करों से से सम्बन्धित सिफारिशों को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो बेहतर सुरक्षा सम्भव हो सकती है।

एक और मुद्दा है जिस पर मैं माननीय रेल मंत्री को ध्यान देना चाहिए। ऐसी बहुत सी दुर्घटनायें हैं जो बिना चौकीदार वाले फाटकों पर होती हैं। मैं माननीय मंत्री से पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखने का निवेदन करूंगा। उनको मालूम होगा कि एक वर्ष में इन ऐसे फाटकों पर 100 दुर्घनायें हुई हैं। क्या कठिनाई है ? उन पर चौकीदार नियुक्त क्यों नहीं कर दिया जाता। यह ऐसा क्यों हैं कारण यह है। रेलवे द्वारा सांविधिक प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि फाटकों पर कर्मी दल की व्यवस्था करने पर आने वाले खर्च तथा उस पर बार-बार होने वाले खर्च का महत्वपूर्ण भाग स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। रेलवे प्रशासन का यह अनुभव रहा है कि यद्यपि यह सांविधिक प्रावधान है फिर भी कोई नगर निगम, कोई, ग्राम पंचायत, कोई जिला परिषद इस खर्च को वहन करने के लिए आगे नहीं आती। फलस्वरूप जिन रेल फाटकों पर चौकीदार नहीं हैं वे बिना चौकीदारों के रह गये हैं। और इस-लिए मैं एक ठोस सुझाव देना चाहूंगा। इस समस्या की तकनीकी बातों पर न देश में उन सभी ऐसे फाटकों का पता लगाया जाए जहां पर दुर्घटनाओं और टक्कर की सम्भावना हो और यह निर्णय लिया जाए कि रेलवे इस कार्य के लिए अपनी निधि से खर्च करेगी ताकि चौकीदार दल रहित फाटकों की वजह से होने वाली प्रतिवर्ष लगभग 100 दुर्घटनाओं को टाला जा सके। पिछले आंकड़ों से पता चलता है कि इसकी वजह से औस्तन 100 दुर्घटनायें प्रतिवर्ष होती रही हैं। अतः यदि इस समस्या को सुलझा लिया जाए तो दुर्घटनाओं की इस दर का पूर्णतः विलोपन हो जाएगा और यह कदम सही दिशा में है।

एक बात और है जिसका सुझाव दूंगा और मुझे आशा और विश्वास है कि मन्त्री इस पर उचित ध्यान देंगे।

यह बहुत आवश्यक है कि यदि रेलवे द्वारा निगरानी-विशेष रूप से मंत्री द्वारा को सुधारना है तो रेल मन्त्री तथा विभिन्न मजदूर संगठनों, रेल मन्त्री तथा रेल अधिकारी संघ, रेल मन्त्री तथा

विभिन्न विशेषज्ञ, रेल मंत्री तथा रेलवे बोर्ड के सदस्य, रेल मन्त्री तथा भारतीय रेलों के वित्त प्रभारी अधिकारी, आदि इनके सबके बीच अच्छा सम्बन्ध होना चाहिए। भारतीय रेलों के विभिन्न विभागों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए। मैं आपको यह भारतीय रेलों में अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं तीन रेलवे विंग ऐसी है जिनमें इन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में बहुत बिगाड़ आ गया है। वे हैं, यातायात विंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग तथा सिविल इंजीनियरिंग विंग। इन तीनों विंगों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एक दम आवश्यक है। यह रेलवे के कुशल कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं। पिछले कुछ वर्षों तथा महीनों से इन तीनों विंगों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पूर्णत: गड़बड़ हो गया है। मैं इस का दोष किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं डालना चाहता। मैं रेल मन्त्री पर दोष नहीं डालना चाहता। परन्तु मैं उन्हें एक दोस्ताना चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक इन तीन विंगों के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझाया नहीं जाता और अधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना नहीं की जाती तब तक आप पिछले कई वर्षों से चली आ रही कार्य कुशलता को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो सकेंगे। कार्य-व्यापार को जारी नहीं रखे जा सकेंगे धन को भी जारी नहीं रखा जा सकेगा इसलिए इन सबके बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक हैं।

महोदय एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैं रेल मन्त्री द्वारा पूर्ण रूप से सजग होकर दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में पुनः उठाना चाहूंगा। मैं किसी उद्देश्य का दोषारोपण नहीं करना चाहता। एक प्रैस सम्मेलन में उन्होंने रेलवे बोर्ड, सदस्यों, अधिकारियों, तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ कहा था। वह आन्ध्र प्रदेश में कुछ गाड़ियों के रद्द किए जाने पर बड़े परेशान थे और गाड़ियों को रद्द किए जाने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि "मैं गाड़ियों को इस प्रकार से रद्द किए जाने को सहन नहीं करने जा रहा हूं। महोदय मैंने प्रश्नकाल में भी इस पर प्रश्न उठाया था परन्तु माननीय मंत्री ने सैद्धान्तिक उत्तर दे दिया कि एक प्रजातान्त्रिक देश में जनता-ही सर्वोच्च होती है। और कौन-सी गाड़िया चलनी चाहिए इसका निर्णय उन्हीं को करना चाहिए। जैसे कि रेलवे का सम्पूर्ण प्रशासन तथा कार्यकरण जन सभायें एकत्र करके और उनसे यह पूछ कर ही कि कौन सी गाड़ियां चलायी जानी है और कौन सी रद्द की जानी है, चलाया जाता है। महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय के कार्यकरण को भली प्रकार जानता हूं और आपको बता सकता हूं कि कि जहां तक यातायात रेलवे की प्राथमिकता का सम्बन्ध है इसके बारे में निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। प्रधानमन्त्री यातायात की प्राथमिकता का निर्णय नहीं लेती, रेल मन्त्री यातायात की प्राथमिकता का निर्णय नहीं लेता, रेल अधिकारी यातायात की प्राथमिकता का निर्णय नहीं लेते परन्तु रेल मन्त्रालय-रेल यातायात के बारे में निर्णय लेता है तथा इसकी पुष्टि देश के मंत्रिमडल द्वारा की जाती है। फिर ये रेलवे परिचालकों को दी जाती है कि ये प्राथमिकतायें हैं। प्राथमिकतायें क्या हैं? रक्षा, खाद्यान्नों के परिवहन तथा देश में ऊर्जा स्टेशनों को कोयले के परिवहन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यदि हमसे बाधा पड़ गई तो जनता को भुगतना पड़ेगा, यात्री आवागमन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अतः उच्च प्राथमिकता रक्षा, खाद्यान्नों के परिवहन तथा ऊर्जा स्टेशनों पर कोयले के परिवहन को दी जाती है। मन्त्रालय को प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय करना होता है और गरीब अधिकारीगण केवल इसको कार्यान्वित करते हैं। मन्त्री के लिए

प्रेस सम्मेलन बुलाकर अधिकारियों को यह कहना कि "मैं इसे सहन नहीं करने जा रहा क्योंकि आपने प्राथमिकताओं में परिवर्तन कर दिया है" बड़ा आसान है अधिकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं करते। आप और मैं सभा में आमने-सामने खड़े होकर एक दूसरे के तर्कों का उत्तर दे सकते हैं। परन्तु रेलवे बोर्ड के अधिकारी सभी क्षेत्रीय संकार्यों के अधिकारी, मण्डल स्तर के अधिकारी तथा अन्य रेलवे कर्मचारी कोई आवाज नहीं उठा सकते। वे आकर जनता के सामने अपना मत प्रकट नहीं कर सकते; उनके मुंह बंद हैं, लेकिन मधु दंडवते का मुंह बन्द नहीं है, वह अपनी आवाज उतनी ही जोर से उठा सकता है जितनी कि शून्य काल में उठाता है और अब भी बोल सकता है। मन्त्री महोदय को हमारे प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार है लेकिन अधिकारियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। रेल मन्त्रालय और रेलवे बोर्ड भिन्न-भिन्न नहीं हैं। यह एक संवैधानिक प्रावधान है कि रेलवे बोर्ड एक मंत्रालय के रूप में काम करता है और उसका मुखिया मन्त्री होता है। इसका अर्थ है रेल मन्त्री पूरे रेलवे बोर्ड का अभिन्न अंग है। वह यह नहीं कह सकते कि यह आपका काम है और यह मेरा काम है। यह रेलवे संगठन में रेल मन्त्री से लेकर निम्नतर स्तर तक पूरी रेलवे संरचना की सामूहिक सपत्ति है। यह उन सबका मंत्रालय है और उन सबको वहां काम करना है और इसलिए मन्त्री महोदय कभी यह रुख नहीं अपना सकते कि अच्छाई मेरी और बुराई तुम्हारी और यदि कोई असफलता मिली है तो दोष अधिकारियों पर लगाया जाता है। यह बात कहते हुए, मैं उन दिनों बजट पेश किए जाने का उल्लेख कर रहा हूं, जब मैंने उसे सदन में प्रस्तुत किया था। मैं भारतीय रेलवे के सभी अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि "मैं रेलवे की सभी असफलताओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगा और उसे कर्मचारियों या अधिकारियों के कंधों पर कभी नहीं डालूंगा क्योंकि अच्छाई मेरी और बुराई तुम्हारी वाली विचार धारा मेरी नहीं है।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय उस आदर्श-वाक्य का अनुसरण न करें बल्कि इस आदर्श का करें कि सफलता और असफलता से हम बराबर के भागीदार हैं। पूरे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को एक परिवार की तरह काम करना है। सब कार्य इस तरह से होना चाहिये। अतः प्राथमिकताएं अधिकारियों की नहीं है। वे प्राथमिकताएं अधिकारियों की नहीं है, वे मंत्रियों की प्राथमिकताएं नहीं है। मैं मंत्री महोदय को भी दोष नहीं देता। यह कुल मिलाकर मंत्रालय की प्राथमिकता है और अधिकारियों को उन्हें कार्यान्वित करना है। वलि का बकरा बनाने का प्रयत्न मत कीजिए क्योंकि संसद में उनकी कोई सुनवाई नहीं है।

महोदय, मैं रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में बहुत संक्षेप में कहूंगा। महोदय, मंत्री महोदय का दावा है कि उद्योगों में शांति है। मैं नहीं कहता कि वह शांति आदर्श रूप में है। मैं चाहता हूं कि औद्योगिक शांति आगे और बढ़नी चाहिये। लेकिन वह कहते हैं कि जहां तक रेलवे की समस्याओं का संबंध है, हमारी कोई समस्या नहीं है क्योंकि स्थायी संधि-तंत्र रेलवे कर्मचारियों की सभी शिकायतों पर ध्यान दे रहा है। संभवतः वह यह नहीं समझते कि जहां तक रेलवे का संबंध है, स्थायी संधि तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र छिन्न-भिन्न हो गया है क्योंकि रेल मंत्रालय,

ने 8 जनवरी, 15 जनवरी, और 25 जनवरी 1982 को हुई कैडर स्ट्रकचररल समिति की बैठकों के 13वें और 14वें प्रतिवेदन में स्वीकार किए गए निष्कर्षों को लागू नहीं किया है। यही कारण है कि ये दोनों तन्त्र पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। महोदय, अन्तः स्वर्गीय तथा सी० आई० टी० यू० और ए० आई० टी० यू० सी० के अन्य संगठनों से संबंधित कुछ मजदूर संघ हैं। वे उन तथ्यों का पता लगायेंगे कि जहां तक इन दो तन्त्रों का संबंध है, वे रेलवे में पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गए हैं। महोदय उन तन्त्र को पुनः स्थापित करना होगा। जहां तक रेलवे में वर्गीकरण ट्राइब्यूनलों का संबंध है, अन्तरिम सिफारिशें दी गई थीं। वे सिफारिशें 1978 में लागू की गई थीं। लेकिन वर्गीकरण ट्राइब्यूनल की अन्तिम रिपोर्ट आने से पहले ही, यह न्यायाधिकरण विशेष पहले ही समाप्त हो चुका था और कुछ अवशिष्ट कार्य विना हुए रह गया था। उसके परिणामस्वरूप हमने देखा कि कुशल कर्मचारियों के पुनः वर्गीकरण संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पूर्ण तथा कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अतः सरकार तथा रेलवे को यह निर्णय करना होगा कि चूंकि न्यायाधिकरण को समय से पहले ही भंग कर दिया गया है, अतः यह देखने के लिए क्या रूपरेखा बनाई जाएगी कि कारीगर कर्मचारियों के पुनः वर्गीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है।

महोदय, रेलवे कर्मचारियों की 20-सूत्री मांग भी हैं। मैं समझता हूं कि आप उनके साथ बातचीन आरम्भ करेंगे और समस्याओं का सौहार्दता से समाधान कर पायेंगे। रेलवे कर्मचारियों ने एक से अधिक बार संकेत दिए हैं कि उन्हें बातचीत का अवसर दिया जाये, वे तनाव दूर करना चाहते हैं। वे बातचीत के जरिये मामलों का समाधान करना चाहते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उनके साथ तनाव उत्पन्न न करें अथवा उन्हें डराये नहीं बल्कि मामलों को सुलझायें।

महोदय, चालू-कार्य, चाहे उन्हें किसी ने भी आरम्भ क्यों न किया हो, पूरे होने चाहिए। मंत्री महोदय से इसकी मांग करते हुए मैं अपने ही पूर्ववृत्त उद्धृत करता हूं। जब मैंने इस पद का कार्यभार संभाला था तो मैंने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि भले ही उन परियोजनाओं का कांग्रेस सरकार ने आरम्भ किया था, मैं उन पर अपनी सहमति दूंगा और अधिक आबंटन देकर उन्हें पूरा करके अगली परियोजना आरम्भ करूंगा। मैंने वह सब अपनाया था और मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय भी वही रुख अपनाये। केवल इस कारण से कि कुछ परियोजनाएं किसी अन्य शासन काल में आरम्भ की गई थीं, उनके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिये। इस सम्बन्ध में मराठ वाड़ा के हमारे मित्र जिन्होंने इस मामले को उठाया, कहा कि मराठवाड़ा में 'रेल रोको' आंदोलन चल रहा है। महोदय, उसमें कांग्रेस (आई) तथा विपक्षी दल के सदस्य भाग ले रहे हैं। पूरा मराठवाड़ा इस बात से सहमत है कि परियोजना योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इसको बजट में प्रस्तुत किया गया था, अधिक धनराशि भी दी गयी थी; लेकिन अचानक धनराशि घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी। यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। अतः चाहे वह मराठवाड़ा मनमद पर बनी परियोजना हो, लातूर परियोजना, समस्तीपुर परियोजना या पश्चिमी तट परियोजना हो वह महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक से आरम्भ होकर अंततः तमिलनाडु और केरल को प्रभावित करेगी। महोदय, इन सब परियोजनाओं को आरम्भ करना चाहिए तथा इन सभी पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगा कि जहां तक भारतीय रेलवे का सम्बन्ध है, वे मात्र विकास की आधारभूत सुविधाएं नहीं है बल्कि वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के समूचे विकास का महत्वपूर्ण मूलभूत पहलू भी है। इसलिए मैं देखता हूं कि आज विभिन्न आर्थिक मंत्रालय जैसे, ऊर्जा—विद्युत, इस्पात तथाभारतीय रेलवे आदि के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाये तथा यदि सभी आर्थिक मंत्रालय के बीच अधिक समन्वय हो जाता है तो वे न केवल अधारभूत दृष्टिकोण से रेलवे शक्तिशाली हो जाएगी बल्कि हमें आशा है कि भारतीय रेलवे अपनी कार्यकुशलता से यह सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे पायेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था और समृद्ध ही, अधिक स्थायी बने ताकि भारतीय रेलवे के मूलाधार पर अधिक स्वस्थ, स्वतन्त्र और विकसित भारत का निर्माण किया जा सके ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, इस संसद में पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि यहां एक अध्यापक उपस्थित है और मंत्री महोदय की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं। मुझे सचमुच खुशी है कि मेरे पूर्ववक्ता द्वारा बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं। मुझे उन चुनौतियों के बारे में पता है जिसका हमारे रेलवे को सामना करना पड़ रहा है। पटरियों का नवीकरण किया जाना है, स्टीम इंजनों को चरणबद्ध रूप से बदलना है, तथा आधुनिकीकरण और बहुत से अन्य कार्य किये जाने हैं। धन की कमी ही हमारी सीमाबद्धता है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे रेल मंत्री ने हर संभव संसाधन प्रदान करने का प्रयत्न करके बहुत सराहनीय कार्य किया है और अगले वर्ष और भी अधिक कुशल सेवाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यहां चलते हुए मैं मराठ़वाड़ा, महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों से हो रहे आंदोलन को नहीं भूल सकता। आप जानते ही हैं कि मराठवाड़ा भूतपूर्व पूर्वी निजाम राज्य का हिस्सा था। जहां तक सड़कें बनाने, रेलवे का निर्माण करने और सिंचाई सुविधाओं का संबंध है इस मराठी भाषी क्षेत्र की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। पहली बार जब हमारा क्षेत्र द्विभाषी बम्बई राज्य में आया तब इन परियोजनाओं को शुरू किया गया। 1957 से लेकर हम सभी—श्री शंकर राव चौहान, जो तत्कालीन उप मंत्री थे और बाद में मुख्य मंत्री बन गए—इस बात का आग्रह करते आए हैं कि न केवल मनमंदता औरंगाबाद लाइन बल्कि मनमद-परमनी लाइन और आगे आदिलबाद तक इस लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। वर्ष 1978 में, प्रो॰ मधु दंडवते द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि यह कार्य 1984 तक पूरा कर लिया जायेगा लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज तक हम इस परियोजना पर मुश्किल से 4 करोड़ रुपये खर्च कर पाये हैं। न केवल इतना ही नहीं, इस घाव पर नमक छिड़कने के लिए पिछले वर्ष जिन अधिकारियों को इस कार्य के लिए यहां नियुक्त किया गया था, उनका औरंगाबाद से स्थानान्तरण कर दिया गया। यही नहीं, उनके परिवर्तन के लिए जो सामान भेजा गया था उसे भी वहां से अन्यत्र भेज दिया गया। आप लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसा कि मधु दंडवते ने कहा और जैसा कि रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यदि हम कार्य आरम्भ करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिये। वास्तव में, सरकार को वह रुख अपनाना चाहिये लेकिन सरकार ने पूर्णतः उसकी उपेक्षा की है और यही कारण है कि आज हमें इस आंदोलन का सामना करना पड़ा है।

इस अवसर पर, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस लाइन को बदलने के लिए जितना संभव हो उतना धन देने का हर संभव प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि यह काम कम से कम 1984-85 तक अवश्य यह पूरा हो जाये, केवल तभी आंदोलनकारी शान्त होंगे। अन्यथा इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा।

मेरे मित्र ने कहा है कि योजना आयोग यह कार्य कर सकता है। जब तक मंत्री महोदय इसके लिए न कहें योजना आयोग क्या कर सकता है। रेल मंत्री को इसके लिए कहना होगा केवल तभी आयोग इसके लिए व्यवस्था करेगी। यह काम स्वतः नहीं हो सकते। मौखिक प्रश्न पूछते हुए मैंने कहा था कि अपनी बातें कहने का रेलवे का अपना तरीका है।

महोदय, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। 17 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन रेलवे उप-मंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने यह कहा था कि "परबनी-मुदखेड-आदिलाबाद लाइन को बदलने का सर्वेक्षण किया जायेगा। इसका पुनः सर्वेक्षण कराना पड़ेगा तथा अगले वर्ष अन्तिम स्थल-सर्वेक्षण किया जायेगा और छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा।" यह बात 17 दिसम्बर, 1981 को कही गई थी। इसके पश्चात जब यह समाचार माराठवाड़ा के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो कुछ लोग रेलवे बोर्ड के पास पहुंचे तथा रेलवे बोर्ड के सचिव ने सचखण्ड हुजूर साहिब, नानदेड़ के सचिव को यह सूचित किया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है अतः किसी प्रकार के आश्वासन का कोई प्रश्न ही नहीं है। मै यह नहीं समझ पाया हूं कि इसका क्या तात्पर्य है। क्या वे लोगों में असंतोष उत्पन्न करना चाहते हैं? जब मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य दे दिया था तो रेलवे बोर्ड के सचिव को सचखण्ड हुजूर साहिब को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी जिसमें यह कहा गया था कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है? मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि इस प्रकार की बातें क्यों की जाती हैं।

एक अन्य अवसर पर भी मैंने दो लाइट इन्जनों की भिड़न्त के बारे में पूछा था। आपने श्रम क्षेत्र में कार्य किया है आप यह जानते हैं कि लाइट इंजनों को कब भेजा जाता है। इन इंजनों को तब भेजा जाता है जबकि सिगनल प्रणाली पूर्णतः विफल हो जाती है। मुदखेड़ आदिलाबाद 2005 पर सिगनल प्रणाली के विफल हो जाने के कारण दो हल्के इंजनों को भेजा गया था। महा-प्रबन्धक ने यह स्वीकार किया है कि संचार व्यवस्था पूर्णत विफल हो गई थी। लेकिन संचार का माध्यम क्या है? संचार का स्रोत सिगनल व्यवस्था है। वह इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की बातें क्यों की जाती है। क्या वे लोगों को नाराज करना चाहते हैं अथवा वे लोगों के बीच कटुता उत्पन्न करना चाहते हैं? क्या रेलवे मंत्रालय के लोगों को इस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहिए तथा हुजूर साहिब के सचिव को इस प्रकार गैर-जिम्मेदारी से पत्र लिखना चाहिए?

महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक अन्य उदाहरण भी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बम्बई-हावड़ा लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। बम्बई से भूसावल तक की लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा दूसरी ओर दुर्ग से कलकत्ता लाइन भी विद्युतीकृत है। लेकिन

समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि नागपुर के पास अजनी में जो कार्यालय खोले गये थे और वहां जो सामान भेजा गया था हाल ही में वहां की लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए एक समाचार के अनुसार इटारसी भेज दिया गया है । मैं यह नहीं जान पाया हूं कि रेलवे के अधिकारी ऐसी बातों में अन्तर्ग्रस्त क्यों होते हैं जिससे लोगों के मन में अनावश्यक कटुता उत्पन्न होती है । मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रकार की बातें न कहें ।

इस विषय पर बोलते हुए मैं कुछ अन्य बातों का उल्लेख भी करना चाहता हूं । जी० आर० पी० बनाई है । यह जी० आर० पी० राज्य सरकार के अधीन होती है । कुछ समय पूर्व जब हमने कलकत्ता का दौरा किया था तो हमारे ध्यान में इस बात को लाया गया था कि जी० आर० पी० रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है और वे इनकी बात नहीं मानते हैं और वे उचित रूप से कार्य नहीं करते हैं । हमें यह बताया गया था । कि उनके वेतन का 50 प्रतिशत भाग का भुगतान रेलवे द्वारा किया जाता है तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको रेलवे विभाग के अधीन नहीं लाया जा सकता है ? क्या इसके लिए किसी सविधान अथवा किसी अधिनियम के संशोधन करने की आवश्यकता है ? यदि ऐसा है तो इसका संशोधन किया जाना चाहिए ।

मैं एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं । हाल ही में दो महीने पूर्व सोलापुर में एक टिकट निरीक्षक कुछ लोगों के पास गया और उनसे टिकट मांगा । वे रेलवे पुलिस के व्यक्ति थे जो सिविल ड्रैस में यात्रा कर रहे थे । उन्होंने उससे कहा "आप कौन हैं ?" उसने उनको बताया "मैं टिकट निरीक्षक हूं । कृपया आप मुझे अपने टिकट दिखाइये ।" तब उन्होंने उससे कहा "क्या आप यह नहीं जानते हैं, कि हम कौन हैं ? हम रेलवे पुलिस के कार्मिक हैं ।" जब उन्होंने टिकट नहीं दिखाये तो वह चला गया और टिकट मांगने के लिए अपने अधिकारी को बुला लाया । जब उसका अधिकारी आया तब न केवल टिकट निरीक्षक ही बल्कि अधिकारी को भी रेलवे पुलिस द्वारा पीटा गया । यह एक गम्भीर मामला है । मैं यह चाहता हूं कि श्री गनी खान चौधरी साहब, जो कि एक अच्छे व्यवित हैं इस मामले में कोई निर्णय लेंगे और कुछ ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे प्रशासन को कुशलता से चलाने में रेलवे के अधिकारियों को सहायता मिले और रेलवे प्रशासन में अव्यवस्था न रहे ।

पुरना में एक डिवीजन स्थापित करने की मांग काफी समय से की जाती रही है । पिछले वर्ष भी मैंने इसकी मांग की थी । अब भी मैं इसकी मांग कर रहा हूं । मैं चाहता हूं कि पुरना में एक डिवीजन हो जिसमें केवल मीटर गैज को सम्मिलित किया जाये । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण मध्य रेलवे में केवल दो डिवीजन हैं जो सिकन्द्राबाद में हैं । अधिकारियों ने हमें बताया है कि कलकत्ता में दो जोन है तथा बम्बई में भी दो जोन हैं । हम एक स्थान पर दो डिवीजनें क्यों नहीं रख सकते हैं ? हमें पूर्व उद्धरणों पर नहीं जाना चाहिए । रेलवे में अधिक कुशलता आनी चाहिए । यदि अधिकारी गण ऐसे स्थानों को जाते हैं, जहां पर गाड़ियां चलती हैं तो इससे कुशलता में वृद्धि होगी, जैसा कि जालंधर के मामले में किया गया था ।

चूंकि मारठवाड़ा क्षेत्र से आता हूं इसलिए मैं एलोरा गाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस गाड़ी का उद्घाटन श्री शंकरराव चव्हाण द्वारा कुछ समय पूर्व किया गया था, जबकि वे मुख्य मंत्री थे। इस गाड़ी को चलाने का उद्देश्य यह था कि बम्बई के साथ शीघ्र सम्पर्क किया जाये। लोग सुबह ही मनमाड पहुंच जाते हैं वे ऐसा सामान लाते हैं जिसको डबल डेकर कोचों में नहीं रखा जा सकता है दुर्भाग्यवश पंचवटी एक्सप्रेस में साधारण द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में सीटों का कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। जो लोग मराठवाड़ा अथवा एलोरा एक्सप्रेस से आते हैं, उनको डबल डेकर कोचों द्वारा जाने के लिए कहा जाता है। पिछले वर्ष मैं इस बात को मंत्री महोदय के ध्यान में लाया था। लेकिन संभवतः वह अन्य मामलों में व्यस्थ थे और इसलिए वे मेरी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे सके। अब मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे एक उपयुक्त उत्तर दें, जो सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के अनुरूप हों।

मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिए अत्यधिक अभारी हूं कि उन्होंने परबनी-मुदखेड आदिलावाद लाइन को परिवर्तित करने तथा आदिलाबाद-पिपलीखुटी बड़ी लाइन को वरीयता देकर सर्वेक्षण कराया है। मैं उन्हें केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे मराठवाड़ा विशेषतः मनमाड-औरंगाबाद सेक्शन के लिए अधिक धनराशियां उपलब्ध कराये ताकि इस कार्य को 1984-85 तक पूरा किया जा सके। ऐसा करने से उत्तेजित लोग यह संतुष्टि महसूस करेंगे कि उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और जो निराशा उत्पन्न हुई है, वह समाप्त हो जायेगी।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें पुनः एक बार पारस्परिक भारत की अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय रेलों के स्थापना पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

प्रारम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलों की गंभीर संकटपूर्ण स्थिति है। रेलवे द्वारा यह दावा किया जाता है कि वे देश में सबसे बड़े नियोजक हैं। इस वर्ष इनके द्वारा विश्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण लिया गया, लेकिन यह ऋण कुछ शर्तों के साथ लिया गया है। तृतीय तथा चतुर्थ जनन कम्प्यूटरों के स्थापन से न केवल आगे से रेलों में रोजगार के अवसर समाप्त हो जायेंगे बल्कि गैंगमैनों तथा इन्जीनियरिंग स्टाफ जैसे हजारों नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी भी होगी।

कार्यभार में वृद्धि करने तथा सेवामुक्त व्यक्तियों को दैनिक वेतन पर रोजगार देने की शासकीय नीति से भी रोजगार में कमी तथा रोजगार की संभावनाओं में कटौती की प्रक्रिया में और भी वृद्धिहु ई है। सरकार ने एक नीति निर्णय किया है कि सभी भाप इंजनों का चरणबद्ध रूप में इस्तेमाल बन्द किया जाए तथा विशेषतः लोको शेड्स स्टीम लोको शेड्स को बन्द किया जाए। इन लोको शेडों के बन्द करने से वे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे जो पिछले 15 अथवा 20 वर्षों से कोयले तथा राख के कार्य को संभालने में व्यस्त हैं। वहां कोई आयोजन नहीं है, रेलों को एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजरना पड़ रहा है। जो आर्थिक सर्वेक्षण हमें दिया गया है उसमें

यह बताया गया है कि भारतीय रेलों की क्षमता का अभी तक भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

जहां तक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में तथा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में लोकोमोटिव्स के उत्पादन का सम्बन्ध है, इन दोनों ही लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 विद्युत इंजनों का आयात करने का निर्णय लिया गया है। कुछ समय पहले टेलीग्राफ पेपर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। मैं उस समाचार-पत्र की रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हूं।

अब भारतीय रेलों द्वारा स्वयं यह वचन दिया गया है कि कम से कम 20 ऐसी विद्युत इंजनों को आयात किया जाएगा, जिसमें से एक को विदेशी सहयोग से निर्माण के लिए चुना जाएगा।

ए० सी० विद्युत इंजनों को आयात करने का कार्य 1978 में प्रारम्भ किया गया था, जब कि रेल मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक से धन मांगा गया था, ताकि चितरंजन में इसकी अपनी उत्पादन इकाई को विद्युत इंजनों का खरीद आदेश दिया जा सके। इस अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया था, और इसके बदले विदेशी कम्पनियों के सहयोग के उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा "आल्को" (ए० एल० सी० ओ०) अथवा जनरल मोटर्स लोकोमोटिव से खरीद करने हेतु धन देने की पेशकश की गई।

यद्यपि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करने की क्षमता है, फिर भी 20 इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव का आयात किया जा रहा है। उनका आयात क्यों किया जा रहा है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का 52 लाख रुपए व्यय करने के बाद सितम्बर, 1981 में डीजल। इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण का कार्यक्रम क्यों छोड़ दिया गया? इस कार्यक्रम की मूल योजना के अन्तर्गत इसमें 3.7 करोड़ रुपए की लागत पर 1350 अश्व शक्ति के 25 डीजल। इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने की व्यवस्था थी। आर० डो० एस० ओ० एवं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इन लोकोमोटिव के कार्यचालन सम्बन्धी मानदण्डों के परीक्षण एवं उसके उन्नयन के लिए लगातार कार्य कर रहे थे किन्तु रेलवे बोर्ड ने अचानक आदेश देकर इस कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया। आप 'इयर बुक' में देखेंगे कि चलने वाले वैगन 1979-80 में 391 हजार से कम होकर 1981-82 में 379 हजार रह गए। मालडिब्बों की कुल क्षमता 1980-81 में 11.14 मिलियन से कम होकर 1981-82 में 10.97 रह गई। इसे रेलवे का अत्यधिक सन्तोषजनक कार्य नहीं कहा जा सका।

अब मैं विभिन्न योजना, जिसे 1976 में 15 वर्ष के लिए आरम्भ किया गया था, के बारे में कहूंगा। उस समय 1980-81 वर्ष के लिए सवारी गाड़ियों का अनुमानित लक्ष्य 174 मिलियन किलोमीटर निर्धारित किया गया था जब कि 1981-82 में सवारी गाड़ियों का यह किलोमीटर बढ़ कर 176 मिलियन हो गया। अतः समूची निगमित योजना बिगड़ गई है

एक बार एक समिति बैठक में मैंने सवारी डिब्बों में वृद्धि के बारे में रिपोर्ट का जिक्र किया था किन्तु सरकार ने इस रिपोर्ट के इस हिस्सों को नहीं सराहा था। परिणामस्वरूप, रेल यात्रियों को अत्यधिक भीड़ के कारण गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है विशेष रूप उप नगरीय सेक्शन में जहां 1950-51 से 1981-82 की अवधि के दौरान रेल यात्रियों में 571 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि रेल यात्री डिब्बों में केवल 478 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। गैर-उप-नगरीय सेक्शन में समस्या और भी गम्भीर है जहां यात्री किलोमीटर बढ़कर 195 प्रतिशत हो गया है जब कि यात्री डिब्बों में केवल 70 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

रेल मन्त्री महोदय ने अब एक नया नारा दिया है, "सुरक्षा, बचाव और समय पाबन्दी"। अब हमें यह देखना है कि इस सम्बन्ध में कितने गम्भीर हैं। 'आर्थिक सर्वेक्षण' जो हमें दिया है, में यह बताया गया है कि रेलवे में सन्तोषजनक उत्पादन का कारण 1980 के अन्त में किए गए चालन सम्बन्धी नए परिवर्तन हैं। उस समय रेल मन्त्री श्री केदार पाँडे थे जो कि अब मन्त्रिमंडल में नहीं हैं।

वे परिवर्तन क्या थे ? उस समय रेलवे में भाड़ा उन्मुख दृष्टिकोण गया अपनाया था। उस वर्ष 1982-83 से पहले के वर्ष में रेलवे का उल्लेखनीय कार्य क्या था ? आप देखेंगे कि उसी वर्ष रेल दुर्घटनाओं में 436 व्यक्ति मारे गए और 552 आदमी जख्मी हुए क्या यह उल्लेखनीय कार्य हैं ? पिछले वर्ष रेल बजट की चर्चा में भाग लेते हुए मैंने इसी सदन में कहा था कि आत्म हत्या के इच्छुक व्यक्ति को रेल पटरी पर लेटने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि रेलगाड़ी आएगी, बल्कि रेलगाड़ी में यात्रा करनी चाहिए ताकि उसकी मृत्यु गाड़ी दुर्घटना में हो जाए।

मैंने यह भी चेतावनी दी थी कि रोलिंग स्टाक की खराब स्थिति एवं पटरी के नवीनकरण का कार्य इकट्ठा होने के कारण अनेक इंजनों वाली लम्बी गाड़ी चलाना खतरनाक होगा। आपको मालूम होगा कि 2 दिसम्बर, 1982 ओ जारैकेला के पास एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 5-हावड़ा राउरकेला एक्सप्रैस गाड़ी बंदामुन्डा स्पेशल से टकरा गई थी। वह कैसे हुआ ? बंदामुन्डा स्पेशल गाड़ी में कई इंजन थे। गाड़ी तीन भागों में विभक्त हो गई, पहला हिस्सा इंजिन के साथ था, ड्राइवर जान नहीं सका कि वैक्यूम में कोई चिन्ह नहीं था। अतः वह पहले हिस्से में थे, और हावड़ा राउरकेला एक्सप्रैस गाड़ी आई और बंदामुन्डा स्पेशल के पिछले हिस्से से टकरा गई और परिणाम-स्वरूप 9 व्यक्ति मारे गये और अनेक यात्री घायल हुए। हमारी पार्टी के नेता, कामरेड समर मुखर्जी ने इसकी पूरी जांच की मांग की थी।

यदि ऐसा किया जाता तो अनेक बातें प्रकाश में आतीं। इस प्रकार सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। वह मालगाड़ी विशेष ब्रेक वैन के बिना चल रही थी। उस गाड़ी में गार्ड भी नहीं था और इस प्रकार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था। और भारत सरकार ने रेलवे में दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

अनेक समितियों की स्थापना की थी। तीन समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति कोन्या समिति थी, दूसरी बांचू तथा तीसरी सीकरी समिति थी। उन्होंने पूरे विषय की जांच की तथा कुछ सिफारिशें दी। और रेलवे सुधार समिति, जो कि उच्च-शक्ति प्राप्त समिति थी, ने अभी हाल में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब, मैं रेलवे सुधार समिति की रिपोर्ट, जिसमें उन तीन समितियों के द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं, से उद्धरण दूंगा :—

"इन समितियों ने दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में रेलवे के समूचे कार्यकरण की जांच की है, तथा रेलवे के सुरक्षा कार्य में सुधार के लिए अनेक सिफारिशें दी हैं। इन उच्च शक्ति प्राप्त समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों पर वांछित ध्यान नहीं दिया गया। यह इस रीति से स्पष्ट हो जाता है कि जिसके अन्तर्गत रेलवे बोर्ड में सिफारिश पर कार्यवाही की जाती है। उदाहरण के तौर पर, सीकरी समिति ने विचार व्यक्त किया था कि सिगनल एवं दूर संचार निरीक्षकों के कार्यभार के लिए मानदंड निर्धारित करने के बाद रेलवे बोर्ड को उन्हें कम से कम समय में कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए।' बोर्ड ने बताया है : "सिगनल एवं दूरसंचार निरीक्षकों की वित्त मन्त्रालय के परामर्श से संख्या निर्धारित करने के लिए मानदंडों के कार्यान्वयन के बारे में क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश जारी कर दिये गये थे, और आगे बताया गया है कि रेलवे की कठिन वित्तीय स्थिति की दृष्टि से सिफारिश का पूर्ण कार्यान्वयन, संसाधन स्थिति में सुधार के अनुसार, चरणों में करना होगा।"

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

"वांचू एवं सीकरी समिति द्वारा की गई अनेक सिफारिशें यद्यपि मान ली गई थी, किन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। अनेक मामलों में यद्यपि रेलवे बोर्ड अथवा क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, निचले स्तरों पर कार्यवाही नहीं की गई है। अत स्पष्ट है कि जब तक सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर गम्भीर कार्यवाही नहीं की जाती, सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार करने के ढंग में तथा उसे कार्यान्वित करने में निश्चित ही सुधार की आवश्यकता है। अनेक सिफारिशें प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण कार्यान्वित नहीं हो पाती।"

उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि सभी लोको मोटिव शेडों में लोकोमोटिव पर गति यन्त्र लगाए जाएं। यह रेलवे सुधार समिति की सिफारिश है :

"वांचू समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी लोकोमोटिव गाड़ियों पर गति-यन्त्रक लगाये जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि देश में ही एक उचित तथा भरोसेमंद गतियंत्रकों एवं गतिमापकों का निर्माण कर उन्हें प्रयोग में लाया जाए।"

सीकरी समिति के विचार इस प्रकार हैं :—

"वांचू समिति की स्वीकार की गई सिफारिश को अभी भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका है और इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड का दावा रेलवे द्वारा उपलब्ध की गई सूचना से मेल नहीं खाता है । रेलवे बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गतियन्त्रक एवं गतिमापक सभी लोकोमोटिव गाड़ियों में लगाए जाएं । कोई भी लोकोमोटिव गाड़ी के साथ लगने के लिए तब तक शेड से न निकाला जाए जब तक उसमें सही गति यंत्रक और गति मापक न लगाया जाए ।"

रेल सुधार समिति ने इस सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया है ।

यह सही है कि इस वर्ष रेल दुर्घटनाओं में कमी हुई है । ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि अधिकांश गाड़ियों की गति, विशेष रूप से उपनगरीय गाड़ियों की गति में कमी की गई है । मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने की नीति में परिवर्तन नहीं किया गया है । सवारी गाड़ियों के मुकाबले में माल-गाड़ियों को प्राथमिकता देने की नीति अभी भी जारी है । यही कारण है कि राजधानी जैसी महत्वपूर्ण गाड़ी भी प्रायः विलम्ब से चलती है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : माल ढुलाई का कार्य भी तात्कालिक होता है ।

श्री बसुदेव आचार्य : किन्तु हमें सवारी गाड़ी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह रेलवे मन्त्री महोदय का व्यक्तव्य था ।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि सवारी गाड़ी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । मालगाड़ी को प्राथमिकता देने के बारे में 1980 के वर्ष में अपनाई गई नीति अभी भी जारी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माल गाड़ी देर से चलती है तो आपको समय पर चावल की सप्लाई नहीं मिलेगी ।

श्री बसुदेव आचार्य : दोनों पर विचार किया जाना चाहिए । यह केवल पश्चिम बंगाल की ही समस्या नहीं है···

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी राज्य हो ।

श्री समर मुखर्जी : आपके राज्य का नम्बर पहला है ।

श्री बसुदेव आचार्य : आपके मुख्य मन्त्री ने भूख हड़ताल की थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : चावल की ढुलाई को सवारी गाड़ी के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

श्री समर मुखर्जी : इसे वायुयान से भेजें ।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं बजट प्रस्ताव भाड़े और किरायों में वृद्धि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। बजट प्रस्ताव यात्रियों एवं आम जनता के उत्पीड़न के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

हमें आर्थिक सर्वेक्षण का पुनः हवाला देना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखेंगे कि खाद्यान्न सब्जियों, दूध, दुग्ध उत्पादों, अण्डों और मछली की कीमतों में वृद्धि हो रही है। रेल मन्त्री ने इन आवश्यक मदों के भाड़े में वृद्धि करनी चाही है।

माल भाड़े और किराए में वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी। उन्होंने द्वितीय श्रेणी की यात्री गाड़ियों और उप नगरीय यात्री गाड़ियों के किराए में भी वृद्धि की है। उपनगरीय यात्री गाड़ियों के मामले में 130 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रकार उपनगरीय यात्रियों की स्थिति बदतर हो जाएगी।

एक बार यह प्रस्ताव था कि नियोक्ता को कुछ योगदान देना चाहिए क्योंकि नियोक्ता आवास और परिवहन की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं। आप जानते हैं कि बड़े नगरों में हमेशा आवास की समस्या रहती है। अतः मजदूर उपनगरों में रहना अधिक पसन्द करते हैं। ऐसे नियोक्ताओं से कुछ अन्शदान प्राप्त करने का प्रस्ताव था जो मजदूरों के लिए आवास और परिवहन की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं।

अब उपनगरीय यात्री गाड़ियों का किराया उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार अथवा उसकी जांच किए बिना बढ़ा दिया गया है। अब उच्चतम सीमा भी लगा दी गई है। इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय मुझसे सहमत होंगे कि आसनसोल और दुर्गापुर से सैकड़ों मजदूर प्रतिदिन कलकत्ता जाते हैं और उनमें से अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो कलकत्ता के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। और अब 80 किलोमीटर की उच्चतम सीमा लागू हो जाने के पश्चात् आसनसोल और दुर्गापुर से सैकड़ों मैं सही स्थिति बतता हूं हजारों मजदूरों को जो आमतौर पर हावड़ा एक्सप्रेस और कोल फील्ड एक्सप्रेस से मासिक टिकट पर यात्रा करते हैं अब मासिक टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करके 80 किलोमीटर की अधिकतम सीमा हटायें, और उपनगरीय गाड़ियों को आसनसोल तक बढ़ायें, जिसकी हम पिछले तीन वर्षों से मांग कर रहे हैं ताकि वे मासिक टिकट पर यात्रा कर सकें। वास्तव में मैं उनसे गाड़ियों को चितरंजन तक बढ़ाने का आग्रह करता हूं। मेरे विचार में आसनसोल हावड़ा से 130 किलोमीटर से अधिक दूर है। यहां तक कि रानीगंज, दुर्गापुर, आसनसोल और चितरंजन से भी कर्मचारी कलकत्ता आते हैं। अतः मैं उनसे उपनगरीय गाड़ियों को आसनसोल अथवा चितरंजन तक बढ़ाने अथवा 80 मिलोमीटर की अधिकतम सीमा हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : चितरंजन में बर्थ सुविधाएं बेहतर हो जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं रेल मंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् नई रेल लाइन बनाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 21 वर्षों में पुरानी लाइनों में 7644 किलोमीटर लाइन की वृद्धि की गई है। यदि हम चीन से तुलना करें तो आप देखेंगे कि 1949 के पश्चात चीन में 60 प्रतिशत नई लाइनें बनाई गई हैं जबकि हमारे देश में 61, 244 किलोमीटर रेल पथ में केवल 7,664 नया रेल मार्ग जोड़ा गया है। प्रगति बहुत ही धीमी है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। जब एक वर्ष में केवल 246 किलोमीटर लाइन जोड़ी जाती है तो कोई सरकार किस प्रकार लोगों की इच्छाएं पूरी करने की बात कर सकती है।

विद्युतीकरण की गति भी बहुत ही धीमी है। रेलवे ने भाप के सभी इन्जनों को चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा बदलने की निर्णय लिया है जबकि विद्युतीकरण की गति 1981-82 तक कुल रेल मार्ग का 9 प्रतिशत रही।

यह बहुत ही धीमी प्रगति है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नई लाइनों को बिछाने के लिए अधिक फण्ड आबंटित करे। अन्यथा मराठवाड़ा में जिस प्रकार का आन्दोलन चलाया गया है वह देश के अन्त भागों में भी फैल सकता है विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में।

रेल मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि रेलवे में औद्योगिक संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और वर्ष भर औद्योगिक शान्ति बनी रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1980 के उत्तरार्द्ध में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन क्या हैं? नवम्बर, 1980 में रेल बोर्ड द्वारा गैर मान्यता प्राप्त यूनियन अथवा एसोसिएशन से वार्ता करने की सुविधा एक गुप्त परिपत्र द्वारा वापस ले ली गई।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : पहले वह छूट दी गई थी।

श्री बसुदेव आचार्य : पहले यह रियायत सभी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशन्स को दी गई थी। उस समय से उसी क्षण से औद्योगिक संबंध खराब हो गए हैं। वास्तव में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन में जब वार्ता करने की सुविधा वापस ले ली गई और उनसे किए गए समझौते का पालन नहीं किया गया तभी से औद्योगिक सम्बन्धों को बहुत धक्का लगा। वर्ष 1973 में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ यह समझौता किया गया था कि रेल बोर्ड उनसे मिलेगा और उनसे उनकी समस्याओं पर विचार करेगा। परन्तु उपर्युक्त गुप्त परिपत्र जारी हो जाने के बाद इस सुविधा को वापस ले लिया गया तथा रेलवे में औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ गए और औद्योगिक शान्ति नहीं रही।

यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी उसके पास भेजी गई। विभिन्न शिकायतों की जांच करते समय यह कहा था कि सामूहिक सौदेबाजी की सुविधा वापस लेने से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता हैं और एसोसिएशन की स्वतन्त्रता की जड़ें काटी जाती है। अतः मैं यह जानना हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं।

इसे शान्ति तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता यह तूफान से पूर्व की शान्ति है। यह शान्ति

दोनों मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के हजारों मजदूरों को उत्पीड़ित करके स्थापित की गई है।

यह आश्चर्य की बात है कि एक मामले में रेल बोर्ड क्षेत्रीय रेलों से यह जानना चाहता था कि क्या किसी कर्मचारी को नियम 14(2) के अन्तर्गत सेवा से निकालते समय कारण बताओ नोटिस दिया गया था। वस्तु स्थिति यह है कि निम्न स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताने का अवसर दिए बिना नियम 14(2) के अधीन सेवा से निष्कासित कर रहे हैं। और अधिकारी गण उच्चतम न्यायालय तक झगड़ा करते रहते हैं। उच्चतम न्यायालय में ऐसे अनेक मामले विचाराधीन हैं। किसी श्रमिक की सेवा में व्यवधान डालने और उसे उपदान और पेंशन देने से इन्कार करने का क्या कोई औचित्य केवल इसलिए हो सकता है कि वह किन्हीं उचित कारणों से कुछ दिन मजदूरी नहीं कर सका। यदि प्रशासन काल के इन दिनों का वेतन नहीं देता है तो सेवा में व्यवधान दो गुणा दण्ड हो जाता है।

प्रशासन किसी कर्मचारी को हड़ताल में भाग लेने के आधार पर सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित रख सकता है पिछले एक या दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले सैकड़ों रेल कर्मचारियों को अभी तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं।

ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते आप स्थिति की गम्भीरता महसूस कर सकते हैं। यद्यपि रेलवे बोर्ड का यह आदेश है कि जहां सेवा में अन्ततः व्यवधान डाला जाता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी पुनरीक्षा नहीं की जाती है तो संबंधित कर्मचारी को, सेवा की लम्बी अवधि को आधार मानकर उपदान और पेंशन दी जाए, परन्तु इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

मौजूदा कानून के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की छंटनी की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए इस पर विचार किया जाना चाहिए और मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि जहां कहीं मान्यता प्राप्त फैडरेशन में 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं वहां मान्यताप्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दोनों से परामर्श करें।

रेल बोर्ड और रेल मंत्रालय को समस्याओं को हल करने के लिए यूनियनों से चर्चा करनी चाहिए और रेलवे में शान्ति स्थापित करनी चाहिए विशेषरूप से इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि आल इण्डिया रेलवे मैंन फेडरेशन ने बीकानेर में हुए अपने सम्मेलन में रेलवे कर्मचारियों को 5 अप्रैल को इकट्ठा करने का निर्णय लिया है और अब हड़ताल का निर्णय लेने वाले हैं।

मैं अब अपने राज्य पश्चिम बंगाल की कुछ समस्याएं रखूंगा। हम काफी लम्बे समय से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की मांग करते आ रहे हैं। पुरुलिया हमारे देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। आप जब पुरुलिया गए थे तो आपने स्वयं लोगों को बताया था और यह आश्वासन दिया था कि आप दिन के समय एक तेजगति वाली गाड़ी चलाएंगे परन्तु बजट प्रस्तावों में हमें इस प्रकार का कोई प्रावधान दिखाई नहीं देना क्योंकि

पुरुलिया स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा की समस्या है और पुरुलिया में टर्मिनल सुविधा उपलब्ध कराई जानी है अतः मैं रेल मंत्री से इस अनुरोध को स्वीकार करने तथा एक तेजगति वाली गाड़ी चलाने का आग्रह करता हूं। पुरुलिया के हजारों लोगों ने इस मांग की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु पुरुलिया से कलकत्ता तक 283 किलोमीजर की पदयात्रा की। अतः मैं मंत्री महोदय से शीघ्र ही एक तेजगति वाली गाड़ी चलाने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक रेलवे के विकास का संबंध है रेलवे प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों में उन्हें वंचित रखदे की भावनाओं को भड़काने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता रांची पुरुलिया छोटी लाइन के बिहार के अनुभाग को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है जबकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वैसा ही है। इस हिस्से की लाइन को बदलने से बड़े इस्पात काम्पलेक्सों जैसे बोकारो, दुर्गापुर और टाटा में बेहतर संचार व्यएस्था उपलब्ध हो सकेगी।

बांकुरा-रानीगंजज लाइन का निर्माण जब आप ऊर्जा मंत्री थे, आपने रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट पेश की थी और रेल मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय से एक रिपोर्ट चाहता था। इसलिए बांकुरा से रानीगंज तक की लाइन के मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

सिलीगुड़ी में डीजल इन्जनों की समय समय पर मरम्मत करने के लिए एक कारखाना है। रेलवे बोर्ड ने सिलीगुड़ी में कारखाना बन्द करके अजमेर तथा गोल्डन रॉक में इसे अन्तरित करने का निर्णय लिया हैं, रेलवे बोर्ड के लस आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप डीजल लोको विभाग के 250 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। इस पत्र में कहा गया है कि चालू रेलों के साथ इंजन अजमेर और गोल्डन रांक में पी० ओ० एच० कार्यक्रम के लिए जायेंगे और वापस आयेंगे, जिस पर कि रेलवे के कार्यक्रम के अनुसार काफी समय और पैसा खर्च होगा। इसके अलावा कटिहार बरौनी और कटिहार-सिलीगुड़ी लाइनों को मीटर गेज लाइन से ब्राड-गेज लाइनों में बदलने में काफी पारगमन समय लगेगा। अजमेर और गाल्डन रॉक में डीजल इन्जनों के पी० ओ० एच० कार्य को केन्द्रिय करने पर कुछ करोड़ रु० का खर्चा होगा, जबकि कम पैसे में ही सिलीगुको जक्शन पर पहले से ही मोजूद मूल ढांचे से यह कार्य हो सकता है। कुछ दिन पहले प० बंगाल विधान सभा में सिलीगुड़ी में इस पी० ओ० एच० को बनाये रखने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री समर मुखर्जी : मन्त्री महोदय को प० बंगाल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किये गये इस प्रस्ताव को ध्यान में रखना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं सर्कुलर रेलवे के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। 1947 में गिरधवाल्ला समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने कलकत्ता में परिक्रमा रेल सेवा के बारे में जांच की थी। कलकत्ता नगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में भूमि पर यातायात व्यवस्था संतृप्ति चरण पर पहुंच गई है और दैनिक यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और निकट भविष्य में यह 85 से 90 लाख की आश्चर्यजनक आंकड़े में पहुंच जायेगी।

कलकत्ता की वर्तमान सड़क क्षमता केवल 60 प्रतिशत है। जबकि दिल्ली, मद्रास और बम्बई में 21% है। भूमिगत रेलवे जब पूरी हो जायेगी यह तो केवल 10 लाख यात्रियों की ही ढुलाई प्रतिदिन कर सकेगी। इसके अलावा भी काफी संख्या में ऐसे यात्री रह जायेंगे, जिन्हें कि यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। 1947 से ही परिक्रमा रेल सेवा का विचार पनप रहा है और तभी से करीब तीन समितियां इस पर विचार कर चुकी हैं। 1977 तक न तो उनकी सिफारिशों को माना गया और न ही उन पर कार्यवाही की गई, लेकिन 1977 में जब वामपंथी सरकार कायम हुई तो उन्होंने इस मामले को केन्द्रीय सरकार के पास उठाया और उन्होंने 'राइटस'—रेल इण्डिया तकनीकी मार्मिक सेवायें, भारत सरकार का एक उपक्रम को यह कार्य सौंपा जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परिक्रमा रेल सेवा के लिए लिंक लाइनें बनानी पड़ेंगी जिसमें कि प्रिंसेस घाट से दम-दम तक भी लाइन बिछानी पड़ेगी जोकि तकनीकी दृष्टि से सम्भव है।

प्रिंसेस घाट से मेजर घाट तक का टुकड़ा 'राइटस' की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस टुकड़े को भी शामिल कर लिया जाए और जैसा कि पहले वही समितियों ने परिक्रमा रेल सेवा के बारे में कहा है, पूरी लाइन का निर्माण हो जाये तो यातायात की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा।

श्रीमान्, आपने पहले इसमें कुछ रुचि ली थी। मैं आरोप अनुरोध करता हूं कि आप इस मामलों को लें, क्योंकि सभी समितियों ने जिन्होंने परिक्रमा रेल सेवा की सम्भावनाओं के बारे में जांच की थी, इसके निर्माण और चालू किए जाने की सिफारिशें की हैं, जिससे कि कलकत्ता शहर की यातायात समस्या को सुलझाया जा सके।

श्रीमन्, एक हावड़ा-आम्रा लाइन है। इस वर्ष के बजट में, केवल 2 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है। इसको प्राथमिता दी जानी चाहिए और इसके साथ-साथ हावड़ा-सियाखल मीटर गेज लाइन पर भी विचार जाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह औद्योगिक संबंध सुधारने और शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करें जो कि काफी बिगड़ गये हैं। मैं सरकार और योजना मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे अधिक धन आवंटित करें 11,00 करोड़ रु० की मांग है। अपने पुनर्वास कार्य, पटरियों को बदलने, नई लाइनें डालने, नई लाइनों को बढ़ाने आदि के लिए रेलवे ने योजना आयोग से इतने रु० की राशि की मांग की है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस धन की मंजूरी दी जाये ताकि रेलवे नई लाइनें बिछाने जैसे निर्माण कार्य शुरू कर सके और लम्बित पड़ी सभी आवश्यक परियोजनाओं को पूरा कर सकें इन शब्दों के साथ मैं आपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : मैं रेल मन्त्री द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए रेल बजट में प्रस्तावित प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्रीमन, रेलवे राष्ट्र की नसें हैं। मगर आज राष्ट्र प्रगति पर है तो यह इसलिए कि रेलवे

कार्य कर रही हैं, हमारे इस्पात संयत्र चल रहे हैं, हमारे थर्मल प्लांट चल रहे हैं। इसलिए हमें आभास मिलता है कि राष्ट्र प्रगति पथ पर है।

श्रीमन, रेल मंत्री को कुछ परिधि में कार्य करना होता है। रेल मन्त्री की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि रेल मंत्रालय का बजट तो अलग है, लेकिन जो धन-राशि उसके लिए नियत की जाती है उस पर उनका वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं है। पूंजीगत व्यय योजना आयोग के अधीन है, जबकि आवर्ती व्यय वित्त मंत्रालय के अधीन है। रेल मन्त्री के अधीन रेलें हैं। इसका परिणाम यह है कि उनको दोनों पक्षों से आलोचना सहनी पड़ती है। इसकी अच्छी प्रकार से कल्पना की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको सिर्फ यही विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अलग से बजट पेश करते हैं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : श्रीमन, उनको यही एक विशेषाधिकार प्राप्त है। इस स्थिति की अच्छी प्रकार से कल्पना की जा सकती है।

छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में रेलवे ने 11 हजार करोड़ रुपये के व्यय की मांग की थी। उनको 50 प्रतिशत से भी कम रुपये यानि 51,00 करोड़ रु० दिया गया। उस राशि का भी अब मूल्य ह्रास हो गया है क्योंकि रुपये की कीमत कम हो गयी है। आप स्थिति की अच्छी प्रकार से कल्पना कर सकते हैं। हम सभी उनके पास मांग रखतें है। लेकिन, उनकी स्थिति क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : रेलवे ने 1920 करोड़ की मांग की। अब वार्षिक योजना में उन्हें 1,500 करोड़ रु० की बजाय केवल 1342 करोड़ ही दिये गये। पहले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कांट-छांट के बाद कम से कम 14,00 करोड़ रु० दे दिये जायेंगे। लेकिन जो राशि दी गयी है वह इससे भी कम है। अतः इन परिस्थितियों में रेल मन्त्री को भारी कठिनाई में काम करना पड़ता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के विकास के लिए रेलवे आत्यावश्यक है। रेलवे की सड़क यातायात से समझकर तुलना करनी चाहिए। जैसाकि, एक लेख में कहा गया है कि रेल मन्त्री ने कहा है कि विकास व्यय में इस वर्ष भारी कमी की जायेंगी। वास्तव में यह एक दुःखद कथन है। इसलिए लोग अन्दोलन का रास्ता अपनाते हैं। जहां आन्दोलन नहीं हो रहा है, उसका कारण यह है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र के लिए कितनी राशि का आवंटन, किया गया है। इसलिये जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उनके क्षेत्र में नई लाइनें बिछाने में कम प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए बहुत कम राशि रखी गई है, सभी भागों से दिल्ली में आवाजें आने लगती हैं और आवाजों में बेसुरापन होता है और जोरदार शब्दों में मांगें रखी जाती है कि राशि में वृद्धि की जाये और नई रेल लाइनों के लिए अधिक राशि रखी जाये। उनको समझना चाहिए कि रेलवे एक व्यवहार्य व्यवस्था है।

यदि हम इसकी तुलना सड़क परिवहन व्यवस्था से करें तो इसका खर्च अपेक्षाकृत कम

आता है । ईंधन की लागत बढ़ने से सड़क परिवहन एक बोझ बनता जा रहा है । और लंबी दूरी के लिए राष्ट्र रेलों पर ही आशा रख सकता है । अतः यदि उचित प्रसंग में इन बातों को देखा जाए तो हमें योजना आयोग के साथ संघर्ष में रेल मन्त्री का समर्थन करना होगा, क्योंकि जब संसाधनों का सवाल पैदा होता है, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता । उनको इसके लिए लड़ना ही होगा । ऊर्जा न्यूनतम आवश्यकता क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र में है । कुछ वस्तुयें केन्द्रीय क्षेत्र में हैं । इस तथ्य को देखते हुए कि परिवहन काआवश्यक ढांचा केवल आर्थिक विकास के लिए ही बल्कि राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है, इसे अलग क्यों रखा जाये । इसलिए, हम सबको यह कहना चाहिए कि रेलवे के साथ उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि मन्त्री महोदय सम्पूर्ण राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पराशर, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 2 मार्च, 1983/ 11 फाल्गुन, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6